# छत्तीसगढ़ विधान सभा

# की

# अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

**पंचम विधान सभा** **सप्तम् सत्र**

**बुधवार, दिनांक 26 अगस्त, 2020**

**(भाद्रपद 04, शक सम्वत् 1942)**

**[अंक 02]**

**Web Copy**

# छत्तीसगढ़ विधान सभा

बुधवार, दिनांक 26 अगस्त, 2020

(भाद्रपद 4, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

**(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल तो श्रद्धांजलि दी गई । आज आपने जो व्यवस्था की है और चिंता की है । राज्य सरकार ने कहीं पर भी किसी स्तर पर आम जनता के लिए चिंता नहीं की, व्यवस्था नहीं की ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- राज्य सरकार ने व्यवस्था की और यहां भी व्यवस्था हुई है । आप लोग तो ताली और थाली बजाते रहे, दिया जलाते रहे । यहां की व्यवस्था है वह तो अच्छी बात है लेकिन राज्य सरकार ने भी व्यवस्था की है, आप उसकी भी तारीफ कीजिए । आप लोग तो घर में बैठकर ताली और थाली बजाते रहे।

श्री शैलेश पांडे :- अध्यक्ष जी, आप ने हम लोगों को कम से कम थाली और ताली बजाने के लिए तो नहीं कहा ।

श्री मोहन मरकाम :- पूरे देश में यह पहली विधान सभा है, जहां ऐसी व्यवस्था हुई है । इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद् ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद् ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आम जनता की व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं की और सुकमा में सबसे ज्यादा फैला है । मंत्री जी गंगरेल में डांस कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- आप लोग 4 महीने तक कहां थे, घर से बाहर नहीं निकले, क्या आप लोग थाली, ताली बजा रहे थे, दिया जला रहे थे ?

श्री शैलेश पांडे :- थाली से कितना कोराना भागा है बताइए ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मुख्यमंत्री जी प्रसन्नता में ढोलक बजा रहे थे ।

डॉ. (श्रीमती)लक्ष्मी ध्रुव :- महोदय, घंटी बजाने और थाली बजाने से कोराना खत्म नहीं होता है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- थाली और ताली बजवाकर आपने पूरा 26 लाख करवा दिया है ।

श्री नारायण चंदेल :- डांस हो रहा है, इनको प्रताड़ित किया जाए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- कोरोना में लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं और ये मंत्री लोग डांस कर रहे हैं ।

## सदन को सूचना

## माननीय सदस्यों हेतु कोरोना जांच

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों के लिए कोरोना जांच हेतु विधान सभा परिसर स्थित समिति कक्ष क्रमांक-3 में व्यवस्था की गई है । माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपनी सुविधा अनुसार कोरोना टेस्ट कराने का कष्ट करें । अब, जो जो इसमें संलग्न थे, उनको जाना चाहिए, यह मेरा अनुरोध है ।

## मीडिया प्रतिनिधियों हेतु कार्यवाही का सीधा प्रसारण

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की कार्यवाही के कवरेज हेतु मीडिया प्रतिनिधियों के लिए विधान सभा परिसर स्थित ऑडिटोरियम में स्क्रीन लगाकर कार्यवाही के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई है । जो माननीय मंत्रिगण/सदस्यगण मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करना चाहते हों, वे चर्चा के लिए ऑडिटोरियम में जा सकते हैं ।

अब प्रश्नकाल होगा । श्री पुन्नूलाल मोहले ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- पी.एल.एम. ।

## तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

## ग्राम गिरौदपुरी में शिलान्यास किए गए निर्माण कार्यों की स्थिति

1. (*क्र. 29) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम गिरौधपुरी जिला बलौदाबाजार तपोभूमि में महामहिम राष्ट्रपति के आगमन के दौरान दर्शन एवं सार्वजनिक भवन निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया था इस हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गयी ? (ख) अभी तक कितने निर्माण कार्य प्रारंभ हुये हैं, यदि नहीं तो कब तक प्रारंभ किया जायेगा और विलंब का क्या कारण है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) एवं (ख) जानकारी †[1] संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है.

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि गिरौदपुरी बाबा घासीदास जी का जन्म स्थल और तपोभूमि में महामहिम राष्ट्रपति आए थे और शिलान्यास किया गया । वह 03.11.2017 का था । राशि 2 करोड़, 25 लाख थी । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि टेंडर कब हुआ, टेंडर ऑफलाइन था या ऑनलाइन था । टेंडर कब खुला और खुलने के बाद, वर्क ऑर्डर कब हुआ । आपने बताया कि 10.08 को ले-आउट हुआ है । टेंडर की तारीख बताने का कष्ट करेंगे ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न था मैंने उसके अनुसार पूरी जानकारी दे दी थी और अब काम चालू हो गया है, यह जानकारी भी दी है । रहा सवाल टेंडर कब हुआ ? टेंडर तो ऑनलाइन ही होता है, ऑफलाइन नहीं होता है । बाकी टेंडर की निश्चित तारीख अभी मैं देखकर आपको बता दूंगा ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि संशोधित ड्राइंग डिज़ाइन विलंब से प्राप्त हुआ । मैं जानना चाहूंगा कि पहला ड्राइंग डिज़ाइन क्या था, बाद में ड्राइंग डिज़ाइन क्यों बदला गया और यदि

---

†[1] परिशिष्ट ''एक''

बदला गया तो कितने कमरे का था या एक मंजिल का था या दो मंजिल का था । ड्राइंग डिज़ाइन बदलने का कारण क्या है ? यह बताने का कष्ट करें

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जितने विस्तार से पूछ रहे हैं, वह पूरी जानकारी मैं इकट्ठा कर दूंगा कि कितने कमरे थे ?

कमरे का साइज क्या था ? एक तला था या दो तला था ? बेस लेवल था या नहीं था ? इतना सब तो इस उत्तर में नहीं है, लेकिन इतना जरूर बता देना चाहता हूं कि पहले आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा स्वीकृति मिली थी, जिसका आपने उललेख किया, 2 करोड़ 25 लाख का और उसके बाद माननीय महामहिम के द्वारा भूमि पूजन जो कि आपको मालूम है कि दिनांक 6/11 को किया गया। 2 करोड़ 25 लाख के हिसाब से उनका ड्राइंग डिजाइन था, लेकिन बाद में कुछ और ड्राइंग डिजाइन बनाया गया तो उसके यह कहा गया कि जितनी प्रशासकीय स्वीकृति मिली है, ड्राइंग डिजाइन उस हिसाब से तैयार कर लें तो जो आर्किटेक्ट आर.के.पटेल थे, उन्होंने 2 करोड़ 25 लाख के हिसाब से ड्राइंग डिजाइन तैयार किया और उसे फिर सहायक आयुक्त बलौदाबाजार द्वारा दिनांक 04/10/2019 को स्वीकृत किया गया और वन विभाग से दिनांक 25/02/2019 को अनुमति मिली, उसके बाद कार्यादेश जारी किया गया। ले-आउट एवं नींव खुदाई का कार्य प्रगति पर है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वर्ष 2017 का कार्य है। डिजाइन भी बदला गया और वन विभाग द्वारा दिनांक 25/02/2019 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र दी गई। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि तीसरी बात उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि कोविड 19 लॉकडाउन होने के कारण कार्य में विलंब हुआ था। माननीय राष्ट्रपति का कृपा करके पूरा नाम बतायें तो मैं आगे बढ़ूंगा। किस-किस राष्ट्रपति ने इसका शिलान्यास किया ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- मैं पूरी जानकारी जितना वे प्रश्न कर रहे हैं, वह अलग से उपलब्ध करा दूंगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय मंत्री जी को माननीय राष्ट्रपति का नाम मालूम नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति का नाम रामनाथ कोविंद है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, भारत में गिनती के तो राष्ट्रपति हैं। उसमें से कौन से राष्ट्रपति यहां आये थे, यह भी आप नहीं बता पाओगे तो फिर जानकारी लेकर उन्हें देने का क्या मतलब है ? राष्ट्रपति के बारे में सभी को मालूम है। श्री वी.वी. गिरी हैं, श्री फखरूद्दीन अली अहमद हैं, श्रीमती प्रतिभा पाटित हैं, श्री प्रणव मुखर्जी हैं, रामनाथ कोविंद साहब हैं। कौन हैं, आप केवल इतना ही बता दीजिए न। केवल इतना ही वे पूछ रहे हैं। मंत्री जी इतना छोटा सा जवाब पूछवा लीजिए न। अब उन्हें भी न मालूम हो तो दुर्भाग्य है कि कौन से राष्ट्रपति इतने बड़े गिरौदपुरी धाम में उद्घाटन किये हैं और राष्ट्रपति का नाम मालूम नहीं है। बहुत ही आपत्तिजनक है। राष्ट्रपति का नाम तो बताना चाहिए।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं बता देना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी ने शिलान्यास किया, परंतु मैंने इस कारण से इस बात को पूछा । पूछने का मेरा कोई औचित्य तो नहीं था। माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया तथा कोविड 19 लॉकडाउन के कारण कार्य में विलंब हुआ। इधर माननीय राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद और उधर कोविड 19, इसका क्या संबंध है ? मैं इस कारण जानना चाहता हूं कि लॉकडाउन हुआ तो क्या माननीय राष्ट्रपति के कारण लॉकडाउन हुआ और कार्य में विलंब

हुआ ? या कोविड 19 के कारण हुआ। लॉकडाउन तो होता है और प्रवासी मजदूर को मनरेगा में कार्य दिया जा रहा था तो यह कार्य फिर बंद क्यों हुआ ? हुआ तो दिनांक 10/08/2020 को वर्कआउट हुआ। यह तो आपने विधान सभा में प्रश्न पूछने के बाद वर्कआउट दिया। अगर आपने वर्कआउट दिया तो 25 दिन होने जा रहे हैं। कितना कार्य हुआ ? कितनी राशि का कार्य हुआ ? कार्य हुआ या नहीं हुआ, यह बतायें।

श्री ताम्रध्वज साहू :- महामहिम राष्ट्रपति के कारण कार्य में विलंब हुआ, मैंने यह नहीं कहा है। लॉकडाउन जो लिखा गया है, इसलिए 6-7 महीना। अभी 5-6 महीना लॉकडाउन के कारण विलंब हुआ। उसके पहले आचारसंहिता था। लगातार 1 वर्ष नगरीय निकाय चुनाव का आचारसंहिता, फिर पंचायत चुनाव का आचारसंहिता, फिर उसके बाद कोविड वाला, इस कारण से विलंब हुआ, मैंने उस बात को कहा है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, धरमलाल कौशिक।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- नहीं, आप यह बता दें न कि 25 दिन में कितने का कार्य किया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय :- धरमलाल कौशिक।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर नहीं आया है। ये उत्तर दे दें कि कितने का कार्य वर्क आर्डर के बाद हुआ है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- ले-आउट और नींव खुदाई का काम प्रगति पर है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- प्रगति पर है, वह तो सब जानते हैं। कितनी प्रगति हुई? गति नहीं हुआ, प्रगति भर हुआ ?

अध्यक्ष महोदय :- श्री धरमलाल कौशिक ।

## <u>उच्च पद पर कनिष्ठ अधिकारियों की पदस्थापना</u>

2. (*क्र. 266) श्री धरमलाल कौशिक : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अधिकारी को उच्च पद पर प्रभारी अधिकारी पदस्थ न किये जाने के संबंध में विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी किये हैं ? यदि हां, तो 3 अगस्त, 2020 की स्थिति में विभाग में कार्यपालन अभियंता व उच्च पद पर वरिष्ठता सूची के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी के स्थान पर कौन-कौन कनिष्ठ अधिकारी को प्रभारी अधिकारी पदस्थ किया गया है व क्यों ? पदवार जानकारी देवें ? विभाग में कितने वरिष्ठ अधिकारी कनष्ठि अधिकारियों को प्रभार देने के कारण कम महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत हैं ? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार अधिकारियों में किस-किस अधिकारी के विरूद्ध पुलिस/विभागीय जांच कब से व क्यों चल रही है ? (ग) नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा प्रेषित पत्र क्र. इक 899/ने.प्र./2019, दिनांक 09.12.2019 पर क्या कार्यवाही की गई व सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार कब सूचित किया गया ?

असंपादित/प्रकाशन के लिये नहीं

गृह मंत्री (श्री तामध्वज साहू) : (क) जी हां. जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है. 15 वरिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारियों को प्रभार देने के कारण कम महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत है. (ख) जानकारी ††[2] संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है. (ग) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ में और लगभग सभी विभागों में अभी सरकार की कार्यप्रणाली है कि वरिष्ठ अधिकारियों को किनारे बिठा दिया गया और जो कनिष्ठ अधिकारी हैं, उनको मनमाने तौर से वरिष्ठ अधिकारियों का प्रभार दे रहे हैं । कनिष्ठ अधिकारियों को प्रभार दे रहे हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है । उसका डी.पी.सी. करा लें, डी.पी.सी. कराकर उनको वरिष्ठ पद पर स्थायी रूप से बिठा दें । मैंने मंत्री जी से प्रश्न किया कि सामान्य प्रशासन विभाग का कोई नियम और उनके विभाग का कोई नियम जारी हुआ है तो उन्होंने कहा है कि नियम जारी हुआ है । नियम जारी होने के बाद में 15 अधिकारी ऐसे हैं, जो कनिष्ठ हैं और कनिष्ठ को वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभार में बैठाया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों को किनारे बिठाया गया है । मैंने कहा कि यदि कनिष्ठ अधिकारियों को वरिष्ठ पद पर बिठाया है तो डी.पी.सी. करके उनको रेग्युलर बिठा दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आखिर कनिष्ठ अधिकारियों को वरिष्ठ पद पर बिठाने का क्या कारण है और वरिष्ठ अधिकारियों को किनारे करने का क्या कारण है ?

श्री तामध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ अधिकारियों को किनारे करना या कनिष्ठ अधिकारियों को प्रभार देने के पीछे कोई दूसरा कारण नहीं है । जहां-जहां जैसी परिस्थितियां बनती हैं, जगह रिक्त होता है, उसके अनुसार कनिष्ठ अधिकारियों को लाते हैं और उसके अनुसार उनको प्रभार दिया जाता है । माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने डी.पी.सी. की बात कही । हम लोगों ने क्रम चालू कर दिया है, पिछले 10-15 सालों में आप लोगों ने क्रम चालू नहीं किया था । माननीय अध्यक्ष जी, हमने एक साथ डी.पी.सी. करके एस.ई. को चीफ इंजीनियर बना दिया । अब ई.ई. से एस.ई. बनाने की प्रक्रिया चालू हो गई । हमने फिर एस.डी.ओ. से ई.ई. बनाने की प्रक्रिया चालू कर दी है । हमने सब इंजीनियर से ए.ई. बनाने की भी प्रक्रिया चालू कर दी है । एक साथ सारे एस.ई. थे, जिनका डी.पी.सी. कराया गया था, 8 लोगों को हमने एक साथ किया, जो 10 साल से नहीं हुआ था, डी.पी.सी. की बात जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कही है तो हमने आठ लोगों को एक साथ चीफ इंजीनियर बनाया, उसके नीचे का हम चालू कर रहे हैं ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 अगस्त, 2011 को सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र जारी हुआ है, मैं उसको मंत्री जी को पढ़कर बता देता हूं :- वरिष्ठ पद पर चालू प्रभार सौंपने में अनिवार्यता वरिष्ठता सह योग्यता के मापदण्ड अपनायी जाये तथा जो अधिकारी पदोन्नति के विचारण क्षेत्र में आ रहे हैं व अन्य मापदण्डों के अनुसार पदोन्नति के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं, उन्हें ही चालू प्रभार सौंपा जाये । वरिष्ठता क्रम में ऊपर के अधिकारियों को बिना किसी युक्तियुक्त प्रशासकीय कारण से बाईपास करते हुए कनिष्ठ अधिकारियों को कार्य न सौंपा जाए । यदि उनको जवाबदारी देनी है तो ऊपर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको पहले आपको बिठाना पड़ेगा और यदि कोई कारण है तो आपको बताना पड़ेगा । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वरिष्ठता सह योग्यता ये जो मापदण्ड है, ये क्या है ? आप इसको बताएंगे ।

---

[2] † परिशिष्ट ''दो''

श्री तामध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों का अक्षरश: पालन कर रहे हैं । वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर उनको प्रभार दिया जाना है । वरिष्ठता एक अलग क्रम हुआ और जैसे वहां पर किसी को तत्काल प्रभार देना है, किसी का ट्रांसफर हुआ, किसी की पोस्टिंग हुई तो वहां उनकी योग्यता वरिष्ठ अधिकारी तय करते हैं कि इनके कामकाज कैसे रहे हैं, इनका लगातार दो-चार सालों से कार्य का रिजल्ट कैसा रहा है, यह उसकी योग्यता होती है । उस योग्यता के आधार पर हम लोग उनको चालू प्रभार देते हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जो ई.एन.सी. बैठे हुए हैं, उसके बाद में आपके एस.ई. बैठे हुए हैं, मैं कुछ नाम केवल आपको बताना चाहूंगा कि भतपहरी जी ई.एन.सी. के पद पर बिठाए गए हैं, उनके वरिष्ठता क्रम में और कोई अन्य अधिकारी है ?

श्री तामध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठताक्रम जो आपके जमाने से बना है, वह अलग है। इनका बीच-बीच में आवेदन आते गया, उसके अनुसार फिर से जांच होते गया और वरिष्ठताक्रम बदलते गया। वर्ष 2012-2018 में श्री डी.के. प्रधान को ई.एन.सी. बनाया गया। जब वर्ष 2012 से 2018 के वरिष्ठताक्रम में पाचंवे क्रम में थे। उस समय श्री डी.के.अग्रवाल दूसरे क्रम में थे और श्री विजय भतपहरी चौथे क्रम में थे। अब पांचवे क्रम को वर्ष 2012 से 2018 के बीच में ई.एन.सी. बनाया गया। उसके बाद इनका आवेदन आया, फिर जांच हुआ तब श्री डी.के.अग्रवाल प्रथम क्रम में आये, उनको बनाया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आप जो भतपहरी जी की बात कर रहे हैं, तो इनका आवेदन आया था। इस आधार पर उनके आवेदन पर जांच चल रहा है। जब तक वह फायनल नहीं होता, हम तब तक उस क्रम को मानते हैं। हमारे यहां श्री डी.के.अग्रवाल के बाद श्री के.के.पिपरी हैं, उसके बाद श्रीविजय भतपहरी हैं, उसके बार श्री कोरी हैं। विभाग में अलग-अलग ब्रांचेस हैं इनको अलग-अलग बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। आप उनका क्रम पूछ रहे हैं तो अलग-अलग बता देता हूं। अग्रवाल जी को आर.डी.सी. का एडिश्नल एम.डी. बनाया गया है, जो अलग रैंक है, अलग ब्रांच है। श्री पिपरी जी एन.एच. देख रहे हैं, वह अलग ब्रांच है, उनको अलग काम दिया गया है। श्री विजय भतपहरी जी को ई.एन.सी. का पद दिया गया है। श्री कोरी जी को ए.डी.बी और ब्रिज से संबंधित काम दिया गया है। तो हर अधिकारी को अलग-अलग एक ब्रांच दिया गया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो ब्रांच दिए हैं, वह ठीक है, वह मेरा नीतिगत विषय नहीं है। आपने यह जो बताया उसमें वरिष्ठताक्रम में श्री पिपरी और श्री डी.के.अग्रवाल के खिलाफ कोई विभागीय प्रकरण चल रहा है, कोई मामला न्यायालय में चल रहा है, जिसके कारण श्री भतपहरी को श्रेष्ठ पाये और उससे इनको निम्न स्तर का पाये तो इनके खिलाफ कोई प्रकरण लंबित है क्या ? चाहे विभागीय प्रकरण हो चाहे न्यायालय में लंबित प्रकरण हो, इसे बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री तामध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, वरिष्ठता का आवेदन आया है, उसका परीक्षण हुआ है, उसके अनुसार किया गया है। दूसरा, ई.एन.सी. का जो पद होता है, वह उनकी योग्यता और कार्यक्षमता के अनुसार भी उसको किया जाता है। जैसा कि मैंने आपके वर्ष 2012 से 2018 के कार्यकाल का उदाहरण दिया। हम लोग तो पहले क्रम को दिए हैं। आपने पांचवे क्रम को ई.एन.सी. बनाया था। हम लोगों ने उस क्रम को डिलीट नहीं किया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस 4 अधिकारी के बारे में और पूछना चाहता हूं। श्री सुन्दरलाल मरकाम हैं, श्री जे.पी. तिग्गा, श्री ए.के.श्रीवास और श्री विकास श्रीवास्तव , इनके खिलाफ कोई

विभागीय जांच चल रहा है ? विभागीय जांच चलते हुए इनसे जो वरिष्ठ हैं, उनको छोड़कर इनको बनाया गया है। तो आप इसके बारे में बतायेंगे कि क्या स्थिति है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, बहुत लंबी-चौड़ी कण्डिका के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं केवल 4 अधिकारी के बारे में पूछ रहा हूं। एक श्री मरकाम हैं, श्री तिग्गा हैं, एक श्री श्रीवास और एक श्री श्रीवास्तव हैं। क्या इनके खिलाफ कोई विभागीय जांच लंबित है और जांच चल रहा है ? जांच चलते हुए भी इनको श्रेष्ठ पाया और इनको प्रभार दिया ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप इनके बारे में अलग से बता दीजियेगा।

श्री सौरभ सिंह :- यह परिशिष्ट में जानकारी है।

श्री धरमलाल कौशिक:- माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग से नहीं बताना है। विभागीय जांच रहा है और उसके बाद भी उनको प्रभारी बनाया गया है। तो इनके कौन से गुण हैं, यही तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं ?

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा, विशिष्ट गुण।

श्री धरमलाल कौशिक :- जब यदि कोई विभागीय जांच रहा है तो उनको प्रभारी नहीं बनाया जा सकता है। उसके बाद भी उनको प्रभारी बनाया गया है और उनसे जो वरिष्ठ हैं, उनको छोड़ दिया गया है। तो आप इसमें थोड़ा सा बतायेंगे कि विभागीय जांच जो चल रहा है, वह क्या लंबित है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- आप बैठिये, मैं बता रहा हूं। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री सुन्दर लाल मरकाम कार्यपालन अभियन्ता हैं, उनकी विभागीय जांच की कार्यवाही पूर्ण एवं शासन स्तर पर निर्णय प्रक्रियाधीन है। अधीक्षण अभियन्ता सेतु मण्डल रायगढ़ का पद रिक्त हुआ इसलिए उनको वहां तत्काल प्रभार दिया गया। श्री जे.पी.तिग्गा कार्यपालन अभियन्ता, इन्हें आरोप-पत्र जारी हुआ है, किन्तु विभागीय जांच संस्थित नहीं है। अधीक्षण अभियन्ता सेतु मण्डल अम्बिकापुर का पद रिक्त होने के कारण प्रभार दिया गया है। ए.के.श्रीवास, सहायक अभियंता-इनहें आरोप पत्र जारी हुआ है किन्तु विभागीय जांच संस्थित नहीं हुई है, वरिष्ठता के आधार पर कार्यपालन अभियंता, दुर्ग संभाग का प्रभार दिया गया है। विकास श्रीवास्तव-इन्हें आरोप पत्र जारी हुआ है किन्तु विभागीय जांच चालू नहीं है इसलिए वरिष्ठता के आधार पर कार्यपालन अभियंता, सुकमा संभाग रिक्त पद का प्रभार दिया गया है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, आरोप पत्र जारी हुआ है। आरोप पत्र जारी हुए कितने दिन हो गये आपको भी मालूम है। या तो शासन आरोप पत्र वापस ले ले और ये मान ले कि उनके खिलाफ कुछ मामला नहीं है, लेकिन आरोप पत्र के बाद उनसे शो-कॉज नोटिस का जवाब आयेगा, जवाब के बाद विभागीय जांच होगी। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार आरोप पत्र वापस ले रही है? यदि नहीं ले रही है तो सामान्य प्रशासन विभाग का जो नियम है जिसके तहत ऐसे लोगों को उस पद पर नहीं रखा जायेगा, बल्कि जो वरिष्ठ हैं उनको रखा जायेगा तो सामान्य प्रशासन विभाग के जो नियम हैं उसका पालन करके इनको हटायेंगे क्या और हटायेंगे तो कब तक हटायेंगे?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया में है, प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उस पर कार्यवाही होगी। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि पहली बार हम लोग इतने लॉट में प्रमोशन और डी.पी.सी. कर रहे हैं। एक साथ 8 ए.सी. को चीफ इंजीनियर में आज तक प्रमोशन नहीं हुआ है। वह हम लोग तत्काल डी.पी.सी. करके कर दिये। जैसा मैंने पहले बताया, विभाग में किसी को भी आप पूछवा सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने

स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि प्रमोशन हेतु डी.पी.सी. जल्दी करवाओ। हमारे विभाग में हम लोग ई.ई. का एस.ई. में प्रमोशन बहुत जल्दी करने वाले हैं। वैसे ही ए.ई. का ई.ई. के लिए करेंगे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी किया है कि मैं प्रमोट करने के बाद आखिर में सब इंजीनियर का आपसे 400-500 पद मागूंगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विभाग के पदक्रम, वरीयता सूची में आज माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आज इतना, बहुत दिलचस्पी लेकर पूरी जानकारी ले रहे हैं। लगता है पूरा डिस्कसन आज ही हो जायेगा। हर विभाग में वरीयता सूची बनती है, कहीं किसी के खिलाफ शिकायत, कहीं किसी के खिलाफ कुछ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह सक्षम मंत्री हैं, आपके हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैंने हस्तक्षेप नहीं किया, मैंने कहा कि माननीय आज इतना बहुत ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- यदि आप चाहते हैं तो नेता प्रतिपक्ष को अवसर दीजिए, उनका समय बेकार मत कीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं। मैं नेता प्रतिपक्ष की तारीफ करता हूं तो आप खड़े क्यों हो जाते हैं, ये तो बताओ?

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, नेता प्रतिपक्ष जी पूछ रहे हैं आप उनका समय खराब कर रहे हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चौबे जी, मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। मेरा तो यह कहना है कि जिस प्रकार से सरकार चल रही है और उसमें सारे वरिष्ठ अधिकारियों को किनारे करके मनपसंद कनिष्ठ को बैठाया गया है। आप डी.पी.सी. करके बैठा लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कोई व्यक्ति से हमको मतलब नहीं है लेकिन जो आपके के नियम बनाये गये हैं और आपके नियम की आप खुद अवहेलना कर रहे हैं। पिछली बार जब मैंने प्रश्न किया था और जो पत्र लिखा हूं उसमें 9 महीने हो गये और इनके जवाब में आज भी वही जवाब आया है कि कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कोई भी विधायक है, सांसद है, निगम, मंडल का अध्यक्ष है उनके पत्र का 15 दिन के अंदर अंतरिम जवाब आना चाहिए लेकिन इसमें 9 महीने तक जवाब नहीं आया है। अभी भी प्रक्रियाधीन है और ये प्रक्रियाधीन में मंत्री जी बोल रहे हैं कि अभी भी प्रक्रियाधीन है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप इसको प्रक्रियाधीन में मत रखें, इसकी आप तत्काल जांच करवायें और जांच करवाने के बाद यदि हटाने का है तो हटाकर वहां दूसरे को बैठाएं और यदि लगता है कि आरोप पत्र वापस लेना है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप आरोप पत्र को वापस लें। ये तो जवाब आना चाहिए ना, प्रक्रियाधीन कब तक रखेंगे?

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, 9 महीने में एक पीढ़ी आ जाती है और ये सरकार 9 महीने में कुछ नहीं कर पा रही है।

श्री रामकुमार यादव :- चन्द्राकर जी, पहिली तू मन बाबू मन ला सी.एम.ओ. बना देत रह।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि सरकार कैसे चल रही है? मैंने पहले ही जानकारी दी कि माननीय भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्रित्व काल में सरकार अब तक की ऐतिहासिक और बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। ये प्रदेश की पूरी जनता जानती है। (मेजों की थपथपाहट) यही काम मैंने बताया कि आपने 8वें क्रम, 5वें क्रम वाले को ई.एन.सी. बनाया, हमने तो पांचवे क्रम का वह भी नहीं किया। हमने

ये नहीं किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पहली बार ऐसा हो रहा है। अगर आप डेढ़ साल पहले डी.पी.सी. करवा दिये होते और सबको प्रमोशन कर दिये होते तो आज ये स्थिति नहीं आती।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 13 साल पहले कौन सी सरकार ने?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 13 साल की बात छोड़िए ना, 15 साल आपको दिया गया था। 15 साल आपने क्या किया? (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं 15 साल की बात को नहीं जोड़ रहा हूं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- 15 साल में आप क्या किये, 15 साल आपको दिया गया था। अभी हमारा 15 महीने की सरकार है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप डी.पी.सी. के आदेश लिये हुए बैठे हैं। डी.पी.सी. का आदेश दिया गया था, डी.पी.सी. का आदेश हुआ नहीं। डी.पी.सी. होने के बाद में पोस्टिंग हो नहीं रहा है। लाकडाउन में जो वैकेंसी निकाली गयी, उसकी नियुक्ति हो गयी। लेकिन प्रक्रिया होने के बाद में उसकी नियुक्ति आदेश हो नहीं रहे हैं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- हो गया, हो गया।

श्री धरमलाल कौशिक :- उसके बाद आप बोल रहे हैं कि ये ऐसी सरकार। चलाईये आप वैसी सरकार, हमको क्या दिक्कत है। हम उदाहरण देते हैं तो मैं बोल सकता हूं कि क्या आपको इधर आना है ? उसके लिये तैयार रहे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री ताम्रध्वज साहू :- बिल्कुल नहीं आना है। आप ऐसी ही 20-25 साल प्रश्न करते रहिये, हम यहां बैठे रहेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- 20-25 साल रहेंगे, नहीं रहेंगे वह तो आपको बता देंगे। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष जी, देश में नाम पाये हुए मंत्री हे ये हा।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी

## मस्तुरी विकासखण्ड के ग्राम पंचायतों में स्वीकृत राशि

3. (*क्र. 358) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मस्तुरी विकासखण्ड में जनवरी, 2019 से जुलाई, 2020 तक ग्राम पंचायतों में किन-किन पदों से कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? ग्राम पंचायतवार, मदवार जानकारी देवें ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में है.

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय पंचायत मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम विकास के लिये जनवरी से अब तक के किन-किन मदों में कितनी-कितनी राशि दी गयी थी ? तो कितने प्रकार के मद होते हैं, मंत्री जी मेरे को बता दीजिए जो मेरे ग्राम विकास के लिये हैं।

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा था कि 1 जनवरी, 2019 से जुलाई 2020 के बीच में ग्राम पंचायतों में किन-किन मदों में कितनी राशि स्वीकृत की गयी ?

मस्तुरी विकासखंड के संदर्भ में यह प्रश्न था। 1 जनवरी से 31 मार्च 2019 के बीच में 126 पंचायतें थी, तत्पश्चात् 5 नई पंचायतें गठित हुई और 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च और 1 अप्रैल 2019 से 31 जुलाई 2020 में 131 पंचायतों का ब्यौरा है। 1 जनवरी, 2019 से 31 मार्च 2019 के बीच में 126 ग्राम पंचायतों में 41 करोड़ 42 लाख 74 हजार रूपये। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में 131 ग्राम पंचायतों में 64 करोड़ 13 लाख 79 हजार रूपये। 1 अप्रैल 2019 से 31 जुलाई 2020 के बीच में 131 ग्राम पंचायतों में 37 करोड़ 79 लाख 65 हजार रूपये। ये व्यय हुए हैं। आपने मदवार जानना चाहा है, तो ये 12 विभिन्न मदों के कार्य यहां स्वीकृत हुए हैं। 1 जनवरी 2019 से जुलाई 2020 तक है। 14 वें वित्त आयोग में 25 करोड़ 47 लाख 21 हजार रूपये। 15 वें वित्त आयोग के तहत 9 करोड़ 45 लाख 60 हजार रूपये। मूलभूत मद में 91 लाख 73 हजार रूपये। मनरेगा में 93 करोड़ 65 लाख 15 हजार रूपये। स्कूल आहाता निर्माण में 64 लाख 1 हजार रूपये। स्वच्छ भारत मिशन में 3 करोड़ 87 लाख 31 हजार रूपये। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण से 48 लाख 50 हजार रूपये। छत्तीसगढ़ विकास प्राधिकरण में 29 लाख 66 हजार रूपये। समग्र विकास के तहत 2 करोड़ 60 लाख 69 हजार रूपये। योजना मंडल में 1 करोड़ 70 लाख 88 हजार रूपये। रूर्बन मिशन में 3 करोड़ 3 लाख 25 हजार रूपये। एन.टी.पी.सी. सी.एस.आर. मद से 1 करोड़ 22 लाख 19 हजार रूपये। आप अलग-अलग समयकाल में चाहेंगे तो उसकी भी जानकारी है जो मैंने तीन पन्नों में बनवाया है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने मद पूछा। माननीय मंत्री जी ने 12 मद बताये और 12 मदों की राशि 14 वें वित्त का जो पैसा है, उसके लिये कोई गाईडलाईन जारी किया गया था या किन-किन मदों में उसको खर्च करना चाहिए? माननीय अध्यक्ष जी, उसका बंदरबाट हुआ है और उसकी शिकायत की गयी है। जिन मदों में सरकार के द्वारा जो गाईडलाईन जारी किया गया था, उसको छोड़ करके बाकी मदों में उसको खर्च किया।

अध्यक्ष महोदय :- आप उसकी जांच कराना चाहते हैं तो बोलिये ना।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, जांच भी करायें। एक और भी विषय है, जो 12 मद है उनके एक-एक मदों पर चर्चा हो।

अध्यक्ष महोदय :- आपके तारांकित प्रश्न का इतना सारा जवाब आया है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, मैं वही तो बताना चाह रहा हूं। इसमें 12 मद हैं जिसमें 1 लाख....।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायतवार भी जानकारी है। ग्राम पंचायतवार अलग-अलग मद हैं, कौन से मद हैं, ये 12 हेड हैं..।

अध्यक्ष महोदय :- इतने बड़े जवाब को आप देंगे तो पूरा समय ही बीत जायेगा।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2020-21 में मेरा पूरक प्रश्न है। बजट आये हुए 6 महीने से उपर हो गये हैं। वर्ष 2020-21 में जो माननीय बांधी जी का प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में समग्र विकास की कितनी राशि आपने स्वीकृत की है या आज अतारांकित में प्रश्न 03 देख लीजिए। अजय चन्द्राकर अर्थात् मेरा एक प्रश्न है कि मुख्य सचिव के बनाये सशक्त समिति ने उसकी स्वीकृति दी। वर्ष 2020-21 में आप मंत्री ने अनुमति दी है या मुख्य सचिव ने कितनी राशि की स्वीकृति दी है, यह बता दीजिये ?उसी प्रश्न में आपने स्वीकृति दी है या मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने मुख्यमंत्री समग्र विकास में स्वीकृति दी ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय बांधी जी ने पहले पूछा था, वह मैं गाईड लाईन के बारे में बता दूं। जो गाईड लाईन भारत सरकार से भी आते हैं इलसिटिव रहते हैं कोई बंधा हुआ गाईड लाईन ऐसा

नहीं रहता है कि यही करना है। इसमें मुख्य रूप से ग्राम सभा का अनुमोदन और जी.पी.डी.पी. में उसका संविलियन समावेश ये जरूरी रहता है और जिन मदों के लिए उन्होंने कहा है। स्वच्छता, पेयजल, ग्राम की मौलिक सुविधाओं एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए कहा है तो ये विस्तृत हो जाता है गांव की सुविधाओं और सेवाओं तो इसमें शायद ही कुछ छूटेगा। ऐसे गाईड लाईन्स हैं तो ये इलसिटिव रहते हैं। ये जरूर है कि जी.पी.डी.पी. और ग्राम सभा की अनिवार्यता रहती है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अनुमति दी थी तब मैंने प्रश्न किया था।

अध्यक्ष महोदय :- वे उसका जवाब दे रहे हैं। आप क्यों घबरा रहे हो?

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- आप जवाब तो सुन लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। मैंने ये पूछा था।

अध्यक्ष महोदय :- पहले इनका जवाब दे दें फिर इसके बाद आपने जो प्रश्न पूछा, उसका जवाब देंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय चन्द्राकर जी, कांच के कारण थोड़ा दो मिनट लेट तो होगा। यहां कांच लगा है। आप सुन लीजिए, उत्तर आ गया है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2020-21 में समग्र विकास में माननीय मंत्री जी के माध्यम से एक भी नये पैसे की स्वीकृति नहीं हुई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं। अच्छा स्वीकृति नहीं हुई। ठीक है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कोरोनाकाल में गांव के लोगों को पैसे की बहुत ही आवश्यकता है। आपके मनरेगा का कितना भुगतान हुआ और कितना भुगतान लंबित है?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल जुलाई तक जहां तक मुझे स्मरण हैं 9 करोड़, 22 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया और लगभग 2800 करोड़ रूपये की राशि का वितरण हुआ है और जो राशि आती है यह सीधे हितग्राहियों के खाते में जाती है। कहीं कोई राशि की विलंब की जानकारी होगी तो सदस्य बता देंगे तो उसको फालोअप करेंगे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि 15 से 17 करोड़ रूपये का भुगतान अभी भी बाकी है।

अध्यक्ष महोदय :- आप उसको जल्दी करवा दीजिए।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको जल्दी करवा दीजिए।

**<u>शासकीय मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव में विभिन्न फर्मों को किया गया भुगतान</u>**

4. (*क्र. 161) श्री दलेश्वर साहू : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, राजनांदगांव में वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-2020 तक बाह्य एवं अंतः रोगियों के लिए भोजन एवं अस्पताल परिसर की सुरक्षा व सफाई व्यवस्था हेतु किन-किन फर्मो को कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? उसमें कितनी राशि जीएसटी के रूप में भुगतान किया गया, वर्षवार, एजेंसीवार जानकारी देवें ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, राजनांदगांव में वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक केवल अंतः रोगियों के लिए भोजन व्यवस्था का कार्य 02 फर्मों को दिया गया था. जिसमें आदर्श जन जागृति महिला स्व. सहायता समूह राजनांदगांव (छ.ग.) को कुल भुगतान राशि जीएसटी सहित 3,30,81,346/- रुपये एवं जय मां बम्लेश्वरी महिला स्व. सहायता समूह राजनांदगांव (छ.ग.) को भुगतान राशि जीएसटी सहित 2,72,90,395/- रुपये किया गया.

शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बाह्य रोगियों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं होती है।

अस्पताल परिसर की सुरक्षा व सफाई व्यवस्था हेतु मेसर्स मेटास सिक्यूरिटी एण्ड फायर सर्विसेस रायपुर (छ.ग.) कुल भुगतान राशि जीएसटी सहित 4,87,67,956/- एवं मेडिकल कालेज कार्यालय से हास्पीटल के सफाई व्यवस्था का भुगतान राशि जीएसटी 4,67,70,705/- किया गया. जीएसटी के रूप में भुगतान की गई राशि की वर्षवार, एजेंसीवार जानकारी परिशिष्ट [3]"अ" पर संलग्न है.

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शासकीय मेडिकल कॉलेज की साफ-सफाई और भोजन व्यवस्था का प्रश्न था। मैंने इसी प्रश्न को 15 जुलाई, 2019 को भी पूछा था, वह ग्राह्य हुआ था। मैंने 26 फरवरी, 2020 और 26 अगस्त 2020 आज इनके जवाब में जितने भी उत्तर हैं। सब अलग-अलग उत्तर है विरोधाभाष हैं और 2-2, 3-3 करोड़ रूपये का फर्क है। यह मेरा पहला प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न इसी में है कि एक ही फर्म को लगातार विगत 3 वर्षों से बिना टेण्डर लगाये हुए, उनको काम दिया जा रहा है। इनके बारे में मंत्री जी से जानना चाहूंगा। मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि पिछले सत्र में मैंने निवेदन किया था कि इस प्रकार से वहां पर अव्यवस्था है और करोड़ो रूपये का घोटाला है तो मंत्री जी ने सहर्ष स्वीकार करते हुए, सदन को, प्रमुख सचिव को पत्र लिखा गया 1.12.2019 पत्र क्रमांक 87/68 उच्च स्तरीय जांच कमेटी का भी अंकित किया गया। मैं ये तीनों प्रश्न मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या उसमें जांच हुई और जांच हुई तो क्या कार्यवाही हुई?

अध्यक्ष महोदय :- वैसे मूल प्रश्नकर्त्ता को केवल 2 प्रश्न अतिरिक्त करने के अधिकार हैं। मगर आप कोविड-19 से परेशान थे इसलिये आपको 3 प्रश्न की स्वीकृति दी जाती है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न एक बार फिर से बता देंगे।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न तो तीनों विरोधाभाष है, आपके प्रश्न के उत्तर में। मेरा दूसरा प्रश्न है कि लगातार एक ही फर्म को साफ-सफाई करने वाले को बिना टेण्डर के काम दे रखा है और उसका आप एक आदेश निकाले हुए हैं संचालक चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक दिनांक 28.11.2016 के अनुसार मेमर्स मेटर्स सिक्योरिटी एण्ड फायर सर्विसेस रायपुर द्वारा साफ-सफाई का कार्य दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्रमांक, अमुक-अमुक, रायपुर दिनांक 14.03.2018 को डाईट टेण्डर के संचालनालय चिकित्सा, रायपुर के माध्यम से दिये जाने के निर्देश प्राप्त के कारण नई निविदा आमंत्रित नहीं की गई। तीसरा एक और लेटर जारी हुआ, संचालक चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक 35/32, दिनांक 29/2019 के अनुसार डाईट टेन्डर निविदा की दर निर्धारित नहीं होने के कारण आगामी आदेश, निर्देश प्राप्त होने तक मरीजों की भोजन व्यवस्था वर्तमान कार्यरत निविदा से पूर्व की तरह यथावत

[3] परिशिष्ट "तीन"

बनाये रखने हेतु संचालनालय से लेटर लिखा गया और जब टेन्डर मंगाते थे तो वांछनीय दस्तावेज की कमी के कारण निविदा निरस्त करके एक ही फर्म को लगातार काम किया जा रहा है। यह मेरा दूसरा प्रश्न था।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक जांच का सवाल है, कोरोना का भी समय आया होगा और इसमें भी जो भी दिक्कत जांच की गति में उसके चलते आई होगी, उसको जरूर शीघ्र करा लिया जायेगा। जांच में कोई बात नहीं है कि इस सरकार की कोई छुपाने की मंशा है। आपने टेन्डर के बारे में भी जानकारी चाही है, नये टेन्डर भी बुलाये गये थे, लोग कोर्ट भी गये हुए हैं, आजकल हाईकोर्ट, न्यायालयों की नजर भी एक्जीक्यूटिव के ऊपर थोड़ी ज्यादा रहती है, मेरे ख्याल से 4 या 5 सिंतबर को इस संदर्भ में पेशी भी है। नये टेन्डर भी बुलाये गये थे, नई एजेन्सी भी फिक्स हुई थी, लेकिन जब तक नई एजेन्सी को काम नहीं मिल जाये, स्वाभाविक है कि काम रोका नहीं जा सकता, उसी एजेन्सी को उचित दरों पर काम उपलब्ध कराया गया है। मेरे ख्याल से माननीय सदस्य का मूल प्रश्न जी.एस.टी. के संबंध में था। शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, राजनांदगांव में वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-2020 तक बाह्य एवं अंत: रोगियों के लिए भोजन एवं अस्पताल परिसर की सुरक्षा व सफाई व्यवस्था हेतु किन-किन फर्मों को कितनी राशि का भुगतान किया गया है? अध्यक्ष महोदय, यह राशि के भुगतान के संदर्भ में प्रश्न है और इस जवाब भी है और शायद माननीय सदस्य के पास उपलब्ध भी होगा। वर्ष 2017-18 में भोजन मद में 83,79,196 रुपये आदर्श जन जागृति महिला सहायता समूह राजनांदगांव को, जय मॉ बम्लेश्वरी महिला स्व सहायता समूह राजनांदगाव को 82,55,750 रुपये वर्ष 2018-19 में आदर्श जन जागृति महिला स्व सहायता समूह राजनांदगांव को 89,79,044 रुपये जय मॉ बम्लेश्वरी महिला स्व सहायता समूह राजनांदगांव को 76,40,247 रुपये का भुगतान किया गया है। यह सारी जानकारी आपके पास है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इधर भी प्रश्न को पढ़ते हैं और उधर भी प्रश्न का उत्तर पढ़ते हैं। यहां पढ़ने के बजाय दोनों कक्ष में चले जायें। दोनो पढ़ रहे हैं, दोनो केबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त हैं, यह दर्जा प्राप्त हैं और वह मंत्री हैं। बराबर की टक्कर है।

श्री रामकुमार यादव :- हमर मंत्री जी साफ-साफ जवाब देने वाले हैं।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, टक्कर नहीं है, माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है, उनको उपलब्ध कराना मेरी जिम्मेदारी है। वर्ष 2019-20 में आदर्श जन जागृति महिला स्व सहायता समूह राजनांदगांव को 1,57,23,106 रुपये, जय मां बम्लेश्वरी महिला स्व सहायता समूह राजनांदगांव को 1,13,94,398 रुपये और जी.एस.टी. की भी राशि मेरे ख्याल से जवाब में आया होगा।

अध्यक्ष महोदय :- दलेश्वर जी, अब संतुष्ट हो गये।

श्री दलेश्वर साहू :- आपने जांच कमेटी अंकित की है, उन्हीं की जांच कराकर संतुष्ट करा दीजियेगा। आपने सचिव महोदय को आदेश किये हैं। सभी प्रकिया की जांच करा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- जांच कराकर उनको संतुष्ट कर दीजिए।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच हो जायेगी और जो नया टेन्डर है, जैसे ही हाईकोर्ट की अनुमति मिलती है, नये टेन्डर की भी प्रक्रिया हो जायेगी। सेन्ट्रलाईज्ड टेन्डर थे और मुझे यह लगा कि सेन्ट्रलाईज्ड टेन्डर एक जगह रायपुर में कराने की बजाय, सभी मेडिकल कालेज में अलग-अलग टेन्डर होना चाहिए। क्योंकि उस प्रक्रिया को नये सिरे से चालू किया गया तो चुनातियॉ आई।

**<u>अंतागढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बांद से पानवार सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत राशि</u>**

5. (*क्र. 195) श्री अनुप नाग : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र अंतागढ़ अंतर्गत ग्राम बांद से पानवार हेतु सड़क निर्माण हेतु शासन से कितनी राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई थी ? (सड़क एवं पुल-पुलिया पृथक-पृथक जानकारी देवें ) क्या उक्त कार्य वर्तमान में अपूर्ण हैं ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण कराया जावेगा ? (ख) प्रश्नांश "क"अनुसार उक्त सड़क निर्माण के लिए विभाग द्वारा किस फर्म से अनुबंध किया गया है ? विभाग द्वारा सड़क तथा पुल-पुलिया निर्माण हेतु उक्त फर्म को कितनी-कितनी राशि का अब तक भुगतान किया गया है ? (ग) प्रश्नांश "क" अनुसार उक्त सड़क का निर्माण की गुणवत्ता या अन्य किसी विषय पर कोई शिकायत हुई या विभाग के संज्ञान में आयी थी? यदि हां, तो शिकायत में किसे दोषी पाया गया तथा क्या कार्यवाही की गयी ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) से (ग) जानकारी ++ संलग्न[4] परिशिष्ट में दी गयी है.

श्री अनुप नाग :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के बांदे से पनावार मार्ग मात्र 13 किलोमीटर की सड़क है जो वर्ष 2017-2018 में बन गई है। परन्तु उस मार्ग में 12 नग पुल-पुलिया हैं, उस मार्ग में पुल-पुलियों का कोई निर्माण आज तक नहीं हुआ है, उन पुल-पुलियों का निर्माण हुए बगैर उस रोड का कोई औचित्य नहीं है जो उस क्षेत्र के लिए अतिआवश्यक है। मैंने माननीय मंत्री जी से यह निवेदन किया था यह पुल-पुलियों का निर्माण किये बगैर रोड निर्माण का क्या औचित्य है?

अध्यक्ष महोदय :- आप पूछ रहे हैं कि पुल-पुलिया बनना चाहिए?

श्री अनुप नाग :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि पुल-पुलिया बनना चाहिए और कब तक बन जायेंगे? यह बहुत जरूरी है और अभी बरसात के दिनों में तो और ही ज्यादा दिक्कत है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य चालू कर दिया गया है, उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- 13 किलोमीटर में तो 12 पुलिया बहुत कम है। माननीय मंत्री जी उनको संतुष्ट कर दीजिए।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया है कि 2.60 किलोमीटर डामरीकरण और 01 नग पुलिया पूर्ण हो चुकी है और बाकी काम चालू कर दिया गया है। चूंकि अभी 14/03/2020 को इसकी स्वीकृति ही हुई थी और 22 और 23 मार्च से लॉकडाउन हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- कोविड के चक्कर में हुआ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- उसके कारण पूरा हुआ इसलिए 2.60 किलोमीटर डामरीकरण हो चुका है, एक नग पुलिया बन चुका है । काम चालू हो गया है, वह सब पूरा कर देंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- 6 महीने के अंदर बन जायेगा, अब तो बरसात निकल ही गया है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत जल्दी कर रहे हैं । केवल 6 महीने ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, श्री संतराम नेताम ।

---

[4] परिशिष्ट - चार

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बहुत जल्दी बोल रहे हैं तो उसकी अवधि बतानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- 6 महीने बताया न ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि जितना भी हाऊस में बहुत जल्दी कहा गया है उसमें एक्शन टेकन हाऊस को नहीं दिया गया इसलिये आश्वासन में अवधि बताना चाहिए कि वे कितने दिन में उसको करेंगे ?

प्रश्न संख्या : 06 XX XX

**<u>छत्तीसगढ़ में कोविड-19 संक्रमण/उपचार</u>**

7. (*क्र. 307) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ में कोविड-19 से प्रथम संक्रमित व्यक्ति की जानकारी कब प्राप्त हुई ? (ख) उक्त संक्रमित व्यक्ति का कहां से छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था ? (ग) कोविड-19 के उपचार में क्या प्रोटोकाल अपनाया गया है ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) छत्तीसगढ़ में कोविड-19 से प्रथम संक्रमित व्यक्ति की जानकारी दिनांक 18.03.2020 को प्राप्त हुई. (ख) उक्त संक्रमित व्यक्ति का लंदन से छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ. (ग) भारत सरकार एवं आईसीएमआर द्वारा जारी प्रोटोकाल अपनाया गया है.

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पंचायत एवं लोक स्वास्थ्य मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि "क" और "ख" के उत्तर से मैं संतुष्ट हूं और "ग" के बारे में मेरा यह कहना है कि भारत सरकार और आई.सी.एम.आर. जिस समय कोरोना प्रारंभ हुआ था उस समय जो प्रोटोकाल था और अभी वर्तमान समय के प्रोटोकाल में क्या अंतर है ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्य रूप से जो प्रोटोकाल रहते हैं वह गतिशील रहते हैं, उसमें बिंदु का फर्क हो सकता है । मान लीजिए कि शुरू में जो प्रोटोकाल जारी हुए हों कि वैदेशिक लोग आ रहे हैं तो किन देश के लोगों को जांच करना है तो वैसे गाईडलाईन्स आते थे । पहले 1 देश आया फिर 4 देश आये फिर 10 देश आये फिर सबकी जांच होने लगी तो इस प्रकार के हैं । वैसे विस्तृत प्रोटोकाल आईसीएमआर और भारत सरकार का है । यदि माननीय सदस्या चाहेंगी तो मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा । इसकी कॉपी 22 पन्नों की है । जो पूरा प्रोटोकाल है वह अंकित है, लिखित है ।

**<u>प्रदेश के शासकीय मेडिकल कॉलेजों में दन्त चिकित्सकों के रिक्त पद</u>**

8. (*क्र. 54) डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के शासकीय मेडिकल कॉलेजों में दन्त चिकित्सकों के कितने पद रिक्त है ? (ख) रिक्त पदों पर भर्ती के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ? रिक्त पदों पर भर्ती कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) संचालनालय चिकित्सा शिक्षा छ.ग. अधीनस्थ प्रदेश के शासकीय मेडिकल कॉलेजों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में दन्त चिकित्सक के 09 पद रिक्त है. (ख) रिक्त पदों पर भर्ती भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (MCI) मापदण्डों के अनुरूप की जाती है. संविदा में यह भरते रहते हैं एवं रिक्त होते रहते हैं. रिक्त होने की दशा में एम.सी.आई. के मापदण्ड को पूरा करने के लिए पदों को लोक सेवा आयोग (सीधी भर्ती) अथवा संविदा नियुक्ति स्थानीय स्तर पर की जाती है. इन पदों पर केवल उन्हीं दंत चिकित्सकों की नियुक्ति होती है, जो एम.सी.आई. के मापदण्डों को पूरा करते हुए चिकित्सा महाविद्यालय में काम कराने का अनुभव रखते हैं.

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय पंचायत मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि जो शासकीय मेडिकल कॉलेज और संबद्ध चिकित्सालयों में विशेषकर डेंटल कॉलेज और जिला अस्पतालों में जो 09 पद रिक्त हैं तो वे किन-किन अस्पतालों में रिक्त हैं और उन पर रिक्रूटमेंट या भर्ती की प्रक्रिया का क्या कोई विज्ञापन दिया गया है कृपया यह बतायें ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मेडिकल कॉलेजेस के संदर्भ का है तो पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर में एसोशियेट प्रोफेसर का 01 पद, डॉ. भीमराव आंबेडकर मेडिकल हॉस्पिटल रायपुर में डेंटल सर्जन का 01 पद, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स बिलासपुर में एसोशियेट प्रोफेसर का 01 पद और सीनियर रेसीडेंट के 03 पद, भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव में प्रोफेसर का 01 पद, श्री लखीराम अग्रवाल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेसीडेंट का 01 पद और स्वर्गीय श्री बलीराम कश्यप स्मृति मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में एसोशियेट प्रोफेसर का 01 पद तो इस प्रकार कुल 09 पद रिक्त हैं ।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया माननीय मंत्री जी यह बतायें कि जो विज्ञापन भर्ती के लिये दिया गया है वह कब दिया गया है और कब तक भर्ती हो जायेगी ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- मैं आपको तिथि बता दूंगा, जानकारियां उपलब्ध करा दूंगा । इसमें एक कारण प्रमोशन है और वर्ग के लिए आरक्षित पद दूसरा कारण है । अमूमन इन कारणों से विलंब होता है तो हमारा प्रयास है कि दोनों प्रमोशन भी कर लें और जहां पद रिक्त हैं उनके लिये विज्ञापन भी जारी होते हैं, मैं विज्ञापन की तिथियां आपको उपलब्ध करा दूंगा ।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- माननीय मंत्री जी, आप कृपया यह बतायें कि क्या जो राशन रखने वाले लोग हैं यानी राशन कॉर्डों के द्वारा भी दांत का ईलाज किया जायेगा ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- जी, इस वर्ष से निजी क्षेत्रों के लिये इसमें रोक लगायी गयी है और ट्रस्ट मॉडल में जो नयी मंजूरी मिली है आयुष्मान को और बाकी योजनाओं को जोड़कर तो शासकीय अस्पतालों में राशन कॉर्ड के आधार पर 01 रूपये किलो रेट प्रति किलो दर के राशन कॉर्ड वालों को 05 लाख रूपये तक का, शेष नागरिकों को 50,000 रूपये तक का और माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से 14 ईलाजों का 20 लाख रूपये तक का यह प्रावधान राशन कॉर्ड के आधार पर हैं और राशन कॉर्ड के अतिरिक्त यदि स्मार्ट कॉर्ड भी हैं तो वह भी स्वीकार्य है ।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि जो 1400 आर.एम.ओ. की नियुक्ति पूरे प्रदेश में की गई थी उसमें 700 को वापिस संविदा यानी उनकी

तन्ख्वाह भी आधी करके उनकी संविदा नियुक्ति कर दी गई है तो क्या इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री जवाब देंगे क्योंकि मेरे क्षेत्र में बहुत सारे बल्कि सभी आर.एम.ओ. पदस्थ हैं और व्यापक असंतोष है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, यह मूल प्रश्न से एकदम हटकर है । मूल प्रश्न डेंटल के संबंध में था, लेकिन मैं पूरी जानकारी साझा कर दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. जायसवाल, आप एक मिनट में प्रश्न पूछिये ।

डॉ. विनय जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, इसी में नम्बर 36 में मेरा भी एक तारांकित प्रश्न लगा हुआ है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनेन्द्रगढ़ और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिरमिरी में कितने पद रिक्त हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- नहीं उसका उत्तर नहीं आएगा ।

डॉ. विनय जायसवाल :- जवाब आया है कि 6 पद रिक्त हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, मेरे पास 2 महिला सदस्यों के प्रश्न भी बचे हैं ।

डॉ. विनय जायसवाल :- चिरमिरी स्वास्थ्य केन्द्र में एक चिकित्सक पदस्थ है उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया है, चूंकि आपके उत्तर में 6 रिक्तियां बताई गई हैं। मेरा निवेदन है कि जिस चिकित्सक का ट्रांसफर हुआ है, उसको चिरमिरी में ही यथावत रहने दें ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, देखेंगे उसको । मैं कह रहा था कि दो महिला सदस्यों के प्रश्न अभी बाकी हैं श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू और छन्नी चंदू साहू । ये दोनों तैयार रहें । चलिए, रंजना ।

## <u>धमतरी जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के विभिन्न बैंकों में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज से किये गये कार्य</u>

9. (*क्र. 3) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत धमतरी एवं जनपद पंचायत धमतरी में विभिन्न बैंकों में जमा राशि से वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 तक ब्याज कि कितनी राशि प्राप्त हुई, उक्त ब्याज की राशियों का उपयोग किन कार्यों में किया गया ? (ख) उक्त राशि का उपयोग किसकी अनुशंसा एवं किन मापदण्डों के आधार पर किया गया ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) जिला पंचायत धमतरी एवं जनपद पंचायत धमतरी में विभिन्न बैंकों में जमा राशि से वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 तक ब्याज की कुल राशि रुपये 839.71 लाख प्राप्त हुई वर्षवार जानकारी परिशिष्ट में †[5] संलग्न है. उक्त ब्याज की राशि में राशि रुपये 194.50 लाख का उपयोग सामुदायिक भवन, नाली निर्माण एवं सोलर ड्यूल पंप की स्थापना के कार्यों में किया गया. (ख) प्राप्त ब्याज की राशि में से राशि रुपये 194.50 लाख का उपयोग सामुदायिक भवन निर्माण नाली निर्माण एवं सोलर ड्यूल पंप की स्थापना के कार्यों में किया गया.

†[5] परिशिष्ट "पांच"

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्नांश क का उत्तर आया है लेकिन ख का उत्तर नहीं आया है । जिसमें प्रश्न यह था कि उक्त राशि का उपयोग, किसकी अनुशंसा से और किन मापदंडों के आधार पर किया गया है ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, ये जितने भी कार्य मंजूर होते हैं, जिला पंचायत के माध्यम से अनुमति होती है । जिला पंचायत की अनुमति के आधार पर ये कार्य होते हैं ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- अध्यक्ष महोदय, इसमें भिन्न-भिन्न योजनाओं की राशियां होती हैं । यह अधिकार किसको दिया गया है, इसे कौन खर्च कर सकता है और यह राशि कहां है ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, बैंकों के संबंध में प्रश्न था तो स्वाभाविक है कि राशि बैंकों में है और सिहावा विधान सभा में नगरी में जो राशियां जिन बैंकों में हैं, उनकी भी जानकारी उपलब्ध करा दी गई थी और डीटेल में चाहिए होगा तो मैं उपलबध करवा दूंगा ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- अध्यक्ष महोदय, 3 वर्ष में इसमें जिला पंचायत में लगभग 8 करोड़ की राशि आई । उसके बाद जनपद पंचायत धमतरी में 39 लाख की राशि आई । यह राशि कोई कम नहीं होती और इस राशि को नाली निर्माण एवं भवन निर्माण में खर्च किया गया है । क्या जिला सी.ई.ओ. को यह अधिकार है कि बार-बार नाली बनवाए और भवन बनवाए ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, अधिकार होगा तभी उन्होंने किया है । यदि कोई ऐसी जानकारी है कि अधिकार नहीं है तो उसकी जानकारी दे देंगे तो जांच करा लेंगे ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- अध्यक्ष जी, अधिकार की जानकारी तो पंचायत मंत्री जी को ज्यादा होगी ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, वे जांच करा लेते हैं ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- सीखना भी पड़ता है ।

श्री केशव चन्द्रा :- अध्यक्ष जी, इसी प्रश्न से संबंधित है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चाहे जनपद का हो या जिला पंचायत का हो । विभिन्न मद से ब्याज की जो राशि है, जिसकी चिंता माननीय सदस्य ने की है उसी संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चाहे जनपद का हो या जिला पंचायत का हो, विभिन्न मदों में ब्याज की जो राशि है उस ब्याज की राशि खर्च करने का अधिकार किसको है ? क्योंकि जिला जांजगीर चांपा में भी यही समस्या है और जहां तक मेरी जानकारी है शासन स्तर पर की अनुमति होनी चाहिए । जिला पंचायत या जनपद पंचायत को उक्त ब्याज की राशि को खर्च करने की कोई अनुमति नहीं है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसे खर्च करने की क्या प्रक्रिया है ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी बताया था, मैं दोहरा देता हूं जिला पंचायत को अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, श्रीमती छन्नी साहू ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय :- अरे, छोड़ो ना अगली बार कर लेना (हंसी)।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप ही ने तैयार रहने के लिए कहा था ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- मैं तैयारी से आई हूं अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- समय ज्यादा ले रही हैं, चलिए पूछिये ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- मंत्री जी से मेरा आखिरी प्रश्न है । कितनी-कितनी राशि, किन-किन जगहों पर खर्च की गई है ? इसका उत्तर मिल पाएगा या इसके लिए आप कोई टीम गठित करेंगे ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- उसके बाद आप टीम गठित करेंगे ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- मैं आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा । राशि कितनी बची है, किस बैंक में है ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- किसमे-किसमे खर्च हुई है और किसकी अनुशंसा पर खर्च हुई है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- आप जो जानकारी चाहोगे, पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी ।

**<u>राजनांदगांव में आश्रम/शाला/छात्रावासों में मरम्मत एवं सामग्री क्रय हेतु स्वीकृत राशि</u>**

10. (*क्र. 227) श्रीमती छन्नी चन्दू साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में दिनांक 01.08.2020 की स्थिति तक आदिम जाति कल्याण विकास विभाग राजनांदगांव के अंतर्गत कौन-कौन सी आश्रमों शालाओं एवं छात्रावासों में मरम्मत, रख-रखाव एवं सामग्री खरीदी हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? (ख) उक्त राशि का उपयोग किन-किन कार्यों में किया गया है तथा उक्त कार्यों के लिए नियुक्त कार्य एजेंसी का नाम पता एवं अनुबंध दिनांक सहित जानकारी प्रदान करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) मरम्मत एवं रख रखाव की जानकारी परिशिष्ट "अ" एवं "ब" तथा सामग्री खरीदी की जानकारी परिशिष्ट स, द एवं इ में दर्शित है. वर्ष 2020-21 में दिनांक 01.08.2020 तक आश्रम शालाओं एवं छात्रावासों में मरममत रखरखाव एवं सामग्री खरीदी हेतु प्राप्त आबंटन के विरूद्ध कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है, अत: जानकारी निरंक है । सामग्री सामग्री खरीदी हेतु छात्रावास/आश्रमवार स्वीकृति नहीं की जाती है. (ख) मरम्मत एवं रख रखाव की जानकारी परिशिष्ट "अ" एवं "ब" में तथा सामग्री खरीदी की जानकारी परिशिष्ट स, द एवं इ में दर्शित है.

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न आदिम जाति विभाग का था । जो हॉस्टल की जानकारी से संबंधित था । कल मुझे इसकी जानकारी प्राप्त हुई, मैं अध्ययन कर रही थी । अध्ययन करने के बाद एक ही जगह की मैंने जानकारी ली, जो मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास भवन का फर्म और टायलेट का था, 4 लाख, 90 हजार का था । मैं जानकारी ले रही थी। जो अनुबंध दिनांक 22/08/2019 था, लेकिन जानकारी के माध्यम से पता चला है कि वहां जो कार्य अधूरा है और पूरी सूची देख रही थी। जो छोटे-छोटे कार्य के लिए बहुत सारी राशि करोड़ों की राशि आती है। वह आती है लेकिन चाहे मरम्मत हो या चाहे टॉयलेट का हो, दो साल तक नहीं टिकती। फिर पैसा आ जाता है। ऐसा जो गुणवत्ताहीन कार्य करते हैं, क्या उसकी जांच करके आदरणीय मंत्री जी उसमें कार्यवाही करवायेंगे?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्रावासों और आश्रमों के रख-रखाव, मरम्मत के संबंध में प्रश्न आया था और मैंने पूरी डिटेल में जानकारी उपलब्ध करा दी है। अलग-अलग विभागीय मदों में पूछा गया था। वर्ष 2018-19 में व वर्ष 2019-20 में तो किन-किन विभागीय मद में हम खर्च करते हैं ? विभागीय मद में खर्च करते हैं। इसमें खनिज न्यास से खर्च होता है और एल.डब्ल्यू.ई. मद से खर्च होता है। जो आश्रम और छात्रावास

हैं, उसमें जहां-जहां टूट-फूट होते रहते हैं, उसमें लगातार मरम्मत की कार्यवाही होती रहती है। रख-रखाव में छोटे पंखे व बल्ब व टूटी हुई नल भी हैं। इस प्रकार की चीजों में खर्च होते हैं। हमने यह पूरा बताया है और माननीय सदस्य ने पूछा है कि अगर उसमें कहीं दिक्कत है या जांच करने की बात आयी है तो उसे दिखवा देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- पूरा दिखवा लीजिए।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। मैं मंत्री जी से यही जानना चाहती हूं कि जितने भी निर्माण कार्य होते हैं, अगर वे गुणवत्ता से बनेंगे तो एक साल नहीं दो साल और 5 साल तक टिकेगी। अगर गुणवत्ताहीन बनेगी तो करोड़ो खर्च करें, पैसा फिजूल खर्च होता है तो गुणवत्ता से बन जाये, यही मेरी मंत्री जी से विनती है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- काम तो गुणवत्तापूर्ण ही हो। उसमें जो कमेटी बनी हुई है, वे इसमें देखते रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. प्रीतम राम जी।

**<u>लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत</u>**

11. (*क्र. 328) डॉ. प्रीतम राम : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र लुण्ड्रा अंतर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षों में विभाग द्वारा कितनी सड़कों का नव निर्माण तथा कितनी सड़कों के वार्षिक मरम्मत एवं रख रखाव के कार्य स्वीकृत किए गए हैं ? (ख) स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या हैं ? (ग) अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जाएंगे ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) से (ग) जानकारी ††[6] संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है.

डॉ. प्रीतम राम :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के सड़क के वार्षिक मरम्मत और नवीन कार्यों की स्वीकृति के संबंध में माननीय मंत्री महोदय जी के द्वारा जवाब आया है कि वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 में जो बी.टी. पैच रिपेयर का कार्य पूर्ण बताया जा रहा है, मैं इस कार्य से संतुष्ट नहीं हूं। मैं क्षेत्र में लगातार भ्रमण करता हूं। उन सब सड़कों की स्थिति कहीं से भी नहीं लगती है कि इसमें पैच रिपेयर या अच्छे कार्य हुए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि जो भी annual रिपेयरमेंट का जो मद आता है वार्षिक संधारण मरम्मत के कार्य होते हैं, वे अच्छे गुणवत्तापूर्ण हो। यह तो बात ऐसी है कि मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा थी।

अध्यक्ष महोदय :- वाह।

डॉ. प्रीतम राम :- मैं मंत्री महोदय जी से निवेदन करता हूं कि इन सब कार्यों पर नियंत्रण रखें और जो भी रख-रखाव के कार्य हुए हैं, उसमें जांच कराकर उसे पुन: अच्छे गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें।

---

[6] †† परिशिष्ट "छ:"

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में हमारी सरकार बनने के बाद क्वालिटी पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है और कहीं-कहीं एकाध जगह की बात अलग है, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी जो लगातार रिपेयर या पैच वर्क या नवीनीकरण का काम चल रहा है, लगभग ठीक है। एकाध जगह अगर कहीं डॉ. साहब, सदस्य को जानकारी हो तो मुझे बता देंगे, मैं जरूर दिखवा लूंगा, लेकिन अध्यक्ष जी, आप खुद देखेंगे पिछले एक साल से और उसके पहले जितना सड़कों पर गड्ढों की फोटो पेपर में आता था, अब वह आना बंद हो गया है और लगातार हम लोग उसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक नयी शुरूआत की है। मैं यह नहीं कहता कि कहीं गलती नहीं होगी, क्योंकि सैकड़ों ठेकेदार हैं। अलग-अलग जगहों की परिस्थितियां हैं, पर एक नया काम हम लोगों ने शुरू किया है कि जहां काम चल रहा है, वहां तत्काल फोटो तुरंत खींचना और खींचकर प्रतिदिन अपलोड करने का काम हम लोगों ने शुरू किया है, उसके लिए हमने ई.एन.सी., सी.ई. का मोबाईल नम्बर दिया है, इससे कामों की जो गति है, वह हम लोगों को पता चलती है और थोड़ा बहुत भी कहीं पर यहां से हमको लगता है कि यह गलत है तो हम तुरंत निर्देश देने का भी काम करते हैं । अगर किसी ठेकेदार ने गलत काम किया होगा तो निश्चित तौर पर आप मुझे जानकारी दे देंगे, उसको मैं चेक भी करवा लूंगा, कार्यवाही भी करवा लूंगा। पैसा रोकने की बात आएगी तो वह भी करवा दूंगा । क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि काम अच्छा हो इसलिए आप लोग जहां से भी जानकारी देंगे, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस पर अमल करें, कार्यवाही करें ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- छोटा प्रश्न करिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- जी । मंत्री जी, आप गुणवत्ता का ख्याल रख रहे है, बहुत अच्छी बात है । माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि बिलासपुर से रायपुर जो नेशनल हाईवे बना है, उस नेशनल हाईवे के हर ब्रीज में, जब ब्रीज के पास जहां सड़क मिलती है, वहां इतना बड़ा-बड़ा जर्क है और स्पाईनल कार्ड पर उसका झटका लगता है । मंत्री जी, आप भी उस रास्ते से गए होंगे और अभी कुछ दिन पहले दो लोग बिलासपुर में मोटर साईकिल में मर भी गए । मैं आपसे बहुत विनम्र निवेदन करना चाहता हूं । इतनी बड़ी सड़क बनी है, छोटे-छोटे गड्डे के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं । हम और आप भी किसी दिन उसके शिकार हो सकते हैं तो कृपा करके आज आप सदन में बोलकर निर्देश जारी करें कि बिलासपुर से लेकर रायपुर तक की सड़कों में इस प्रकार के जितने भी जर्क हैं, उसको ठीक करायी जाये । टोल टैक्स की भी वसूली हो रही है । ऐसा नहीं है कि टोल टैक्स की वसूली नहीं हो रही है । आप कृपा करके यह सुनिश्चित करने के लिए यहां घोषणा करिए कि बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे के सारे जर्क, कम से कम पुल के पास जो बड़े-बड़े गड्डे हैं, जिसमें गाड़ियां नहीं सम्हल पाती है, दो-चार-आठ दिन पहले दो लोग मर भी गए, उसको आप यहां बोल दीजिए क्योंकि उसको मैं बाद में बोलूं और जवाब नहीं आएगा, उससे अच्छा मैं अभी बोल दूं, आप जवाब दे दें तो सदन के रिकार्ड में आ जाएगा ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य ने रायपुर-बिलासपुर सड़क की बात की है । यह पिछले सत्र में भी काफी सदस्यों ने इस बात को उठाया था । धर्मजीत जी ने यहां तक कहा कि चलो सब चलते हैं, यह बात भी हुई थी, मुझे अच्छी तरह याद है और मैं उस दिन कहा भा था कि यह एन.एच. की सड़क है, एन.एच., एन.एच.ई.आई. के अंतर्गत जो सड़कें बनायी गयीं और उसमें उन्होंने सीमेंट सड़क बनाने की शुरूआत की, पूरे देश में सीमेंट की सड़कें खराब निकलने लगी हैं । केन्द्र सरकार को चारों तरफ से जानकारी प्राप्त हुई तो केन्द्र

सरकार ने अब सीमेंट सड़कें बनाने का आदेश निरस्त कर दिया है क्योंकि सीमेंट सड़कों में हर जगह जर्क हो रही है और सड़कें जगह-जगह क्रेक हो रही है और उसको कटिंग करके नया डालना पड़ रहा है इसलिए वह बंद हुई है और दूसरा, रायपुर-बिलासपुर सड़क की बात पिछले सत्र में आई थी । मैंने यहां तत्काल आश्वस्त किया था कि जो एन.एच. के अधिकारी हैं, पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारी हैं, उन सबको भेजा था और पूरे स्पॉट पर विधान सभा सत्र में आप लोगों ने मामला उठाया था, उनको जाकर देखकर उनका प्राक्कलन नया तैयार करें । प्राक्कलन तैयार करके उसको दिल्ली भेजने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया गया कि आप इस विषय पर आदरणीय गड़करी जी से बात कर लें । माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां फोन लगाकर दो बार बात भी की, अभी उसकी तारीख तय नहीं हुई है । अगर वह होगा तो वीडियो क्रांफ्रेंसिंग के जरिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गड़करी जी से उस सड़क के विषय पर चर्चा हो, लेकिन छोटी-मोटी मरम्मत पी.डब्ल्यू.डी. से करने की अनुमति हो तो उसके लिए हम कभी पीछे नहीं रहेंगे क्योंकि हमारे प्रदेश का मामला है, प्रदेश के लोगों का मामला है, पर एन.एच. और एन.एच.ई.आई. में हमारे सामने यह बात आ जाती है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, आपने गड़करी जी कहा, वह ठीक बात है । आप प्रयास कर रहे हैं, वह भी मैं इंकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह नेशनल हाईवे आफ इंडिया जो है, वह कोई यहां आकर जमींदार तो नहीं बन गया है । जब पुल के पास आधे, एक फूट का छोटा-मोटा जर्क है, उसको आप गिट्टी पटवा दीजिए । गड़करी जी नहीं पटवाते हैं तो आप पटवा दीजिए, कम से कम लोग गिरकर मरें मत । वहां झटका लगता है ।

संसदीय सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्री से सम्बद्ध (डॉ. रश्मि आशिष सिंह) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बाढ़ से सभी मार्ग बह गए हैं, मैं उसके भी उद्धार करने का निवेदन करना चाहती हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, सत्र की बात नहीं है, अभी आप अपने विभाग के अधिकारियों को बोल दो कि गिट्टी-मुरम पाटकर उसको ठीक कर दें । वहां इतना जर्क लगता है कि गाड़ी अनबैलेंस होकर चली जाएगी, दो लोग मर गए इसलिए मैं बोल रहा हूं, हमको रोक आना-जाना पड़ता है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

**(प्रश्नकाल समाप्त)**

समय :

12:00 बजे

**<u>कार्यमंत्रण समिति का प्रथम प्रतिवेदन</u>**

अध्यक्ष महोदय :- कार्यमंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 25 अगस्त, 2020 में लिये गये निर्णय अनुसार वित्तीय एवं विधायी कार्य पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई:-

| **<u>वित्तीय कार्य</u>** | **<u>निर्धारित समय</u>** |
|---|---|
| वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण. | 3.00 घंटे |
| **<u>संकल्प</u>** | |
| संविधान के अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 से सहपठित आठवीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी भाषा को सम्मिलित करने संबंधी संकल्प | 1.00 घंटा |
| **<u>विधि विषयक कार्य</u>** | |
| 1. छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020 | 15 मिनट |
| 2. छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 | 15 मिनट |
| 3. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य, वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020. | 15 मिनट |
| 4. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक 2020. | 30 मिनट |
| 5. छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक 2020. | 1 घंटा |
| 6. छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 | 15 मिनट |
| 7. छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 | 15 मिनट |
| 8. छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 | 15 मिनट |
| 9. छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 | 15 मिनट |
| 10. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020. | 15 मिनट |
| 11. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020. | 15 मिनट |

अध्यक्ष महोदय :- अब इसके सम्बन्ध में श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि- सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को स्वीकृति देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को स्वीकृति देता है।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

समय :
12:02 बजे

**पत्रों का पटल पर रखा जाना**

**(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ( क्रमांक 22 सन् 2005)**

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ( क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019 पटल पर रखता हूं।

**(2) छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक43 सन् 1973)**

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 8-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा अंकेक्षित स्थानीय नगरीय निकायों एवं पंचायत राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन (अंकेक्षण अवधि वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक) खण्ड-1 एवं खण्ड-2 पटल पर रखता हूं।

**(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन**

मुख्यमंत्री ( श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए) पटल पर रखता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

**(4) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994)**

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल ) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा -19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा -19 के अन्तर्गत उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019 पटल पर रखता हूं।

**(5) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014)**

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014) पटल पर रखता हूं।

**(6) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15**

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 पटल पर रखता हूं।

**(7) छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18**

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 पटल पर रखता हूं।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

**(8) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित, रायपुर की ऑडिट टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17**

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित, रायपुर की ऑडिट टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 पटल पर रखता हूं।

**(9) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ का 55वॉ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19**

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ का 55वॉ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 पटल पर रखता हूं।

समय :

12:07 बजे **फरवरी-अप्रैल, 2020 सत्र का समयपूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि की मुद्रित प्रश्नोत्तरी का पटल पर रखा जाना**

अध्यक्ष महोदय :- पंचम विधानसभा के फरवरी-अप्रैल, 2020 सत्र का दिनांक 26 मार्च, 2020 को सत्रावसान हो जाने के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 27, 30 एवं 31 मार्च, तथा 01 अप्रैल, 2020 की मुद्रित प्रश्नोत्तरी प्रमुख सचिव, विधानसभा, सदन के पटल पर रखेंगे।

प्रमुख सचिव, विधानसभा (श्री चन्द्रशेखर गंगराडे) :- मैं, अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-क की अपेक्षानुसार फरवरी-अप्रैल, 2020 सत्र का दिनांक 26 मार्च, 2020 को सत्रावसान हो जाने के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 27, 30 एवं 31 मार्च, तथा 01 अप्रैल, 2020 की मुद्रित प्रश्नोत्तरी सदन के पटल पर रखता हूं।

**फरवरी-अप्रैल, 2020 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखा जाना**

अध्यक्ष महोदय :- फरवरी-अप्रैल, 2020 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव, विधानसभा, सदन के पटल पर रखेंगे।

प्रमुख सचिव, विधानसभा(श्री चन्द्रशेखर गंगराडे) :- मैं, अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार फरवरी-अप्रैल, 2020 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखता हूं।

समय :

12:08 बजे

**<u>नियम 267-क के अधीन सूचनाएं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना</u>**

अध्यक्ष महोदय :- नियम 267-क के अधीन फरवरी-अप्रैल, 2020 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव, विधानसभा सदन के पटल पर रखेंगे।

प्रमुख सचिव, विधानसभा (श्री चन्द्रशेखर गंगराडे) :- मैं, नियम 267-क के अधीन फरवरी-अप्रैल, 2020 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखता हूं।

समय :

12:09 बजे

**<u>माननीय राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना</u>**

अध्यक्ष महोदय :- पंचम विधान सभा के फरवरी-मार्च, 2020 सत्र में पारित कुल 16 विधेयकों में से 11 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल जी की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयकों का विवरण प्रमुख सचिव, विधान सभा सदन के पटल पर रखेंगे।

प्रमुख सचिव, विधानसभा (श्री चन्द्रशेखर गंगराडे) :- पंचम विधानसभा के फरवरी-मार्च, 2020 सत्र में पारित कुल 16 विधेयकों में से 11 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है, जिसका विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- अनुमति प्राप्त विधेयकों के नामों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

समय :

12:09 बजे

**<u>सभापति तालिका की घोषणा</u>**

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिये नाम-निर्दिष्ट करता हूँ :-

1. श्री सत्यनारायण शर्मा
2; श्री धनेन्द्र साहू
3. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह

4. श्री शिवरतन शर्मा

5. श्री देवव्रत सिंह

**<u>पृच्छा</u>**

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर, दक्षिण) :- अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रस्ताव दिया है जिस प्रस्ताव में अयोध्या में प्रभु राम भगवान के मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है। उससे पूरे देश, पूरे देश की जनता खुश है, आल्हादित है, जो उनके सैकड़ों सालों का सपना पूरा होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा समवेत् स्वर में केन्द्र सरकार के प्रति, सुप्रीम कोर्ट के प्रति, प्रधानमंत्री जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करें और पूरे देश की जनता को बधाई दें। इसके लिये हम चाहते हैं कि सदन के माध्यम से उस प्रस्ताव पर चर्चा करवायें। उसको पास कर-कर हम प्रधानमंत्री जी को, सुप्रीम कोर्ट को भेजें और पूरे देश की जनता को इस सदन के माध्यम से धन्यवाद दें, मैं इस बात का आग्रह आपसे करता हूं। आप इस पर चर्चा के लिये समय निर्धारित करें और इसके ऊपर में चर्चा करवायें।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- केन्द्र सरकार का मंदिर बनने में कोई योगदान नहीं है (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बृजमोहन जी, राजीव गांधी जी ने इसकी आधारशिला रखी थी। (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह :- सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर का निर्माण चालू हुआ है। (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- राजीव गांधी जी ने इसकी नींव रखी थी। उसको भी जोड़ लेते।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार को धन्यवाद के लिये सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित होना चाहिए।

श्री रामकुमार यादव :- चंदेल जी, ओ गोबर ला हमन पिसात हन तेखर ले पहली धन्यवाद दे दो ।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वाईंट ऑफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय :- करिये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ शासन ने 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की। डॉ. रमन सिंह के रिजम में जब संसदीय सचिवों की नियुक्ति हुई तो माननीय मोहम्मद अकबर दो अन्य लोग हाई कोर्ट में गये। हाईकोर्ट के बाद अभी एक आदमी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लंबित है। जब इसकी नियुक्ति हुई तो सदन में आज कार्यवाही शुरू हो रही है, कल कंडोलेंस हुआ था। इसलिए मैंने इस विषय को नहीं उठाया। शासन की ओर से यह वक्तव्य आया कि हम माननीय उच्च

न्यायालय के निर्देशों का पालन करेंगे। उच्च न्यायालय के निर्देश क्या हैं, यह सदन को मालूम नहीं है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ समाचार पत्रों में छपा की उनको स्वेच्छानुदान राशि नहीं दी जायेगी, फिर समाचार पत्रों में छपा की उनको मंत्रालय में कक्ष नहीं दिये जायेंगे। फिर समाचार पत्रों छपा की उनको आवास और स्टाफ नहीं दिये जायेंगे। वे सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगे। आखिर इस तरह की चीजें जो आती रही, तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश क्या हैं जिसका पालन करेंगे ? माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि ये सीखने के लिये अच्छा अवसर है। वे मंत्री जी के अंडर में काम करेंगे और सीखेंगे और शासकीय बैठक में उपस्थित रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। आखिर विधानसभा चल रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी ओर से यह स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए और शासन की ओर से होनी चाहिए। यदि स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो आपको अधिकार है कि ए.जी. को आप यहां बुलाकर उस पर स्थिति स्पष्ट करवायें ताकि जो संवैधानिक व्यवस्था है, चूंकि यह संवैधानिक व्यवस्था में 164 आर्टिकल में संसदीय कार्य पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नाम की कोई चीज नहीं है। जिन व्यवस्थाओं के तहत की गयी, कांग्रेस पार्टी ही गयी और कांग्रेस पार्टी ही उसमें एक याचिका लंबित है उसके बावजूद उन्होंने नियुक्ति की। इसमें स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मेरे व्यवस्था का प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि इसमें आपकी व्यवस्था आनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, मैं उत्तर दूंगा। व्यवस्था का प्रश्न है।

विधि मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहता हूं। समाचार पत्रों में क्या छपा क्या नहीं छपा उससे हमको मतलब नहीं है। क्योंकि विधानसभा की कार्यवाहियों में वह मान्य नहीं है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय आया है उसका पूरा पालन करते हुए सारी प्रक्रिया हुई है। (श्री अजय चंद्राकर द्वारा खड़े होने पर) एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, यह सही है कि लंबित है। जब सुप्रीम कोर्ट में उस समय लंबित हो गया था तो आपने उस समय क्यों नहीं हटवा दिया। जब लंबित है तो उसमें कुछ फैसला नहीं हुआ है। लेकिन जो हाई कोर्ट ने कहा है उसका हमने पूरा पालन किया है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मूल चीजों का जवाब नहीं आया है। माननीय विधि मंत्री जी ने कहा कि हम माननीय हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करेंगे। मैंने यही पूछा की हाई कोर्ट के निर्देश क्या हैं ? और हाई कोर्ट के कौन से निर्देश का आप पालन करेंगे ? यदि वे अस्पष्ट उत्तर देते हैं तो आपके पास अधिकार है कि आप ए.जी. को बुलाकर पूछ सकते हैं। वही तो जानना है कि हाई कोर्ट के निर्देश क्या हैं ? जिसका पालन सरकार करेगी।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी, आदरणीय अजय जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। माननीय मंत्री जी की ओर से clarification आ गया। अब इसमें आप डिस्कशन करना चाहेंगे तो अलग से परंपराएं हैं। हम करेंगे, अगर आप चाहेंगे, और आपने संविधान के जिस आर्टिकल का उल्लेख

करते हुए कहा कि इसकी व्यवस्था नहीं है तो क्या 15 साल डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में उस व्यवस्था को आपने पढ़ा नहीं था। अगर आप उसको पढ़े होते तो तब भी संसदीय सचिवों की नियुक्तियां नहीं होती। अगर आपने पढ़ लिया तो आज इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं बनता।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है, उस पद का नाम संसदीय सचिव है। यह संसद का छोटा स्वरूप है और अगर संसद में हमारी विधानसभा में संसदीय सचिवों का परिचय भी नहीं, उन संसदीय सचिवों के बारे में जानकारी भी नहीं, तो यह सदन कैसे चलेगा ? वे सदन में बैठे हुए हैं, वे मंत्री को संसदीय कामों में असिस्ट करने के लिए है तो उसके बारे में कौन से नियम, कायदे, कानून, हाईकोर्ट का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है इसके बारे में सदन में पहले दिन ही जानकारी देनी चाहिए थी। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको शपथ दिलवाई है तो पहले दिन ही सदन के सामने कि शासन ने 15 संसदीय सचिव नियुक्त किये हैं, उनको ये-ये अधिकार होंगे, उनका ये-ये काम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने उनको एक शपथ दिलायी। इस सदन में यह जानकारी आनी चाहिए और माननीय मुख्ययमंत्री जी को इसके बारे में पूरा स्पष्टीकरण देना चाहिए। जब इसके ऊपर में जो सत्तापक्ष है, वह पूर्व में आपत्ति ले चुका है और वर्तमान में उसी कृत्य को वह कर रहे हैं तो उनको इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि संसदीय सचिवों को किन नियमों के तहत किया है। क्या-क्या निर्देशों का पालन करेंगे, उनको क्या-क्या अधिकार दिया है? और ये निर्देश आपको देना चाहिए कि अगर आपने संसदीय सचिव नियुक्त किये हैं और आपने उनको संसदीय काम करने के लिए मंत्रियों के अधिनस्थ रखा है तो निश्चित रूप से उसकी जानकारी सदन में शासन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आना चाहिए। आपके ये निर्देश होने चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि आपने 15 सालों तक क्या किया ? आपने वह क्यों नहीं पढ़ा ? वास्तविक में उस समय उसको कांग्रेस के लोग कोर्ट में लेकर गये और कांग्रेस के लोगों ने जो आपत्ति जतायी। आपत्ति जताने के बाद में हाईकोर्ट का निर्णय आया। निर्णय आने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला आज भी लंबित है। जिस मामले को लेकर आपने खुद आपत्ति जतायी । आपत्ति जताने के बाद में अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन होगा, वह भी मामला अभी लंबित है, जब तक यह नहीं आया है या तो प्रतीक्षा करनी चाहिए और यदि उसके बाद भी संसदीय सचिवों के शपथ दिलाये हैं, उनके क्या अधिकार, कर्त्तव्य हैं ? वास्तव में सबसे पहले आज बिना बोले उनका परिचय होना था और उनका परिचय कराना चाहिये था, लेकिन उसके बाद भी आज तक जिस प्रकार से समाचार पत्रों में छपने के बाद में पूरे प्रदेश के लोगों में भ्रम की स्थिति है और न उसका स्पष्टीकरण आया है और न ही उसको रेखांकित किया गया है इसलिये हम चाहते हैं कि उसमें स्पष्ट जानकारी आनी चाहिए कि आखिर उनकी वैधानिक स्थिति क्या है ? और उस वैधानिक स्थिति में वे कहां पर खड़े हुए हैं ? ये बात तो आनी ही चाहिये।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब डॉ. रमन सिंह साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने संसदीय सचिव बनाया। आपको आपत्ति थी। भाई मोहम्मद अकबर जी गये थे और उसमें एक संसदीय सचिव के पुत्र वकील भी थे जो अभी संसदीय सचिव बने हैं संसदीय सचिव के खिलाफ लड़ने वाले मुकद्मेें में वकील भी थे आपको हाईकोर्ट में भी भरोसा नहीं है जो हाईकोर्ट ने किया, उस पर भी आस्था नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट चले गये, आप थोड़ा इंतजार कर लेते। हाई कोर्ट ने क्या-क्या आदेश दिये हैं? वह आपके माध्यम से इसलिये आना चाहिए कि कल वह धीरे से जवाब देने के लिए खड़ा करायेंगे, धीरे से अनुदान दे देंगे, धीरे से सायरन गाड़ियां चलेंगी। अब मैं तो अभी देख रहा था जब अभी आपने दलेश्वर साहू जी को पुकारा तो मैं सामने देख रहा था। उधर दलेश्वर साहू जी बैठे होंगे। पता चला कि कैबिनेट मंत्री इधर पीछे तरफ बैठे हैं। इतने मंत्री बन गये हैं। काला हाथी तो जिंदा नहीं है, मर रहा है आप ये सफेद हाथी और बना दिये, पर उसके अधिकारों से तो वाकिफ करवा दीजिए। उनको क्या अधिकार हैं क्या अधिकार नहीं है ताकि उस हिसाब से हम उनसे बात करें और उनसे व्यवहार करें। वह न तो विधायक रह गये हैं और न मंत्री रह गये हैं, बीच में है न प्रश्न पूछ सकते हैं न कुछ बोल सकते हैं। वहां पर बैठे-बैठे सबको बेचैनी हो रही है तो संसदीय सचिवों का इतिहास भी बहुत खराब रहा है मैं डरवाना नहीं चाह रहा हूँ इतिहास, उसका इतना खराब रिकॉर्ड रहा है कि डॉ. साहब के जितने संसदीय सचिव थे, सब के सब हार गये थे। मैं आपके प्रति दुर्भावना नहीं कह रहा हूँ। मैं आपके प्रति सद्भावना रखता हूँ, लेकिन उसका जो रिकॉर्ड है, वह बहुत खराब है। इसलिये आप जरा सा स्थिति स्पष्ट कर दें। हाईकोर्ट के फैसले में क्या है? क्या नहीं है? सदन में वह सब एक आपके माध्यम से सर्क्यूलर के माध्मय से बंटवा दीजिए।

विधि मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके दोनों तीनों बातों को स्पष्ट कर देता हूँ। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है उसके बाद भी नियुक्त हो गया। हममे से कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- कोई तो गया है।

श्री मोहम्मद अकबर :- जो सुप्रीम कोर्ट गया है, वह एक एक्टिविस्ट हैं वह अलग से गये हैं। यदि मान लीजिए पूरे देश में कोई भी जाएगा तो उसके लिए ये सरकार जिम्मेदार थोड़ी है। कोई गया है एक बात। दूसरी बात यह कि उसमें ये बात आयी है कि इनका परिचय क्यों नहीं कराया जा रहा है? संसदीय सचिव, हाईकोर्ट में जो भी मामला आया, उसके हिसाब से विधान सभा के भीतर उत्तर नहीं दे सकते। संसदीय सचिव असिस्टेंस, मंत्रियों की सहायता करेंगे इसलिये उनको नियुक्त किया गया है और मंत्रियों से उनका परिचय करा दिया गया है, विधानसभा में क्योंकि उनको उत्तर नहीं देना है, इसलिए परिचय की आवश्यकता नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपको कब से सहायक की जरूरत पड़ गई है? चौबे जी आपको भी सहायता की जरूरत है, टी.एस. सिंहदेव जी आप बतायें? आप तो डबल बेरल वाले हैं न। आप लोगों को जरूरत नहीं है। लेकिन हम अपनी चिंताओं को व्यक्त कर रहे हैं, कृपया करके उसमें स्थिति स्पष्ट कर दें। आपने संसदीय सचिव बनाया है, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि बनायें हैं तो हमको उनके अधिकारों से वाकिफ करा दीजिए ताकि हम उस हिसाब से उनको देखें। आप जिस चीज का विरोध करते हैं, वही काम आप कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक प्रश्न यह आया कि मुख्यमंत्री जी ने उनको शपथ कराया है तो किस काम के लिए कराया है ? उसका उत्तर यह है कि उनको विधानसभा के कार्यों में मंत्रियों की सहायता करना है। वह कार्य उनको सत्यनिष्ठा से पूरा करना है, इस बात की शपथ है। अब परिचय की जरूरत इसलिए भी नहीं है कि उनको मंत्री का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए उनको यहां से परिचय की जरूरत नहीं है, मंत्रियों से परिचय है और वह बहुत अच्छे से मंत्रियों का सहयोग कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन ली जाये। जितने डिस्कश हुए, उसमें जो मेरा व्यवस्था का मूल प्रश्न है, उसका उत्तर नहीं आया। मैं उसको एक बार फिर से बोल देता हूं और मैं उसमें आपका हस्तक्षेप चाहता हूं कि आप आसंदी से उस बात का निर्देश दें। यह जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री हैं, वह विषय को घुमाने के लिए सिद्धस्त हैं। 14 साल, 15 साल तक बने रहे, कहां गये, उसकी पूरी हिस्ट्री है कि कहां कोर्ट ने विपरित टिप्पणी की, कहां निरस्त किये गये, ये एक अलग विषय है, आप भी उन्हीं 15 साल में कानूनी है या गैर कानूनी है, उसके लिए कोर्ट में गये। अकबर जी की ये बात सत्य है कि कोर्ट में गये, तीन लोग कोर्ट गये थे, एक अकबर जी गये थे, दूसरे एक्टीविस्ट हैं, छत्तीसगढ़ के तीन लोग कोर्ट गये थे, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लंबित है। आप नहीं गये। कांग्रेस पार्टी जिस बात के विरोध में थी, उसको उन्होंने लाया, इसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, आपने शपथ दिलाया, परिचय करवाया, नहीं करवाया, वह विषय नहीं है। विषय यह है कि छत्तीसगढ़ के माननीय उच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिये हैं और उसको अक्षरश: विधानसभा को या माननीय सभा को कार्यवाही चल रही है, उससे अवगत कराया जाये। दूसरा जो समाचार पत्रों में आया है कि उनको कक्ष, स्वेच्छानुदान, गाड़ी, पी.ए. नहीं दिया जायेगा, उनके द्वारा विधानसभा में उत्तर नहीं दिया जायेगा। यह जो भ्रमपूर्ण स्थिति निर्मित हुई है, वह समाप्त हो जायेगी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये बताने की बजाय माननीय उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिव की नियुक्ति के बारे में ये-ये निर्देश दिये हैं, उसका पालन करवाना आप सुनिश्चित करवाईये और इस बात से सभा को अवगत कराया जाये। यदि इस बात को शासन घुमाकर उत्तर देता है तो आपको अधिकार है कि ए.जी. साहब को सभा में

बुलाया जाये और ए.जी. साहब से उसकी जानकारी ली जाये कि उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय के क्या निर्देश हैं ?

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो भ्रम की स्थिति है, आसंदी से आदेश हो जाये।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय सचिव की नियुक्ति के बारे में माननीय विद्वान सदस्यों ने अपनी राय रखी है और प्वाईन्ट ऑफ आर्डर के माध्यम से माननीय अजय चन्द्राकर जी ने, धर्मजीत सिंह जी ने और अन्य सदस्यों ने भी बात रखी है। विधानसभा से परिचय क्यों नहीं कराया गया, हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया ? अध्यक्ष महोदय, क्या विधानसभा में परंपरा रही है कि संसदीय सचिवों को विधानसभा में परिचय कराया जाता है ? यदि परिचय कराने की परंपरा है तो आपने क्यों नहीं कराया ? यदि परंपरा बनाना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। जहां तक हाईकोर्ट के फैसले की बात है, वह आज नहीं आया है, वह आपके कार्यकाल में आया है। आपने पिछले सत्र में जब कोर्ट का फैसला आया तो सदन को अवगत क्यों नहीं कराया ? ये जिम्मेदारी आपकी थी, सवाल हमसे पूछ रहे हैं, उस समय आपने क्यों अवगत नहीं कराया ? आपको जानकारी है, उसके हिसाब से आपने उस समय सारी कटौतियां की थीं। उसी का तो अनुसरण किया जा रहा है। कोई नई बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि इसमें और कोई चर्चा की आवश्यकता है और सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाई जानी चाहिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन आपके नियंत्रण में चलता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह कहना ही आपत्तिजनक है कि इसमें चर्चा की आवश्यकता नहीं है। क्या सत्तापक्ष तय करेगा कि चर्चा की आवश्यकता है या नहीं है?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपत्तिजनक है कि इसमें चर्चा की आवश्यकता नहीं है । यह कहना ही आपत्तिनजक है । क्या सत्तापक्ष यह तय करेगा कि चर्चा की आवश्यकता है कि नहीं है ?

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि संसदीय सचिव का स्टेटस क्या है ? न तो यहां की जनता को मालूम है, न यहां के सदस्यों को मालूम है । आप लिखित में एक सर्कुलर जारी करें और जारी करने के बाद में सब कोई इसको पढ़ लेंगे, यह स्पष्ट हो जायेगा कि उनके अधिकार क्या हैं और उनका कर्तव्य क्या है ? सत्तापक्ष स्वयं भ्रम की स्थिति में है, संसदीय सचिव भ्रम की स्थिति में है और इसलिये यह स्पष्ट होना चाहिए और स्पष्ट होने के बाद में जैसे मंत्रियों को क्या अधिकार और कर्तव्य दिया हुआ है ? दर्जा प्राप्त का क्या अधिकार और कर्तव्य

दिया हुआ है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे यह आग्रह है कि संसदीय सचिव के बारे में भी एक लिखित में आना चाहिए ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय जी ने कहा कि फैसला करने का अधिकार आपको है । अभी तो कोई चर्चा चूंकि आपने अभी व्यवस्था का प्रश्न उठाया । पहली बात तो यह है कि आपने अपनी बात रखी और हम लोग भी अपनी बात रख रहे हैं । दूसरी बात यह है कि माननीय उच्च न्यायालय का जब फैसला आया तो आप ही हुकूमत में थे । सारी वस्तुस्थिति से आप भिज्ञ हैं उस चीज को आप जानना चाहते हैं और तीसरी बात यह है कि जब वह मंत्री का दर्जा ही नहीं है, ऐसा आप ही कह रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला है तो परिचय जैसी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है और आखिरी बात यह है कि माननीय अकबर भाई ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर केवल मंत्रियों को असिस्ट करने के लिए संसदीय सचिवों के कार्य हैं तो उसके अलावा अब और कार्य यानी सारे कार्यों का निष्पादन कैसे किया जायेगा, क्या यह आलेख आपको पढ़कर यहां सुनाना पड़ेगा ? इसलिये इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है और आखिरी बात माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर कभी सदन में चर्चा होती नहीं है इसलिए उस पर यहां डिस्कशन नहीं हो सकता है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन के पूरे 90 सदस्य आपके अंतर्गत हैं और आपके अंतर्गत होने के कारण इस सदन में बैठने वाले सदस्यों के क्या अधिकार हैं, क्या दायित्व हैं यह यहां की हमारी पुस्तिका प्रकाशित होकर जारी हुई है । मंत्रियों के बारे में बिजनेस रूल्स जारी हैं कि बिजनेस रूल्स के अंतर्गत किस मंत्री को क्या-क्या अधिकार है उसके बाद में आज संसदीय सचिवों के बारे में लगातार यह भ्रम की स्थिति बनी हुई है । हमारा आपसे एक ही आग्रह है कि वे हमारे सदन के सदस्य हैं, वे बेचारे विधायक के रूप में काम नहीं कर पा रहे हैं । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- वे बेचारे नहीं हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ऐसा है कि यह असंसदीय शब्द नहीं है । वे बेचारे क्यों हैं, वे बताते हैं । वे बेचारे बोलते हैं कि भैया आप जरा सरकार से बात करो कि हमारे अधिकार क्या हैं हमको बताया जाए । वे स्वयं चाहते हैं, संसदीय सचिव जैसा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा, वे स्वयं स्पष्ट नहीं हैं कि उनको क्या-क्या अधिकार हैं और क्या-क्या अधिकार नहीं है । सदन के सदस्य स्पष्ट नहीं हैं, पूरे प्रदेश की जनता स्पष्ट नहीं है इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ दिलायी है । एक सर्कुलर जारी करके, परसों विधानसभा समाप्त होने के पहले उनको क्या-क्या अधिकार हैं, उनके क्या-क्या कर्तव्य हैं, क्या-क्या दायित्व हैं यह पूरे सदन की जानकारी में आ जाये और आपसे हम चाहेंगे कि आप कृपापूर्वक चूंकि सब विधायक आपके अंतर्गत हैं, सबके लिये जो अधिकार और दायित्व हैं वह आइडेंटीफाई हैं तो इनके भी होने चाहिए तो आपसे इस बात का आग्रह है कि आप यह निर्देश जारी करें।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का वक्तव्य बाद में आ जाये, हम उनको सुनेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री के ऊपर फिर मैं आक्षेप कर रहा हूं कि विषय में नहीं जाकर विषय के बाहर बात करते हैं । आपसे अपेक्षा है कि आप उत्तर देंगे तो सही देंगे । उच्च न्यायालय में जो न्यायिक प्रकरण में प्रक्रिया लंबित है उस पर चर्चा नहीं हो सकती इस बात से मैं सहमत हूं लेकिन जिसमें निर्देश जारी हो चुके हैं, उसमें सदन में चर्चा हो सकती है, उनके फैसलों पर चर्चा हो सकती है । आप कौल एण्ड शकधर निकालक देख लीजिए, सैकड़ों न्यायलयीन प्रकरण हैं जिसको उदाहरण में दिया गया है इसलिए उनके निर्देश में चर्चा हो सकती है । माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह बहुत छोटा सा विषय है आपसे मेरा आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसमें चर्चा की आवश्यकता नहीं है, मैं इससे सहमत हूं । 15 सालों में क्या होता रहा उसके विरूद्ध भी आप गये, संसदीय सचिव में क्या परंपरा बनी उसके विरूद्ध में आप गये । चूंकि आपने कहा है कि न्यायालय का निर्देश आया है, निर्देश कोई फैसला नहीं होता । यदि कोई निर्देश आया है तो वह सदन को मालूम होना चाहिए और उसका परिपालन होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया न ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आज माननीय मंत्री जी के पास निर्देश नहीं है तो आप ए.जी. को बुला सकते हैं या उनको समय दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- श्री मोहले जी ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिये वह क्लियर होना चाहिए और वह व्यवस्था आपके द्वारा होनी चाहिए ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- ये इन्हीं के कार्यकाल में फैसला आया है, निर्देश आया है तो इन्होंने अवगत क्यों नहीं कराया ? यही तो मैं कह रहा हूं (शेम शेम की आवाज) ये आप ही के कार्यकाल का है । आप तो संसदीय कार्यमंत्री रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उस समय का विपक्ष सोया हुआ था, अभी विपक्ष जागृत है । अभी विपक्ष इस बात को पूछ रहा है ।

श्री अमरजीत भगत :- अजय भाई, यह बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ? नहीं आ रहा है तो रमन सिंह जी से पूछ लीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी विषय को हल्का मत करो । आपका समय आएगा तो बात करेंगे ।

परिवहन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- मैं आपकी दोनों तीनों बातों का जवाब दे देता हूं । माननीय बृजमोहन जी ने विधायकों और मंत्रियों के अधिकारों के बारे में कहा । बिजनेस रूल्स है, विधायकों के बारे में विधान सभा की नियमावली में सारे अधिकार हैं । संसदीय सचिवों को विधान सभा में उत्तर देने का अधिकार नहीं है । उनको सहायता करना है और विधान सभा के कार्यों के लिए जो सहायता करने वाली

बात है तो केवल सहायता करने के लिए उनको असिस्टेंस के रूप में नियुक्त किया गया है । दूसरा- माननीय अजय चन्द्राकर जी ने कहा कि जो ..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- विधायक किसी का असिस्टेंट नहीं हो सकता । असिस्ट कर सकता है । अभी आपने असिस्टेंट बोला, विधायक असिस्टेंट नहीं हो सकता ।

श्री मोहममद अकबर :- उनकी सहायता के लिए हैं, आप सुन तो लीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपने असिसटेंट बोला ।

श्री मोहम्मद अकबर :- असिस्टेंस । आप सुन तो लीजिए, असिस्टेंस । माननीय अजय चन्द्राकर जी ने कहा कि जो उच्च न्यायालय में जिसका निर्णय हो चुका है, यदि लंबित है तो यहां चर्चा नहीं हो सकती, यह आपने कहा । लेकिन यह मामला यदि वहां पर निर्णय हो चुका और उसके बाद चर्चा हो सकती है, यह आपका कहना है । लेकिन वही मामला तो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है । आपने कहा है आप रिकार्ड निकालकर देख लीजिए । इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला लंबित है उस बारे में यहां पर चर्चा नहीं हो सकती, ऐसा मेरा कहना है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, जो भी परिस्थिति बनी है, जितने भी उदाहरण आए । माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय विधि मंत्री जी ने, अति विद्वान संसदीय कार्यमंत्री जी ने, इधर से बृजमोहन जी और जिन लोगों ने भी भाग लिया । विषय बहुत छोटा सा है । जब भी हम व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं तो उस पर आपकी ओर से व्यवस्था आती है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं व्यवस्था दे रहा हूं आप तो सुन ही नहीं रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- विषय यह है कि न्यायालय में लंबित है यह बात तो मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाते समय कहा । सरकार ने जिन बातों का पालन किया कि हम माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन कर रहे हैं । उच्च न्यायालय के निर्देश हैं, यह अर्धन्यायिक प्रक्रिया में नहीं है । निर्देश पर यहां चर्चा हो सकती है। सरकार निर्देशों से अवगत करा सकती है । बिंदु, बिंदु उत्तर देने के बजाय, संसदीय सचिवों की नियुक्ति में माननीय उच्च न्यायालय के ये-ये निर्देश हैं, जिनका यह सरकार पालन करती है, आपके द्वारा सभा को अवगत करा दिया जाए । ये छोटा सा विषय है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अध्यक्ष महोदय, संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर हमें आपत्ति नहीं है । आपने उच्च न्यायालय का विवरण दिया है । उच्च न्यायालय की कॉपी आपके माध्यम से हमको मिल जाए । दूसरी बात, जब संसदीय सचिव स्वतंत्रता दिवस में फॉलो गार्ड लेकर, दर्जा प्राप्त करके स्वतंत्रता दिवस में झंडा फहरा सकते हैं तो उसे कैसे अधिकार नहीं है ? आपने तो अधिकार दिया है, वे अधिकार नियम के अंतर्गत हैं या नहीं हैं, यदि किया है तो अच्छी बात है । वे केवल बाहर ही सहयोग दे सकते हैं या अंदर ? अंदर तो नहीं दे सकते । बाहर क्या क्या सहयोग दे सकते हैं यह बता दें ?।

अध्यक्ष महोदय :- आपकी व्यवस्था के प्रश्न पर । माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधि मंत्री जी, संसदीय कार्यमंत्री जी ने अपना कथन व्यक्त कर दिया है । सभी तथ्यों पर विचार कर मैं अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखता हूं । अब स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होगी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी व्यवस्था नहीं आई । आप व्यवस्था दे दीजिए फिर आप जो कहेंगे । (व्यवधान) यदि ये संसदीय सचिव कार्यवाही में भाग लेंगे, भाषण देंगे, क्योंकि कार्यवाही तो शुरू हो गई है ।

श्री नारायण चंदेल :- आसंदी से अभी आ जाए व्यवस्था ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वे सदन के सदस्य हैं, कार्यवाही में भाग लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखता हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- पहले व्यवस्था आ आये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- व्यवस्था सुरक्षित रखता हूं। व्यवस्था सुरक्षित रखता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- चूंकि कार्यवाही शुरू हो रही है, इसलिए यह जानना तय है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- स्थगन नहीं लेना है क्या?

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं-नहीं, लेना है, लेकिन व्यवस्था देने के बाद..।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप लोग अपने स्थगन से क्यों भाग रहे हैं? आप लोग अपने स्थगन से क्यों भाग रहे हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- हम नहीं भाग रहे हैं। आप बात मत घुमाइए।

श्री रविन्द्र चौबे :- आपके स्थगन से आप लोग भाग दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- हम नहीं भागते हैं। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- आप दो लाइन में व्यवस्था दे दें, उसके बाद स्थगन प्रस्ताव ले लें। (व्यवधान)

समय :
12:36 बजे

## स्थगन प्रस्ताव

## प्रदेश के क्वारंटाईन सेन्टरों में व्याप्त अव्यवस्था

अध्यक्ष महोदय :- मेरे पास प्रदेश के क्वारंटाईन सेन्टरों में व्याप्त अव्यवस्था के संबंध में 16 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :-

प्रथम सूचना - श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य

दूसरी सूचना - श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य

तीसरी सूचना - श्री नारायण चंदेल, सदस्य



असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

चौथी सूचना - श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
पांचवीं सूचना - श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य
छठवीं सूचना - डॉ. रमन सिंह, सदस्य
सातवीं सूचना - श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य
आठवीं सूचना - श्री सौरभ सिंह, सदस्य
नवमीं सूचना - श्री ननकीराम कंवर, सदस्य
दसवीं सूचना - श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य
ग्वारहवीं सूचना - श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य
बारहवीं सूचना - श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य
तेरहवीं सूचना - डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य
चौदहवीं सूचना - श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य
पन्द्रहवीं सूचना - श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य
सोलहवीं सूचना - श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य

चूंकि श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य की सूचना अधिक तथ्यात्मक है, अत: उसे मैं पढ़कर सुनाता हूं :-

छत्तीसगढ़ राज्य कोरोना (कोविड-19) के प्रकोप से जूझ रहा है, दिन-प्रतिदिन कोरोना के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। लोगों में भय का कारण बना हुआ है, जिसके चलते पूरा प्रदेश लॉकडाउन रहा और भारी जान-माल की क्षति हो रही है, ऐसे में इस महामारी के फैलाव को रोकने के लिए प्रदेश भर में क्वारंटाईन सेन्टर (Quarantine center) बनाये गये हैं जहां अन्य राज्य व अन्य जिलों से आये हुये लोगों को एक निश्चित समयातराल तक रखा जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव और उससे होने वाले फैलाव को रोका जा सके।

किंतु प्रदेश के क्वारंटाईन सेन्टरों में लोगों की मौतें कोरोना महामारी से कम क्वारंटाईन सेन्टरों की अव्यवस्था के कारण ज्यादा हो रही हैं, जो बहुत ही गंभीर विषय है। इन सेन्टरों में सर्पदंश से मौत (जवा बाई ग्राम-बुड़गहन, पामगढ़), बिच्छू काटने (जिला बालोद की घटना), महिला के साथ छेड़छाड़ (अंबिकापुर जिला अंतर्गत), शराबखोरी (राजनांदगांव जिला अंतर्गत), कीड़ा युक्त खाना (जिला रायपुर सड्डू में) परोसा गया आदि जैसी घटनायें घटित हो रही हैं। यहां तक कि कई सेन्टरों में न तो सोने की व्यवस्था है, न ही बिजली है और न ही शौचालय है, इन सेन्टरों की बदहाली देख लोग वहां रहने की बजाय आत्महत्या कर रहे हैं। (दिनांक 11 व 16 जुलाई, 2020 को क्रमश: प्रदीप केरकेट्टा ग्राम पंचायत-केरजू, वि.ख.-सीतापुर, जिला-अंबिकापुर व तुलसी बैगा, ग्राम-ताईतिरनी, ब्लॉक-पंडरिया, जिला-कवर्धा में घटना घटित हुई है), इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश की क्वारंटाईन सेन्टरों की अव्यवस्था का आलम कैसा है?

असंशोधित/अप्रकाशन के लिये नहीं

प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के बचाव के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अभी तक मंत्रिमंडल का फोटो-पोस्टर लगवाये हैं और समाचार पत्रों में स्वयं को कोरोना योद्धा बताकर अपनी राजनीति चमकाने में लगी है और प्रदेश के वास्तविक कोरोना योद्धा डॉक्टर, नर्स, वार्ड ब्वाय व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो दिन और रात कोरोना से बचाने के लिए लड़ रहे हैं, उनको इन्सेंटिव देने की घोषणा सिर्फ कागजों पर ही सिमट गयी है। अभी भी राज्य में पर्याप्त मात्रा में कोरोना (कोविड-19) का टेस्टिंग नहीं करवाया जा रहा है। केन्द्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान एवं विभिन्न क्षेत्रों में दी गयी मदद के अलावा राज्य सरकार ने कोरोना (कोविड-19) से बचाव के लिये कोई भी पैकेज जारी तक नहीं किया है, प्रदेश के क्वारंटाईन सेन्टरों में कितने लोग रह रहे हैं? सरकार इनकी गिनती तक नहीं करवा पायी है। लोग जानवरों की भांति बिना सुविधाओं के रहने की मजबूर हैं, उन सेन्टरों में होने वाले खर्चों की राशि तक का भी इंतजाम नहीं किया गया, यहां तक कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी (Reverse migration) मजदूरों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। 12 वर्षीय मासूम बच्ची जमलो मड़कम, ग्राम-आदेड़, जिला-बीजापुर 80 किलोमीटर की दूरी तय कर तेलंगाना से घर वापसी हेतु निकली जिसकी घर से 11 किलोमीटर की शेष दूरी पर ही भूख और थकान से मृत्यु हो गयी जिनके शव को 3 घंटे के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाया गया । कोरोना से लड़ने के लिए सरकार के पास कोई नीति ही नहीं है, इससे प्रदेश की जनता में काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

अत: जनहित के इस गंभीर विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाये ।

इस संबंध में शासन का क्या कहना है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना पूर्णत: असत्य है कि कोरेन्टाईन सेन्टर की अव्यवस्था के कारण लोगों की मौत हुई है । कोरेन्टाईन सेन्टर के संचालन, सुरक्षा एवं सुविधा हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किये गए हैं, ताकि बेहतर रूप से केन्द्रों का संचालन हो सके । यह सही नहीं है कि जवा बाई बुड़गहन पामगढ़ निवासी की सर्पदंश से मौत हो गयी है । जवा बाई ग्राम बुड़गहन, पामगढ़ निवासी सर्पदंश से ग्रसित थी, उपचार उपरांत स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी । जिला बालोद से विकासखण्ड डौण्डीलोहारा के अंतर्गत ग्राम मुड़खुसरा के कोरेन्टाईन सेंटर में बिच्छू निकला था, किन्तु कोरेन्टाईन सेंटर में रह रहे व्यक्तियों को बिच्छू काटने की घटना घटित नहीं हुई थी । कोरेन्टाईन सेंटर भुरभूसी, छुईखदान, जिला राजनांदगांव में 04 व्यक्तियों की शराबखोरी की शिकायत अवश्य प्राप्त हुई थी, जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 24.05.2020 को थाना गण्डई में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी । सभी सेन्टरों में सोने, बिजली, पानी, भोजन, शौचालय, सेनेटाईजर, मास्क की आवश्यक व्यवस्था की गयी थी । किसी प्रकार की कमी की शिकायत प्राप्त होने पर शीघ्र सुधार भी की जाती रही है । प्रदेश में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में कुल 22375 कोरेन्टाईन सेंटर में 6,70,000 व्यक्तियों के रूकने की व्यवस्था की गई है, जिसमें कुछ लोग आत्महत्या

किये हैं, जो दु:खद घटना है । इसमें श्री प्रदीप केरकेट्टा, पिता आसुमल केरकेट्टा, ग्राम-केरजू, विकासखण्ड-सीतापुर, अंबिकापुर भी शामिल है। तुलसी बैगा, ताईतिरनी, विकासखण्ड-पंडरिया, जिला कवर्धा नामक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या की जानकारी सही नहीं है ।

यह कथन सही नहीं है कि प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के बचाव के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अभी तक मंत्रिमण्डल का फोटो पोस्टर लगवाये हैं और समाचार-पत्रों में स्वयं को कोरोना योद्धा बताकर अपने राजनीति चमकाने में लगी है, अपितु छ0ग0 शासन ने जनवरी माह से ही चीन में महामारी की सूचना विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत सरकार द्वारा प्राप्त होते ही कोविड 19 से बचाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी । जनवरी, 2020 के तीसरे सप्ताह में ही कोविड हेतु रैपिड रेस्पोंस टीम का गठन कर लिया गया था और एयरपोर्ट में कोरोना प्रभावित देश से यात्रा कर आने वाले व्यक्तियों की स्क्रिनिंग एवं उनको कोरेन्टीन करने की प्रक्रिया दिनांक 02/02/2020 से प्रारंभ कर ली गयी थी । कोरोना से बचाव हेतु पीपीई किट, एन 95 मास्क, जांच, किट, सेनेटाईजन, बेड, हॉस्पिटल इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था की गई । प्रदेश में कोरोना से बचाव हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार निरंतर किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत टी.व्ही. के माध्यम से समाचार-पत्रों में प्रत्येक जानकारियां एवं जागरूकता संबंधी जानकारी प्रकाशित की जा रही है, वही टी.व्ही. व रेडियों के माध्यम से लोगों तक समय-समय पर कोरोना महामारी बचाव से संबंधित जानकारियों दी जा रही हैं ।

समय :

12:44 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए)**

राज्य के समस्त जिलों में होर्डिंग के माध्यम से भी लोगों को जागरूक निरंतर किया जा रहा है एवं अन्य स्थानों में बैनर व पोस्टर के माध्यम से भी कोरोना से बचाव हेतु प्रचार-प्रसार किया जा रहा है । होम आईसोलेशन में ब्राउचर्स व पाम्पलेट के माध्यम से होम आईसोलेशन में रह रहे लोगों को जानकारी दी जा रही है । एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड में भी पाम्पलेट वितरण किया गया है । जिलों में वाहन के माध्यम से कोरोना महामारी के रोकथाम हेतु प्रचार-प्रसार व माईकिंग के माध्यम से मुनादी कराई जा रही है । होम कोरेन्टाईन में रह रहे लोगों के घर के सामने पाम्पलेट तैयार कर चस्पा किया गया है । सोशल मीडिया, वाट्सअप, ट्वीटर, फेसबुक के माध्यम से निरंतर रोकथाम हेतु संदेश प्रसारित किया जा रहा है । प्रत्येक दिवस मीडिया बुलेटिन के माध्यम से राज्य में कोरोना महामारी की वस्तुस्थिति की सम्पूर्ण जानकारी प्रसारित की जा रही है । प्रारंभ से सतर्कता एवं तैयारियों से छत्तीसगढ़ राज्य में भारत के अन्य राज्यों की तुलना में कोरोना के संक्रमण की स्थिति अच्छी रही एवं माह मार्च तक रोकने में सफल रहे। साथ ही माह मई 20 की स्थिति में सिर्फ 03 सक्रिय मरीज थे। माह मई के दूसरे सप्ताह में अन्य राज्यों

से प्रवासी मजदूरों के आने के उपरांत कोरोना प्रकरणों की संख्या में वृद्धि हुई। छत्तीसगढ़ शासन ने तीव्र गति से तैयारियां कर जांच एवं उपचार संबंधित पर्याप्त व्यवस्था कर ली है।

यह भी सही नहीं है कि प्रदेश में वास्तविक कोरोना योद्धा डॉक्टर, नर्स, वार्ड ब्वाय व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो दिन और रात कोरोना से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उनको इन्सेटिव देने की घोषणा सिर्फ कागजों पर ही सिमट गई है। राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना एवं डाक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अन्तर्गत कोविड मरीजों में देखभाल कर रहे समस्त चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों को आवश्यक इन्सेटिव की व्यवस्था की गई है। कोरोना योद्धा डॉक्टर, नर्स, वार्ड ब्वाय व स्वास्थ्य विभाग के ऐसे समस्त कर्मचारी जो कोविड-19 के उपचार एवं नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं उनके लिए शासन द्वारा नि:शुल्क रहने खाने एवं परिवहन की समुचित व्यवस्था की गई है।

यह सही नहीं है कि सरकार की लापरवाही व अनदेखी के कारण फैल रहे कोरोना वायरस को रोकने के लिए माननीय हाईकोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा तथा एम.सी.आई. (मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया) द्वारा मान्यता समाप्त करने की नोटिस देने के बाद कोरोना टेस्ट शुरू करवाये हैं, जो अभी भी राज्य में पर्याप्त मात्रा में कोरोना (कोविड-19) कर टेस्टिंग नहीं करवाया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि प्रदेश में कोविड महामारी के निदान के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है एवं वर्तमान में 7 आर.टी.पी.सी.आर. लैब एम्स रायपुर, मेडिकल कालेज रायपुर, मेडिकल कालेज बिलासपुर, मेडिकल कालेज अम्बिकापुर, मेडिकल कालेज राजनांदगांव, मेडिकल कालेज जगदलपुर, मेडिकल कालेज रायगढ़ स्थापित किए गए हैं। प्रदेश के सभी 28 जिलों में ट्रूनाट लैब के माध्यम से जांच का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 18 जिलों में ट्रूनाट लैब क्रियाशील हैं। प्रत्येक जिले में रैपिड एंटीजेन से जांच की सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश में प्रतिदिन निर्धारित कोरोना मरीजों के जांच करने का लक्ष्य समयावधि के पहले पूर्ण कर लिया गया है।

यह सही नहीं है कि केन्द्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान एवं विभिन्न क्षेत्रों में दी गई मदद के अलावा राज्य सरकार ने कोरोना (कोविड-19) के बचाव के लिए कोई भी पैकेज जारी तक नहीं की गई है। राज्य सरकार के द्वारा 10,837 लाख रूपये स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से एवं 1,732 लाख रूपये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में राज्यांश के रूप में उपलब्ध कराया गया है।

यह कहना सही नहीं है कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी ( Reverse migration) मजदूरों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है, अपितु कोरोना संक्रमण की अवधि में राज्य में कुल 7,05,499 प्रवासी मजदूर वापिस आये हैं, जिन्हें राज्य में स्थापित पंचायत विभाग अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के 21,597 कोरान्टाइन सेन्टरों में रखा गया। कोरान्टाइन सेन्टरों में खाने-पीने की व्यवस्था जिला प्रशासन एवं ग्राम पंचायतों द्वारा की गई तथा ईलाज की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई। कोरोन्टाइन सेन्टरों के संचालन हेतु पंचायत विभाग द्वारा रूपये 96,78,25,365 की राशि उपलब्ध कराई गई। कोरोना संक्रमण अवधि में बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर वापस आये थे। अत: कोरान्टाइन सेन्टर बनाने एवं उनकी व्यवस्था में कुछ

कठिनाईयां आईं थीं। किन्तु राज्य शासन एवं अधिकारी कर्मचारी के निरंतर प्रयासों के द्वारा प्रवासी मजदूरों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में उनके ग्राम के समीप कोरान्टाइन सेन्टरों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई तथा 14 दिवस का कोरान्टाइन अवधि पूर्ण होने पर प्रवासी मजदूरों को घर जाने दिया गया।

यह कहना सही नहीं है कि यहां तक कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी ( Reverse migration) मजदूरों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अपितु प्रवासी श्रमिकों की सहायता हेतु राजधानी रायपुर में प्रदेश स्तरीय कंट्रोल रूम एवं हेल्पलाईन नंबर 24X7, 30 फोन लाईन के साथ स्थापित की गई है। सभी जिलों में कंट्रोल रूम एवं हेल्प लाईन स्थापित किया गया है। राज्य वापसी के इच्छुक श्रमिकों के लिए ऑनलाईन पंजीयन की व्यवस्था की गई। प्रदेश वापसी के इच्छुक लगभग 2.95 लाख प्रवासी मजदूरों, व्यक्तियों द्वारा ऑनलाईन पंजीयन करवाया गया था। लॉकडाऊन के दौरान श्रम विभाग द्वारा कंट्रोल रूम, हेल्प लाईन, मीडिया, जनप्रतिनिधि एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर राज्य में एवं राज्य से बाहर लगभग 3 लाख श्रमिकों की समस्याओं का सीधे तौर पर निराकरण करते हुए भोजन, सूखा राशन एवं मजदूरी भुगतान आदि से लाभान्वित किया गया। जिला कलेक्टरों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के अन्य राज्यों से वापस आये लगभग 5 लाख 29 हजार 84 प्रवासी श्रमिकों को राज्य शासन, अन्य राज्य सरकार, नियोजकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से गृह जिलों तक वापस पहुंचाया गया। अन्य प्रदेशों से कुल 107 श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से लगभग 1 लाख 53 हजार 859 श्रमिकों को छत्तीसगढ़ वापस लाया गया। अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ वापस आये निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु 90 दिवस की योजना प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को शिथिल करते हुए श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 27.07.2020 के द्वारा स्वघोषणा पत्र के आधार पर प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन की कार्रवाई की जाकर मंडल की योजनाओं का लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया है। पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदनों के आधार पर 14627 प्रवासी श्रमिकों का छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में तथा 6073 प्रवासी श्रमिकों का छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीयन किया जा चुका है। नोवेल कोराना महामारी के प्रकोप के कारण प्रदेश में अन्य राज्य से आये प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के समस्त जिलों के प्रवासी श्रमिकों के आंकड़ों का डाटाबेस तैयार कर श्रमिकों की कुशलता के आधार पर स्किल मैपिंग का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में 2 लाख 14 हजार 64 प्रवासी श्रमिकों का स्किल मैपिंग किया जा चुका है एवं जिला स्तर पर अन्य प्रवासी श्रमिकों का स्किल मैपिंग का कार्य जारी है। करोना वायरस से बचाव हेतु शासन की गाईडलाईन का पालन करते हुए जिला स्तर पर रोजगार कैंप का आयोजन कर 3104 प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। उद्योगों से उनकी विशिष्ट जरूरत के आधार पर सेक्टरवार एवं ट्रेडवार जानकारी ली जा रही है, जिनके आधार पर प्रवासी श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण का कार्य किया जायेगा एवं साथ ही कोई भी प्रवासी श्रमिक कौशल उन्नयन कराना चाहता है तो उन्हें संबंधित ट्रेड में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। यह कहना भी सही नहीं है

कि 12 वर्षीय मासूम बच्ची जमलों मड़कम, ग्राम-आदेड़, जिला-बीजापुर जो सरकार के कोविड-19 बचाव अभियान तथा आर्थिक प्रबंधन के अभाव के साथ-साथ राजनैतिक शिकार हो गई। जमलों मड़कम 80 किलोमीटर की दूरी तय कर तेलंगाना से घर वापसी हेतु निकली थी। जिनके घर से 11 किलोमीटर की शेष दूरी पर ही भूख और थकान से मृत्यु हो गई। जिनके शव को 3 घंटे बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाया गया। कोरोना से लड़ने से सरकार के पास कोई नीति नहीं है, जिम्मेदारी से बचने के लिए कलेक्टरों के सिर में थोप दिये हैं, अपितु कलेक्टर जिला-बीजापुर का सचिव, छ.ग.शासन, गृह विभाग को संबोधित पत्र दिनांक 28.04.2020 एवं पत्र दिनांक 24.04.2020 से प्राप्त जानकारी अनुसार दिनांक 15-04-2020 को चलते समय रात को लगभग 8.00 बजे खेत के मेड़ से जमलों मड़कामी, पिता आंदो फिसलकर गिर गई जिसमें उसे छाती के बगल में चोट लगी थी। दिनांक 17.04.2020 को भंडारपाल में लगभग 10.00 बजे उसकी मृत्यु हो गई। माननीय मुख्यमंत्री छ.ग. शासन द्वारा अपने स्वेच्छानुदान मद से श्री आन्दो मड़कामी, ग्राम-आदेड़, विकासखंड-बीजापुर, जिला-बीजापुर को राशि रूपये 4 लाख एवं रूपये 01 लाख सहित कुल राशि 05 लाख रूपये भुगतान किया गया है। प्रकरण में मृतिका जमलों मड़कामी को तेलंगाना ले जाने वाले व्यक्ति सुनीता मड़कामी, साकिन आदेड़, जिला-बीजापुर एवं श्री संतोष मंचाल, साकिन कनईगुड़ा, जिला-मुलगू (तेलंगाना) क विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। शासन के अन्य विभागों के द्वारा भी कोविड-19 के लाकडाउन के दौरान जनमानस को निम्नानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- उपाध्यक्ष जी, विपक्ष के सारे सदस्यों ने स्थगन बहुत गंभीरता मानते हुए यहां प्रस्तुत किया है। माननीय सरकार की ओर से उत्तर भी आ गया है। लेकिन निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में कोविड-19 का संक्रमण उससे बचने के उपाय, सरकार के द्वारा किये जा रहे प्रयास, केन्द्र के द्वारा दी जा रही मदद और हम सब आने वाले समय में क्या-क्या कुछ और करना है, इस संदर्भ में मैं चाहता हूं, हम सब चाहते हैं, सरकार चाहती है कि सारी चर्चाएं हो जाये इसलिए इस स्थगन को आप ग्राह्य करायें और समय मुकर्रर कर दें ताकि हम लोग सभी पक्ष इसमें चर्चा करा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं इस स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य करके चर्चा हेतु आज अपराह्न 03:00 बजे का समय निर्धारित करता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, तुरंत चर्चा करवा दें। इतना महत्वपूर्ण विषय है। इसको टालना नहीं चाहिए क्योंकि आज पहला दिन है, पहले दिन की शुरूआत हो रही है, यह स्थगन प्रस्ताव है।

श्री रविन्द्र चौबे :- दो घंटे, बृजमोहन जी, 1 बज गया। 3 बजे से चर्चा होगी। कुछ शासकीय कार्य भी हैं, आप तो संसदीय मामलों के जानकार हैं, इसलिए 3 बजे आसंदी से व्यवस्था हो गयी।

समय :

12:56 बजे

**<u>ध्यानाकर्षण सूचना</u>**

उपाध्यक्ष महोदय :- सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138(3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में तीन ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत है।

**(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गयी।)**

**<u>(1) प्रदेश में धान व मक्का के बीज का क्रय आदेश देने के पश्चात भी बीजों की आपूर्ति नहीं किया जाना।</u>**

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक), श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

प्रदेश में धान का बीज वैरायटी जे.के.आर.एच. 3333 एवं मक्का के बीज वैरायटी जे.के.एम.एच. 2222 का क्रय आदेश बीज निगम के द्वारा प्रदायकर्ता को देने के पश्चात भी प्रदायकर्ता द्वारा बीजों की आपूर्ति न करना व निगम के द्वारा इनके विरूद्ध कोई कार्यवाही न करना भारी अनियमितता को इंगित करता है। बीज निगम के द्वारा जो रेट कॉन्ट्रैक्ट, हाईब्रिड धान व मक्का के बीज हेतु विगत व इस वित्तीय वर्ष में किये गये हैं, उसमें नोटिफाइड प्रयोगशाला से निविदाकर्ताओं को टेस्टिंग रिपोर्ट दिया जाना अनिवार्य था, किन्तु निविदाकर्ताओं के द्वारा नोटिफाइड प्रयोगेशाला के स्थान पर अन्य प्रयोगशालाओं से टेस्टिंग रिपोर्ट प्राप्त कर दी गई है तथा इसी प्रकार त्रिमूर्ति प्लांट सांइस लिमिटेड द्वारा हाइब्रिड धान बीज का किस्म का डीएनए व मार्कर अभी तक टेस्टिंग हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है व लगातार इस हेतु इन्हें स्मरण पत्र दिये गये हैं, इसके बिना ही उन्हें लगातार आदेश दिए जा रहे हैं। बीज निगम के क्रय आदेश में व रेट कॉन्ट्रैक्ट में स्पष्ट है कि 15 दिवस के अंदर यदि बीज प्रदाय नहीं किया जाता है तो संबंधित फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जावेगा व उसकी अमानती राशि जब्त की जावेगी, लेकिन समस्त जिलों में 15 दिवस के अंदर बीज नहीं देकर 15 दिनों के पश्चात् बीज प्रदान किया गया है और बीज निगम के द्वारा इस पर कोई कार्रवाही नहीं करना अनियमितता किये जाने की ओर इंगित करता है। इस वर्ष सोयाबीन व स्वर्णा धान के गुणवत्ताविहीन बीजों के वितरण से किसानों को भारी आर्थिक हानि हुई इससे जनता में भारी रोष व्याप्त है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा धान बीज वैरायटी जे.के.आर.एच. 3333 व मक्का बीज की वैरायटी जे.के.एम.एच. 2222 के प्रदाय एवं आपूर्ति में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई है।

वर्ष 2019-20 में हायब्रीड धान एवं मक्का बीज की आपूर्ति हेतु आमंत्रित निविदा में सभी इच्छुक कंपनियों अथवा प्रदायकर्ताओं को प्रजातिवार मॉल्युक्युलर टेस्ट रिपोर्ट ऑनलाईन निविदा में अपलोड करने के निर्देश दिये गए थे। निविदा हेतु तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित की गई शर्तों में निविदाकर्ताओं को नोटिफाईड प्रयोगशाला से टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी कथन आधारहीन है। सभी निविदाकर्ताओं द्वारा भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त स्वयं के अनुसंधान एवं विकास इकाई (आर एण्ड डी. यूनिट) के प्रयोगशाला का टेस्ट रिपोर्ट आनलाईन निविदा में अपलोड किया गया था।

समय :

1:00 बजे

त्रिमूर्ति प्लांट साइंस लिमिटेड द्वारा हाइब्रिड बीज हेतु डीएनए मार्कर उपलब्ध नहीं कराने के सबंध में संबंधित प्रदायकर्त्ता को निविदा अनुबंध शर्तों के प्रावधान अनुसार आर.सी.ओ. निरस्त करने के संबंध में कारण बताओ सूचना भी जारी किया गया है।

छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा निविदा के माध्यम से निर्धारित दर अनुबंध में प्रदाय आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर सामग्री आपूर्ति करने का प्रावधान रहता है। समयावधि में सामग्री की आपूर्ति में असफल रहने पर प्रदाय आदेश निरस्त करने सुरक्षा निधि राजसात करने एवं प्रदायक संस्था को काली सूची में डालने संबंधी प्रावधान किया गया है।

बीज निगम द्वारा हायब्रीड बीजों की आपूर्ति हेतु अनुबंधित फर्मों द्वारा समयावधि के भीतर सामग्रियों की आपूर्ति की गई है अत: कार्यवाही संबंधी प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

इस वर्ष बीज निगम के माध्यम से कृषकों को वितरित स्वर्णा धान एवं सोयाबीन बीज के गुणवत्ताहीन होने संबधी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। बल्कि प्रदेश के कुछ जिलों में कृषकों के खेतों में जलभराव होने के कारण धान बीज का अंकुरण नहीं होने की जानकारी प्राप्त हुई है। प्रदेश के पांच जिलों में सोयाबीन बीज में कम अंकुरण संबंधी मामला प्रकाश में आने पर 538 कृषकों को कुल राशि रू.42,56,976/- का मुआवजा प्रदान किया गया है।

प्रदेश के किसान भाईयों को उच्च गुणवत्ता युक्त कृषि आदान सामग्रियां समय सीमा में प्रदान करने हेतु छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. प्रतिबद्ध है। बीज निगम द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया से जनता में किसी भी प्रकार का रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वास्तविक में यह जो प्रदेश है छत्तीसगढ़ के किसानों का प्रदेश है और आज भी जो यहां के निवासी हैं किसान खेती के ऊपर निर्भर है। बीज विकास निगम की एक जो विश्वनियता होनी चाहिए, जो पारदर्शिता होनी चाहिए और इसी के आधार पर किसान वहां विश्वास करके जो रेट तय किये जाते हैं, प्रदायकर्त्ता को जो आदेश दिये जाते हैं ये माना जाता है कि यदि बीज विकास निगम के द्वारा दिया गया है तो निश्चित रूप से इसकी विश्वसनीयता है इसलिए यहां पर बीज निगम का निर्माण किया गया है, लेकिन आप देखे होंगे कि कई मसले ऐसे आये हैं और इस मसले में जो अनियमितता आ रही है उस अनियमितता में बीज निगम के द्वारा जो प्रदायकर्त्ता हैं, उनको बचाने का काम किया जा रहा है। जो बचाने का काम किया जा रहा है वहीं से संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है। हमारे कृषि मंत्री जी खुद किसान हैं। मैंने अभी बीच में बहुत सारे मामले देखें और उसमें जो स्वयं इनिसिटिव लिये हैं और ऐसे मामले आने के बाद, समाचार पत्रों में आने के बाद में इनिसिटिव लेकर जांच के आदेश दिये हैं। मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि यदि आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी तो आने वाले समय में आपके बीज निगम समाप्त हो जाएंगे और भर्राशाही चलने लगेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मंत्री जी ने जो जवाब दिया है इस जवाब में यह स्पष्ट है कि प्रदायकर्त्ता को आदेश देने के बाद में 15 दिन के अंदर, वहां पर बीज पहुंचाना चाहिए और उनको बीज पहुंचाकर देना चाहिए। यदि वह 15 दिनों के अंदर बीज पहुंचाकर नहीं दिये तो उनका नाम काली सूची में जोड़ा जाएगा, उनकी मार्जिन मनी को राजसात किया जायेगा और उनके ऊपर में कार्यवाही की जायेगी। ये मंत्री जी ने स्वीकार किया है। मैं इसमें पढ़कर बता देता हूं।

| क्रमांक | जिला | आरओसी/सामग्री का नाम | आर ओ सी में अनुबंधित फर्मों का नाम | फर्मों हेतु जारी प्रदाय आदेश दिनांक | फर्मों द्वारा सामग्री आपूर्ति दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | रायपुर | हाईब्रिड मक्का बीज | मैसर्स रासी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, कोयम्बटूर | 06.11.2019 | 25.11.2019 |
| 02 | धमतरी | हाईब्रिड मक्का बीज | मैसर्स यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड हैदराबाद | 23.10.2019 | 14.11.2019 |
| 03 | कांकेर | हाईब्रिड मक्का बीज | एम/एस बिसको बायो साईस | 24.10.2019 | 14.11.2019 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | प्रा.लि. सिकंदराबाद | | |
| 04 | नारायणपुर | हाईब्रिड मक्का बीज | एम/एस ऐश्वर्या सिड्स इंडिया प्रा.लि. तेलंगाना | 18.10.2019 | 14.11.2019 |
| 05 | मुंगेली | हाईब्रिड मक्का बीज | मैसर्स त्रिमूर्ति प्लांट साइंसेज प्राइवेट लिमि. हैदराबाद | 01.10.2019 | 23.11.2019 |
| 06. | अंबिकापुर/सरगुजा | हाईब्रिड मक्का बीज | एम.एस. ऐश्वर्या सिड्स इंडिया प्रा.लि. तेलंगाना | 30.10.2019 | 15.01.2020 |

यह आपके मक्के का है। मैं आपको धान का बता रहा हूं।

| क्रमांक | जिला | आरओसी/सामग्री का नाम | आर ओ सी में अनुबंधित फर्मों का नाम | फर्मों हेतु जारी प्रदाय आदेश दिनांक | फर्मों द्वारा सामग्री आपूर्ति दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | बेमेतरा | हाईब्रिड धान बीज | मैसर्स रासी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, कोयम्बटूर | 26.06.2019 | 13.07.2019 |
| 02. | सुकमा | हाईब्रिड धान बीज | मैसर्स त्रिमूर्ति प्लांट साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद | 24.07.2019 | 17.08.2019 |
| 03. | सूरजपूर | हाईब्रिड धान बीज | मैसर्स त्रिमूर्ति प्लांट साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद | 01.07.2019 | 30.08.2019 |
| 04. | सूरजपूर | हाईब्रिड धान बीज | मैसर्स त्रिमूर्ति प्लांट साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद | 01.07.2019 | 30.08.2019 |

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05. | कोरिया | हाईब्रिड धान बीज | मैसर्स त्रिमूर्ति प्लांट साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद | 03.07.2019 | 30.08.2019 |

यह आपका 15 दिनों के पश्चात प्रदाय सामग्री का हो गया। लेकिन इसके खिलाफ में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके यहां कैसे सप्लाई होता है।

| **क्रमांक** | जिला | हाईब्रिड धान बीज हेतु आर ओ सी में अनुबंधित फर्मों का नाम | फर्मों हेतु जारी प्रदाय आदेश दिनांक | फर्मों द्वारा सामग्री आपूर्ति दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 01 | कांकेर | मेसर्स अंकुमर सीड्स प्रायवेट लिमिटेड, नागपुर | 09.07.2019 | 09.07.2019 |
| 02. | कांकेर | त्रिमूर्ति प्लांट साईस प्रायवेट लिमिटेड हैदराबाद | 08.07.2019 | 08.07.2019 |
| 03. | कांकेर | त्रिमूर्ति प्लांट साईस प्रायवेट लिमिटेड हैदराबाद | 08.07.2019 | 08.07.2019 |
| 04. | कांकेर | मेसर्स यूनाईटेड फासफोरस लिमिटेड हैदराबाद | 03.07.2019 | 04.07.2019 |
| 05. | जांजगीर | मेसर्स राशी फॉस्फोरस लिमिटेड हैदराबाद | 01.07.2019 | 01.07.2019 |

इसका मतलब यह है कि एक दिन में आदेश होना और आदेश लेकर वहां पर बैठे हुए हैं। एक तो 15 दिन की समय सीमा के अंदर सप्लाई नहीं किया जाता है, उनके विरूद्ध में कार्यवाही नहीं की जाती है। दूसरा जो उसमें है कि शेम दिन में आदेश हुआ और आदेश होने के बाद में एक दिन में सप्लाई हो जाये, निश्चित रूप से इसमें कहीं न कहीं आशंका है और ये कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक दिन में सारी सप्लाई हो। जिस प्रकार से ये कार्यवाही जो हो रही है, निश्चित रूप से इसमें कार्यवाही होनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके खिलाफ में जो प्रकरण आया है और यह कागज मैं आपको दे दूंगा, ये प्रमाणित है। इसके खिलाफ में कार्यवाही सख्ती से होनी चाहिए जिससे आने वाले समय में उसमें सुधार हो सके।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष जी, हम सब लोग माननीय नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक जी का सम्मान करते हैं। ध्यानाकर्षण में मूल रूप से लिखा है कि प्रदाय आदेश के बाद बीज सप्लाई नहीं होना, लेकिन आपने खुद ही अभी जितने आंकड़ें पढ़े, उसमें आप बता रहे हैं कि सप्लाई तो हुई है, खाली तिथियों का अंतर है, जहां 15 दिन में सप्लाई होनी थी, कहीं 20 दिन, कहीं 30 दिन में सप्लाई हुई है, आपने जो तिथिवार आंकड़ें दिये। आपने ये भी आंकड़ें दिये कि कहीं कहीं तो आर्डर हुआ और सप्लाई हो गया, लेकिन कहीं आपने ये नहीं कहा कि सप्लाई नहीं हुई है। इस व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जो भी निर्देश, सुझाव माननीय नेता प्रतिपक्ष जी देंगे, हम उसको लागू करेंगे। लेकिन इस बार कोरोना के चलते, कहीं लाकडाउन में प्रभावित हुआ, कहीं केन्द्र की एडवाइजरी में शुरू-शुरू में ये ट्रांसपोर्ट बंद था, इसलिए प्रभावित हुआ। कहीं-कहीं आपने कहा न कि वहां लोग एडवांश में तैयार बैठे थे। ये स्वाभाविक है, लगातार वर्षों से जिनकी सप्लाई हो रही है, उनको अंदेशा था कि हां, हमको सप्लाई करना है इसलिए उसकी तैयारी थी। लेकिन एक बात निश्चित जानिये। इसमें अगर कहीं कोई कोताही हुई है, ऐसी आप जानकारी देंगे तो उनके खिलाफ हम कार्यवाही करने से नहीं हिचकेंगे। अभी तक कुल मामले की जानकारी में एक नोटिस निगम के द्वारा दिया गया है त्रिमूर्ति प्लांट साईंस प्राईवेट लिमिटेड को और उसकी सप्लाई के संदर्भ में, उसकी गुणवत्ता के संबंध में, उसके सर्टिफिकेशन के संदर्भ में तो इस पर नोटिस का जवाब जैसे ही आयेगा और आप जिस प्रकार से कार्यवाही चाहेंगे हम लोग इसमें कार्यवाही करेंगे लेकिन यह निश्चित जानिए कि जो आपकी मंशा है उसी दिशा में हम लोग काम करेंगे । एक भी गलत और काली सूची के गलत तरीके से सप्लाई करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं, समय पर सप्लाई हो, जुलाई का महीना था और जो सोईंग होना था उसके मियाद को अगर पार करके यदि वह सप्लाई करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो जाएगी लेकिन इन तिथियों में आपने कहीं नहीं कहा कि किसी को आदेश हुआ और कार्यादेश जारी हुआ और उनके द्वारा सप्लाई नहीं किया गया उसके बावजूद भी जिस एक चूंकि अभी आपने ध्यानाकर्षण में त्रिमूर्ति प्लांट साईंस का जिक्र भी किया है, पहले से भी यह सप्लाई करते आ रहा है, लगभग 2015-16 से इसकी सप्लाई लगातार जारी है, आजतक चल रहा है पहले भी इसके द्वारा सप्लाई किया गया । पता नहीं किस तरीके से उनका सर्टिफिकेशन होता था, नहीं होता था लेकिन इसके खिलाफ मैंने नोटिस दिया हुआ है और जैसे ही इसका उत्तर आयेगा इसका आर.सी. भी हम रद्द करेंगे, इसको काली सूची में भी डालेंगे, ब्लेक लिस्टेड करेंगे और आप ऐसी और भी कोई कंपनी बतायेंगे जिसके खिलाफ इस तरीके से अगर कोई सच्चाई हो तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने में नहीं हिचकेंगे ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपको अनियमितता का तो बता दिया कि कितने दिन में सप्लाई हुआ उससे मतलब नहीं है । आपका जो नियम है, उस नियम का पालन आपको करना है और उस नियम का पालन नहीं हुआ है यह स्पष्ट है और दूसरी बात आपने अपने जवाब में यह कहा है कि निविदा हेतु तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित की गई शर्तों में निविदाकर्ता को

नोटिफाईड प्रयोगशाला से टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी कथन आधारहीन है । अब मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं - संचालक कृषि ने जो इसमें उप संचालक को जो पत्र लिखा है कि उनको पेमेंट कब होनी है, उसकी सप्लाई की प्रमाणिकता कब होगी तो आप इसमें देखिये कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आपको भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य आवंटित करते योजनाओं का क्रियान्वयन करने के निर्देश किये गये । कृषकों को उच्च गुणवत्ता के आदान प्राप्त हो यह सुनिश्चित किया जावे । प्राय: यह देखा जा रहा है कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कृषकों को अनुदान पर उपलब्ध कराये जा रहे आदानों का किसी भी प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु प्रेषित किया जा रहा है अत: बीज उर्वरक पौध संरक्षण औषधि के गुणवत्ता हेतु भारत सरकार से जारी नियम अधिनियम एसीटी में दर्शित नोटिफाईड प्रयोगशाला से ही परीक्षण कराने के उपरांत आदान उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । मानक पाये जाने पर देयकों का भुगतान सुनिश्चत करें । आपने जवाब में यह कहा है कि जरूरत नहीं है तो या तो आपके अधिकारी गलत पत्र लिखे हैं, यह मान लिया जाये या गलत जानकारी आपको दी गई है यह मान लिया जाये इसका जो स्पेसीफिकेशन है इस स्पेसीफिकेशन में भी जो खंड दिया हुआ है और जो शर्तें दी गई हैं उसमें भी यह दिया गया है कि जो नोटिफाइड प्रयोगशाला है उसके द्वारा उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए और मंत्री जी टेस्टिंग होने के बाद में यह घोर अनियमितता है कि एक तो समय पर सप्लाई नहीं किया जाना, दूसरा नोटिफाईड प्रयोगशाला से उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए और मैं इस संबंध में आपको बतालाना चाहता हूं कि अनेकों बार इनको पत्र लिखा गया है लेकिन अनेकों बार पत्र लिखने के बाद भी जो उनको वहां पर भेजना चाहिए । देखिये मैं आपको बता रहा हूं उपसंचालक कृषि कोण्डागांव यह लिखा है यूपीएल लिमिटेड विषयांतर्गत लेख है कि आपकी कंपनी के द्वारा उत्पादित मक्का हाईब्रिड बीज विकास एडीबी 756 की डीएनए टेस्ट हेतु लेबोरेटरी भेजा गया था । जहां लेबोरेटरी के द्वारा हाईब्रिड मक्का बीज किस्म एडीबी 756 के जनक बीज डीएनए व मार्कर की जानकारी चाही गई है अत: हाईब्रिड मक्का-बीज एडीबी 756 के जनक बीज डीएनए के मार्कर की जानकारी उपलब्ध और सुनिश्चित करें । इसके बाद में यह अनेक पत्र हैं । हाईब्रिड मक्का को प्रदाय करने के पूर्व बीजों का अंकुरण, मॉल्युक्युलर टेस्ट, गुणवत्ता की जांच अनिवार्य रूप से करवाकर, मानक स्तर बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करें । इसमें अनेक बार लिखने के बाद आज तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई और भेजा नहीं गया है । इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आपकी विश्वसनीयता, सरकार की विश्वसनीयता, कृषि विभाग के हमारे बीज निगम की विश्वसनीयता । और इसके लिए हम उनको संरक्षण दें और बीज विकास निगम के ऊपर किसानों का अविश्वास हो इसलिए पहले भी बिहार के पटना में त्रिमूर्ति को काली सूची में डाला गया था, राजसात किया गया था । पटना में किया गया है, मैं आपको जानकारी दे दूंगा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं यहां आंकड़े पढ़ देता हूं । आपने यहां 2015-16 में भी आर्डर किया था, आपने 2016-17 में भी ऑर्डर किया था, 2017-18 में भी ऑर्डर किया था । छत्तीसगढ़ में काली सूची में नहीं आ पाया ।

श्री धरमलाल कौशिक :- बिहार में उसको काली सूची में डाला गया है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप थे तब भी इसको ऑर्डर मिला । अभी आपने पहला प्रश्न किया तब भी मैंने कहा कि हमने उसको नोटिस दिया है, उसका आर.सी. भी रद्द करेंगे और उसको छत्तीसगढ़ में काली सूची में भी डालेंगे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं आपसे फिर आग्रह करना चाहता हूं । जब आपके संचालक कृषि ने लिखा कि उसके नोटिफाई प्रयोगशाला से होना चाहिए, नोटीफाई प्रयोगशाला से किसी की भी जांच की रिपोर्ट नहीं आई है । इसलिए घोर अनियमितता है । मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि उसको तत्काल काली सूची में डालें । उसके बाद उसको राजसात किया जाए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- जिस त्रिमूर्ति के बारे में आप कह रहे हैं, मैंने कह दिया है कि उसको काली सूची में डालेंगे, उसका आर.सी. भी रद्द करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे । लेकिन जिस सर्टीफिकेशन की बात आप कह रहे हैं यह परम्परा से है। पूरे हिंदुस्तान में केवल 4 लैब हैं, वह सर्टीफिकेशन हो भी नहीं सकता । हम लोग नोटिस देते हैं क्योंकि वह आधार बना हुआ है । लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में धान का रकबा 38 लाख हेक्टेयर का है, 18 से 19 लाख क्विंटल बीज की आवश्यकता पड़ती है । बीज निगम के द्वारा 7 से 8 लाख क्विंटल बीज की सप्लाई होती है, उसमें हाइब्रिड सीड कितना है, मुश्किल से 22 सौ, 23 सौ क्विंटल । बाकी बीज तो मार्केट से बड़े बड़े उत्पादक बायर और सीजेंटा जैसी कंपनियां हैं, उनका बीज आता है । उसको तो आप टेस्ट कर नहीं सकते, उनका तो सेल्फ डिक्लेयेरेशन रहता है उसको हम टेस्ट मानते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ में जितनी सप्लाई होती है, कहीं से किसानों की शिकायत नहीं है । उसके बावजूद भी जिस कंपनी के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं उसके खिलाफ विभाग सीधी कार्रवाई करेगा ।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि इन कंपनियों के स्वयं के टेस्ट लैब हैं । स्वयं के टेस्ट लैब की जो रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट से यह प्रमाणित किया जाता है आगे मंत्री जी ने जवाब में लिखा है कि रिपोर्ट को ऑनलाईन किया जाता है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इनकी टेस्ट रिपोर्ट को किस वेबसाइट में कहां पर और कैसे ऑनलाईन किया जाता है ? दूसरा - माननीय अजय चन्द्राकर जी का अशासकीय संकल्प भी है, छत्तीसगढ़ में हम अमनाक बीज, अमानक पेस्टीसाइड के लिए टेस्ट लेबोरेटरी की कोई व्यवस्था बनाएंगे क्या ?

श्री रविन्द्र चौबे :- छत्तीसगढ़ में आप व्यवस्था बनाने की बात कह रहे हैं । अपनी यूनिवर्सिटी में यह व्यवस्था और टेस्ट लैब बनाने की दिशा में हम कार्रवाई कर रहे हैं । दूसरा आपने कहा कि अमानक बीज या कीटनाशक, पिछले साल भी छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों में, आपके राजनांदगांव जिले में भी, अभी रायगढ़ में यूरिया और डीएपी के बारे में कुछ शिकायतें मिल रही हैं, हमने सीधी कार्रवाई करने को

कहा है । जो इस प्रकार का उत्पादन करते हैं उनके कारखानों को भी सील करने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं । आपका सुझाव बेहतर है, हम इस दिशा में हम काम करेंगे ।

श्री सौरभ सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा कि ऑनलाईन कहां पर होता है ? ऑनलाईन एक शब्द हो जाता है लेकिन खोजने पर ऑनलाईन कहीं पर नहीं मिलता । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऑनलाईन कहां पर होता है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- जब निगम कॉल करता है तो उसको ऑनलाईन ही अपलोड करता है । यह उत्तर का आशय है ।

श्री सौरभ सिंह :- ऑनलाईन का आशय यह है कि उनकी रिपोर्ट कहां से आ रही है ? स्वयं के टेस्ट लैब से रिपोर्ट आई है या जो 4 लैब आपने बताए वहां से रिपोर्ट आई है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- उन 4 लैब्स की रिपोर्ट नहीं है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में माना है कि 538 कृषकों को सोयाबीन के अमानक बीज का इतने लाख रूपए का भुगतान किया गया । मैं माननीय मंत्री जी से 2 चीजें पूछना चाहूंगा । पूरे प्रदेश में धान में कोई बीज फेल नहीं हुआ और अगर पूरे प्रदेश में धान का बीज फेल हुआ तो एक क्या किसानों को मुआवजा दिया गया ? दूसरा, अगर किसान का बीज फेल हो रहा है। यह पूरे सम्माननीय सदस्य की जानने की बात है। अगर किसान का बीज फेल हो रहा है चाहे वह बीज विकास निगम का हो या प्राइवेट कंपनी का हो। अगर बीज फेल हो रहा है और इस मुआवजे को किसान को प्राप्त करना है तो उसके आवेदन के लिए क्या प्रक्रिया है?

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष जी, तीन प्रश्न एक साथ कर दिये। पहले तो हाइब्रिड सीड का प्रश्न था। दूसरा, सोयाबीन के बारे में आपने प्रश्न कर दिया। तीसरा, धान में अगर इस तरीके से होगा। बीज निगम में शुरू से प्रावधान है। वह शब्द मुआवजा या क्षतिपूर्ति नहीं है। बीज के बदले बीज या राशि। इसलिए सोयाबीन का जो उल्लेख किया गया है, वह है। धान के बारे में जांजगीर जिले की कुछ शिकायतें मिली थीं। अखबारों में पढ़ा था। किसानों की कोई शिकायतें नहीं थीं। हमने कलेक्टर को भी वहां जांच करने के लिए भेजा। हमने विभागीय टीम बनाकर भी भेजा। किसानों ने अंकुरण या बीज के संदर्भ में भी कोई शिकायत नहीं की। कहीं-कहीं जरूर 3-4 गांवों में ऐसी शिकायतें हुई हैं कि बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग होने के कारण कहीं-कहीं बीज में प्रभाव हुआ है, लेकिन ऐसी स्थिति जिस स्थिति की तरफ आप ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। अगर बीज निगम के द्वारा बीज अमानक पाया जायेगा। हम सोयाबीन के बदले बीज के बदले बीज और क्षतिपूर्ति दे सकते हैं तो धान में भी किसानों को मिलेगा। जहां तक आप एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी सोसाइटी और हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो अमला है, वह उसका एप्लीकेशन ले लेगा, उसके बाद उसे करेंगे। जानकारी जहां से भी मिली है कि राजनांदगांव में कुछ हुआ है। खैरागढ़ के आसपास कुछ स्थानों में हुआ है तो लोगों की जानकारी मिली है और यह पूर्व से प्रावधान है।

या तो उसे बीज के बदले बीज दिया जाता है या क्षतिपूर्ति दी जाती है या बीज की कीमत दी जाती है। अगर धान के बारे में भी ऐसा कह रहे हैं, अगर जांजगीर जिले से ऐसी जानकारी आयेगी तो उसको भी उस प्रावधान के तहत उसकी राशि दे दी जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. रमन सिंह जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी जो हमारे स्थानीय बीज उत्पादक हैं, उनको उसका उपयुक्त रेट नहीं मिलता है और उसकी मजबूरी के कारण हमारे बीज उत्पादक को प्रोत्साहित होना चाहिए। वे प्रोत्साहित नहीं होते हैं। हमें बाहर की कंपनियों से बीज खरीदने पड़ते हैं। वर्तमान में भी पिछले वर्ष की तुलना में 1 हजार रूपये धान के बीज का रेट कम कर दिया गया। तो क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि छत्तीसगढ़ के धान हमारे बीज उत्पादक किसान हैं, उन्हें हम प्रोत्साहित करें और उन्हें अच्छा रेट दें, जिससे हमारे यहां बीज के उत्पादन में हम सेल्फ हो सकें, क्या आप इसकी व्यवस्था करेंगे?

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष जी, अच्छा सुझाव भी है और अच्छा प्रश्न भी है। सौभाग्य से आदरणीय बृजमोहन जी स्वयं काफी अर्से तक आपकी जवाबदारी डॉ. साहब ने आपको सौंपी हुई थी। इस साल हम लोगों ने हमारे जो बीज उत्पादन का जो लक्ष्य है, उसे लगभग सवा गुना बढ़ा दिया है। हमारे जो बीज उत्पादक किसानों की संख्या है, उसमें भी वृद्धि हुई है और विभाग के हमारे जितने भी बीज निगम के फार्म हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जितने भी फार्म हैं, वहां हम सीड प्रोडक्शन का कार्यक्रम लेंगे, उसके बावजूद भी इसमें और क्या कुछ किया जा सकता है, लेकिन जो माननीय धरम भैय्या का जो ध्यानाकर्षण था, यह केवल और केवल हाइब्रिड सीड के लिए था। उसका जो छत्तीसगढ़ में बाजार बना हुआ है, वह बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का बाजार बना हुआ है। आपकी सप्लाई तो बहुत-बहुत लगभग 2 हजार सवा 2 हजार क्विंटल के आसपास है। मैं ऐसा समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में प्रोडक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले साल हम लोग 1 करोड़ 25 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन मानते हैं। इस साल फर्टिलाइजर का जो वितरण हुआ है, वह 30 प्रतिशत ज्यादा है। सीड का जो वितरण हुआ है, वह 22 प्रतिशत ज्यादा है और जो किसानों ने शार्ट टर्म लोन लिया है, वह भी 19-20 प्रतिशत ज्यादा है। तो खरीफ धान का उत्पादन कितना होने वाला है, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में सीड प्रोडक्शन के कार्यक्रम को और बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? आप जो भी सुझाव देंगे, उसका स्वागत है।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय डॉ. रमन सिंह ।

**(2) खैरागढ़ जल आवर्धन योजना में अनियमितता किया जाना।**

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

खैरागढ़ जल आवर्धन योजनांतर्गत शासन ने राशि रूपये 31 करोड़ 35 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की एवं निविदा के अनुसार मेसर्स मनीष पाईप प्राईवेट लिमिटेड रायपुर को यह कार्य लगभग 40 प्रतिशत ऊंचे दर पर देने संबंधी कार्यादेश दिनांक 07/03/2019 को जारी किया गया। उपरोक्त कार्य में गुणवत्ता का ध्यान न रखते हुए पाईप बिना जांच परीक्षण के बिछाया जा रहा है। इसमें मुरूम, रेत आदि का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु मुरूम, रेत का भी भुगतान लगभग रूपये 11.67 लाख ठेकेदार को किया गया है। जनप्रतिनिधियों को डी.पी.आर. एवं माप पुस्तिका की वास्तविक जानकारी नहीं होने के कारण ठेकेदार द्वारा मनमानी तरीके से लापरवाहीपूर्वक कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही रानी रश्मि देवी जलाशय से गंजीपारा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट खैरागढ़ को अंडर ग्राउण्ड पाईप लाईन द्वारा पानी उपलब्ध कराने हेतु तत्कालीन सरकार द्वारा राशि स्वीकृत की गयी, परंतु उक्त कार्य के बदले वर्तमान में पानी टंकी से शहर में जल प्रदाय हेतु विभिन्न वार्डो में सड़क खोदकर पुन: पाईप लाईन बिछायी जा रही जो पहले से ही बिछी हुई है जिससे क्षेत्र की जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खैरागढ़ जल आवर्धन योजनांतर्गत राज्य शासन द्वारा राशि रू0 3314.90 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी एवं मेसर्स मनीष पाईप्स प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर (छ0ग0) को यह कार्य 39.99 प्रतिशत अधिक एस.ओ.आर. दर पर कार्यादेश दिनांक 07.03.2019 को जारी किया गया था, परन्तु यह सही नहीं है कि उपरोक्त कार्य में गुणवत्ता का ध्यान न रखते हुए पाईप बिना जांच परीक्षण से बिछाया जा रहा है, बल्कि तथ्य यह है कि समस्त पाईप तृतीय पक्ष निरीक्षण (स्टैण्डर्ड ग्लोबल सर्विसेस) के पश्चात् ही उपयोग में लाया जा रहा है एवं कार्य के गुणवत्ता की निगरानी परियोजना प्रबंधन सलाहकार द्वारा भी की जा रही है । यह कथन भी सही नहीं है कि बिना मुरूम रेत आदि का प्रयोग किये रूपये 11.67 लाख ठेकेदार को भुगतान किया गया है, अपितु तथ्य यह है कि ठेकेदार द्वारा 1883.68 घन मीटर मुरूम/रेत का उपयोग किया गया है, जिसके एवज में ठेकेदार को भुगतान किया गया है । योजना से संबंधित डी.पी.आर. एवं सुसंगत ड्राईंग डिजाईन का अवलोकन कार्यालय में किया जा सकता है । अत: यह कथन कि जनप्रतिनिधियों को डी.पी.आर. एवं माप पुस्तिका की जानकारी नहीं होने से ठेकेदार द्वारा मनमानी तरीके से लापरवाहीपूर्वक कार्य किया जा रहा है, सही नहीं है । यह कथन भी सही नहीं है कि रानी रश्मि देवी जलाशय से गंजीपारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक अंडर ग्राउण्ड पाईप लाईन द्वारा पानी उपलब्ध कराने के लिए तत्कालीन सरकार द्वारा राशि स्वीकृत किया गया था, अपितु तथ्य यह है कि रानी रश्मि देवी

जलाशय का पानी जल आवर्धन योजना हेतु नगर के वार्ड क्रमांक 03 गंजीपारा पर निर्मित एनीकट से पानी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित था । योजना में 800 मीटर रॉ वाटर पाईप लाईन डालकर वार्ड क्रमांक 03 गंजीपारा पर निर्मित एनीकट से पानी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित था । योजनानुसार ही शहर में पाईपलाईन विस्तार का कार्य किया जा रहा है । यह कथन भी पूर्णत: असत्य है कि पहले से बिछे हुए पाईप लाईन के स्थान पर ही नई पाईप लाईन डाला जा रहा है, अपितु तथ्य यह है कि ठेकेदार द्वारा सर्वेक्षण के पश्चात् बनायी गई योजना के अनुसार ही पाईप लाईन बिछायी जा रही है ।

अत: खैरागढ़ जल आवर्धन योजना का कार्य सुसंगत ड्राइंग डिजाईन एवं डी.पी.आर. अनुरूप किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र की जनता में किसी भी प्रकार का असंतोष नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची के पद 13 का कार्य पूर्ण होने तक भोजन अवकाश के समय में वृद्धि की जाए, मैं समझता हूं सभा सहमत है ।

**(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)**

डॉ. रमन सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसकी जानकारी है कि उस नगर पालिका के उपाध्यक्ष और उनके 12 पार्षदों ने, सबने मिलकर एक साथ गुणत्ता के संबंध में, उसके निर्माण में, भ्रामक जानकारी के संबंध में, 31 करोड़ की पाईप लाईन की गुणवत्ता के संबंध में या 12 पार्षद और वहां के उपाध्यक्ष ने विभाग के सचिव महोदय को लिखित शिकायत की थी, यदि शिकायत की थी तो मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि जब शिकायत प्राप्त हुई है तो उसके बाद क्या आपने उसकी जांच कराई है, जांच कराकर देखा है और यदि जांच की है तो क्या जांच रिपोर्ट पार्षदों को दिया गया है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह योजना आदरणीय डॉ. रमन सिंह जी के समय में ही स्वीकृत हुई थी और 08.08.2017 को 3314.90 लाख रूपये की इसकी तकनीकी स्वीकृति जारी हुई थी, जो 39.99 प्रतिशत एस.ओ.आर. से अधिक है, वह भी आदरणीय डॉ. रमन सिंह जी के समय में ही स्वीकृत किया गया था और जहां तक उपाध्यक्ष की शिकायत की बात डॉ. रमन सिंह जी कर रहे हैं, उसमें उपाध्यक्ष और बाकी सदस्यों ने जो शिकायत की है तो निश्चित रूप से उसकी जांच की जाती है और जांच में इस तरह के कोई तथ्य उपलब्ध नहीं हुए हैं ।

डॉ. रमन सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, मेरा छोटा सा प्रश्न है कि क्या सचिव महोदय ने जांच की ? चूंकि वह चुनी हुई नगर पालिका है, वहां 12 पार्षद हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा 20 जुलाई को शिकायत करने के बाद आपने जांच कराया है तो किस अधिकारी से जांच कराया है, किस जवाबदार अधिकारी से जांच कराया है? जिन 5 जांच के बिन्दुओं पर उन लोगों ने शिकायत की, उन 5 जांच बिन्दुओं का निराकरण जांच अधिकारी ने किया है ? क्या उसकी कापी उपाध्यक्ष, पार्षदों को दे दिया गया है ? यदि नहीं तो क्या उनको कापी दे दिया जायेगा ? यदि दिया जायेगा तो कब तक दिया जायेगा ? कौन सा जांच

अधिकारी है ? यह बहुत छोटा प्रश्न है। मैं तकनीकी बात नहीं कर रहा हूं। आप उस अधिकारी का नाम बता दीजिये जिसने जांच किया है ? बस, इतना ही पूछ रहा हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संचालनालय से खैरागढ़ जल प्रदाय योजना के निरीक्षण हेतु एक तकनीकी समिति का गठन किया गया था। समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 05.12.2019 को कार्य का निरीक्षण किया गया, जिसमें जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता छुईखदान भी उपस्थित थे। कार्य नियमानुसार होना पाया गया है। जहां तक डाक्टर साहब बोल रहे हैं कि जो जांच हुई है, उसकी कापी चाहिए तो हम डाक्टर साहब को भी कापी उपलब्ध करा देंगे और यहां भी अवगत करा दिया जायेगा।

डॉ. रमन सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उस कापी की जरूरत नहीं है। मेरा बहुत सिम्पल प्रश्न है, आप उसका एक लाईन का जवाब दे दें। सचिव महोदय को जांच के लिए कहा तो सचिव महोदय या आपने निर्देशित करके किस अधिकारी को जांच के लिए नियुक्त किया ? जांच के बाद उसने रिपोर्ट पेश की है तो उसकी कापी वहां के उपाध्यक्ष और उन पार्षदों को उपलब्ध करा दें। डॉ. रमन सिंह को कापी नहीं चाहिए। क्योंकि उनकी शिकायत है, उनकी पेयजल की समस्या का निराकरण हो रहा है। शिकायत उनकी है, वहां के वार्ड के 12 पार्षद, यानि अधिकांश पार्षद गुणवत्ता और अन्य बाकी के विषयों को लेकर असहमत हैं। यदि आपको जानकारी उपलब्ध कराना है तो कब तक करा देंगे ? किस सक्षम अधिकारी ने इस विषय की जांच की थी ? शिकायत की मूल भावना यह है कि पानी नदी से आता है, रश्मिदेवी जलाशय से अण्डर ग्राउण्ड पाइप से आयेगा तो खैरागढ़ की आने वाली 50 साल की पानी की समस्या का निराकरण हो जायेगा। अभी उसको नदी में डाल दिया जा रहा है और फिर उसको उठाया जा रहा है। उससे आधे पानी का वेस्टेज होता है। इस ध्यानाकर्षण का मूल भाव यही था कि पानी अण्डर ग्राउण्ड पाईप से आ जाये और उसका बेहतर उपयोग हो। जांच का बहुत छोटा सा विषय है। आप अभी नहीं बता सकते हैं तो बाद में बता दें कि सचिव महोदय ने क्या जांच कराया है, क्या रिपोर्ट आई है ? आप उनको उसकी कापी उपलब्ध करा दें, बस। मैं दूसरा कोई प्रश्न भी नहीं करूंगा। बहुत छोटा सा प्रश्न है। इसकी जानकारी अभी नहीं दे सकते हैं तो बाद में दे दें। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। आप यह कह दें कि मैं एक सप्ताह के अंदर जांच की रिपोर्ट उनको दे दूंगा, बस।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आदरणीय डॉ. साहब, आपने सारी योजना बनाई थी और जितनी कमियां है, वह पुराने आपके समय की है, हमारी नहीं है।

डॉ. रमन सिंह :- पूरे प्रदेश में जो योजना चल रही है, वह हम ही लोग बनाये हैं। मैं इस पर बिलकुल प्रश्न नहीं कर रहा हूं कि हमने गलत योजना बनाई। सवाल गुणवत्ता को लेकर शिकायत का है। इसमें शिकायत का निराकरण करना है। सचिव महोदय को 12 पार्षदों ने आवेदन दिया। आप इतना ही बता दें कि जांच में क्या आया और उसकी रिपोर्ट की कापी कब तक दे देंगे ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता देता हूं। संचालनालय की ओर से जांच की गई है। उसमें हमारे संचालनालय की ओर से श्री ओंकेश चन्द्रवंशी जी खैरागढ़ जल प्रदाय योजना का निरीक्षण का प्रतिवेदन दिया गया है, उसमें श्री ओंकेश चन्द्रवंशी जी हैं, अधीक्षण अभियन्ता भागवत धृतलहरे, कार्यपालन अभियन्ता, एक सहायक उप अभियन्ता हैं। निकाय की ओर से पूजा पिल्ले सी.एम.ओ. और किशोर ठाकुर उप अभियन्ता थे। जल संसाधन विभाग की ओर से श्री जी.डी. रामटेके और नीलेश रामटेके थे। पी.एम.सी. जो आपने नियुक्त किया था, उसकी तरफ से भी जीवन सिंह टीम लीडर, जितेन्द्र कौशल और सीनियर इंजीनियर तुलेश्वर और साइड इंजीनियर और ठेकेदार की ओर से श्री राहुल त्रिवेदी थे।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा आपने जल संसाधन विभाग की तरफ से रानी रश्मिदेवी जलाशय से जल उपलब्ध कराने की बात कही है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह योजना पहले डॉ. रमन सिंह जी के समय योजना बनी थी, उसमें वार्ड क्रमांक-3 को गंजीपारा में निर्मित एनीकट से पानी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित था, जिसमें 800 मीटर पाईप लाईन डालने का प्रावधान था। बाद में डाक्टर साहब कह रहे हैं कि रानी रश्मिदेवी जलाशय से करवा दीजिये। तो इसका तो प्रावधान ही नहीं था। हमने इसके प्रावधान के लिए एक कमेटी बनाई थी। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा डेम साइड से पानी देने का निर्णय लेने पर संशोधित प्राक्कलन ..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, माननीय डॉक्टर साहब का एक प्रश्न है कि वह केवल यह बता दें कि उसकी जांच करवाई गई क्या और जांच हुई तो उसके रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध करा दें। वह बोले कि निरीक्षण करवाये। निरीक्षण नहीं, जांच हुई क्या? और जांच हुई है तो उसकी कॉपी उपलब्ध करवा दें। इतना सा प्रश्न है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- डॉक्टर साहब प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं क्या, जो आप उनके सहायक के रूप में काम कर रहे हो? डॉक्टर साहब प्रश्न नहीं कर सकते क्या?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, हमें क्या करना है। उनकी एक मर्यादा है, वह मर्यादा में हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वह मर्यादा में हैं इसलिए मैं मर्यादापूर्वक जवाब दे रहा हूं। आप चिंता न करें, डॉक्टर साहब को मैं संतुष्ट कर लूंगा। आप बैठिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, आप बताईये, मुझे बैठा रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं इसीलिए तो बोल रहा हूं आप बैठ जाईये, आपका प्रश्न नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, एक इतना सा प्रश्न है, उस प्रश्न का पाईंटेड उत्तर दिलवा दीजिए। हम बाकी यही चाहते हैं जिससे कि अगला जो ध्यानाकर्षण है वह भी आ सके।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उपाध्यक्ष महोदय, बृजमोहन अग्रवाल जी को सहयोग करने के लिए क्यों खड़ा होना पड़ रहा है? डॉ. साहब ने जो प्रश्न पूछा है 2-3 प्रश्न पूछा है, उसका भी जवाब दे रहा हूं। आप

थोड़ा सुन लीजिए। रानी रश्मि देवी जलाशय से जल उपलब्ध कराने की बात डॉक्टर साहब ने की है, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, संक्षेप में उत्तर दीजिएगा, आगे और कार्रवाई चालू होगी।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उपाध्यक्ष महोदय, हमने रानी रश्मि देवी जलाशय से जल उपलब्ध कराने के लिए प्राक्कलन तैयार किया था लेकिन जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के द्वारा गंजीपुरा वार्ड-3 से ही पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है, इसलिए इस योजना को रद्द कर दिया गया।

डॉ. रमन सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं सहमत हूं कि एक हप्ते के अंदर इसकी जानकारी देकर पार्षदों को जानकारी दे दें। और आज जवाब नहीं चाहिए, एक हप्ते के अंदर उन 12 पार्षदों को, उपाध्यक्ष को जानकारी भेज देंगे क्या? मैं इतना समय और देता हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उपाध्यक्ष महोदय, हॉ, मैं दिखवा लूंगा।

## (3) प्रदेश में हाथियों की मौत होना

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) (श्री अजय चन्द्राकर, श्री नारायण चंदेल):- उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है :- वन विभाग की लापरवाही के चलते प्रदेश में हाथियों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। 18 महीने में प्रदेश वन्य जीवों के शिकारियों का प्रिय केंद्र बन गया है। पिछले तीन महीने में ही 10 से अधिक हाथियों की मौत प्रदेश में हो गई है। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर क्षेत्र में एक गर्भवती हथिनी की 9 जून 2020 को व दूसरे हथिनी की 10 जून को मौत हो गई। गर्भवती हथिनी के चिंघाड़ से पूरा इलाका रातभर गूंजता रहा पर वन विभाग के अधिकारियों को इसकी खबर तक नहीं हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार इन हाथियों की मौत विषाक्त पेयजल के कारण हुई। वहीं जहर खुरानी के कारण बलरामपुर जिले के अगौरी जंगल में राजपुर वन परिक्षेत्र के जंगल में चौथे हाथी का भी शव 11 जून, 2020 को बरामद हुआ। जंगल में हथिनी का शव 4 से 5 दिन तक सड़ता रहा, किंतु विभाग के अधिकारी हथिनी के मौत से अनभिज्ञ थे। रायगढ़ जिले में धरमजयगढ़ रेंज के अंतर्गत गिरसा गांव के किनारे एक हाथी की मौत जून माह में खेत में बिछाये गये बिजली के तार से हुई। यहीं धमतरी जिले में माडमसिल्ली के केरेगांव क्षेत्र में एक हाथी की मौत विभागीय लापरवाही के चलते हो गई। हाथी का शावक रातभर दलदल में फंसा रहा। विभाग को सूचना देने के बाद भी विभाग के अधिकारियों ने हाथी के शावक को निकालने की व्यवस्था नहीं की और न ही घटना स्थल पर जाकर बचाने का प्रयास किया, जिसके कारण शावक की तड़प-तड़प कर मौत हो गई। 16 अगस्त को सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में प्रतापपुर मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर ही एक हाथी का करेंट बिछाकर शिकार किया गया है। कहीं भी हाथियों की मौत प्राकृतिक नहीं अपितु योजनाबद्ध ढ़ंग से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी

इस बात का खुलासा हुआ है कि हाथियों को जहर देकर करंट लगाकर मारा जा रहा है। प्रदेश में हाथियों की लगातार हो रही मौतों से प्रदेश की जनता में व वन्यप्रेमी लोगों में शासन एवं प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है कि सरकार एवं वन विभाग की लापरवाही के चलते प्रदेश में हाथियों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। यह सही नहीं है कि प्रदेश वन्य जीवों के शिकारियों का प्रिय केन्द्र बन गया है। पिछले तीन माह में राज्य में 10 हाथियों की मृत्यु विभिन्न कारणों से हुई है। यह सही है कि सूरजपुर जिले के प्रतापपुर क्षेत्र में एक गर्भवती हथिनी की 09 जून, 2020 को तथा दूसरे हथिनी की 10 जून, 2020 को मौत हुई है। इन हथिनियों की मौत की जानकारी विभाग को तत्काल हो गई थी। गश्ती दल घटना स्थल पर उपस्थित था। 9 जून को मृत हथिनी का पोस्टमार्टम तत्परतापूर्वक किया गया, किन्तु दूसरे मृत हथिनी का पोस्टमार्टम मौके पर हाथियों का दल उपस्थित होने के कारण तत्काल कार्यवाही किया जाना संभव नहीं था। इन मृत हथिनियों का पोस्टमार्टम एवं विसरा जांच कराया गया। जांच में एक गर्भवती हथिनी की मृत्यु गर्भाशय फटने के कारण आंतरिक रक्तस्त्राव होने से तथा दूसरी हथिनी की मृत्यु दिनांक 10 जून को हुई थी। मृत हथिनी की विसरा जांच प्रतिवेदन भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI) बरेली से प्राप्त कर लिया गया है। तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही प्रगति पर है। 11 जून 2020 को बलरामपुर वनमंडल के अतौरी बीट राजपुर वनपरिक्षेत्र में हुई तीसरी हथिनी की मृत्यु के कारणों का प्रतिवेदन भी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI) बरेली से प्राप्त कर लिया गया है। तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही प्रगति पर है। यह सही है कि हथनी का शव लगभग 4-5 दिन पूर्व का था, मृत्यु की जानकारी विलंब से प्राप्त हुई है, जिसके लिये संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गयी है।

यह सही है कि रायगढ़ जिले में धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत गांव गेरसा में एक हाथी की मृत्यु दिनांक 16.06.2020 को कृषक द्वारा खेत में लगाये गये विद्युत तार से करेंट लगने के कारण हुई है। प्रकरण में कार्यवाही करते हुये कृषक एवं विद्युत विभाग के लाईनमेन के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।

यह सही नहीं है कि रायपुर वृत्त में माडमसिल्ली के केरेगांव क्षेत्र में एक हाथी की मौत विभागीय लापरवाही के चलते हो गई अपितु रायपुर वृत के धमतरी वनमंडल के परिक्षेत्र धमतरी में एक हाथी शावक उम्र लगभग 03 वर्ष दिनांक 16.06.2020 को हरफर बीट के कक्ष क्रमांक 180 के पास मोंगरी ग्राम से लगे हुए डूबान क्षेत्र में रात में दलदल में फंसने के कारण सांस रूकने से मृत होना पाया गया। धमतरी वनमंडल में दिनांक 15.06.2020 की रात उरपोटी से मोंगरी मार्ग पर उपस्थित हाथियों के दल की निगरानी देर रात्रि 11:00 बजे तक क्षेत्रीय अमले द्वारा की गयी। दिनांक 16.06.2020 सुबह 05:00 बजे सूचना प्राप्त होते ही क्षेत्रीय कर्मचारियों के मौके पर पहुंचन पर हाथी का बच्चा मोंगरी गांव के पास दलदल में फंसा हुआ मृत पाया गया। इससे स्पष्ट है कि सूरजपूर जिले के प्रतापपुर परिक्षेत्र में दिनांक 16.08.2020 को

एक नर हाथी की मृत्यु विद्युत करेंट से होना पाया गया। प्रकरण में 02 अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।

यह सही नहीं है कि हाथियों की मौत प्राकृतिक नहीं अपितु योजनाबद्ध ढंग से हो रही है। समस्त प्रकरणों में हाथियों की मृत्यु का पोस्टमार्टम एवं विसरा जांच करते हुये जिन प्रकरणों में जहर खुरानी अथवा विद्युत करंट से मृत्यु होना पाया गया ऐसे प्रकरणों में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है, अत: प्रदेश की जनता में, वन्य प्रेमी लोगों में शासन, प्रशासन के प्रति कोई आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत गंभीर विषय है, अभी गणेश चतुर्थी भी चल रही है। शायद पूरे देश में हाथियों की इतनी बड़ी संख्या में मृत्यु और माननीय मंत्री जी आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप बहुत सजग भी हैं, क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय गिरोह छत्तीसगढ़ में सक्रिय नहीं है ?

समय :
1:43 बजे

**(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत पीठासीन हए।)**

क्योंकि हाथियों के अंगों का पूरे विश्व के बाजार में बहुत रेट होता है और इसलिए मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में तीन महीने में 10 हाथियों की मृत्यु और पिछले 18 महीनों में कितने हाथियों की मृत्यु हुई, अगर हम इसको कैल्कुलेट करेंगे तो पिछले 15 सालों में कितने हाथियों की मृत्यु हुई, इसको भी आप निकाल लेंगे तो यह बहुत गंभीर मामला है ? पूरे देश में छत्तीसगढ़ बदनाम हो रहा है। मैं लगातार टी.वी. पर बैठ रहा हूं, टी.वी. में विश्व के पत्रकार, देश के पत्रकार इस बात पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। आपके छत्तीसगढ़ में इतने हाथियों की मृत्यु क्यों हो रही है ? आप लोग क्या कर रहे हैं ? आप लोग इस पर प्रश्न क्यों नहीं उठा रहे हैं ? इनको कौन बचायेगा ? अगर जंगल का सबसे बड़ा जानवर हिन्दुस्तान में कोई है तो वह हाथी है। अगर हाथी का शिकार हो सकता है तो फिर छत्तीसगढ़ के जंगलों की हालत क्या होगी, बाकी जानवरों की स्थिति क्या होगी, यह जरा सोचनीय विषय है ? इसलिए हम छत्तीसगढ़ की विधानसभा में बैठे हैं और हाथियों की मृत्यु यह हमारे लिये, पूरे देश में, हमारा शर्म से माथा झुक जाता है, जब 10-10 हाथी तीन महीने में मर जाते हैं। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि इस मामले में आप सजग हैं, आप सक्षम हैं, आपको कड़ाई से रोकने के लिये, जरा आप यह बता दें कि 10 हाथियों की जो मृत्यु हुई है, यह कौन-कौन से जिले में हुई है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो 10 हाथियों की मृत्यु की जानकारी पूछ रहे हैं, पहला 11.05.2020 सूरजपुर परिक्षेत्र प्रतापपुर, दूसरा 09.06.2020 सूरजपुर परिक्षेत्र प्रतापपुर, तीसरा दिनांक 10.06.2020 सूरजपुर परिक्षेत्र प्रतापपुर, 11.06.2020 बलरामपुर परिक्षेत्र राजपुर, पांचवा 16.06.2020 धरमजयगढ़ गेरसा, दिनांक 16.06.2020 धमतरी गंगरेल, दिनांक 18.06.2020 धरमजयगढ़

बेहरा मार्ग, दिनांक 08.07.2020 कोरबा कुदमुरा, दिनांक 24.07.2020 जशपुर तपकरा, दिनांक 16.08.2020 सूरजपुर परिक्षेत्र प्रतापपुर।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इसमें आप देख लें सूरजपुर, बलरामपुर, प्रतापपुर में 6 से ज्यादा हाथियों की मृत्यु हुई है इसका मतलब वहां पर कोई गिरोह सक्रिय है । धमतरी में दो हाथियों की मृत्यु हुई है ये आखिर कुछ सीमित क्षेत्र में ही हाथियों की मृत्यु क्यों हो रही है ? और इन हाथियों की मृत्यु कारण क्या है ? आज जरा इसको भी बता दें और इसलिए मेरा जो कहना है कि आप मेरी बात को, क्योंकि आपका दायित्व है आप मंत्री के नाते कहेंगे कि आप गलत कह रहे हैं, परंतु मुझे जो शक है और पूरे विश्व, देश के लोगों को शक है कोई अंतर्राष्ट्रीय गिरोह छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है जो हाथी के अंगों को लेने, बेचने, खरीदने के लिए इस प्रकार की घटनाएं कर रहा है और इससे छत्तीसगढ़ क माथा लज्जा से झुक भी रहा है। छत्तीसगढ़ में हाथियों की मृत्यु न हो, वह हमारी लायबिलिटी के बजाए हमारी संपत्ति बने, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? इसकी जानकारी दे दीजिए?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 11.05.2020 को जो हाथी की मृत्यु हुई है एक मादा हाथी उम्र 50 से 55 वर्ष, अधिक उम्र के कारण प्राकृतिक मृत्यु हुई। दूसरा दिनांक 09.06.2020 एक मादा हाथी उम्र 15 से 20 वर्ष, गर्भाशय के फटने एवं आंतरिक स्त्राव के कारण हथनी को शॉक लगा जिसके कारण हृदय तंत्र एवं श्वसन तंत्र फेल हो गया। तीसरा एक मादा हाथी उम्र 39 से 42 वर्ष। विषैले रसायनों के उपयोग के कारण हृदय तंत्र एवं श्वसन तंत्र फेल हो जाने के कारण मृत्यु हुई। दिनांक 11.06.2020 बलरामपुर परिक्षेत्र एक मादा हाथी उम्र लगभग 15 वर्ष, रासायनिक परीक्षण के उपरांत ही कारण ज्ञात हो सकते हैं इसमें उसके बाद दिनांक 16.06.2020 धरमजयगढ़ विद्युतकरण के कारण मृत्यु हुई। दिनांक 16.06.2020 धमतरी गंगरेल डूबान क्षेत्र में शरीर धंसने के कारण श्वसन तंत्र फेल होने से मृत्यु हुई। दिनांक 18.06.2020 धरमजयगढ़, बेहरा मार्ग विद्युतकरण के कारण मृत्यु हुई। दिनांक 08.07.2020 कोरबा कुदमुरा लंबी बीमारी के कारण कई अंगों के फेल होने के कारण मृत्यु हुई। दिनांक 24.07.2020 जशपुर तपकरा, विद्युतकरण के कारण मृत्यु हुई।

श्री अजय चन्द्राकर :- विधि मंत्री जी, यहां तो हाथियों का मल्टी आर्गन फेलवर हो रहा है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 16.08.2020 सूरजपुर प्रतापपुर विद्युतकरण के कारण मृत्यु हुई। मैं यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि पिछली सरकार के ऊपर कोई आरोप-प्रत्यारोप का मामला नहीं है। हाथियों की सुरक्षा से संबंधित मामला है। विगत 12 वर्षों में 130 हाथियों की मृत्यु हुई थी। इसमें आप लोग कोई दोषी हैं या मैं दोषी हूँ। इस तरीके का ये मामला नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के हिसाब से जो मृत्यु के कारण है मैंने वह सब आपकी जानकारी में दे दिया। अब हाथियों के रहवास के संबंध में जो आपने कहा कि आप लोग और क्या-क्या करने जा रहे हैं तो उनके रहवास क्षेत्र में सबसे ज्यादा जरूरी है उनको पानी की जरूरत ज्यादा होती है। तालाब हो, स्टाप डेम हो तो

पानी की  उपलब्धता के बारे में पूरी कार्ययोजना बनाकर और उन क्षेत्रों में जहां विचरण चल रहा है उसमें ये सब निर्माण कार्य करने के लिए कार्ययोजना बनी है और उसमें कार्यवाही चल रही है। दूसरा यह की जो खरपतवार, वनों में एक सतरंगी फूल होता है लेनटाना, गाजर घास वन तुलसी इसको हटाने का भी काम चल रहा है और जिसके कारण जो खाने योग्य जो घास है वह ज्यादा डेवलप होगा, लेकिन इन सब चीजों को बावजूद मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वन विभाग की तरफ से ये सब कार्यवाही तो की जा रही है, लेकिन लगातार विचरण करने के कारण उनका कोई निश्चित स्थान नहीं है कि वह कब तक कहां रहेंगे ?तो उसके कारण एक प्रयास के रूप में यह सब किया जा रहा है और यदि इसके अलावा आपका कोई भी सुझाव होगा तो वह आमंत्रित है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तमोरपिंगला हाथी अभ्यारण्य बनाने का निर्णय हुआ, परंतु आज तक उसके निर्माण के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे, वह नहीं हुए हैं। आपने अपने उत्तर में यह भी नहीं बताया कि हाथी हैबिटेब डेवलप करने के लिए, हाथी गांवों में इसलिए जाते हैं क्योंकि जंगलों में जो उनको खाने के लिए मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता। उनको पानी नहीं मिलता और उसके कारण हाथी खेतों, गांवों में जाते हैं तो उसको हैबिटेब डेवलप करने के लिए एक माईट पांडे करके साईंटिस्ट थे, जिनको एक बार छत्तीसगढ़ सरकार ने बुलाया था, उन्होंने पूरी कार्ययोजना बनाकर छत्तीसगढ़ सरकार को दी थी, परंतु उसके बाद में वहां पर हाथियों का हैबिटेट सेन्टर, पार्क बनाने का निर्णय हुआ और आज तक उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। मैं आपसे यह चाहूंगा कि हाथी और मनुष्य की जो आपस में जंग चल रही है, उसमें हाथी भी मारे जा रहे हैं, मनुष्य भी मारे जा रहे हैं, फसल भी बरबाद हो रही है। हम कोई पूरी कार्ययोजना बनाकर कार्य करें। मुझे याद है जब मैं वन मंत्री था तो माईक पाण्डेय के द्वारा एक कार्ययोजना बनाकर दी गई थी। इसमें बहुत सारे सुझाव थे। जैसे हम मधुमक्खी का पालन खेत-खेत में करवायें, मधुमक्खियों के पालन से हाथी वहां पर नहीं आते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजे हैं। इन चीजों का अगर हम उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से पिछले 20-25 सालों में जब से हाथियों का आना शुरू हुआ है तो इस मामले में छत्तीसगढ़ में और देश भर में बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। अब ये समय आ गया है कि उनको लेकर हमको कोई ठोस कार्ययोजना बनानी चाहिए, अन्यथा पूरे देश में छत्तीसगढ़ की बहुत बदनामी हो रही है। मैं इस बात की जानकारी चाहता हूं कि आपने इस दृष्टि से क्या कोई कार्ययोजना बनाई है?

श्री मोहम्मद अकबर :- आपने जिस कार्ययोजना के बारे में जानकारी दी है, अब ये कौन से वर्ष में आई है, यह तो मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन यदि ऐसा कुछ है तो मैं उसको विभागीय तौर पर दिखवा लेता हूं। हाथी बहुत लंबी दूरी तक चलने वाला जानवर होता है, इसलिए अच्छे रहवाश होने के बाद भी जंगल से बाहर आते रहते हैं। तमोरपिंगला अभयारण्य, जशपुर हाथी रिजर्व का ही एक भाग है, इसमें जो भी कार्यवाही चल रही है उसके बारे में आपको जानकारी दी। लेकिन आपने जो सुझाव दिया, जो कार्ययोजना बनकर आई थी, उसको भी मैं दिखवा लूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय मंत्री जी, मैं तो आपकी प्रशंसा करता हूं कि आपने सुझाव मांगा। मैं सुझाव देने में सक्षम हूं या नहीं हूं, यह नहीं कह सकता, पर इस बात से ही आपकी गंभीरता झलकती है। मैं इस बात की तो प्रशंसा करता हूं। कल 25/08/2020 को आपका प्रश्न दिन था। आपने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया है कि 2019 से 2020 के बीच में 22 हाथियों की मौत हुई, हम सिर्फ 10 हाथी में चर्चा कर रहे हैं। इस बीच में 04 शेर और 23 तेदुंआ भी मरे हैं। ठीक है कि आपसे कोरिलेट नहीं हैं, इस ध्यानाकर्षण के विषय से बाहर जा सकते हैं। लेकिन आप कल का उत्तर देख लीजिये, आपने ही उत्तर दिया है, जो आपने 115 स्वीकार किया है, मेरे पास जो जानकारी है, मैं आपसे सहमत हूं, यह विषय आरोप-प्रत्यारोप का नहीं है। 159 से ज्यादा हाथियों की मृत्यु छत्तीसगढ़ बनने के बाद हुई है। माननीय बृजमोहन जी ने जिस कार्ययोजना का उल्लेख किया, ठीक है आपको नहीं मालूम होगा। जब जोगी जी की सरकार थी तो इसके लिए हम पैसा देकर असम से एक आदमी बुलवाये थे। फिर ये कार्ययोजना बनी। फिर आप कुमकी हाथी पकड़कर ले आये। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ अपनी जैव विविधता, अपने जंगल के लिए जाना जाता है, वह जैव विविधता धीरे-धीरे खत्म हो रही है। अवैध शिकार और उस तरह के गिरोहों का यह जगह बन रहा है। जो विशेषज्ञ हैं या जो भी लोग हों, आपके ध्यानाकर्षण के उत्तर को पढ़कर मैं बड़ा दुखी हुआ, एक लाईन में इनके विरूद्ध आपने जांच संस्थित की है, मत करते, क्या होता यदि एक लाईनमेन बच जाता तो। विषय यह है कि इस छत्तीसगढ की जो जैव विविधतायें हैं और जिस शब्द हाथी मानव द्वंद का इस्तेमाल हुआ, उसको रोकने के लिए आप कौन सी कार्ययोजना, किस तरह की कार्ययोजना कब तक बनाने जा रहे हैं जिसमें अभ्यारण्य भी शामिल हैं? क्या सदन को उससे अवगत करायेंगे कि मैं इसमें कमिट करता हूं कि इतने दिन में इस समस्या से निपट लेंगे? मैं पर्यटन विभाग में थोड़े दिन था, आपके पी.सी.सी.एफ. बता देंगे। इसके रोकने के लिए बाल्मिकी थॉपर से बात किया था, संजना कपूर के पतिदेव हैं, इसी डॉक्टर पांडेय की तरह दुनिया भर के लोग बाल्मिकी थॉपर को आमंत्रित करते हैं। वह वन्य जीव विशेषज्ञ हैं कि इसमें क्या किया जाये। सवाल यह है कि क्या आप इसमें सदन को कोई कमिटमेंट देंगे कि मैं इसके लिए ये-ये काम करूंगा, इतनी अवधि में होगी ? बाकी कार्यवाही में मेरी कोई रूचि नहीं है, यह हमारी महान संपदा बचनी चाहिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कमिटमेंन्ट की स्थिति में तो 15 साल की सरकार भी नहीं रही।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, आप ऐसे उत्तर मत दीजिए । मैंने 15 साल या एक साल का उल्लेख नहीं किया ।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- आप सुन तो लीजिये, अच्छा उसको जाने दीजिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- असम को कितना पैसा दिये थे, आपकी सरकार में असम वाले को बुलवाये थे, कितना पैसा दिये थे और आधा पैसा लेकर भाग गया फिर वहां से कहानी शुरू होगी इसलिए आप उस नेचर के नहीं हैं । आप इसमें ठोस बोलिए ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक जिस प्रकार का विषय है । एक स्थान पर यदि लगातार हाथी रहें तो कार्ययोजना और कमिटमेंट भी आराम से किया जा सकता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन लगातार उनका मूवमेंट चलता है, वे स्थान बदलते रहते हैं । प्रयास तो हम लोग कर रहे हैं, कुमकी हाथी भी लेकर आया गया और उसके बाद वह कुमकी हाथी को लाने के बाद उसके जरिये भी कॉलर आई.डी. उसके सहयोग से लगाने का प्रयास हुआ । पहली बार छत्तीसगढ़ में कॉलर आई.डी. लगाने का काम छत्तीसगढ़ के हमारे चिकित्सकों ने किया बाकी तो बाहर से करके लाया गया । दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पहली बार लेमरू हाथी रिजर्व का गठन किया । यह तत्कालीन समय में 452 वर्गकिलोमीटर का था और वर्तमान में 1995 वर्गकिलोमीटर का हाथी रिजर्व गठन का मंत्रिमंडल में मंजूरी हो चुकी । इस बीच अलग-अलग स्थानों से मांग उठी, कुछ ग्रामवासी मांग करते थे, वनवासी मांग करते थे, कुछ एन.जी.ओ. थे उनका यह कहना था कि इसमें जो हसदेव वारंट का केचमेंट एरिया है, वह केचमेंट एरिया को भी इसमें शामिल कर दिया जाये और मांड रीवा ये दोनों मिलाकर भी 238 किलोमीटर और होता है । अब समस्या यह है कि भारत सरकार ने 5 कोल ब्लाक की नीलामी को उस सूची में रख दिया जो इन क्षेत्रों में आता है लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया कि यदि कोल ब्लाक हमको छोड़ना पड़े तो हमको कोई आपत्ति नहीं है । भारत सरकार से लिखित में अनुरोध किया गया कि यह 05 कोल ब्लाक को नीलाम की सूची से हटा दिया जाये ताकि वह 238 वर्गकिलोमीटर हम शामिल कर लें और 1995 के साथ मिलकर वह लेमरू हाथी रिजर्व बन जाये और बाकी की जो समय-समय पर कार्यवाही होती है उनके रहवास को सुनिश्चित करने के लिये तो वह आने वाले समय में हम लोग करेंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें आपके माध्यम से चूंकि यह गंभीर विषय है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं । चूंकि छत्तीसगढ़ में हम हर बार नये अधिकारी को वन्य प्राणी का इंचार्ज बना देते हैं, हाथियों का इंचार्ज बना देते हैं । हमें जरा जो नये बच्चे हमारे यहां पढ़-लिखकर और डी.एफ.ओ. या रेंजर बनकर आ रहे हैं ऐसे लोगों की एक टीम बनाकर और उनको देशभर में इसका अध्ययन करके हम छत्तीसगढ़ में हाथियों के रहवास के लिये कैसे ठीक से काम कर सकते हैं और एक्सपर्ट लोग इसमें रहेंगे और वे 10-15, 20-25 सालों तक काम करेंगे तो वे यहां की कार्ययोजना ठीक प्रकार से बना पायेंगे क्योंकि हाथियों का जो स्वभाव है । हाथी 100 साल पहले उनके पूर्वज जिस रोड से निकले हैं वहां से वे लोग पहुंचते हैं । पहले छत्तीसगढ़ में नहीं थे अब वे आने लगे हैं। अब बहुत ज्यादा संख्या में आने वाले समय पर आयेंगे तो हमें इसकी कार्ययोजना बनाने

के लिये स्थायी रूप से कोई विंग बनाकर और उसमें कुछ अधिकारी पर्मानेंट रहें, जो नये लड़के आ रहे हैं वे लोग रहें तो मुझे लगता है कि लंबे समय में हम इसके लिये कार्ययोजना बना सकते हैं । यह मेरा सुझाव है और मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि आप इसके ऊपर ध्यान देंगे ।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने ध्यानाकर्षण पर जवाब दिया । माननीय अध्यक्ष महोदय, बलरामपुर, प्रतापपुर और आपका जो क्षेत्र है लगा हुआ कोरबा जिले में चाहे वह लेमरू हो, कुदमुरा हो इस क्षेत्र में कोरबा के 20 किलोमीटर पहले तक हाथी आ गये ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया एक तो हाथियों को बचाने के लिये वनों की जो अवैध कटाई हो रही है उसको भी रोकना जरूरी है । बड़ी मात्रा में पूरे प्रदेश में वनों की कटाई सुनियोजित ढंग से हो रही है और इसलिए हाथियों की मौत भी हो रही है । हाथियों को बचाने के लिये वनवासियों के बीच में जनजागरण भी हमें करना चाहिए । उनके बीच में भी कोई ऐसा अभियान चलाना चाहिए जिससे हमारे हाथी बच सकें । मैं माननीय मंत्री जी से सीधे यह पूछना चाहता हूं कि आपने बताया कि हाथियों की मौत हुई है, आपने स्वीकार किया कि 20 हाथियों की मौत हुई है । क्या उन हाथियों की जो मौत हुई है क्या उसकी उच्च स्तरीय जांच करायेंगे ?

समय :

2:00 बजे

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता नहीं है। पोस्ट मार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर विभाग आगे की कार्रवाई कर रहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक लाईन में आपने ट्रान्सफार किया है, ट्रान्सफर को कार्रवाई नहीं माना जाता, वह प्रशासिक प्रक्रिया है । एक लाईनमैन के ऊपर आपने कार्रवाई की है ।

श्री नारायण चंदेल :- अगर हाथियों को बचाने के लिए सरकार ने कोई कार्ययोजना बनाई हो तो सदन का अवगत करा दें ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, इस पर मैं बोलना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी और आप तीनों सदस्य, जिन्होंने प्रश्न किया है । जहां तक मेरी जानकारी है । नेपाल से लेकर सिरपुर तक, हजारों साल पहले से, यह सिरपुर क्षेत्र हाथियों के प्रजनन के लिए बहुत उपयुक्त क्षेत्र माना जाता था । इनका कॉरीडोर है । ये सदियों से इस रास्ते से आते-जाते हैं और प्रजनन यहां होता है और बच्चे पैदा होने के बाद फिर से वापस जाते हैं । इस बात को देखते हुए, इस पर और गंभीरता से जांच करा लें । बीच में वे जहां रूक सकते हैं, उन्हें रोकिये, अन्यथा उनका तो क्षेत्र है वे तो आएंगे ही। जैसा कि आप हाथी का नेचर जानते हैं । सिरपुर तक उनके आने जाने की व्यवस्था सदियों से है । आप अपना लेमरू अभ्यारण्य को जितनी जल्दी बना सकें । कोयले का खनन हो रहा है, उसको रोक सकें । कोयले का खनन रोकने का मतलब यह

है कि कोयला हमारे पास इतना ज्यादा है कि आने वाले अनेक सालों तक उन क्षेत्रों को छोड़ भी देंगे तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी । इसलिए हाथियों को बचाने के लिए शासन कोई गंभीर विचार कर ले, यह मेरा निवेदन है ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- अध्यक्ष महोदय, इस पर मेरा एक सुझाव है । हाथियों का प्रवेश सरगुजा के कुसमी से हुआ, धीरे-धीरे इसका विस्तार धमतरी तक पहुंच गया है । चारामा बस्तर का प्रवेश द्वार है, सरगुजा नक्सल प्रभावित था, वह नक्सलमुक्त हो गया है । लेकिन पूरा बस्तर क्षेत्र नक्सल प्रभावित है, धमतरी के बाद यदि चारामा के आगे हाथी का प्रवेश हुआ तो अभी बस्तर के लोग केवल नक्सल से प्रभावित हैं, आने वाले समय में वहां के जंगल में न तो हाथियों को रोक पाएंगे और जिस प्रकार का वहां लोगों में एक नक्सलाइट का दूसरा हाथियों का भी डर पैदा हो जाएगा । बाकी की कार्रवाई तो आप करेंगे लेकिन धमतरी के आगे हाथी न बढ़े, इसकी कोई ठोस कार्ययोजना बननी चाहिए । जिससे से बस्तरवासी नक्सलाइट और हाथियों से पीड़ित न हो । कृपया इस संदर्भ में कोई ठोस कार्रवाई करें ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद् ।

समय :

2:03 बजे

**<u>नियम 267-क के अधीन विषय</u>**

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जाएगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जाएगा :-

(1) श्री अजय चन्द्राकर
(2) श्री सौरभ सिंह
(3) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
(4) श्री सत्यनारायण शर्मा
(5) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी

समय

2.04 बजे

**<u>प्रतिवेदनों की प्रस्तुति</u>**

**<u>लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन</u>**

श्री अजय चन्द्राकर (सभापति) :- अध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति का ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां, चौदहवां, पन्द्रहवां, सोलहवां, सत्रहवां, अट्ठारहवां, उन्नीसवां, बीसवां, इक्कीसवां, बाइसवां, तेइसवां, चौबीसवां, पच्चीसवां, छत्तीसवां, सत्ताइसवां, अट्ठाइसवां, उनतीसवां एवं तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

**शासकीय आवश्वासनों संबंधी समिति का प्रतिवेदन**

श्री कुलदीप जुनेजा (सभापति) :- अध्यक्ष महोदय, मैं शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

**महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति**

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- अध्यक्ष महोदय, मैं महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं ।

समय :
2:05 बजे

**याचिकाओं की प्रस्तुति**

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नांकित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जाएंगी :-

(1) श्री अजय चन्द्राकर

समय :
2:05 बजे

**वित्तीय वर्ष 2020-2021 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन**

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं, अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिये गुरूवार, दिनांक 27 अगस्त, 2020 की तिथि निर्धारित करता हूं ।

समय :
2.05 बजे

**प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एवं स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज लेखा समिति के लिये वर्ष 2020-21 की शेष अवधि हेतु रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये सदस्यों का निर्वाचन**

अध्यक्ष महोदय :- माननीय बघेल जी।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :-

"सभा के सदस्गण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 177 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिए प्राक्कलन, सरकार



अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

उपक्रमों संबंधी समिति एवं स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज लेखा समिति में रिक्त हुए दो-दो स्थानों की पूर्ति के लिये अपने में से दो-दो सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों।"

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि -

"सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 177 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिए प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एवं स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज लेखा समिति में रिक्त हुए दो-दो स्थानों की पूर्ति के लिये अपने में से दो-दो सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

अध्यक्ष महोदय :- प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एवं स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज लेखा समिति में वर्ष 2020-2021 की शेष अवधि हेतु दो-दो सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में बुधवार, दिनांक 26 अगस्त, 2020 को अपराह्न 3.00 बजे तक दिये जा सकते हैं।
2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा बुधवार, दिनांक 26 अगस्त, 2020 को सायं 4.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-दो में होगी।
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना बुधवार, दिनांक 26 अगस्त, 2020 को अपराह्न 5.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है।
4. निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान गुरूवार, दिनांक 27 अगस्त, 2020 को प्रात: 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-दो में होगा।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा।

उपर्युक्त निर्वाचनों में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मोहम्मद अकबर जी।

समय :

2:08 बजे

## शासकीय विधि विषयक कार्य

### (1) छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 17 सन् 2020)

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 17 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 17 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

**अनुमति प्रदान की गई।**

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 17 सन् 2020) का पुर:स्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. शिवकुमार डहरिया।

### (2) छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 18 सन् 2020)

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 18 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 18 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

**अनुमति प्रदान की गई।**

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 18 सन् 2020) का पुर: स्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चौबे जी।

संशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

**(3) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 19 सन् 2020)**

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 19 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 19 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

**अनुमति प्रदान की गई।**

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 19 सन् 2020) का पुर:स्थापन करता हूं।

**(4) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 20 सन् 2020)**

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 20 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय:- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 20 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाए ।

**अनुमति प्रदान की गई।**

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 20 सन् 2020) का पुर:स्थापन करता हूं ।

**(5) छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक, 2020 (क्रमांक 21 सन् 2020)**

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक, 2020 (क्रमांक 21 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक, 2020 (क्रमांक 21 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

**अनुमति प्रदान की गई।**

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक, 2020 (क्रमांक 21 सन् 2020) का पुर:स्थापन करता हूं ।

**6) छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 22 सन् 2020)**

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 22 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 22 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

**अनुमति प्रदान की गई ।**

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 22 सन् 2020) का पुर:स्थापन करता हूं ।

**(7) छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 23 सन् 2020)**

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 23 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 23 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

**अनुमति प्रदान की गई।**

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 23 सन् 2020) का पुर:स्थापन करता हूं ।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

**(8) छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 24 सन् 2020)**

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 24 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 24 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

**अनुमति प्रदान की गई।**

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 24 सन् 2020) का पुर:स्थापन करता हूं ।

**(9) छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 25 सन् 2020)**

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 25 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 25 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

**अनुमति प्रदान की गई।**

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 25 सन् 2020) का पुर:स्थापन करता हूं।

**(10) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 26 सन् 2020)**

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 ( क्रमांक 26 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी आपत्ति है कि इस

विधेयक को इसके भारसाधक मंत्र ही प्रस्तुत कर सकते हैं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। किसी भी विधेयक की प्रस्तुति, भारसाधक मंत्री ही प्रस्तुत कर सकते हैं, दूसरे प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। यह नियम आप देख लें। मुझे लगता है कि वैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन होगा। विधानसभा की प्रक्रिया का उल्लंघन होगा। संसदीय परम्परा का उल्लंघन होगा। प्रभारी मंत्री के अलावा दूसरा कोई मंत्री इस प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत नहीं कर सकता। यह नियम है। इसलिए आप इसको रोक दें। जब मंत्री जी आ जायेंगे तब आप इसको प्रस्तुत करा दें। हम कम से कम इस सदन में नियम-परम्पराओं का तो उल्लंघन न करें, इसका आप ख्याल रखें। मेरा, आपसे इस बात का आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय चौबे जी।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, ऐसी भी परम्परा रही है। ऐसा नहीं है। भारसाधक सदस्य नहीं है तो सामूहिक जिम्मदारी माना जाता है। अभी सरकार के द्वारा सदन में प्रस्तुति, पुरःस्थापन किया जा रहा है। उत्तर देने के समय माननीय मंत्री जी आ जायेंगे। पूर्व परम्परा रही है, ऐसा हुआ है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी बहुत विद्वान हैं, बहुत ज्ञानी हैं। मुझे जरा संसदीय परम्परा और नियम के उस खण्ड को पढ़कर बता दें, जिसमें यह लिखा हो कि बिना किसी कारण के प्रभारी मंत्री अनुपस्थित रहने पर अन्य कोई मंत्री उसको प्रस्तुत कर सकता है। मंत्री जी यहां उपस्थित थे, उन्होंने प्रश्नों के जवाब भी दिए, उन्होंने ध्यानाकर्षण का जवाब भी दिया और उसके बाद यहां स्थगन का जवाब भी पढ़ा। उसके बाद वे यहां पर नहीं रखते हैं तो यह खुला-खुला नियम का उल्लंघन है। हमारे छत्तीसगढ़ की जो नियम परम्परा बनी हुई है, आप उसको भी देख लें। उसके अनुसार यह इसको प्रस्तुत नहीं कर सकते। अगर वे छुट्टी पर होते, अगर वे बाहर होते, वे लिखकर दिए होते तो एक बार यह हो सकता था। परन्तु अभी ये नहीं रख सकते, यह नियम के विरूद्ध होगा। मैं चाहूंगा कि वे सेकेण्ड हाफ में आयेंगे तब प्रस्तुत कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, विशेष परिस्थिति में हम आपको अनुमति देते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, आप अनुमति दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पाईंट आफ आर्डर है, आप मुझे नियम बता दें, आप मुझे यह बता दें कि अगर मंत्री जी उपस्थित हैं, सदन में आये हैं और वैसी परिस्थिति में आप इसको प्रस्तुत कर सकते हैं, कहीं पर भी ऐसा नियम है ? मेरा जो अनुभव है, उस अनुभव के अनुसार वे अगर नहीं रहते, उनकी तबीयत खराब रहती, वे नहीं आते, वे लिखकर दे देते तो वे प्रस्तुत कर सकते थे। मुझे याद है कि मैं एक दिन किसी के प्रश्न पर खड़ा हो गया था तो आपने कहा था कि आपकी सूचना नहीं है, आप बैठ जायें। मैंने प्रश्न नहीं पूछा। मैं ही खड़ा था, शिवरतन शर्मा जी का प्रश्न था। आपने मुझे मना कर दिया था। आपने मुझे अनुमति नहीं दी थी कि यह नियम-परम्परा नहीं है। इसी प्रकार से विधेयकों के मामले में, अध्यादेश के मामले में ऐसी नियम-परम्परा नहीं है कि जब तक किसी प्रकार की सूचना नहीं हो, तब तक उसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। आप

पूर्व की प्रक्रिया निकालकर देख लें, 6-6 घण्टे तक बहस हुई है कि प्रस्तुत किया जा सकता है या नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अगर आप अनुमति देंगे, तो आपकी अनुमति शिरोधार्य है। परन्तु यह नियम-प्रक्रिया के विरूद्ध होगा। मैं इस बात को आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आपका धन्यवाद। जहां तक मैं समझता हूं कि विधायक द्वारा पूछा गया प्रश्न विधायक की अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति होती है, जब तक उसके द्वारा अधिकृत नहीं किया जाता, तब तक उसे नहीं दिया जा सकता, उसको नहीं लिया जा सकता। लेकिन यह राज्य शासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। पर यहां माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी स्वयं खड़े हुए हैं, इसलिए मैं इनको अनुमति देता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, आप मुझे पूर्व की परम्परा को बता दें।

डॉ. शिव डहरिया :- अब परम्परा बन गया है न, इसका पालन करना। अध्यक्ष जी के निर्देश के बावजूद बोलना और कुछ नहीं रह जाता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व ऐसी कोई परम्परा हुई हो कि मंत्री जी सदन में आये हो, उपस्थित रहे हों, उन्होंने जवाब दिया हो और उनके बिना किसी लिखित सूचना के कोई अध्यादेश या विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया हो। अगर पूर्व की कोई परम्परा रही हो तो आप अभी प्रस्तुत करवा दे। परन्तु मुझे उसकी जानकारी दे दें तो मैं कृतार्थ रहूंगा। मेरा नॉलेज बढ़ेगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष जी के निर्देश के बाद कुछ नहीं बचता।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- अध्यक्ष महोदय, नियम, परम्परा और प्रक्रिया है। बृजमोहन अग्रवाल जी वरिष्ठ सदस्य हैं। संसदीय कार्यमंत्री रहे हुए हैं। उसके बाद वे किसी बात पर आवाज उठाये हैं, संसदीय कार्यमंत्री जी को स्वयं बोल रहे हैं कि आप उसको पढ़कर बता दीजिये कि कहां पर लिखा हुआ है। हम इंतजार करने को भी तैयार हैं। सेकेण्ड हाफ में मंत्री जी आयेंगे, उसको प्रस्तुत कर देंगे। लेकिन नियमों और प्रक्रियाओं के तहत यह सत्र चले, विधानसभा चले तो अच्छा होगा। परंपरा तोड़ी जायेगी तो ये उचित नहीं है और मैं समझता हूं कि आपके रहते, आपके आसंदी में रहते नियम प्रक्रियाओं का पालन हो, ये अपेक्षा हम लोग करते हैं। इसलिए संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे रहें और जब मंत्री जी आयेंगे तो उस समय उनको अनुमति दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी स्वयं आसंदी में विराजमान रहे हैं। अभी आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने आपत्ति की। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी परंपराएं रही हैं। कई बार कई भारसाधक सदस्य नहीं होते तो प्रस्तुति होती है, पुर:स्थापन होता है। बृजमोहन जी ने केवल यह आपत्ति किया कि वह सबेरे प्रश्नकाल में थे, उन्होंने उत्तर भी दिया और अभी उनकी अनुपस्थिति की कोई सूचना नहीं है। परिस्थितिवश ही, शाम को तो आपको और उत्तर देना ही है,

और उन्होंने कह दिया कि कोई बीमार यदि हों। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि करोना काल में किसी के लिए ऐसी बातें कहना भी उचित नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं प्रभु से सबके स्वस्थ होने की कामना करता हूं और अध्यक्ष महोदय आपने तो इतनी अच्छी व्यवस्था की कि इससे कोई बीमार नहीं होगा। आपने सेनिटाईजर भी दिया है, आपने माऊथ कवर भी दिया है, आपने ग्लास भी लगाये हैं, तो कोई बीमार नहीं होगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- और आप कुछ पिला भी रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- काढ़ा भी पिला रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- हॉ। अध्यक्ष महोदय, तो आपने अनुमति दे दी तो आदरणीय बृजमोहन जी विद्वान सदस्य हैं। (वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी) मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव के सदन में प्रवेश करने पर) अब माननीय महाराज साहब आ गये हैं तो अनुमति उन्हीं को दे दीजिए। (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- चलिए, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्री टी.एस.सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री जी, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 का प्रस्ताव रखेंगे।

**(11) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 26 सन् 2020)**

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 26 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 26 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाए।

**अनुमति प्रदान की गई।**

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 26 सन् 2020) का पुर:स्थापन करता हूं।

**(12) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 27 सन् 2020)**

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 27 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 27 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाए।

**अनुमति प्रदान की गई।**

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 27 सन् 2020) का पुर:स्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही भोजन अवकाश के लिए अपराह्न 3.30 बजे तक के लिए स्थगित।

**(अपराह्न 2.24 से 3.31 बजे तक अंतराल)**

समय :

03:31 बजे **(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।)**

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, हमारी छत्तीसगढ़ की विधानसभा की कार्यवाही तो चल ही रही है, परंतु जो पत्रकार हैं वे परेशान हैं। उन पत्रकारों को इतने दूर हाल में रख दिये गये हैं, पीछे सेंट्रल हाल में रख देते तो बाकी सदस्य भी अपना विषय उठाने के बाद पत्रकारों से बात कर सकते थे। पत्रकारों को कोई सरकारी पक्ष के कोई भी लोग जवाब देने के लिये जा नहीं रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस प्रकार का निर्देश दे दें कि सेंट्रल हाल में पत्रकारों की व्यवस्था कर दें तो समाचार पत्रों में विधानसभा की जो कार्यवाही है, वह ठीक तरीके से प्रकाशित हो पायेगी। सदस्य जिन मामलों को उठाते हैं, उन मामलों को ठीक तरीके से उठा पायेंगे। इसके बारे में आप निर्देश दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

सभापति महोदय :- संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कह रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- सभापति जी, अब पत्रकारों के लिये जितने नजदीक में आप व्यवस्था करें, कहीं किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। शायद आडिटोरियम में उनके लिये व्यवस्था की गयी है। जितना दूर आडिटोरियम है, उतना ही दूर आपका सेंट्रल हाल है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कैसे भैया, उससे एक चौथाई है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी से आग्रह कर लेंगे और अब अगर आज से ही करना हो तो अभी से आग्रह कर लेंगे। माननीय सभापति के माध्यम से भेज देते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आज ही से कर दो।

श्री रविन्द्र चौबे :- लेकिन ये कोरोना पर चर्चा है, पता नहीं नेता प्रतिपक्ष शुरू कर रहे हैं या माननीय बृजमोहन जी आप चर्चा शुरू कर रहे हैं। पांच-पांच मिनट भर बोलना है, ज्यादा थकना नहीं है। इम्युनिटी ह्रास हो जायेगा, कमजोर हो जायेगा। इसलिए सार्ट में अपनी बात कहना।

सभापति महोदय :- श्री बृजमोहन अग्रवाल जी।

श्री अजय चंद्राकर :- क्या सरकार अभी ज्यादा सुनने की स्थिति में नहीं हैं ? यदि नहीं है तो हम वापस ले लेते हैं, कोरोना के लिये कैसे इंतजाम होते हैं उसको अध्यक्ष जी के कक्ष में आप सीख लो। माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में जाकर, सरकार कुछ सीख लें, यही इंतजाम जनता के लिये करो जिसमें आप पूरी तरह असफल रहे हो, अब भाषण भी नहीं सुनेंगे बोल रहे हो।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति जी, एक तो ये कांच का पार्टिसन लगा है, सब शेरों को आपने पिंजड़ों में बंद कर दिया है, यहां ऐसा लग रहा है। हम लोग भी जरा दहाड़ कर नहीं बोल पा रहे हैं, उधर से भी कोई नहीं बोल पा रहे हैं। अगर बृजमोहन जी जोर से दहाड़ेंगे तो ये कांच को जो लगा है, वह अभी टूट-फूट जायेगा। व्यवस्था की बात है, महाराज जी, आपका कितने पेज का उत्तर है। महाराज जी ने अभी एक स्थगन का उत्तर दिया है। आप इसी विषय में दो स्थगन प्रस्तुत किये हैं। महाराज जी पूरा पढ़ेंगे ना तो एक घंटा तो उसी में लगेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम लोग तैयार हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- क्या है ? महाराज जी का रिकार्ड हम लोग शांति से तीन घंटे तक सुने हैं। महाराज जी को पूछ लीजिए। पूरा तीन घंटा सुने हैं। वह कैसेट हमारे पास अभी भी है, हम उनको चार घंटा सुन सकते हैं। महाराज जी से पूछ लीजिए बाजू में बैठे हैं, तीन घंटे सुने हैं कि नहीं सुने हैं।

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन जी, आप अपनी बात कहिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- ये क्या लगा है तो बाजू में पूछते भी तो नहीं बनता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर पश्चिम) :- माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो माननीय अध्यक्ष जी को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष जी ने देश का ज्वलंत मुद्दा और जब पूरे देश में रिकवरी बहुत तेजी से हो रही है, दिल्ली, बंबई, जयपुर, हैदराबाद, अहमदाबाद, जैसी जगहों पर जब कोरोना डाउन की तरफ है, ऐसे समय पर हमारे छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, एक-एक दिन में, अगर आप कल की रिपोर्ट देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में एक दिन में 1287 लोग कोरोना से संक्रमित पाये गये हैं। कल मैं न्यूज देख रहा था, मध्यप्रदेश में जहां की आबादी हमसे तीन गुनी ज्यादा है, वहां पर 1700 लोग संक्रमित पाये गये। परंतु छत्तीसगढ़ में 1287 लोग एक दिन में संक्रमित पाये जा रहे हैं और ये बड़ा खतरनाक मामला है। आज हम सत्र में बैठे हैं सत्र में माननीय अध्यक्ष जी ने कांच का घेरा बनाकर हम सब लोगों की सुरक्षा की वयवस्था की है, परंतु छत्तीसगढ़ की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए ये सरकार क्या कर रही है? मैं मंत्री जी का जवाब सुन भी रहा

था और मैंने उस जवाब की कॉपी पढ़ी भी है। ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार को कोरोना के संक्रमण से कोई लेना-देना नहीं है। छत्तीसगढ़ की सरकार उत्सव मनाने में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पेपरों में फोटो छपवाने में लगे हैं। बड़े-बड़े कोरोना से बचाव के विज्ञापन छपने चाहिए तो उसके बजाए मुख्यमंत्री जी की गेड़ी पर चलते हुए, भंवरे चलाते हुए, सोंटा खाते हुए फोटो छपते हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जरा आपको ताकीद करना चाहिए। पोला के दिन मुख्यमंत्री निवास में दो हजार महिलाएं थीं। अगर दो-दो हजार लोग इकट्ठे होंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- गृहमंत्री जी की उपस्थिति में थे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर दो-दो हजार लोग इकट्ठे होंगे और उसी का कारण है। रायपुर में हज हाऊस का उद्घाटन होता है मुख्यमंत्री जी बंगले पर होते हैं, परंतु हज हाऊस के उद्घाटन में 500 लोग इकट्ठे होते हैं। अभी कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिलों-जिलों में एक-एक,दो-दो हजार लोग इकट्ठे थे। ये सरकार कोरोना के संक्रमण से निपट रही है या ये सरकार उत्सव मनाने में लगी हुई है हम इस बात का जवाब चाहते हैं। अगर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण फैल रहा है तो उसके लिए कोई सबसे बड़ी दोषी है तो यह सरकार दोषी है। आज कोरोना सक्रमण के लिए ये सरकार के पास जवाब नहीं है। हमने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछा, इन्होंने बताया कि 108 करोड़ रूपये जारी हुए हैं। 108 करोड़ रूपये कहां से जारी हुए हैं? 108 करोड़ रूपये आपदा प्रबंधन से जारी हुए हैं। राज्य सरकार ने सिर्फ 10 करोड़ रूपये जारी किया है। क्या 10 करोड़ रूपये से कोरोना संक्रमण निपट जाएगा? आपको केन्द्र सरकार ने अधिकार दिया है कि आप कैम्पा मद से पैसा खर्च कर सकते हैं । आप डी.एम.एफ. मद से पैसा खर्च कर सकते हैं। आप आपदा प्रबंधन मद से पैसा खर्च कर सकते हैं और अभी तक केन्द्र सरकार लगभग 2 हजार करोड़ रूपये खर्च करने का अधिकार दे दिया है, आपको पैसा उपलब्ध करवा दिया है, परंतु राज्य सरकार का जो जवाब आता है इस जवाब में ये सरकार केवल 108 करोड़ और 10 करोड़ रूपये, 118 करोड़ रूपये खर्च करती है। छत्तीसगढ़ में जो क्वारनटाईन सेंटर हैं, वह क्वारनटाईन सेंटर आत्महत्या के केन्द्र बन रहे हैं। वहां पर सांप, बिच्छू काट रहे हैं। वहां पर आत्महत्या कर रहे हैं। हमने क्वारनटाईन सेंटर को कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए बनाया है या कोरोना को फैलाने के लिए बनाया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा । आपने जानकारी दी कि 22 हजार क्वारनटाईन सेंटर में 6 लाख से ज्यादा लोगों को रखने की व्यवस्था है जरा आप मुझे बता दें? अभी तक क्वांरनटाईन सेंटर में कितने लोगों को रखा गया? इसका आपने जवाब नहीं दिया। मेरी जानकारी में क्वांरनटाईन सेंटर में एक लाख से ज्यादा लोगों को नहीं रखा गया जबकि आपने 6 लाख लोगों को रखने की व्यवस्था की है। उन्हें क्यों नहीं रखा गया? कलेक्टरों के पास पैसे नहीं है कलेक्टर वहां के व्यापारियों को इकट्ठा करते हैं कि क्वांरनटाईन सेंटर के लिए आप हमें कूलर, पंखा, पलंग, गद्दा, दवाई दे दीजिए। ये सभी कलेक्टर भीख मांग रहे हैं।

कलेक्टर बोल रहे हैं कि हमारे पास में व्यवस्था नहीं है। ये सरकार व्यवस्था क्यों नहीं कर सकती ?लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है या आपको उत्सव मनाना ज्यादा जरूरी है?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय सभापति जी, ये क्या शब्द हुआ कि कलेक्टर भीख मांग रहे हैं। हम क्या कहेंगे कि यदि हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री कोविड के लिए पैसा मांग रहे हैं तो भीख मांग रहे हैं। इस प्रकार के शब्दों का बिल्कुल उपयोग न करें। आप अच्छा बोल रहे हैं। कलेक्टर जन सहयोग ले रहे हैं और जनसहयोग करने वाली संस्थाओं को हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। आपने टाटीबंध चौक में देखा। हजारों-लाखों लोगों की लोगों ने सेवा की और पूरे प्रदेश में सेवा की और आप कह रहे हैं कि कलेक्टर भीख मांग रहे हैं। आप थोड़ा शब्द को सुधार लीजिए। हम कहेंगे कि क्या प्रधानमंत्री भीख मांग रहे हैं? ये होता है जनसहयोग लिया जाता है। आपदा से लड़ाई लड़ने के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की ये सब व्यवस्था होती है। पहले भी हुआ और आज भी हो रही है, लेकिन कम से कम इस प्रकार के शब्दों का उपयोग न करें। आप तो बुद्धिमान हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, क्वारंटाइन सेंटर की इतनी बुरी हालत है कि क्वारंटाइन सेंटर में भोजन नहीं मिलने के कारण घरों से भोजन आ रहा है। क्वारंटाइन सेंटर में रूके हुए लोग भोजन पकाने के लिए जंगल में लकड़ी बिनने के लिए जाते हैं। क्या आप क्वारंटाइन सेंटर में गैस की, खाने पकाने की, दाल, चावल गेंहूं और सब्जियों की व्यवस्था नहीं कर सकते ? आप जरा इसमें यह बतायें, आपके जवाब में यह बात नहीं आई है कि आपने कितनी सब्जी की, कितने भोजन की, कितने गेहूं, चावल, दाल की व्यवस्था की ? किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी का जवाब पढ़ रहा था। छत्तीसगढ़ में 6 लाख मजदूर वापिस आये, परन्तु उन 6 लाख मजदूरों को क्या सहायता दी गई ? उनको 36 रुपये का चावल दिया गया। इसके अलावा आपने कोई सहायता दी है। 36 रुपये का चावल देकर आप कोई एहसान कर रहे हैं। 36 रुपये का चावल देकर आपने अपनी इतिश्री समझ ली। संगठित मजदूरों का 350 करोड़ रुपये आपके पास में जमा रखा हुआ है। पूरे देश की सरकारों ने मजदूरों के खातों में 1 हजार रुपये से लेकर 5 हजार रुपये तक जमा करवायें हैं। परन्तु छत्तीसगढ़ की सरकार ने मजदूरों के खातें में 14 हजार और 6 हजार, कुल 20 हजार मजदूरों के खाते में पैसा दिया है। आप स्वीकार करते हैं कि 6 लाख मजदूर वापिस आये हैं तो बाकी 5 लाख 80 हजार मजदूरों को आपने क्या दिया ? क्या आपके पास में इसका कोई जवाब है ? माननीय सभापति महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ के समाचार पत्रों में छपा है, मैं उनको पढ़ना नहीं चाहता, समाचार पत्रों को पढ़ना भी नहीं चाहिए। ये पूरा गट्ठा है, पिछले 4-5 महीनों से समाचार पत्र छाप रहे हैं कि कोविड के मामले में छत्तीसगढ़ में बुरी स्थिति हो रही है। दुर्भाग्य तो तब है, हंसी आती है कि 13 मंत्रियों का फोटो समाचार पत्रों में छपवाया जाता है कि ये कोरोना वारियर्स हैं, इनका सम्मान करिये। अब ये 13 मंत्री कहां चले गये ? जहां छत्तीसगढ़ में 50 प्रतिशत जंगल है, जो प्राकृतिक वादियों से घिरा हुआ है, जहां की जलवायु अच्छी है,

जहां पर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होना चाहिए। यहां पर ऑक्सीजन की कमी से 27-28 जिलो में सब जगह कोरोना का संक्रमण पहुंच गया है। सबसे दुर्भाग्यजनक स्थिति तो यह होती है जब मुख्यमंत्री जी के साथ में प्रधानमंत्री जी कांफ्रेन्स करते हैं तो स्वास्थ्य मंत्री जी उस कांफ्रेन्स से गायब रहते हैं, उनको नहीं बुलाया जाता है। मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर छत्तीसगढ़ में कोरोना के संक्रमण का सबसे बड़ा कारण है तो मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के बीच में टॉकिंग टर्मस नहीं होना है और इसको पूरा छत्तीसगढ़ भुगत रहा है। कांग्रेस का केन्द्रीय नेतृत्व सो रहा है। मैं टी.एस.सिंहदेव के साथ में टी.व्ही. की डिबेट में कई बार बैठते रहता हूं। वह इस बात को कहते हैं कि राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा, मैं तो कहूंगा कि राहुल गांधी जी को छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हस्तक्षेप करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी दोनों को बिठाकर बातचीत करनी चाहिए, उसकी व्यवस्था बनानी चाहिए। मेरे पास में आंकडें हैं। आज छत्तीसगढ़ में अगर प्रति 10 लाख में 225 टेस्ट हो रहे हैं तो पूरे देश में 552 टेस्ट हो रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, थाली ला अब्बड़ पिटे रहे, लेकिन ये भाई ला कैसे हो गये हे, थारी-लोटा ला पीट-पीट के पचक गये हे।

सभापति महोदय :- चलिये, आप अपनी बात जारी रखिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- छत्तीसगढ़ में प्रति 10 लाख प्रतिदिन कितने टेस्ट हो रहे हैं, 225 टेस्ट हो रहे हैं। गोवा में कितने टेस्ट हो रहे हैं, आपको मालूम है ? 1826 प्रति 10 लाख प्रतिदिन टेस्ट हो रहे हैं। क्या हमारा राज्य गोवा से भी ज्यादा खराब हो गया है ? हम कहते हैं कि हम आर्थिक रूप से सक्षम हैं, आखिर ये हालत छत्तीसगढ़ की क्यों हो रही है ? इसके लिए कौन दोषी है ? आपके मेडिकल कालेजेस को एम.सी.आई. को यह कहना पड़ा कि आप अगर कोरोना का टेस्ट शुरू नहीं करते हैं तो आपकी मान्यता खत्म हो जायेगी। इससे बड़ी लज्जाजनक बात कोई हो सकती है। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट कहता है कि बिलासपुर में कोरोना का टेस्ट शुरू किया जाये। ये सरकार इतनी लुंज-पुंज, असहाय हो गई है कि 2 महीने तक हाईकोर्ट के आदेश का भी पालन ये सरकार नहीं कर पाती है। बिलासपुर में दो महीने तक कोरोना का टेस्ट शुरू नहीं होता है। आप यह बताईये कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का रिकवरी रेट कितना है ? पूरे देश में रिकवरी रेट 71 प्रतिशत है, छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट 61 प्रतिशत है और रायपुर में यह रिकवरी रेट 51 परसेंट है आखिर इसके लिये कौन दोषी है ? 30 साल के नौजवान, 28 साल के नौजवान, 32 साल के नौजवान, 40 साल के नौजवान इनकी हार्टअटैक से मृत्यु हो रही है । उनकी जांच नहीं हो पाती है, मृत्यु के बाद में कहा जाता है कि उनको श्वांस लेने में तकलीफ थी और कोई बीमारी की बात नहीं होती है । मेरे पास में आपके जितने बुलेटिन जारी होते हैं उसकी कॉपी मेरे पास है, उस बुलेटिन में बताया जा रहा है । मैं आपको कल की ही एक घटना के बारे में बताना चाहता हूं कि एक नौजवान की मौत होती है प्रेम नगर मोवा निवासी 30 वर्षीय पुरूष बुखार, ब्रेथलेसनेस, कफ, रेस्पिरेटरी दशा दिनांक 14.08.2020 को

मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर में भर्ती कराये गये थे, कोविड पॉजिटिव होने की दशा में आई.सी.यू. में समुचित उपचार दिये जाने के बावजूद दिनांक 24.08.2020 को रात्रि को इसका निधन हो गया । आप स्वीकार कर रहे हैं 30 साल का नौजवान जिसको कोई बीमारी नहीं थी, आखिर उनके मॉ-बाप की क्या हालत होगी ? उनके पत्नी-बच्चों की क्या हालत होगी ? उनके परिवार की क्या हालत होगी ? नौजवान इतने कम उम्र की मैं तो कहूंगा कि यह डेथ नहीं है यह सरकार की लापरवाही से हत्या है और इस हत्या का दोषी कौन है ? नौजवान क्यों मर रहे हैं ? बीमार लोग मरें, ज्यादा उम्र के लोग मरें तो मुझे समझ में आता है परंतु ये क्यों मर रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये सरकार में बैठे वरिष्ठ लोग जरा आपको इस बात की चिंता करने की आवश्यकता है । मैंने परसों भी विधानसभा की मीटिंग में, कल की मीटिंग में इस बात को कहा था कि यदि एक संक्रमित व्यक्ति घूमते रहता है, वह अपने परिवार के साथ रहता है, वह अपने मोहल्ले में रहता है तो सैकड़ों लोगों को संक्रमित करता है । सर्दी, खांसी, बुखार हो रहा है, वह दिखाने के लिये जाता है उसको कहा जाता है कि आपको कोरोना के लक्षण नहीं हैं आपका टेस्ट नहीं किया जायेगा । लोग लाईन लगाकर खड़े हैं, उनका टेस्ट नहीं होता है और टेस्ट नहीं होने के कारण वह संक्रमण को बढ़ाता है और उस संक्रमण से सैकड़ों लोग ग्रसित होते हैं और उसमें से बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है । आखिर हमारे छत्तीसगढ़ की इतनी बुरी स्थिति क्यों हो रही है ? इसके लिये कौन दोषी है ? इसका जवाब कौन देगा ? नौजवान मर रहे हैं इसका जवाब कौन देगा ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि 2-2, 3-3 दिनों तक कोरोना से ग्रसित व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गयी उसके बाद भी वह हॉस्पिटल जाने के लिये वह 100-100 बार फोन करता है, 100-100 बार फोन करने के बाद भी उसको लेने के लिये 2-2, 3-3 दिनों तक एंबुलेंस नहीं आती है । वह कहता है कि मैं अपनी घर की गाड़ी में, मैं स्कूटर में बैठकर पहुंच जाता हूं लेकिन उसको मना किया जाता है कि एंबुलेंस आयेगी तभी आप जाओगे और उस 2-3 दिनों में वह कितने लोगों को संक्रमित कर देता है । लोगों का कोरोना टेस्ट नहीं हो रहा है, लोगों की मृत्यु हो रही है, लोगों को 2-2, 3-3 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जा रहा है । माननीय मंत्री जी, हमारे यहां एक स्टेडियम कोविड सेंटर बना हुआ है ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय बृजमोहन जी बहुत सीनियर हैं और मंत्री रहे हैं और बोलते-बोलते ऐसा बोल गये कि जो उनको नहीं बोलना चाहिए सरकार के संरक्षण में हत्या तो इन शब्दों को या तो विलुप्त करायें या स्वयं वापिस ले लें । क्या सरकार कभी किसी की हत्या कराती है?

श्री देवेंद्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य उत्सव की बात कर रहे थे तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 05 मार्च को नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम के आयोजन के चक्कर में पूरे देश के अंदर कोरोना फैला है । आज देश के अंदर जो स्थिति है वह नमस्ते ट्रम्प के कारण है उस समय

इनके प्रधानमंत्री यदि नमस्ते नहीं करने में व्यस्त रहते तो आज हम सब लोग सुरक्षित रहते, पूरा भारत सुरक्षित रहता ।

सभापति महोदय :- चलिये, आप अपनी बात रखिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, शब्दों का ख्याल करिये । इन्हें विधायक बने पौने दो साल हो गये हैं, ये बोल रहे हैं इनके प्रधानमंत्री । माननीय सभापति महोदय, थोड़ा बोलना सिखाईए, आप चेतावनी दीजिए ।

श्री देवेंद्र यादव :- जी, सम्मानित वरिष्ठ । हमारे प्रधानमंत्री । अब बताईये कि आप नमस्ते ट्रम्प पर क्या कहना चाहते हैं ?

सभापति महोदय :- चलिये, आप अपनी बात रखिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपकी तबीयत तो ठीक है ?

श्री देवेंद्र यादव :- आप लोगों के स्नेह आशीर्वाद से कुशल-मंगल हूं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम लोगों का पूरा आशीर्वाद है । हम लोगों ने तबीयत ठीक नहीं है करके सुना था इसलिए चिंतित थे । बढ़िया स्वस्थ रहिए ।

श्री देवेंद्र यादव :- जी, भैया ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, सरकार के संरक्षण में हत्या ऐसे शब्द जो हैं सीधे-सीधे आक्षेप हैं । माननीय सदस्य या तो स्वयं वापिस ले लें ।

सभापति महोदय :- यह उनके विवेक पर है । चलिये, आप अपनी बात कंटीन्यू करिये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप क्या चाहते हैं कि उसको आत्महत्या लिखवा दें ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय धर्मजीत जी, पहले भी सरकारें चलती थीं, उस समय भी घटनाएं होती थीं । किस प्रकार से लोगों की किडनी निकाल ली जाती थीं । किस प्रकार से लोगों की आंखे निकाल ली जाती थीं । छत्तीसगढ़ भूला नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप भी तो तब यही बोलते थे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- प्रेम नगर मोवा का 30 साल का नवजवान ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- आप क्या चाहते हैं कि जो बचा है उसे आप निकालेंगे ?

श्री अमरजीत भगत :- ये सीधा-सीधा बोल रहे हैं कि सरकार के संरक्षण में हत्या ।

श्रीमती रश्मि आशिश सिंह :- नसबंदी कांड में माताओं की मृत्यु हुई थी । सरकार द्वारा हत्याएं उसे कहते हैं जो नसबंदी कांड में माताओं की हुई थी ।

श्री अमरजीत भगत :- हमारा निवेदन है उसे विलोपित करा दीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हां, हां हमारे समय में हुआ । आपने मुद्दे उठाए, हमने जवाब दिया । अब आपके समय हो रहा है, आप जवाब दीजिए । 30 साल का नवजवान जब कोविड से मर जाता है तो

उसके माता-पिता का क्या हाल होता है ? उसकी मां-बहन का क्या हाल होता है ? उसकी पत्नी का क्या हाल होता है, यह हतया नहीं तो क्या है ? सरकार की लापरवाही के कारण अगर कोई मरता है तो सरकार की लापरवाही से हत्या मानी जाएगी । एक बार नहीं, दो बार नहीं, हम सौ बार कहेंगे कि सरकार की लापरवाही से हत्या हुई है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- सभापति महोदय, वैश्विक आपदा में किसी की मृत्यु को हत्या करार देना यह दुर्भाग्यजनक और आपत्तिजनक शब्द है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, जब कोई 28 साल का नवजवान मरेगा, 30 साल का नवजवान मरेगा, 32 साल का नवजवान मरेगा, 35 साल का नवजवान मरेगा तो हमको दुख होगा, दर्द होगा । वह भविष्य का निर्माता है, वह क्या क्या बन सकता था । उसके परिवार ने कितने सपने देखे थे । सरकार के द्वारा इलाज उपलब्ध नहीं करवाने के कारण उसका टेस्ट नहीं होने के कारण उसकी मृत्यु हुई ।

डॉ. विनय जायसवाल :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने हत्या का आरोप लगाया है । माननीय सदस्य ने रिकवरी रेट की बात की है । इन्होंने इस बात को नहीं बताया है कि दशमलव 9 प्रतिशत मृत्यु दर छत्तीसगढ़ में है । देश के एक-दो राज्यों को छोड़कर दूसरे या तीसरे नम्बर पर छत्तीसगढ़ का नम्बर आता है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने यह काम किया है, यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने किया है ।

सभापति महोदय :- बृजमोहन जी आप अपनी बात कहिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने कहां से पढ़ाई की है यह बताना । आपने डॉक्टरी कहां से पास की है, यह बताना अभी ?

डॉ. विनय जायसवाल :- डॉक्टरी की पढ़ाई मैंने कहां से की है, यह तो बताउंगा ।

श्री अमरजीत भगत :- सभापति महोदय, मैंने इतना ही कहा कि सरकार जान बचाने की जिम्मेदारी लेती है, शपथ लेती है कि प्रदेश की जनता की हम सुरक्षा करेंगे, जान बचाएंगे । सरकार कभी किसी की जान नहीं लेती है । माननीय सदस्य फ्लो में बोल गए कि सरकार के संरक्षण में हत्या । मैं केवल इतना ही आग्रह करता हूं कि आप इसको विलोपित कर दें ।

सभापति महोदय :- चलिए, मैं दिखवा लूंगा । आप कंटीन्यू करिये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, दिल्ली का रिकवरी रेट 90.10 प्रतिशत, यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये एम.सी.आई. के आंकड़े हैं । हरियाणा में रिकवरी रेट 83 परसेंट, गुजरात में रिकवरी रेट 79 परसेंट, तेलंगाना में रिकवरी रेट 77.40 परसेंट, राजस्थन में 76.80 परसेंट, पश्चिम बंगाल में 76.50 परसेंट, बिहार में 76.30 परसेंट, मध्यप्रदेश्य 70.80 परसेंट, जम्मू और कश्मीर में 75.60 परसेंट, पूरे देश का रिकवरी रेट 74.30 प्रतिशत ।

डॉ. विनय जायसवाल :- जो बात माननीय सदस्य बोल रहे हैं इसी पर मेरा कहना है कि रिकवरी

रेट की बात कर रहे हैं लेकिन मृत्यु दर की बात नहीं कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि महामारी 1200 की संख्या में पहुंच गई है । आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं कि विश्व में जब कोई महामारी होती है तो उसका एक टेक्निकल स्प्रेड होता है । छत्तीसगढ़ में कोविड का स्प्रेड सबसे कम था, आप दिल्ली और गुजरात की बात कर रहे हैं ।

सभापति महोदय :- बृजमोहन जी आप अपनी बात कहिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप हिंदुस्तान से बाहर तो नहीं हैं । आप हिंदुस्तान में हैं । हिंदुस्तान का रिकवरी रेट 74.30 परसेंट और छत्तीसगढ़ का रिकवरी रेट 63.50 परसेंट । पंजाब का हमसे कम है, पूरे देश के 26 राज्यों में रिकवरी रेट में 25 वें नम्बर पर यदि कोई है तो छत्तीसगढ़ राज्य है, मेरे पास पूरा चार्ट है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, जो देश की सरकार ने जारी किया है उसके बारे में बोल रहा हूं । माननीय सभापति महोदय, आज की तारीख में छत्तीसगढ़ का रिकवरी रेट 56 प्रतिशत हो गयी है। सिंह साहब, आपकी भावना पर मेरा कोई प्रश्न नहीं है, परंतु मुझे मालूम है कि आप जितना काम करना चाहते हैं, उतना आपको काम नहीं करने दिया जा रहा है। पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री जी नहीं हैं। रायपुर में 80 बिस्तर का मेकाहारा में वेंटीलेटर सेंटर बनना है। पिछले 4 महीने से बन रहा है। 4 महीने से। क्या छत्तीसगढ़ की पी.डब्ल्यू.डी., छततीसगढ़ की सरकार इतनी लाचार हो गई है कि पी.डब्ल्यू.डी. से मेकाहारा में रायपुर राजधानी में सब मंत्रियों के नाक के नीचे जो 80 बेडेड वेंटीलेटर सेंटर बनना है, वह आज तक नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्या रायपुर के लोगों की जान लेने के लिए आपने तय कर लिया है। आप लोग राजधानी में रहते हैं। राजधानी में सबसे अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर राजधानी में अच्छी व्यवस्था नहीं होगी तो पूरे देश में पूरे प्रदेश में अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती और इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। अभी तो हम पीक पर नहीं पहुंचे हैं। जिस दिन हम पीक पर पहुंच जायेंगे। मैं बार-बार समाचार पत्रों में पढ़ता हूं। हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी ने मीटिंग ली थी। उस मीटिंग में भी हम लोगों ने बहुत सारे सुझाव दिये थे, परंतु सुझाव के बाद भी ढाक का तीन पात मंत्री जी अभी तक उस मीटिंग में जितने निर्णय हुए थे, उसमें एक भी निर्णय पर implementation नहीं हुआ है। क्यों नहीं हो रहा है? आखिर अधिकारी क्यों नहीं कर रहे हैं? जिला अस्पतालों में मास्क नहीं हैं। Hand gloves नहीं हैं। पी.पी. किट नहीं हैं। जितने भी रेडियोलॉजी सेंटर हैं, वहां पर सबसे ज्यादा अगर कोरोना में सबसे पहले इफेक्ट होता है तो लंग्स में इफेक्ट होता है। इसलिए लंग्स का सी.टी. स्केन होना चाहिए। आप जरा बता दें कि अभी तक छत्तीसगढ़ में कितने सी.टी. स्केन हुए? एक्स रे हो गया, इतिश्री समझ ली जाती है। सी.टी. स्केन होगा तो लंग्स का इफेक्ट मालूम पड़ेगा और उसका इलाज हो पायेगा। अभी तक आपके जितने भी कोविड सेंटर बने, उसमें कोई डॉक्टर देखने नहीं जाता है। मैं बोलना नहीं चाहता। आपने राजस्थान कोटा में बच्चों को लेने के लिए भेजा था। उसमें जिन डॉक्टरों की टीम को भेजा था, उसमें सबसे बड़ा डॉक्टर कौन था। संविदा नियुक्ति वाला डॉक्टर था, जिसे सरकार की नौकरी करते हुए 6 महीने हुआ था। बच्चों के फोन

जाते थे कि हमें खाना नहीं मिल रहा है। हमारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। हमारा इलाज नहीं हो रहा है। हमें दवाइयां नहीं मिल रही हैं। अभी भी माननीय मंत्री जी जितने कोविड सेंटरों में ड्यूटी लगी है, सिर्फ जूनियर डॉक्टरों की ड्यूटी लगी है। किसी सीनियर डॉक्टरों की ड्यूटी नहीं लगी है। उन कोविड सेंटर्स में भर्ती होने वाले लोगों से उनके रिश्तेदार नहीं मिल सकते। उनके दोस्त यार नहीं मिल सकते। उनके नातेदार नहीं मिल सकते। उन्हें घर का खाना नहीं मिल सकता। ऐसे समय पर कम से कम डॉक्टर दिन में दो बार उन पेशेंट्स से बात तो कर ले कि आपकी क्या हालत है? यह काम एम्स में हो रहा है, किन्तु हमारे छत्तीसगढ़ के जितने कोविड सेंटर्स बने हैं, रायपुर के जितने कोविड सेंटर्स बने हैं, उनके पेशेंट से कोई पूछने वाला भी नहीं है कि आपको बुखार है या नहीं है। आपको खांसी तो नहीं आ रही है। आपको सर्दी तो नहीं हो गई है। आप क्या दवाई ले रहे हैं? छोटी सी प्रोटीन की गोली मल्टीविटामिन की गोली, विटामिन-सी की गोली ये तो दी जा सकती है। आपको व्यापक स्तर में गरीब बस्तियों में, सामान्य लोगों के बीच में उसे बंटवाना चाहिए। इसकी भी व्यवस्था नहीं है। इस सरकार के पास में बार-बार, यह तो ऐसा ही हो गया है कि शादी मैंने की है, पर बच्चा पैदा करने के लिए किसी दूसरे को बोल रहे हैं। बार-बार केन्द्र की सरकार को मुख्यमंत्री जी पत्र लिखते हैं कि ये सहायता दीजिए, ये सहायता दीजिए। आपको जनता ने वोट दिया है। सरकार आपने बनायी है। यह आपके पत्र लिखने से नहीं होगा, आप पहले व्यवस्था कीजिए। आपको इजाजत नहीं है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय, यह जो आपने बात बोला, उसकी संदर्भ क्या है? यह संदर्भविहीन बात हुई।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- माननीय सभापति महोदय, संघीय व्यवस्था में होता है, राज्यों का देखभाल करना।

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन जी, आप पहले वक्ता हैं, 30 मिनट हो गये हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, अभी 30 मिनट कहां हुआ है।

श्री संतराम नेताम (केशकाल) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय काफी वरिष्ठ हैं और कोरोना के बारे में बहुत अच्छा बता रहे हैं। सबसे पहले तो आप यह बताइए कि कोरोना जो अभी भयावह रूप ले रही है, इसके लिए तो केन्द्र सरकार को पहले व्यवस्था करनी चाहिए। लॉकडाउन पहले करना चाहिए। बाद में लॉकडाउन किये हैं तो मैं समझता हूं कि इसके लिए जिम्मेदार केन्द्र सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी हैं, उस विषय पर आप थोड़ा बोलिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप भाषण दोगे जी।

श्री संतराम नेताम :- नहीं, दूंगा, लेकिन पहले तो..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आज पूरा देश इस बात की तारीफ कर रहा है कि भारत की आबादी 130 करोड़ से ज्यादा है और 130 करोड़ की आबादी में सबसे कम संक्रमित, सबसे कम मृत्यु दर अगर कहीं है

तो हिन्दुस्तान की है। अगर उसका सबसे बड़ा कारण है तो मोदी जी के बोल्ड स्टेप हैं । मोदी जी का कोरोना के मामले में गंभीरता से लिया जाना निर्णय है ।

समय :

4:00 बजे

संसदीय सचिव (खाद्य मंत्री से सम्बद्ध) (श्री कुंवर सिंह निषाद) :- माननीय सभापति महोदय, 30 लाख कोनोरा पॉजिटिव हिन्दुस्तान में पहुंच चुके हैं, ये मोदी जी की ताकत है ।

डॉ. विनय जायसवाल :- मोदी जी का खाली बजाना और शंख बजाने और लाईट जलाने से कोरोना नहीं भागता ।

सभापति महोदय :- डॉ. साहब, आप बैठिए । माननीय मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- इन पांच महीनों में खाली थाली बजवाये हैं और दीया जलवाये हैं । इसके अलावा आप लोगों ने कुछ नहीं किया है । (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- अगर सही तरीके से कोरोना का ईलाज होता तो इतनी संख्या नहीं बढ़ती और हवाई यात्रा और रेल सेवा बंद करने की नौबत नहीं आती । (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- पांच महीने में एक बार थाली बजाते हैं, एक बार ताली बजाते हैं, एक बार दीया जलाते हैं । (व्यवधान)

संसदीय सचिव (महिला एवं बाल विकास मंत्री से सम्बद्ध) (डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- समाचार के हिसाब से तो पूरे भारत में कोरोना 24 लाख पहुंच चुका है । आपके नेता जी के निर्णय से कोरोना फैल गया है । (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- ताली बजाने और घंटी बजाने से कितने कोरोना वायरस ठीक हुए हैं (व्यवधान)

सभापति महोदय :- डॉ. साहब बैठिए, आप अपनी बात कहिएगा, आपका भी नाम आयेगा ।

श्री देवेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, पूरे देश को अपने हाल पर छोड़ दिया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, देश के इतिहास में आजादी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री हुए तो पहले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्होंने कहा था कि सप्ताह में एक बार भोजन नहीं करेंगे तो (व्यवधान)

डॉ. विनय जायसवाल :- प्रधानमंत्री जी को महामारी के बारे में लोग याद करेंगे कि हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री थे, जो अवैज्ञानिक तरीकों से ईलाज के लिए बोलते थे । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- डॉ. जायसवाल जी, आपका नाम है, बाद में बोलिएगा।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- सभापति महोदय, इस स्थगन पर ग्राह्यता के बाद में चर्चा हो रही है । इसमें पक्ष को और प्रतिपक्ष, दोनों पक्षों को बोलने का अधिकार है । मुझे लगता है कि यादव जी को, डॉक्टर साहब को, सबको बोलवाना है । जब बृजमोहन जी बोल रहे हैं तो उनको बोलने दीजिए, उसके बाद में सारे तथ्य आप लोग रखिए, आपको मना किसने किया है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, एक मिनट मैं पूछ लेता हूं । आप पहले सचेतक थे (श्री कुलदीप जुनेजा की ओर इशारा करते हुए) आजतक राज्यमंत्री हो गए हो तो सचेतक हो या नहीं हो ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- सचेतक हूं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- हो न ।

श्री धरम लाल कौशिक :- पूरे रात भर का समय है, बोलिए न, क्या दिक्कत है ?

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- भैया, आपको हमारी पार्टी की बहुत चिन्ता रहती है।

श्री कुलदीप जुनेजा :- पिछला 5 महीना कांग्रेस के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सेवा किये हैं, सारे मंत्रियों ने, पूरे विधायकों ने सेवा की है । (व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- कोरोना में यह सरकार फेल हो गई है (व्यवधान)

सभापति महोदय :- कृपया टोका-टोकी बंद करिए ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- अभी घंटा बजाने बोलेंगे तो आप लोग घंटा बजाओगे । (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- कांग्रेस पार्टी देश की जनता की सेवा करती है (व्यवधान)

सभापति महोदय :- कृपया माननीय सदस्य शांत रहें ।

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- घंटा बजाओगे तो आप लोग घंटा बजाना।

सभापति महोदय :- संतराम जी, बैठिए । धर्मजीत जी कुछ बोल रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, विषय बहुत गंभीर है । बीच-बीच में बोलने और किसी के भाषण को रोकने की बजाय 68 के 68 सदस्यों के नाम आप दीजिए, हम इस सदन में रात बैठकर सुनेंगे और आप बयान दीजिए और हम जवाब देंगे, लेकिन आप बीच में बोलकर किसी को लाईन लैंथ से हटाने की कोशिश करके या हल्ला करके आप गंभीर मुद्दों से ध्यान मत हटाईए । आप बोलिए न, हम आपको कहां रोक रहे हैं । हम तो खुद निवेदन करते हैं कि सबको बोलने दिया जाये ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- इस गंभीर मुद्दे पर बोलने के लिए 5 महीने आप लोग कहां थे ? (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- सब मंत्री, विधायक, संसदीय सचिव, गृह निर्माण मण्डल के अध्यक्ष और क्या-क्या मण्डल के अध्यक्ष हैं, सब बोलो । असली मंत्री, नकली मंत्री, सब बोलो, हम सबकी बात सुनने को तैयार हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, सरदार जी अपने मन से आजतक खड़े नहीं हुए हैं, जब तक कि यहां से ईशारा नहीं होता । असली समस्या की जड़ यहां पर है ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- मैं तो अपने मन से खड़ा हो सकता हूं । माननीय सदस्य के सीट के नीचे स्टिक लगा है । हर बार खड़ा हो जाते हैं, हर बार खड़ा हो जाते हैं । इनकी सीट के नीचे कुछ है । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- असली समस्या की जड़ यहां पर है ।

श्री संतराम नेताम :- हम लोग कभी-कभी खड़े होते हैं, माननीय अजय चन्द्राकर जी कितने बार खड़े होते हैं । हमको तो बोलना पड़ेगा न । अब हत्या जैसी बात करेंगे और वरिष्ठ सदस्य बार-बार खड़े होंगे तो हमको बोलना पड़ेगा । हत्या जैसी बात के आरोप पर हम लोग जरूर उसका उद्हरण करेंगे ।

सभापति महोदय :- मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि लगभग 31 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लेने के लिए नाम दिया है और मैं समझता हूं कि जितने लोग अभी अपनी बात रखना चाहते हैं, उन सबको मौका मिलेगा तो जब जिनका समय आयेगा, उस समय अपनी बात को रखें क्योंकि बहुत ही सार्थक चर्चा होनी है, जिससे की भविष्य में सत्ता पक्ष और माननीय मंत्री जी, सब को मार्गदर्शन मिले और पूरे राज्य में एक संदेश जाना चाहिए कि एक गंभीर बीमारी पर बहुत गंभीर चर्चा सदन में हुई है तो मुझे लगता है कि सभी सदस्य सहमत होंगे और अपनी बात को अपने समय पर कहेंगे तो उन तथ्यों को जोड़कर कहेंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, हमारे माननीय विपक्ष के सदस्य बोल रहे थे कि हम बैठने को तैयार हैं। हम उनकी पूरी बात सुनेंगे। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं, जब वे ताली बजाने को कहते हैं तो पूरा देश ताली बजाता है। जब वे कहते हैं कि थाली बजाओ तो पूरा देश थाली बजाता है। जब वे कहते हैं कि दीया जलाओ तो पूरा देश दीया जलाता है। कोरोना के संकट से, कोरोना के संक्रमण से लोग आत्महत्या न करें, कोरोना के संक्रमण से डिप्रेशन में न जाये, इसके लिए पूरे देश को जागृत करते हैं। शास्त्री जी, के बाद दूसरे कोई प्रधानमंत्री हुए, जिनको बातों को पूरा देश ध्यान से सुनता है तो वह नरेन्द्र मोदी जी हैं। आपको तो उनकी तारीफ करना चाहिए। क्या उनके कारण आप और हम लोग ..।

डॉ. विनय जायसवाल :- 30 लाख कोविड के मरीज हो गये हैं और वह मोर को दाना खिलाते हैं।

सभापति महोदय :- डॉ. जायसवाल, आपका भी बोलने वाली सूची में नाम है। आप अपनी बातों को उस समय रखियेगा।

डॉ. विनय जायसवाल :- 30 लाख कोविड के मरीज हो गया है तो मोर को दाना खिलाते हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन जी, आप अपनी बात कहिये। जायसवाल जी, आप बैठ जाईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- डॉ. कोविड स्पेश्यालिस्ट नहीं हैं। इनकी डिग्री की जांच होनी चाहिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप डाक्टर साहब को कुछ नहीं बनवाये क्या ? बनवाये नहीं है, उनको बनवा दीजिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- डाक्टर साहब बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं बनना है।

श्री धर्मजीत सिंह :- बनवाये नहीं है, उनको बनवा दीजिये। यहां पीछे से बौछार हो रही है। हम लोग सामने बैठे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- धर्मजीत जी, मेरी अभी डाक्टर साहब से बात हो रही थी, बोले कि अभी जो संसदीय सचिव बने हैं, वह पेंडुलम हो गये है। वह न इधर के न उधर के। इसलिए मैं नहीं बना। अभी डाक्टर साहब इस बात को बोल रहे थे।

सभापति महोदय :- चलिये बृजमोहन जी, आप विषय पर बोलिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, मेरी चिंता इस बात की है कि अगर पूरे छत्तीसगढ़ में अगर 231 लोगों की मृत्यु हुई है, तो 117 लोग अकेले रायपुर में हुई है। आज हम इस विधान सभा में बैठे हैं। इसकी गंभीरता जरा सोचिये कि हम राजधानी में बैठे हैं। हम सब लोगों से मिलते हैं, कल हम लोगों की जान पर भी आ सकता है। अगर इस पर गंभीरता से चर्चा होगी, सरकार उसमें कदम उठायेगी तो हम लोगों की जान को बचा सकते हैं। हम गंभीर हो सकते हैं। मैं तो सदन के सभी सदस्यों को कहूंगा कि वह और अपने परिवार के सदस्यों का कोविड टेस्ट कराना चाहिए। कहीं हम संक्रमण के वाहक न बन जाये। हम इससे बचने के सर्दी, खांसी, बुखार के कारण कहीं बीमार न पड़ जायें। कहीं किसी की जान पर आफत न आ जाये, हमको इसको गंभीरता से लेनी की जरूरत है। हमने तो विधानसभा अध्यक्ष जी को कहा कि आपने टेस्ट कराने की जो योजना यहां पर रखी थी, उसको निरस्त क्यों कर दिया ? हमको घबराने की जरूरत नहीं है, इससे लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इसका सामना करने की जरूरत है। इसकी व्यवस्था करने की जरूरत है। लोगों की जान बचाने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना नहीं चाहता, मैं तो पूरे राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय स्तर के आकड़ें निकाले हैं, जितनी बातें ये लोग कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, एक समाचार छपा था कि " कोरोना मरीज को व्हील चेयर पर बैठाकर धूप में छोड़ दिया रोती रही पत्नि और शाम को रायपुर से जाते समय उसकी मौत हो गई।" यह कितना दुर्भाग्यजनक है। कितना दु:खद है कि किसी पत्नि के सामने उसके पति को कोरोना का ईलाज करने बजाय व्हील चेयर में बैठकार धूप में छोड़ दिया जाये, वह ईलाज करवाने आई है, शाम को वह अपने पति की लाश लेकर घर जाती है, इससे बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति और क्या होगी ? हम इसके बाद भी नहीं चेतेंगे ? हम इसके बाद भी नहीं जागेंगे ? मैं तो कहता हूं कि आप लोग 13 नहीं 28 हो गये हैं। जरा, 28 कोरोना वारियर्स बनिये, जितने कोविड सेन्टर बने हैं, वहां की व्यवस्था को देखिये। वहां पर कोई कमी है तो उसको देखिये। मैं तो कहता हूं कि हमारे जितने विधायक हैं, मैंने अपने विधायक निधि से 50 लाख रूपये कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए दिया है। अगर सरकार के पास पैसे की कमी है, तो विधायक निधि

से हम लोग सभी विधायक एक-एक करोड़ रूपया देने को तैयार हैं, आप वेन्टीलेटर खरीदिये। आप कोविड सेन्टर की व्यवस्था करिये। मैंने माननीय मंत्री जी से भी बात की, जितने कोविड सेन्टर बने हैं, वहां पर आक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। मैंने एम्स के डायरेक्टर से बात की, मैंने बाकी लोगों से बात की, उनका कहना था कि सर, अभी 30 प्रतिशत लोग ऐसे आ रहे हैं, जिनको आक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। हमारे स्टेट के सेन्टरों में तो 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग आ रहे हैं। वहां पर आक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। आक्सीजन की व्यवस्था करना कौन सा भारी काम है ? हमको पैसे की व्यवस्था करना है। आप कहेंगे कि मैं फिर गलत बात कर रहा हूं। मेरे को लानत है, मैं दुर्भाग्य से कहता हूं कि यह सरकार डी.एम.एफ. से ठेका, टेण्डर करना चाहती है। यह सरकार आपदा प्रबंधन से ठेका टेण्डर करना चाहती है। यह सरकार कैम्पा से टेण्डर करना चाहती है। जब केन्द्र सरकार ने आपको अधिकार दिया है तो आप तीनों मद से कोविड के लिए पैसा क्यों नहीं देते? जितना चाहिए उतना पैसा दीजिए।

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन जी, अब समाप्त करेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, आप खरीदी बंद करिये। आप ठेका, टेंडर बंद करिये। लोगों की जान पहले है, उनकी जान को बचाईये। मैं बार-बार पूछता हूं, मंत्री जी आप जवाब देंगे कि कैंपा मद में कितना पैसा है, उसमें से कितना पैसा खर्च करने का अधिकार है? डी.एम.एफ. में कितना पैसा है, उसमें कितना पैसा खर्च करने का अधिकार है? आपदा प्रबंधन में कितना पैसा है, उसमें से कितना पैसा खर्च करने का अधिकार है? परंतु उस पैसे को खर्च नहीं किया जा रहा है। मजदूरों के 350 करोड़ रूपये को मजदूरों के खाते में नहीं डाला गया, उससे खरीदी की योजना बनाई जा रही है। ये सरकार की लापरवाही के कारण, ये सरकार के पूरी तरह से ठेका, टेंडर की सोच के कारण आज पूरे छत्तीसगढ़ में करोना का संक्रमण भयावह होता जा रहा है। करोना से नौजवान मरते जा रहे हैं और इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय सभापति जी आप बार-बार मुझे कह रहे हैं कि मेरा समय हो गया, मैं अपनी बात को समाप्त करूं। मैं तो सरकार से इसी बात को पूछना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जब आपका जवाब आये और इस सदन में आप जो घोषणा करें उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। मेरे साथी विधायक कुलदीप जुनेजा जी बैठे हैं, विकास उपाध्याय जी हैं, सत्यनारायण शर्मा जी हैं, हमारे रायपुर शहर में भयावह स्थिति हो रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए हमको सबको एकजुट होना पड़ेगा, इसमें राजनीति को छोड़ना पड़ेगा। पूरे 90 विधायकों को राजनीति को छोड़ना पड़ेगा। आज ये संक्रमण गांव-गांव तक पहुंच गया है। आज सुकमा, दंतेवाड़ा तक पहुंच गया है, बीजापुर तक पहुंच गया है। अगर उनका इलाज नहीं हुआ, उनको कोविड सेंटरों तक नहीं पहुंचाया और ये संक्रमण यदि गांव-गांव में पहुंच गया तो हमें नियंत्रण करना मुश्किल हो जायेगा। पूरा देश तो इससे उबरते जा रहा है पर छत्तीसगढ़ इसके आगोश में समाता जा रहा है और इसलिए माननीय सभापति जी, माननीय अध्यक्ष जी ने बोलने का समय दिया मैं तो चाहूंगा कि पूरी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी होते, मैं तो चाहूंगा कि इसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जवाब दें, अंत में

मुख्यमंत्री जी भी यहां पर आकर कहें कि इस कोविड संकट से निपटने के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठाने जा रही है। खाली केन्द्र सरकार पर आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। मोदी जी ने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया इससे काम नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ की जनता ने हम लोगों को जिताकर भेजा है, हमको उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमको आरोप-प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलेगा। सरकार की कमियों को हम बता रहे हैं तो उसे सुनकर आप सुधारें, उसको ठीक करें। छत्तीसगढ़ की जनता की जान को बचायें, छत्तीसगढ़ के लोगों को संक्रमण से मुक्त करें। जैसा देश के अन्य राज्य, दिल्ली में किसी समय पर एक-एक दिन में 10-10 हजार मरीज आते थे, आज वहां पर मुश्किल से रोज 500 मरीज आ रहे हैं। उससे ज्यादा मरीज 1100-1200 मरीज तो हमारे छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। आज इस भयावह स्थिति को हमको समझने की आवश्यकता है। आज हम रिकव्हरी रेट में सबसे ज्यादा क्यों पिछड़ गये हैं। आज हम टेस्टिंग में सबसे ज्यादा क्यों पिछड़े हुए हैं। हम टेस्टिंग के सेंटर कैसे और ज्यादा बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा संक्रमित लोगों को हम कैसे आईसोलेट कर सकते हैं, कोविड सेंटर्स की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, वहां पर अच्छा भोजन मिले, अच्छी दवा मिले, अच्छा पानी मिले। क्या आप कोविड सेंटर में शौचालय नहीं बना सकते? हमारे पास पी.एच.ई. विभाग है, पी.डब्ल्यू.डी. विभाग है, इनको भेजकर आप 10-10, 20-20, 50-50 टेम्परेरी शौचालय बना दें। रायपुर के बीच में एक सुभाष स्टेडियम है। उस सुभाष स्टेडियम में करोना संक्रमित लोगों को रखा गया है। वहां पर मुश्किल से छः बाथरूम हैं। मैंने कहा था कि वहां का जो पानी निकलता है वह पानी, वहां का टॉयलेट नाले में बहकर जाता है। अगर उस नाले को गरीब बस्ती के लोग उपयोग करेंगे तो क्या वह संक्रमित नहीं होंगे? हमको इस बात को भी सोचने की जरूरत है कि रायपुर के आऊटर में बहुत सारे भवन हैं, बड़े-बड़े भवन हैं, उनको हम ले सकते हैं, उनको कोविड सेंटर बना सकते हैं। अटैच लेट्रीन-बाथरूम वाले कमरे हैं, आपका एक सड्डू का केंद्र बहुत अच्छा है जहां पर 200 कमरे हैं। वहां की लोग तारीफ भी करते हैं। जितने रायपुर के लोग हैं वह कहते हैं कि हमको सड्डू भेज दो। हम वैसे सेंटर और क्यों नहीं बना सकते कि लोग करोना से डरने के बजाय हमार इलाज ठीक से होगा सोचकर ऐसे सेंटरों में जाएं। तो हमको आईसोलेटेड रूम, अटैच्ड लेट्रीन-बाथरूम की जितनी भी धर्मशालाएं हैं, जितने भी बड़े सेंटर्स हैं उनको हमको लेना चाहिए। बीरगांव में एक प्रायवेट हास्पिटल को आपने घोषित किया है। उसकी भी लोग तारीफ करते हैं क्योंकि वहां 1400 रूपये में इलाज हो रहा है। वहां 14 हजार रूपये में 10 दिन का इलाज हो जाता है। ऐसे छोटे हास्पिटल्स को हम सेंटर बना दें। वहां पर जो पैसा दे सकते हैं वह लोग जाकर वहां पर इलाज करवा सकते हैं। एंटीजन टेस्ट के लिए प्रायवेट हास्पिटल के लोग चाहते हैं कि उनको परमीशन दी जाए। वहां पर किसी अस्पताल में भर्ती होने के लिए अगर कोई सामान्य बीमारी का मरीज आता है, तो दो-दो दिन तक उसको अस्पताल में भर्ती नहीं करते हैं, कहते हैं कि जब तक आपका करोना टेस्ट नहीं होगा तब तक हम आपको भर्ती नहीं करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम लोगों के भोजन की व्यवस्था सुधार दें, अगर हम वहां पर टायलेट, बाथरूम बना दें, अगर वहां पर आइसोलेटेड रूम

रख दें, अगर हम लोगों को दवाई दे दें, अभी अगर हम वहां पर लोगों के आक्सीजन नापने की मशीन रख दें, अगर वहां वेंटिलेटर की संख्या बढ़ा दें, तो मुझे लगता है कि इस महामारी से हम निपट सकते हैं। अभी पीक आया नहीं है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि पीक आना बाकी है। अगर जब पीक नहीं आया है, तब यह स्थिति छत्तीसगढ़ में है तो पीक आयेगा तो क्या स्थिति होगी, इसकी गंभीरता को सुनकर ही, सोचकर ही, मन भयभीत हो जाता है ? इसीलिये हम चाहते थे कि इस सदन में चर्चा हो, सरकार जागृत हो और इसके ऊपर में कार्यवाही करें। हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि आज इस सदन में चर्चा होने के बाद पूरी सरकार बाकी उत्सव धर्मिता को छोड़कर सिर्फ एक काम में लगेगी कि कोरोना के संक्रमण से, कोरोना के भय से हम लोगों को कैसे मुक्त करवा सकते हैं। आपने बोलने का समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय मोहन मरकाम जी।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय सभापति महोदय, विपक्ष के सम्माननीय सदस्यों द्वारा कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के गंभीर विषय पर चर्चा के लिये इस सदन में लाया और आपकी सहमति से सरकार ने चर्चा करने के लिये अनुमति दी। सरकार इसके लिये गंभीर है...। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- चर्चा करने के लिये...। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- मैंने कहा ना, आसंदी की अनुमति से सरकार.. (व्यवधान)

सभापति महोदय :- चलिये, वह बोलने में हो गया होगा। आप बात रखिये।

श्री मोहन मरकाम :- चंद्राकर जी, मेरी बात को सुन लीजिए। आसंदी की अनुमति से सरकार ने स्वीकार कर लिया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कल हम समाचार देख रहे थे कि मोहन मरकाम जी भी संक्रमित हो गये हैं, वे स्वस्थ हैं, बहुत अच्छी बात है। हम शुभकामनाएं देते हैं। वे संक्रमित तो नहीं हैं ना।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वे बहुत मजबूत दिख रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सरकार के पास और कोई बैट्समैन नहीं है। सरकार हर बार उन्हीं को खड़ा कर देती है। वे बेचारे संक्रमण के भय से ग्रसित हैं। उनको खड़ा नहीं करना था। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- मोहन मरकाम जी, आप अपनी बात कहिये।

श्री देवेन्द्र यादव :- थोड़ी देर पहले ये बोल रहे थे कि आप भी बोलियेगा, हम सुनेंगे। अब ये अपना चरित्र दिखा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- बोलने के लिये (व्यवधान) इसलिए उनको क्वारांटाईन से निकाल कर ला करके विधायकों को खतरे में डाला गया।

सभापति महोदय :- चलिये, आप अपनी बात रखिये।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, सरकार कितनी गंभीर है, जैसे ही सदन में कोई बात चर्चा के लिये आई, सरकार ने तुरंत उस पर सहमति दी। इससे साफ जाहिर होता है। छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार कितनी गंभीर है, इससे साफ जाहिर होता है। इन पौने दो सालों में छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार जो लक्ष्य लेकर चल रही है, पूरे विश्व में हाहाकर मचा है, देश में हाहाकार मचा है। मगर सरकार इसलिए गंभीर है, जो छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता की सेवा, उसकी सुरक्षा के लिये संवेदनशील है, गंभीर है। आज हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार सेवा, जतन और सरोकर, आज यह तीन लक्ष्य लेकर चल रही है। छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता सुरक्षित है। आज आदरणीय वरिष्ठ सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल जी जो आंकड़े बता रहे थे, आज जो पूरे देश में आंकड़े हैं, जो 31 लाख 67 हजार 333 तक पहुंचे हैं, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य हैं, हरियाणा छत्तीसगढ़ के बराबर है जिसमें 55 हजार संक्रमित मरीज है, जिसमें 631 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्यप्रदेश में 54 हजार आंकड़े हैं जिसमें 1246 लोगों की मौत हो चुकी है। असम जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 92,692 संक्रमित व्यक्ति हैं जिसमें 252 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं, 87691 आंकड़ें हैं जिसमें 2908 लोगों की मौत हो चुकी है। आंध्रप्रदेश 3 लाख 62 हजार आंकड़े हैं, जिसमें 3368 लोगों की मौत हो जाती है। दिल्ली 1 लाख 63 हजार संक्रमित व्यक्ति हैं, जिसमें 4313 लोगों की मौत हो चुकी है, छत्तीसगढ़ मात्र 22 हजार आंकड़े हैं, जिसमें 206 लोगों की मौत हो चुकी है। अन्य प्रदेशों के मुकाबले में छत्तीसगढ़ राज्य बहुत अच्छा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और प्रणाम करना चाहता हूं, डॉक्टर, नर्स स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाएं, कार्यकर्ता, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, सभी को मैं सलाम करना चाहता हूं। प्रणाम करना चाहता हूं जिनकी बदौलत आज छत्तीसगढ़ की जनता सुरक्षित है। लगातार चाहे हमारी सरकार हो, स्वयं सेवी संस्थाएं हों, चाहे राजनीतिक दलों के हमारे कार्यकर्त्ता हों, अपनी जान को जोखिम में डालकर भी छत्तीसगढ़ की जनता की लगातार सेवा कर रहे हैं। जो बात होती है हमारे नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तात्कालीन अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने फरवरी माह में ही केन्द्र सरकार को आग्रह किया था, सचेत किया था, कोरोना जैसी महामारी, सुनामी आने वाली है। केन्द्र सरकार समय रहते कदम उठाये। मगर केन्द्र सरकार ने माननीय राहुल गांधी जी की बातों को नज़र अंदाज कर दिया, उनकी बातों को अनसुना कर दिया। केन्द्र सरकार ने इस चेतावनी को जानबूझकर अनसुना कर दिया और 24 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के आवभगत में अहमदाबाद में लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है उसके साथ-साथ मध्यप्रदेश में सरकार गिराने की जल्दबाजी थी। मध्यप्रदेश में सरकार गिराने में पूरी केन्द्र सरकार ताकत लगा देती है और मध्यप्रदेश की तात्कालीन कांग्रेस सरकार को इन्होंने गिरा दिया। मगर आज फिर से केन्द्र सरकार दिल्ली में बड़े आयोजनों की अनुमति देती है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, ये मध्यप्रदेश में सरकार गिरी, उसका छत्तीसगढ़ के कोरोना से क्या संबंध है?

श्री मोहन मरकाम :- इसका बहुत कुछ संबंध है आप देख लीजिए। आप सुनिये तो। आप सुनने की ताकत रखिए। हमने आपकी बातों को गंभीरता से सुना है। इसलिए आप भी सुनने की हिम्मत रखिए।

श्री कुलदीप जुनेजा :- उनके सोफा में स्प्रींग लगा हुआ है वे उनको बार-बार खड़े कर देता हैं।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, फिर केन्द्र में, दिल्ली में बड़े आयोजन होते हैं, उसकी अनुमति देती है। अगर समय रहते केन्द्र सरकार जाग जाती तो विदेशों से आने वाले लोगों की पहचान की जाती, क्वारनटाईन किया जाता तो यह समस्या नहीं होती, लेकिन दुर्भाग्य से केन्द्र सरकार की प्राथमिकता में कोरोना नहीं था। जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने आधी रात में लॉक-डाऊन करने की घोषणा की, उस दिन सिर्फ कोरोना के कुल 503 मरीज थे। एकाएक यह कह दिया गया कि 15 दिनों के लिए पूरा देश बंद हो जाएगा। पहली बार देश में ऐसा प्रधानमंत्री बना है। पूरा विश्व थू-थू करता है कि ऐसे अंधविश्वासी प्रधानमंत्री जो थाली बजाते हैं, दीया जलाने बोलते हैं और अन्य-अन्य क्या-क्या करने के लिए नहीं कहते हैं। उन्होंने कहा था, यह दावा किया था कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों में खत्म हो गया था। हम कोरोना के खिलाफ 21 दिनों में जीत जाएंगे। मगर आज इन 6 महीनों में आज देश की स्थिति कहां से कहां पहुंच गई ? आज देश की स्थिति भयावह है। आज लगातार लॉक डाऊन के कारण लाखों करोड़ों प्रवासी कामगार, मजदूरों की दयनीय स्थिति हो गई। आज जिस ढंग से केन्द्र की मोदी जी की सरकार जो बिना सोचे समझे लगातार फैसले लिये। चाहे नोटबंदी हो, जी.एस.टी. हो, या इस कोरोना जैसी महामारी में लॉक डाऊन की बात हो, बंद करने की बात हो जिसके कारण देश की स्थिति भयावह हुई है। आज छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारे स्वास्थ्य अमले के दूरदर्शी सोच के कारण पूरे देश में एक रोल मॉडल, उदाहरण बना है। लॉक डाऊन 1, 2, 3 तक हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं के बराबर मरीज थे, मगर जो प्रवासी कामगार, प्रवासी मजदूर आने के कारण कुछ आंकड़े जरूर बढ़े हैं। आज हमारी सरकार ने लगभग 7 लाख हमारे प्रवासी कामगारों को लाने का काम किया है। आज जो अन्य प्रदेशों की सरकारों ने नहीं किया है।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ शासन ने जनवरी माह से ही चीन में महामारी की सूचना विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सूचित कर दिया था कि ये कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैल सकती है तभी से हमारी सरकार ने जनवरी माह से ही स्वास्थ्य अमले को सचेत करना शुरू कर दिया था। आज स्वास्थ्य संगठन के द्वारा सूचना प्राप्त होते ही कोविड-19 से बचाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। जनवरी 2020 के तीसरे सप्ताह में ही कोविड हेतु रेपिड रिस्पांस टीम का गठन कर लिया गया था और एयरपोर्ट में कोरोना प्रभावित देशों से यात्रा कर आने व्यक्तियों की स्क्रीनिंग एवं उनको क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया 02/02/2020 से प्रारंभ कर दी थी। हमारी सरकारी इतनी संवेदनशील थी, बजट सत्र चल रहा था, उस

समय होली का त्यौहार था, उसी समय तत्काल राज्य सरकार ने उसमें प्रतिबंध लगा दिया, माल, कालेजों को बंद कर दिया और उसके साथ-साथ जितने भी आयोजन थे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, उसी कारण से हमारे छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी लॉकडाउन-3 तक नहीं के बराबर थी। हमारी भूपेश बघेल जी की संवेदनशील सरकार, हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, हमारे सभी विधायक साथी गंभीर थे। जब लॉकडाउन की बात हुई, केन्द्र की मोदी जी की सरकार ने घोषणा की थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते थे कि हम छत्तीसगढ़ के 5 करोड़ लोगों को भोजन खिलायेंगे। एक दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री जी आते हैं, फोटो खिचवाते हैं, एक-दो लोगों को चावल का पैकेट दे देते हैं, उसके बाद उनका एक भी कार्यकर्ता गावों में नहीं दिखता। मैं कांग्रेस के जांबाज कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह लगातार चिरचारी, सुकमा, कोन्टा, बीजापुर से लेकर, मध्यप्रदेश सहित जितने भी 7 राज्यों से घिरा हुआ हमारा छत्तीसगढ़ में उन अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों को भी सेवाभावना से भोजन भी करवाया, उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं से लेकर, स्वयंसेवी संस्थाओं ने काम किया। छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने काम किया। छत्तीसगढ़ की यह गौरवशाली परंपरा है कि छत्तीसगढ़ में जो भी आता है, उनको पहुना का, अतिथि का दर्जा दिया गया है। हमारी सरकार के साथ-साथ, हमारा संगठन, स्वयंसेवी संस्थाओं ने सेवाभावना से काम किया। उसी के कारण छत्तीसगढ़ में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा कोरोना महामारी नहीं के बराबर है। आप बाकी जगह का देख लीजिए। जो अभी आंकड़ा बढ़ा है, यह केन्द्र की मोदी जी की सरकार के कारण है। अगर समय रहते हमारे प्रवासी कामगार आये रहते तो वह आंकड़ा इतना ज्यादा नहीं पहुंचता। सरकार के 22,375 क्वारंटाइन सेंटर पर उंगली उठा रहे हैं। आज सरकार अपने संसाधनों से लगातार काम कर रही है और 6 लाख 70 हजार लोगों को जो प्रवासी कामगार आये थे, उनके खाने-पीने से लेकर, हर तरह की सुविधाओं की व्यवस्था माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कितने गावों में दौरा किया, कितने लोगों को सहयोग किया? यहां से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निर्वाचित होते हैं, लेकिन पी.केयर फंड में राशि जमा करते हैं, उनको छत्तीसगढ़ की जनता की चिंता नहीं होती है। हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे कार्यकर्ता मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि जमा करते हैं और छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करते हैं। अगर इनको उतनी चिंता रहती तो अपने सांसदो को प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए। अगर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के विकास के लिए अगर इनकी इतनी चिंता होती तो इन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा जमा किया होता।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, सांसदों के मामले में यहां चर्चा नहीं हो सकती। सांसद इस सदन के सदस्य नहीं हैं, इसलिए आप दिल्ली सरकार के खिलाफ बोलिये, पर सांसदों के मामले में आरोप नहीं लगा सकते, चर्चा नहीं कर सकते।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, आज कितने घड़ियाली ऑसूं बहा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ की जनता ने यहां से 9 सांसद दिया है, मगर 1 करोड़, 2 करोड़ पी.एम. केयर फंड में जमा करते हैं। पी.एम. केयर फंड के लिए यह नियम बना दिया है कि उसकी कोई ऑडिट नहीं होगी। ऐसी कोई संस्था नहीं है कि जिसमें ऑडिट का प्रावधान नहीं है। मगर ऐसा है कि मैं ना खाऊंगा, न खाने दूंगा। इस विपदा की घडी में भी जनता का पैसा, देश के जनप्रतिनिधियों का पैसा खाने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? माननीय सभापति महोदय, प्रारंभ से सतर्कता एवं तैयारियों में छत्तीसगढ़ राज्य भारत के अन्य राज्यों की तुलना में कोरोना संक्रमण की स्थिति अच्छी रही एवं माह मार्च में कोरोना से बचने में सफल रहे । साथ ही मई की स्थिति में मात्र 03 संक्रमित रहे । आज जरूर आंकड़े बढ़े हैं, आपको सब स्थिति पता है । चूंकि यह 07 राज्यों से घिरा है, इन राज्यों से होकर प्रवासी कामगार गये जिसके कारण आंकड़े बढ़े हैं लेकिन अन्य राज्यों की अपेक्षा आज हमारी सरकार लगातार इसके लिये काम कर रही है । जो बात आ रही थी कि वर्तमान में 07 आर.टी.पी.सी.आर लैब एम्स रायपुर, मेडिकल कॉलेज रायपुर, मेडिकल कॉलेज बिलासपुर, मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर, मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव और मेडिकल कॉलेज जगदलपुर । आज सभी क्षेत्रों में चाहे सरगुजा हो, बस्तर हो हर क्षेत्रों में यदि जांच की सुविधा की व्यवस्था की है तो हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है । मैं तात्कालीन सरकार के मुखिया डॉ. रमन सिंह जी से यह पूछना चाहता हूं कि आप 15 सालों तक सरकार में रहे, आपने कितने डॉक्टरों के पद सृजित किए ? कितने की भर्ती की ? जहां 1800 डॉक्टरों के पद थे जिसमें 1400 पद आज भी खाली हैं । आज हमारी सरकार आने के बाद लगातार डॉक्टरों की भर्ती, स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती और लगातार स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था कर रही है । आज हमारी सरकार लगातार गंभीरता से कार्य कर रही है । राज्य सरकार के द्वारा 10,887 लाख रूपये स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से 1732 लाख रूपये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में राज्यांश के रूप में उपलब्ध कराये हैं ।

माननीय सभापति महोदय, इसी से यह लगता है कि सरकार इस महामारी को रोकने में गंभीर है और लगातार काम कर रही है । केंद्र सरकार, नीति आयोग, रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं कि इस लॉकडाऊन अवधि में जो प्रवासी कामगार यहां के लोगों को रोजगार देने में हमारी सरकार का प्रथम स्थान है । मनरेगा में 26 लाख जो मनरेगा मजदूरों को हमारी सरकार ने काम दिया है, वनोपज में 432 करोड़ रूपये हमारी सरकार ने 31 वनोपजों में किया है । आज गांव का व्यक्ति बाहर न जाये, गांव के लोगों को रोजगार मिले ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है । आज चाहे आंगनबाड़ी के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से हो या सकूलों में हो। 3-3 महीने का मध्याह्न भोजन हमारी सरकार ने बच्चों के घरों तक पहुंचाने का काम किया है । आंगनबाड़ी के बच्चों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के माध्यम से 3-3, 4-4 महीने का बच्चों के यहां पहुंचाने का काम किया । 3-3, 4-4 महीने तक पी.डी.एस. चावल से लेकर हर तरह की व्यवस्था हमारी सरकार ने किया। 05 लाख 29,000 प्रवासी श्रमिकों को राज्य सरकार नियोजकों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से गृहजिलों में वापिस लाने का काम हमारी सरकार

ने किया है । 107 स्पेशन ट्रेनों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को लाने का काम हमारी सरकार ने किया है । आज जो प्रवासी कामगार छत्तीसगढ़ में आये हैं, चाहे उद्योग हो या अन्य संस्थाओं में रोजगार देने का काम हमारी सरकार कर रही है । पंजीयन हेतु आवेदन के आधार पर 14,627 प्रवासी श्रमिकों का छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में तथा 6073 प्रवासी श्रमिकों को छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीयन किया गया है और उनको सरकार सुविधाएं दे रही है । वर्तमान में 2464 प्रवासी श्रमिकों का स्किल मेपिंग किया गया है और 3104 श्रमिकों को रोजगार दिया गया है । आज केंद्र सरकार ने जो आंकड़े जारी किये हैं उसमें छत्तीसढ़ प्रवासी कामगारों को रोजगार देने में देश में प्रथम स्थान पर है । आज जो 12 वर्षीय मासमू बच्ची जमलो मड़कम ग्राम आधेड़ में मौत होने की बात आयी यह किसके कारण हुआ ? केंद्र की मोदी जी की सरकार ने गाड़ियां बंद कर दी थी । अगर समय रहते सबको कहा जाता कि आप समय रहते अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचिये तो यह नौबत नहीं आती । आज केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार ताली और थाली बजवाकर देश को गुमराह नहीं कर सकती । देश की 130 करोड़ जनता देख रही है जो केंद्र की मोदी जी की सरकार को जो उसकी अदूरदर्शी सोच के कारण आज देश की 130 करोड़ जनता यह कोरोनो जैसी वैश्विक महामारी को भुगत रही है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मोहन भाई, कितने लोगों को और किसमें रोजगार दिया गया है, यह तो बताना ?

श्री मोहन मरकाम :- डॉक्टर साहब सुनने की हिम्मत रखिए । सभापति महोदय, प्रदेश में 51,445 आंगनबाड़ी केन्द्रों में लगभग 24 लाख, 38 हजार हितग्राहियों को सीधे रेडी-टू-ईट उनके घरों में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है । मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अंतर्गत 3,62,141 हितग्राहियों को सूखा राशन देने का काम हमारी सरकार ने किया है। लॉकडाउन की अवधि में चावल, दाल, सूखी सब्जी, जैसे आलू, चना, अंडा वितरण आदि सामग्री वितरण करने का काम हमारी सरकार ने किया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मरकाम जी, आलू दाल चावल को भी देखकर पढ़ोगे, उसको तो ऐसे ही बोलो ना । उसको भी पढ़ रहे हो ।

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी उनको बोलने दीजिए, इनके बाद आप ही का नंबर है ।

श्री मोहन मरकाम :- पढ़ने की चीज है तो पढ़ना चाहिए ।

सभापति महोदय :- आप तो अपनी बात कहिए ।

श्री मोहन मरकाम :- हमारी सरकार छत्तीसगढ़ की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम कर रही है । सभापति महोदय, 16 करोड़, 28 लाख, 20 हजार 529 रूपए की लागत से 7 हजार 978 यात्री वाहनों के माध्यम से लोगों को नि:शुल्क उनके गंतव्य स्थानों तक लोगों को पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है । आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु 1 लाख, 9 हजार 169

परिवारों द्वारा पंजीयन कराया गया था, जिसमें 2 लाख 22 हजार 605 सदस्य पंजीकृत किये गये हैं उनको भी हर तरह से सुविधाएं देने का काम हमारी सरकार कर रही है । दिनांक 25.08.2020 तक आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत 1 लाख, 68 हजार 373 सदस्यों को 2 माह का चावल 15,034 क्विंटल तथा 65,744 परिवारों को 2 माह का चना 1078 क्विंटल वितरण किया गया । पीडीएस के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सरकार कोविड 19 संक्रमण से बचाव हेतु लॉकडाउन के दौरान राशनकार्डधारियों को राहत देने के लिए पीडीएस के अंतर्गत 57 लाख अंतयोदय प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारों को अप्रैल से जून का 3 महीने का पात्रतानुसार चावल नि:शुल्क प्रदान किया । ऐसी सरकार है, जिसने 3 महीने का चावल फ्री में दिया उसके साथ-साथ 9.19 लाख सामान्य राशन कार्डधारी परिवारों को राज्य शासन द्वारा रियायती दर पर चावल उपलब्ध कराया गया । इस प्रकार राज्य में 66.55 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को 97 प्रतिशत जनसंख्या को 3 माह का नि:शुल्क राशन देने की व्यवस्था हमारी सरकार, संवेदनशील सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार ने की है । राशन कार्डधारी परिवारों को मासिक पात्रता के अनुसार ।

सभापति महोदय :- माननीय मरकाम जी कितनी देर में समाप्त करेंगे ?

श्री मोहन मरकाम :- 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं ।

सभापति महोदय :- नहीं, 2 मिनट में समाप्त करिये । बहुत सारे सदस्यों ने नाम दे रखे हैं ।

श्री मोहन मरकाम :- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशनकार्डधारियों को प्रति सदस्य में 1 किलो चना देने का काम किया है । जो प्रवासी कामगार आए थे, उनके पास राशन कार्ड नहीं था, व्यवस्था नहीं थी । लेकिन हमारी सरकार ने किसी के साथ भेदभाव न करते हुए राज्य के राशन कार्डधारियों को 24 अगस्त 2020 तक कुल 4 लाख 59 हजार 300 टन अतिरिक्त चावल तथा 17 हजार 253 टन अतिरिक्त चना नि:शुल्क वितरण किया है । राशनकार्ड विहीन परिवारों को नवीन राशनकार्ड बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। इस कोविड 19 की इस अवधि में जो आये, चाहे वह कोई भी हो, बिना चेहरा देखे चाहे हो भी आया और जिसने भी आवेदन किया और जिसने भी मांग की है, उनके 1 लाख 8 हजार 898 नवीन राशनकार्ड बनाये गये तथा राशनकार्डों में 1 लाख 32 हजार 6 सौ नवीन सदस्यों का नाम जोड़ा गया। आज पंचायतों को 11 हजार 105 ग्राम पंचायतों में 22 हजार 210 क्विंटल चावल आबंटन का भंडारण किया गया। कोई भी छत्तीसगढ़ की जनता कहीं भूखा न सोये, उसके भी व्यवस्था करने का काम हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है और हमारे आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे थे कि मजदूरों के खाते में..।

सभापति महोदय :- मोहन जी समाप्त करें।

श्री मोहन मरकाम :- जो प्रवासी मजदूर दूसरे प्रदेशों में फंसे थे, हमारी सरकार इतनी गंभीर है कि आज बाकायदा उन मजदूरों के खाते में जिसने-जिसने भी मांग की, प्रवासी कामगारों व प्रवासी मजदूरों के

खाते में बाकायदा हमारी सरकार ने उनके खाते में पैसा जमा किया और 104 ट्रेनों के माध्यम से उन्हें लाने की व्यवस्था अगर कोई कर रही है तो हमारी सरकार काम कर रही है। आज हमारी सरकार जो मुख्यमंत्री राहत कोष में जो भी पैसा जमा हुआ, उसे पारदर्शिता के साथ बाकायदा उन जिलों में पैसा जारी किया, उन जिलों को कलेक्टरों के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया और सराकर ने आंकड़े जारी किये कि हम उन जिलों को इतना पैसा जारी किये हैं। उस जिले के प्रशासन और उस जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को मैं बधाई देना चाहता हूं, जिनकी बदौलत आज कोरोना जैसी महामारी को रोकने में हम सफल हुए हैं। आज जो बात आदरणीय कह रहे थे कि 2 हजार करोड़ केन्द्र सरकार ने जारी किया है। क्या सचमुच में आपके पास आंकड़े हैं कि 2 हजार करोड़ रूपये केन्द्र सरकार ने कब-कब जारी किये हैं। आप हमें आंकड़े बता देंगे तो मैं मानूंगा कि सचमुच में छत्तीसगढ़ को केन्द्र सरकार ने 2 हजार करोड़ रूपये जारी किये हैं। केन्द्र सरकार ने लगातार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया। मगर छत्तीसगढ़ के माननीय भूपेश बघेल जी की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण आज छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता की सेवा करने का जो उनमें जुनून है जो जनता के प्रति सरोकार है। जिस संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता ने उन्हें जिताया है, उस पर खरा उतरकर हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार काम कर रही है। करना और न करना में अंतर है। ये आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अगर वे सचमुच में इतने गंभीर हैं तो केन्द्र सरकार से निवेदन क्यों नहीं करते कि छत्तीसगढ़ को ज्यादा से ज्यादा फंड मुहैया कराया जाये। आज केन्द्र सरकार से चाहे डी.एम.एफ. का पैसा हो या सी.एस.आर. के मद में पैसा हो, सी.एस.आर. का पूरा पैसा प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में जमा हुआ है। वह जो छत्तीसगढ़ के लोगों का अधिकार है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मोहन जी, आपने मेरा नाम लिया है न। मुझे आप यह बता दीजिए कि स्वास्थ्य मंत्री जी आपकी पार्टी के हैं या नहीं हैं? उनका भी नाम ले लीजिए।

श्री मोहन मरकाम :- मैं तो नाम लिया न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उनका भी एकाध बार नाम लो।

श्री मोहन मरकाम :- मैंने नाम लिया और शुरू में ही नाम लिया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उनका नाम लेकर उन्हें भी धन्यवाद दे दो।

श्री मोहन मरकाम :- आप नहीं थे। उस समय मैंने उनका नाम लिया है। स्वास्थ्य मंत्री जी की तारीफ की है। स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच के कारण..।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट। सुन लीजिए।

श्री मोहन मरकाम :- नहीं, आपकी बारी आयेगी, आप सुन लीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट, सुन तो लीजिए। मैं तो आपको आराम दे रहा हूं, फिर आप बोल लेना।

सभापति महोदय :- नहीं, उनका समय है। उन्हें बोलने दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, हम तो 68 सदस्य को बोलने के लिए आपसे निवदेन कर रहे हैं। 68 के 68 सदस्य बोलें। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहने का आशय यह है।

सभापति महोदय :- केवल 18 लोगों के नाम आये हैं। जिनके नाम हैं, वही बोलेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- उसमें 60 और बढ़ा दीजिए। क्या दिक्कत है? आप स्वास्थ्य मंत्री की भी थोड़ी तारीफ कर दो। स्वास्थ्य मंत्री जी की तारीफ आप ही नहीं कर रहे हो। हम तो करेंगे।

सभापति महोदय :- अजय चन्द्राकर जी।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, आज ये किस मुंह से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? सचमुच में छत्तीसगढ़ के यदि 14 विधायक हैं और 9 सांसद हैं, वे सचमुच में गंभीर हैं तो वे केन्द्र की मोदी सरकार से कहें। आज देश की जनता को भटकाने का काम न करें। वे छत्तीसगढ़ की जनता को भटकाने का काम न करें और केन्द्र से निवेदन करें कि छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार न करें और छत्तीसगढ़ को ज्यादा से ज्यादा संसाधन उपलब्ध करें। सचमुच में आप गंभीर हैं तो केन्द्र सरकार से निवेदन करें। सिर्फ राजनीति करना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ की जनता के, आप अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं तो आपको भी केन्द्र की मोदी सरकार से निवेदन करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ को ज्यादा से ज्यादा संसाधन मुहैया कराएं । हमारी सरकार अपने संसाधनों के बूते छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करेगी चाहे केन्द्र सरकार संसाधन दे या न भी दे, तब भी हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, मंत्रिमण्डल के सभी सदस्य, हमारी सरकार उस पर गंभीर है और छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करेंगे । सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आप पहले सामने से परदा तो हटा दीजिए । इस उम्र में आप क्या छिपा रहे हैं ? आपने चेहरा बांध लिया है, फिर सामने कागज रख दिए हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- पर्दा हट गया तो भेद खुल जायेगा । इसलिए उसको आप किनारे कर दीजिए ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) :- आपको क्या देखना है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य, पुलिस, स्वयंसेवी संगठन, जितने लोग कोरोना की लड़ाई में लगे हैं, मैं उन सबको सदन की ओर से, अपनी ओर से, अपने दल की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से सेल्यूट करता हूं और उनको सेल्यूट करते हुए हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं । कांग्रेस के आयातित वक्ता कांग्रेस में बोलने वालों के लिए इतनी आपातकाल स्थिति है कि माननीय मोहन मरकाम जी को कोरेन्टाईन से

उठाकर लाया गया कि आप चलिए और कुछ बोलिए । बाकी सब जो 15 फौजी हैं, माननीय विधायकगण हैं, वे मुंह बांध लिये हैं । अभी उनकी व्यवस्था आनी है, वे बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे, क्या होगा ?

माननीय सभापति महोदय, बात ऐसी है कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, आज उनका प्रश्नकाल का दिन है । मैं कोरोना में कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता था, पर आज के प्रश्नोत्तरी में जो उत्तर है और स्थगन में जो उनका उत्तर आया है और मोहन मरकाम जी का जो भाषण हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि हम राहुल गांधी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं । उन्होंने कोरोना के लिए हमको जो मार्गदर्शन दिया, उसके कारण आज हम कोरोना को नियंत्रित करने में सफल हैं । वीडयो में चल रहा है, मैं भाषण का वीडियो भेज दूंगा ।

डॉ. विनय जायसवाल :- सभापति महोदय, मैं आधा मिनट लूंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, डॉ., तै बैठ तो, तोर डिग्री नकली हे ।

डॉ. विनय जायसवाल :- सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो पूरे राज्यों को फंसा दिया । अब उनके गाईड लाईन में कैसे काम करें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अब इसमें नरेन्द्र मोदी जी कहां आ गए । जब आप राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं तो अब वे कहां आ गए ? इनके लिए मैंने सहानुभूति इसलिए व्यक्त की कि जब 18 मार्च को कोरोना का पहला मामला आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने वह रणनीति माननीय राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में अपनाई है कि हमारी ओर पूरा विश्व देख रहा है । छत्तीसगढ़ जो करे, पूरा विश्व ही देखता है । कैसे देखता है, वह मुझे आजतक समझ में नहीं आया । कहां से देखता है ? गोबर खरीद रहे हैं तो पूरा विश्व देख रहा है। कोरोना में ट्वीट इनको साईड लाईन कर दिए । आज एक रिहा हो गए, आज एक मरीज स्वस्थ्य हो गए । माननीय मुख्यमंत्री जी रोज ट्वीट करते थे। आज ऐसा हो गया कि विश्व देख रहा है । स्थिति यह आई कि ये 13 कोरोना योद्धा, अभी मैं बताऊंगा कि प्रचार-प्रसार के लिए भी राशि दी गई है। ये 13 लोग इम्पैक्ट फीचर में अपना-अपना फोटो छपवा लिये हैं । अब ये 13 कहां है, 13 क्या कर रहे हैं, 13 कैसे हैं, एक भी बात करने के लिए तैयार नहीं हैं ।

माननीय सभापति जी, मोहन मरकाम जी को मालूम नहीं था, वे लिखकर पढ़े हैं । वे तीन बार बोले - आत्म निर्भर भारत, आत्म निर्भर भारत, आत्म निर्भर भारत । अब आत्म निर्भर भारत क्या है, किसने जारी किया, कितने लाख करोड़ का है, उसके कम्पानेंट क्या-क्या हैं ? मैं भाषण दूंगा तो ज्यादा समय लगेगा और मैंने तो सहानुभूति व्यक्त किया है इसलिए उनकी आलोचना नहीं करूंगा । मैं तो सुझाव दूंगा । आपने जो राजनीतिक बात कही, उसका उत्तर दूंगा । माननीय मंत्री जी, प्रश्न 12 में आपने उत्तर दिया, ठीक है । प्रश्न 18 में आपने उसी आशय में कह दिया कि जानकारी एकत्र की जा रही है । अब आप उसी में प्रश्न 24 पढ़ लीजिए, आप बहुत सी बात छिपा रहे हैं। केन्द्र सरकार का नाम नहीं लेना

चाहते तो भी प्रश्न 24 में यह छपा है कि पी.एम. केयर फंड से राशि समथिंग 33 करोड़ रूपया कोरोनटाइन सेन्टर के लिए दिया गया है। उन्होंने अनजाने में आत्मनिर्भर भारत कहा, वे भी सहानुभूति के पात्र हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनना नहीं चाहते थे, वे मंत्री बनना चाहते थे, प्रदेश अध्यक्ष बन गये तो उसका फ्रस्टेसन तो दिखेगा ही। अब दूसरी बात, 13 कोरोना योद्धा, जब बोले महाभारत 18 दिन में खत्म हो जायेगा। माननीय सभापति महोदय, एक छोटी सी कहानी है। एक सहस्त्रअर्जुन थे, जिन्होंने रावण को कैद कर लिया था, वे अपने हजार हाथों से नदी के जल को रोक दिए थे, वे इतने वीर थे। ये 13 कोरोना योद्धा, बिलकुल उतने ही वीर हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना को ऐसा रोके कि कहां से भरभरा कर आया। आप देखिये कि योगदान में क्या लिखा है, कृषि मंत्री जी नहीं हैं, लिखते हैं कि किसानों के लिए पानी की व्यवस्था की। किसानों के लिए पानी की व्यवस्था की, उसका कोरोना से क्या सम्बन्ध है। एक ने कहा कि बच्चों को खाना उपलब्ध कराया। अब पेपर की कटिंग नहीं दिखाते, कहते हैं। घूना लगा खाना, पेपर में छपा है। पुराना खाना, पेपर में छपा है। पेयजल वाला बोल रहा है कि पानी सब जगह उपलब्ध हुआ। सब जगह पेयजल उपलब्ध करवाया।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, आप ठीक-ठाक तो हैं न। आप नार्मल तो हैं न। माननीय अजय चन्द्राकर जी, किसानों के लिए पानी की व्यवस्था की, उसका सन्दर्भ यह था कि आपके समय में किसान पानी मांगते थे तो आप लाठी बरसाते थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- बात कोरोना योद्धा की हो रही है।

श्री अमरजीत भगत :- आप सन्दर्भ बोल रहे हो, तो उसको याद तो दिलाना पड़ेगा न। अगर हमारे समय में बिना मांगे बांध खोलकर, नहर खोलकर पानी दिया जा रहा है तो इसमें किसको दिक्कत है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब पी.एच.ई. मंत्री जी ने पेयजल उपलब्ध करवाया है। मेरे प्रश्न संख्या-12 का दो बार सर्कुलर चेंज किया गया। आपने एक बार कहा कि हम बायोटेक ..। (लोक स्वास्थ्य मंत्री श्री गुरू रूद्र कुमार के खड़े होने पर) यह तो भाषण है, मैं आरोप कहां लगा रहा हूं, आप सुनिये तो। आरोप लगाऊंगा तो खड़े होईयेगा। आप 13 के 13 कोरोना योद्धा साबित हो गये हैं। आपने कहा कि...।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माईक में बोल न, माईक से ये तरफ आ के काबर बोलत हस।

श्री अजय चन्द्राकर :- येती निकल के बोलथव महा परसाद।

श्री उमेश पटेल :- आप बोल रहे हैं कि आपको इनके लिए, उनके लिए सहानुभूति है। देखिये, आपको सहानुभूति रखना चाहिए जो बगल में बैठे हैं। जब आप भाषण शुरू करते हैं तो गायब हो जाते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी तो घेरा है।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आप अध्यक्ष जी को धन्यवाद दो, जिन्होंने बीच में पार्टिसन लगा दिए। नारायण चंदेल जी को एक-दो हाथ पड़ते रहता था। अब कम से कम कांच टूटेगा। भैय्या अजय जी, कांच मत तोड़ना।

सभापति महोदय :- अजय जी, आप अपनी बात रखिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये बीच-बीच में बोल रहे हैं साहब, मैं जल्दी समाप्त कर देता हूं। क्या है कि एक कोरोनटाइन सेन्टर चलिये, आपने एक निर्देश को बदल दिया कि हम बायो टायलेट बनवाये हैं। सुबह नया निर्देश दिया गया, वह निर्देश मेरे पास ज्यों का त्यों है। उसमें निर्देश बदल दिया गया कि यथास्थिति बांस और बारदाना घेरकर टायलेट बनायें और पानी का इंतजाम करें। एक भी जगह पानी का इंतजाम नहीं था। आप मेरे साथ कोई कोरोनटाइन सेन्टर चलिये, मंत्री जी जिस दिन समय देंगे। उसके जितने सर्कुलर हैं, उसमें यह भर नहीं लिखा था कि कोरोनटाइन सेन्टर का जिम्मेदार कौन है। उसको किसकी जिम्मेदारी थी, किस स्तर के अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। जैसे आप गोबर खरीदी में हर गोठान का प्रभारी बनाये हैं आज गोबर खरीदी होगी, भुगतान करने वाली एक मात्र सरकार है। माननीय सभापति महोदय, सरकार में रोज भुगतान होता है। सिर्फ विज्ञापन आया कि गोबर खरीदी का पहला भुगतान, ऐसा पेपर में बड़ा-बड़ा विज्ञापन आया।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, गोबर मा गरीब आदमी ला लाभ होवत हे।

सभापति महोदय :- चलिये कोरोना पर आईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, क्या है कि क्षतिपूर्ति का आंकलन कर दिया, इसमें किसानों को तत्काल भुगतान। तो ये कोरोना योद्धा, सभापति महोदय, यह पहला प्रदेश है, जिसमें कुछ नहीं किए हैं, नाखून नहीं कटाये और शहीद का दर्जा पाकर बोल रहे हैं कि हम लोग कोरोना रोक रहे हैं। मैंने जो कहा कोरोना के लिए जिन लोगों को सेल्यूट किया। अब मैं आपके उत्तर पर बात कर लेता हूं, कहीं पर आपका उत्तर है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आपने कहा कि राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना एवं डॉ. खूबचंद बघेल सहायता योजना के अन्तर्गत कोविड मरीजों में देखभाल कर रहे समस्त चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों को आवश्यक इन्सेनटिव की व्यवस्था की गई है। यदि मानते हैं कि 18 मार्च को छत्तीसगढ़ में पहला केस मिला, यदि आज हम 18 अगस्त ले लें, यदि आपमें थोड़ी सी भी नैतिकता है तो आप मुझे बताईये कि किसी करोना वारियर को छत्तीसगढ़ शासन की ओर से एक किस्त मैंने दी है, 01 रूपये मैंने दिया है। मैं भाषण को रोककर अपनी जगह में बैठता हूं, आप बताईये। आपने लोगों को खतरे में डाल दिया है। मुख्यमंत्री एक इंस्टीट्यूशन होता है। उसकी विश्वसनीयता है। उसका वीडियो वायरल हो रहा है कि करोना वारियर्स को इन्सेटिंव देंगे। क्या करोना वारियर्स स्वास्थ्य कर्मी भर हैं? शासन की कोई विश्वसनीयता है या नहीं है? बताईये। 01 रूपये तो मुझे बताईये यदि दिया होगा तो। पुलिस वालों को नहीं दे सकते? छत्ता नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते? क्या दिया, आप बताईये ना? खूबचंद बघेल योजना और आयुष्मान भारत का प्रारूप पटल पर रखिए और उसमें बताईये कि यह असत्य कथन है, सदन को गुमराह करने वाला विषय है कि खूबचंद बघेल योजना में इंन्सेटिंव का कोई प्रावधान नहीं है। आप साबित कर दें?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय अजय चन्द्राकर जी जिस अंदाज से बोल रहे हैं ना, पूरे देश में आपके प्रधानमंत्री जी ने भी लोगों को जो सैलरी मिलती है उसमें कटौती कर दिये। उनके फंड में कटौती कर दी, कर्मचारियों की कटौती कर दी। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किसी के पैसे की कटौती नहीं की है। आप क्या बात करते हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- हो गया। बहुत अच्छा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, खूबचंद बघेल योजना जो आपने लांच की है, उसमें इन्सेन्टिव देने का प्रावधान है? मुझे दीजिए। और इतना पैसा दिया गया है, उस योजना का प्रारूप? आयुष्मान भारत में आपने जो संशोधन किया है उसका प्रारूप मुझे दीजिए तो मैं मान लूंगा? अब जो दूसरी बात है आज के प्रश्नोत्तरी के कुछ विषय को और पढ़ देता हूं। आप ही के आज के उत्तर हैं कि राज्य सरकार ने कौन कौन से मद में पैसा खर्च किया उसके बहुत आंकड़े पढ़ रहे थे। राज्य आपदा मोचन निधि। मैं आपके प्रश्न के उत्तर में जरूर ये बात जानना चाहूंगा कि राज्य आपदा मोचन निधि में केंद्र सरकार का कितना पैसा होता है और राज्य सरकार का कितना पैसा होता है? यदि जानकारी नहीं है तो आपके पीछे राजस्व मंत्री जी बैठते हैं, अभी सुबह बोल रहे थे कि ज्वाईंट रिस्पांसिबिलिटी है, बता दीजिएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मेचिंग ग्रांट उपलब्ध कराये गये। मेचिंग ग्रांट तो सब देते हैं उसमें 60:40 का है, कौन सा आपने नया काम कर दिया? आपने मेचिंग ग्रांट के अतिरिक्त क्या दी? करोना के लिए राज्य के बजट से कितना पैसा स्वास्थ्य विभाग को दिया गया मैं ये जानना चाहता हूं? आप लिखते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कबीरधाम, विधायक निधि, मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी, बेमेतरा, सांसद निधि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कोरबा, मुख्यमंत्री सहायता कोष (कोविड रिलीफ फंड) से कोरबा कलेक्टर को प्राप्त। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, सूरजपुर। ये इतने भर की जानकारी आपने दी है। जितने मद में आपको राशि प्राप्त हुई, अब जो दूसरी जानकारी आपने दी है, इसलिए मैंने कहा कि आप सहानुभूति के पात्र हैं। आपने जो कोविड सेंटर बनाये उसमें जिन फंडों को दुरूपयोग किया, राज्य शासन से एक रूपये भी आपने नहीं दिया है। आप ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। ईमानदारी से बताईयेगा, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं कि 14वें वित्त आयोग में क्या आप पंचायतों को निर्देश दे सकते हैं? आपने स्वच्छता के नाम पर ठीक है कि आप उससे लेट्रिन बनाते, बाथरूम बनाते, पीने के पानी की व्यवस्था करवाते, Gumboot नहीं ले सकते। उसमें भी बात करूंगा, आप मुझे बताईयेगा कि 14 वें वित्त आयोग के मामले में क्या आप पंचायतों को खर्च करने के लिए सीधे निर्देश दे सकते हैं क्या? मूलभूत, डी.एम.एफ., एस.डी.आर.एफ. मैंने राज्य आपदा मोचन निधि कहा, मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 जिले भर को मिला है, यह आपकी जानकारी में है। पंचायत निधि।

श्री अमरजीत भगत :- मेरे खयाल से अजय चंद्राकर जी आप पंचायत मंत्री भी थे।

श्री अजय चंद्राकर :- मुझे मालूम नहीं।

श्री अमरजीत भगत:- आप पंचायत मंत्री भी थे और 14 वें वित्त के पैसे को सीधे काटकर आप टॉवर लगाने के लिए निर्देश जारी कर दिये थे। आपको याद होगा।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- आप याद रख लीजिए, वह वापस भी हो गया था।

श्री अमरजीत भगत:- वापस किस परिस्थिति में हुआ? जब हम लोगों ने पिछली सरकार पर दबाव बनाया तो आप विवश होकर उसको वापस किए।

श्री सौरभ सिंह :- जिस भी परिस्थिति में हुआ, वह वापस भी हो गया था, आप वापस करवा लीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अन्य मद जो लिखे हैं, उसमें कहीं पर भी यह नहीं है कि राज्य शासन ने आपको बजट से या संचित निधि से लेकर कल प्रथम अनुपूरक आ रहा है कि इतना पैसा आपको दिया है, आपके जो उत्तर हैं उसमें राज्य शासन का कहीं पर कोई योगदान नहीं दिख रहा है।

समय :

05:00 बजे

आपने विज्ञापन के प्रचार-प्रसार के लिये भी पैसा दिया है। विज्ञापन में सिर्फ और सिर्फ मैंने बोला ना कि 13 लोग कोरोना योद्धा हैं। अकबर भाई, आप तो नया फोटो खिंचवाओं, मैं रोज देखता हूं आपका फोटो ठीक नहीं आता है। आप थोड़ा नया फोटो खिंचवाओं। मुख्यमंत्री जी का फोटो बस ठीक है, आप डी.पी.आर. को बोलो, ठीक से फोटो वगरा लगाये। अब कंटेनमेंट जोन, जो आप घोषित करते हैं। पूरे प्रदेश में बांस बल्ली की कमी हो गयी। 4 बांस गड़ा दो, चार बल्ली बांध दो, इज्वीकलटू कंटेनमेंट जोन। उसका मार्गदर्शन क्या है ? उसको देखता कौन है ? आता कौन है, जाता कौन है, क्या करता है ? दूसरी बात, जो बात बृजमोहन जी ने कह दी, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, एकात बोलूंगा। दूसरी बात खाने का है। आप मुझे बताईये कि कोविड सेंटर में क्या खाने के लिये देते हैं ? दुनिया बोलती है, पौष्टिक भोजन देना है, अच्छी डाईट देनी है, आप मुझको जरूर बतायेंगे। कोरोना में, कोविड सेंटर माना में हो, प्रदेशभर में हो, आपने कितना पैसा भोजन के लिये दिया है ? उसमें केन्द्र सरकार राज्य सरकार, आपके बाजू में खड़े होते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। आपकी मेनू में एक चीज ऐसी नहीं है, एक चीज, जो कोरोना के लिये मदद कर सके, लड़ने के लिये जो इम्युनिटी बुस्टिंग का काम कर वह कर सकें। आप औपचारिकता निभा रहे हैं। क्यों, आपके प्रति मैंने सहानुभूति व्यक्त की थी कि आपको पैसा नहीं दिया जा रहा है, आपको हथियार नहीं दिये जा रहे हैं और धकेल दिया गया है कि जाओ आप लड़ों। दो सेक्रेटरी, एक सेक्रेटरी दे दिये गये हैं और चलो लड़ो और मुझको परिणाम दो। आप तो इस सरकार के अपेंडिक्स हैं। वे चाहे तो तुरंत आपरेशन करवा दें, आप अभी दिल्ली के कारण बच गये हो, नहीं तो अभी तक आपरेशन हो गया होता। आप अपेंडिक्स जैसा दर्द कर रहे हो, समझ रहे हो ना। आपका नाम मत हो जाये, आपको सफलता मत मिल जाये।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- इधर की बात तो छोड़िये आप लोगों को उधर वाले ने आपरेशन कर दिया है। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- इसलिए जीरो बजट, आप उसमें काम करिये। अपेंडिक्स सरकार का नोट कर लीजिए। यदि बस चलें, तो आपका तुरंत आपरेशन करवा दें बता दिया, क्योंकि आप 23 लोगों में हैं, आप भी चिट्ठी लिख दिये 24 हो गया। नहीं, आप 23 के दूसरे गैंग में हो, समर्थन वाले गैंग में हो, आप पहले चिट्ठी लिखे हो। अब जो दूसरी बात मैं कहता हूं, इस सरकार में मैं कोरोना फैलने का कारण बता रहा हूं। आपके गृह सचिव बैठे हैं, हिम्मत है, गृहमंत्री में हिम्मत है, मुख्यमंत्री जी के यहां जब 2000 लोग पोला उत्सव में होते हैं, तो उसमें कार्यवाही कर सकें, जिसका उल्लंघन खुद प्रदेश का गृहमंत्री करता हो, उस प्रदेश में सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी डिस्टेंसिंग की कल्पना मत करिये। कोई निर्देश जारी मत करिये, आप नैतिक साहस खो चुके हैं कि जनता से कोई अपील करें। माननीय सभापति महोदय, दूसरा इस प्रदेश में परिस्थिति यह है कि जो शराब दुकान और कांग्रेस के कार्यक्रम से कोरोना नहीं फैलता। WHO ने भी बोल दिया है। मंत्री, मतलब (व्यवधान) में मंत्रियों का बता रहा हूं, माननीय मंत्रीगण का बता रहा हूं। सुकमा में सबसे ज्यादा कोरोना फैल रहा है और ये डांस कर रहे हैं, समझ रहे हो। सबसे ज्यादा रायपुर में है, वहां हृदय स्थल में ढोलक बज रहा है और नेत्रियां, नेत्री, नेता आ हा हा, क्या धुन बज रहा है।

श्री मोहन मरकाम :- आप लेकर तो देखिये, दो बुंद जिंदगी की।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- चंद्राकर जी, हम लोग वह भी देखे हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को देश के सब लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे तो आप हंस रहे थे। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आज मोहन मरकाम जी बहुत खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम लोग लेकर छोड़ दिये। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- इसलिए हम लोगों को कोरोना नहीं हो रहा है। आप लेकर तो देखिये।

श्री अजय चंद्राकर :- मोहन मरकाम जी, बहुत बोल रहे हैं। सोनिया जी ने घोषणा की कि कांग्रेस रिवर्स माईग्रेशन वालों का किराया देगी। उसके बाद मोहन मरकाम जी...।

श्री अमरजीत भगत :- ये बताईये।

श्री अजय चंद्राकर :- एक सेकंड बोलने दो ना।

श्री अमरजीत भगत :- सुन तो ले मोरो बात ला, जब प्रधानमंत्री बोलथे कि ताली बजाओ, थाली बजाओ तो हमर मंत्री नाचये नई सकत हे जी। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- मोहन मरकाम जी का बयान आया कि कांग्रेस खर्चा उठायेगी। मोहन मरकाम जी सदन में हैं, यदि राष्ट्रीय पार्टी है, वैसे मैं तो क्षेत्रीय पार्टी मानता हूं। लेकिन यदि राष्ट्रीय पार्टी है तो उनको बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कितने का किराया दिया ? इसको राजनीति बोलते हैं। जो करते हैं उसको गिनाना नहीं चाहिए। मैंने सी.एम.एच.ओ. को बुलाया कि मेरा दो करोड़ का फण्ड है जितना

चाहिए कुरूद में ले लीजिए। उन्होंने जितनी चीजें कहीं, उतनी दे दी और बाकी पी.एम. फण्ड से देने के बाद और जितनी चीजें दी थी। यदि अपने क्षेत्र या प्रदेश की जनता के लिए हमने, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने कुछ किया और उसको यदि गिना तो समझ लीजिए कि हम अपनी नजरों से गिर जाएंगे। ये नेतागिरी करने वाले गिनाये कि कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं ने ऐसा किया, वैसा किया इसीलिये सुकमा और बीजापुर में जाकर भूख से मरे, उनके पेट में कुछ नहीं था। आप उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लीजिए, उनके पेट में कुछ नहीं था और इसलिये वह संक्रमित लोग गये। इसलिये सुकमा जैसे दूरस्थ स्थल में सबसे ज्यादा कोरोना है।

श्री कवासी लखमा :- इनकी सरकार में किसानों ने आत्महत्या की, उस समय ये कहां थे?

श्री अजय चंद्राकर :- इस बात पर डांस हो जाए।

श्री कवासी लखमा :- आप जो बोलेंगे, वह सही है।

श्री संतराम नेताम :- आप लोगों ने 15 सालों तक क्या किया। 15 साल तक आप लोगों ने केवल लूटने का काम किया।

सभापति महोदय :- अजय जी, आप अपनी बात कहिए।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अजय चन्द्राकर जी यह बता दीजिए कि आप लोगों ने पी.एम. रिलीफ फण्ड और सी.एम. रिलिफ फण्ड में कितना जमा किया?

सभापति महोदय :- अब टोका-टाकी न करें। आप जल्दी समाप्त करिये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय हमारे मंत्री महोदय ने आज आत्महत्या से मौत स्वीकार की है आज सर्पदंश से मौत स्वीकार की है, आज क्वारनटाईन सेंटर में सबसे मौत स्वीकार की है और इसमें बोल दिया कि कोई मौत आत्महत्या नहीं है कोई सर्पदंश नहीं है कुछ नहीं है। आप प्रश्न 12 का परिशिष्ट देख लीजिए। जब उसके प्रभारी होते ...।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अजय चन्द्राकर जी यह बता दीजिए कि आप लोगों ने पी.एम. रिलीफ फण्ड और सी.एम. रिलिफ फण्ड में कितना जमा किया? आप रहते तो छत्तीसगढ़ में हैं, गुण दिल्ली का गाते हो, लेकिन आप छत्तीसगढ़ के लिए कुछ किया है क्या?

श्री मोहन मरकाम :- साहब ने कहा कि 2 हजार करोड़ कहां-कहां हैं?यह बता दीजिए?

सभापति महोदय :- आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय,मुझको लगता है कि अमरजीत भगत जी इनको बार-बार उद्वेलित कर रहे हैं ताकि टी.एस. बाबा के ऊपर ये हमलावर हों। वे चाहते नहीं कि टी.एस.बाबा सेफ रहे।

श्री अमरजीत भगत :- धर्मजीत जी, आप कैसी बात कर रहे हैं ?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है।

सभापति महोदय :- कृपया टोका-टाकी न करें।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, टी.एस.बाबा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वह खुद शांत चित्त से सुन रहे हैं। आप ही बेचैन हो रहे हैं। मतलब आप इनको लपेटे में लाना चाहते हो।

सभापति महोदय :- कृपया टोका-टाकी न करें। अजय जी आप अपनी बात रखिये और जल्दी समाप्त करिये।

श्री सौरभ सिंह :- अंबिकापुर में अमरजीत जी का बहुत अच्छा जन्मदिन मना था।

उच्च शिक्षा मंत्री(श्री उमेश पटेल) :- अजय जी, अभी आप बोल रहे थे कि यह किया, वह किया । वैसे तो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि आपकी बातों को सुनकर यह बात बोल रहा हूँ। वैसे मैं कहना नहीं चाहता था। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की 20 लाख करोड़ रूपये का पैकेज दिया, मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप मेरे साथ उसका डिस्कशन करिये। कौन-कौन सा पैकेज, कहां-कहां और किस आदमी को मिला। मैं आपको चैलेंज करता हूँ। मैं आपके साथ डिस्कशन करने के लिए तैयार हूँ(मेजों की थपथपाहट) आप जिस फोरम में बोलेंगे, जहां बोलेंगे वहां हम डिस्कशन कर सकते हैं।

सभापति महोदय :- चलिये, आप विषय पर आईये और अपनी बात रखिये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं उसी में आऊंगा। मैं उसमें भी एक लाईन में बात करता हूँ। एक इसमें स्वीकार नहीं किया और आज के उत्तर में कहा कि 26 लोगों की मृत्यु हुई। उन्होंने आज के प्रश्न में स्वीकार किया है कि सर्पदंश, आत्महत्या, हृदयघात से 26 लोगों की मृत्यु हुई और इसमें कहा कि नहीं साहब। अब मैं इसमें पूछा था कि जो आप देते हैं। साहब अब उसमें देखिए। आज के प्रश्न के उत्तर में इन्होंने कहा कि 22,375 क्वारनटाईन सेंटर पंचायत ने बनाये। 26 लोग मरे, दारू पहुंचा, सिगरेट जप्त हुआ, आपने किसी के ऊपर कार्यवाही नहीं की। वहां कोई जिम्मेदार आदमी नहीं था ।गोबर खरीदी के लिए जैसे बनाये थे। मैं पूछता हूँ कि कितने जगह जिम्मेदार बनाये गये। अब इस उत्तर में है कि उसमें एक्टिव सेंटर कितने थे, 21597। बाकी सेंटर का पूरा पैसा निकालकर कागज में खा लिया । ये आप नोट कर लीजिए। नहीं तो इसकी जांच करवा दीजिये कि जिन बाकी सेंटर आदमी नहीं रखे गये थे, उसमें पैसा खर्च हुआ है या नहीं हुआ? ये बहुत गंभीर मामला है। उस उत्तर में लिखा है कि हम इतने सेंटर में यह-यह व्यय किये और इतने सेंटर में आदमी रखे गये और बाकी कोरा था। अब जो काम देते हैं अभी बड़ी-बड़ी बात हो रही थी कि इतने के काम दिये, उतने के काम दिये। इसके उत्तर में है 3104 प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिया गया।

सभापति महोदय :- कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, 3104 प्रवासी मजदूरों को काम दिया गया, यह मैं नहीं बोल रहा हूं, स्थगन का उत्तर बोल रहा है। इसमें लिखा है पढ लीजिए। यह स्थिति है कि यदि बिरगांव हॉटसेंटर है, बाहर के मजदूर आ रहे हैं। चूंकि इधर के लोगों के समर्थक हैं तो वह उद्योग बंद नहीं

होगा। उसको चेतावनी नहीं दी जा रही है, वहां कंटेनमेंन्ट जोन नहीं होगा, क्वारंटाइन सेंटर नहीं होंगे, क्योंकि वह कांग्रेस के समर्थक लोग हैं। दारू भट्ठी से कोरोना नहीं फैलता, यहां के मंत्री जी को डब्ल्यू.एच.ओ. ने साबित कर दिया, जैसे पाकिस्तान ने कहा है न कि जो आइटम बम बनेगा, उसमें एक विशेष जाति, धर्म के लोग उस आयटम बम से नहीं मरेंगे।

सभापति महोदय :- माननीय अजय जी, कृपया समाप्त करेंगे। श्री शैलेश पांडे जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- और कतेक बोलबे, एक घंटा ले ज्यादा हो गये हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, वैसे ही छत्तीसगढ़ में दारू दुकान से कोरोना नहीं फैलेगा, कांग्रेस के आयोजन से कोरोना नहीं फैलेगा, यहां के जितने माननीय मंत्रीगण हैं, जितने लोग हैं, इस संकट की घड़ी में उनका प्रदर्शन गैर जिम्मेदार रहा। अब मैं एक ही बात कहूंगा आप खूबचंद बघेल आयुष्मान योजना में कहते हैं, आज की तारीख में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, पूरे प्रदेश में जो कोरोना की लड़ाई में लड़ रहे हैं, चाहे वह पुलिस कर्मी भी लगे हों, चाहे हमारी सुरक्षा में, विधानसभा की सुरक्षा में लगे हों, मैं तो यहां तक बोलूंगा कि इधर के बंधु लोग भी जो जाते हैं, वह सबकी सुरक्षा में जो लोग लगे हैं, उनके लिए राज्य सरकार ने एक रुपये का बजट नहीं दिया है। यह स्पेशल देना चाहिए, राज्य के फंड से स्वास्थ्य में कोरोना से लड़ने के लिए 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ हम इस-इस क्षेत्रों के लिए देते हैं। जब आप हर चीज के लिए कर्ज ले सकते हैं तो यदि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, वेलफेयर स्टेट की सबसे पहली प्राथमिकता मानव जीवन की सुरक्षा होती है। यदि पैसा नहीं है तो उसके लिए भी आप कर्ज ले लीजिए।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जो बात कही, आत्मनिर्भर भारत के बारे में जो बात कही, उसकी बात करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। समाज को एकजुट करने के लिए, जागृत करने के लिए, समाज में संदेश और आत्मविश्वास देने के लिए कई तरह के आयोजन होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 15 दिन में कोरोना से निपट लेंगे, चिंता मत करो। यह पेपर की कटिंग दिखा देता हूं। क्या 15 दिन में कोरोना खत्म हो गया ? कोरोना और बढ गया। लेकिन लीडर को जो नेतृत्व करता है उसको समाज को एक संदेश देना होता है कि देश खड़ा दिख रहा है, तत्पर दिख रहा है। उसके लिए कई तरह के आयोजन होते हैं, होते रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री का भी आयोजन दिया गया। मैंने 20 लाख करोड़ के बारे में कहा। जब मोहन मरकाम जी ने आत्मनिर्भर भारत की तीन बार बात कही, मैंने भी ये बात कही थी कि उसमें चर्चा कर लेते हैं। आप समय तय कर दीजिए। उसकी चुनौती नहीं, यह अच्छी बात है। कुल मिलाकर मैंने एक आरोप नहीं लगाया था। मैंने यह कहा कि जो प्रतिबद्धता दिखनी चाहिए, वह कागज में है। इतना घमंड है, पिछले सत्र के समय कोरोना आ गया था। मैंने कहा कि आप एक वक्तव्य दीजिए कि कोरोना पर क्या कर रहे हैं ? स्वमोटो वक्तव्य कई बार

आया है, लेकिन वक्तव्य नहीं दिया। इतनी घमंड से चूर सरकार है, 90 विधायक हैं, विपक्षी दल के नेता हैं, यह माननीय अमरजीत जी एक दल के नेता हैं, और भी जो लोग हैं, मुझसे, किसी से या आपसे जो भी कहें, समाज के डॉक्टर लोग हैं, एन.आर.आई. हैं, कोई भी एक्सपर्ट हो सकते हैं, एक संवाद कि साहब कोरोना में आपका कोई सुझाव हो सकता है, बिल्कुल नहीं कहा। सभापति महोदय, आखिरी बात यह है कि जब सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का। जब मुख्यमंत्री निवास, कांग्रेस भवन में, धमतरी के कांग्रेस भवन में आयोजन हो रहा है, इस तरह की चीजों में आम जनता की पिटाई करने से कोरोना दूर नहीं होगा। विटामिन या दूसरी दवाईयां, फंड, जागरूकता और जागरूकता में तो 13 लोगों की फोटो देख-देख करके लोग डेढ़ साल में ही उकता गये हैं, तो और जो चीजें हैं, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, जो डब्ल्यू.एच.ओ. कह रही है, जो भारत सरकार कर रही है, जो विशेषज्ञ संस्थायें जिन-जिन चीजों के लिये कह रही हैं, उनके लिए हम सब एकजुट होकर प्रयास करें। यह जो माननीय राजा साहब हैं, वह स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि नहीं हैं, कांग्रेस के नेता नहीं हैं, इसमें हमने लिखा है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना राजनीतिक हो गया है। हमने कहा था कि कोरोना पीलिया हो गया है। आपकी राजनीतिक लड़ाई आप दिल्ली में जाकर लड़िये, घर के अंदर कांग्रेस भवन में लड़िये, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करिये, पैसा दीजिये। जो फ्रंट वारियर्स हैं, उनको इन्टेन्सिव दीजिए। कांग्रेस कार्यालय हो या चाहे बी.जे.पी. का कार्यालय हो जो सोशल डिस्टेंसिंग या दूसरे निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है । कानून एक जैसा दिखे । पौष्टिक खाद्य मिले, दवाई मिले, आज से व्यवस्था होनी चाहिए कि कल बजट आ रहा है तो यदि वैक्सीन हो गया तो छत्तीसगढ़ के पौने 03 करोड़ लोगों को हम वैक्सीनेट करेंगे । यह कमिटमेंट दिखना चाहिए और जो-जो बातें मैंने कही, मैं तो चाहता हूं कि उत्तर में आये । इन 05 महीनों में कितना पैसा इंसेंटिव दिये हैं ? यह सदन आपके साथ है, बस आप प्रतिबद्धता दिखाईये कि मैं करूंगा । दो कानून नहीं होते कि आप जनता को मारें और मुख्यमंत्री भवन में आयोजन करवायें यह दोनों नहीं चलता, यह बराबर दिखना चाहिए । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद । (मेजों की थपथपाहट)

श्री शैलेश पाण्डे (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं इस पूरे 05 माह के कार्यकाल में जो कोरोना का संक्रमण हमारे प्रदेश में छाया हुआ था इसमें जिन भी योद्धाओं ने अपना सहयोग दिया, डॉक्टर्स ने, पुलिस के अधिकारियों ने, सिपाहियों ने, पूरे स्वास्थ्य विभाग ने, खाद्य विभाग ने, नगरीय निकाय विभाग ने और भी सभी सरकारी विभागों ने इसके अतिरिक्त समाज के अनेक वर्गों ने बहुत सारे एनजीओ ने सभी लोगों ने इसमें अपना बहुमूल्य सहयोग दिया, मैं उन सभी के प्रति सबसे पहले अपना आभार व्यक्त करता हूं । माननीय सभापति महोदय, आज सुबह से जब से मैं कोराना की चर्चा को सुन रहा था । इस कोरोना की चर्चा में आपने ध्यान दिया होगा कि विपक्ष के जो हमारे सम्माननीय साथी हैं, सदस्य हैं उन्होंने इस बात पर ही ज्यादा जोर दिया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- पाण्डे जी, आपके ऊपर भी अपराध कायम हो गया था और आप सत्तापक्ष के हैं तो आप बच गये, पूरा खत्म कर दिये नहीं तो कई विपक्ष के ऊपर तो आज भी अपराध कायम है और वे जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं ।

श्री शैलेश पाण्डे :- उसका खात्मा हो गया, मैं बता देता हूं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- खात्मा होने में आप खुश हो रहे हैं कि खात्मा हो गया । वहां राशन पानी बांट रहे थे तो उसमें आपके ऊपर दफा 188 लग गया, उसके बारे में जरा यहां खिलाफत में बोलना चाहिए न ।

श्री शैलेश पाण्डे :- यह तो सरकार की गंभीरता है न कि चलो यदि सत्तापक्ष के विधायक ने भी गलती की तो उसके विरूद्ध भी एफ.आई.आर. हो ।

श्री धर्मजीत सिंह :- ये दाल-चावल बांट रहे थे तो इनके बंगले में इतनी भीड़ लग गई तो दफा 188 लगा दिये और उसके बाद भी आप मीठी-मीठी बातें करते हैं, किसी दिन और बड़ी दफा लग जायेगी ।

श्री मोहन मरकाम :- मतलब सरकार कितनी गंभीर है कि सत्तापक्ष के विधायक के ऊपर भी कार्यवाही हो सकती है ।

सभापति महोदय :- चलिये, शैलेश जी अपनी बात रखिये ।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी यह बात रखना चाहता हूं कि विपक्ष के हमारे सम्मानित साथी यह कह रहे थे कि प्रदेश में जो कोराना के संक्रमण से जो पूरी जवाबदारी है वह पूरी सरकार की है, हमारी सरकार की है, छत्तीसगढ़ सरकार की है, कांग्रेस की सरकार की है । ठीक है, मैं मानता हूं कि हमारी सरकार की है लेकिन विपक्ष की भी तो कुछ समझदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ? विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है इसे तो मैंने मान लिया, यह आप भी कह रहे हैं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- पाण्डे जी, क्या विपक्ष को आप नासमझ समझ रहे हैं?

श्री शैलेश पाण्डे :- मैं आगे बोल रहा हूं उसको पूरा सुन लीजिये ।

सभापति महोदय :- आप अपनी बात कहते रहिए ।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, इस देश में कोरोना का संक्रमण आया यह पूरे देश के लिये संकट का समय था । इसमें न तो हम किसी दल को देख रहे थे, न कांग्रेस को देख रहे थे, न भारतीय जनता पार्टी और न हम किसी अन्य दल को देख रहे थे । हम केवल अपने देश को, अपने देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को कोरोना के संक्रमण से हमको बचाना था यही हमारा उद्देश्य था । मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद मोदी जी ने लॉकडाऊन घोषित किया उस वक्त हमारे प्रदेश में कम से कम 03 लाख मजदूर जो हैं वह बाहर के प्रदेशों से यहां नौकरी करने जो आते हैं वे यहां पर उपस्थित थे और उन 03 लाख मजदूरों को लगभग 03 महीने तक पूरा राशन, खाना खिलाना, दोनों समय उनको सुरक्षित रखना, उनको स्वस्थ्य रखना, उनको जीवित रखना अगर यह काम किसी ने

किया है तो वह छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है । (मेजों की थपथपाहट) हम इस बात को बिल्कुल भी न भूलें ।

माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि मैंने पहले भी कहा कि हमें कोरोना के संक्रमण से बचना है इसके लिये हमें दलगत राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसके लिये हमारे प्रदेश की, हमारे देश की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं उन्होंने पूरे देश में मजदूरों के लिये किराया दिया, यह काम केंद्र सरकार को करना चाहिए था, जो काम हमारी माननीय सोनिया गांधी जी ने किया। (मेजों की थपथपाहट) यह होती है राष्ट्र भक्ति, यह होती है राष्ट्रीयता । केन्द्र में हमारी सरकार नहीं है, कितने सांसद हैं यह आप अच्छी तरह जानते हैं लेकिन उसके बाद भी 56 इंच का सीना केवल कांग्रेस पार्टी ने दिखाया, वह भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिखाया । चंद्रा जी आपने समझदारी की बात की थी, मैं इसी समझादारी की बात कर रहा हूं । जो समझदारी कांग्रेस ने दिखायी वह समझदारी किसको दिखानी चाहिए थी, यह हमको सोचना चाहिए । सभापति महोदय, आपको याद होगा कि हमारे विधान सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने, जिस वक्त होली नहीं आई थी उस समय भी कोरोना से सचेत करने के लिए एक ध्यानाकर्षण को आमंत्रित किया था । जब हमारे देश में लॉकडाउन नहीं लगा था । आज मैं बताना चाहता हूं कि जब हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा की तो उनको यह सोचना चाहिए था कि जो मजदूर दूसरे राज्यों में काम करते हैं वे अपनी रोजीरोटी कैसे कमाएंगे । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्या नरेन्द्र मोदी जी ने, केन्द्र सरकार ने किस प्रकार की सहायता की । कितने ऑटो वाले, बैंड वाले, टेंट वाले, कुली हैं ऐसे लाखों लोग हैं जो प्रतिदिन अपनी कमाई करते हैं, उनके लिए कुछ भी किया हो तो बता दें । भारतीय जनता पार्टी का एक भी सदस्य बता दे, विपक्ष का एक भी सदस्य बता दे कि इस वर्ग के लिए अगर किसी ने कुछ किया हो तो बताए, कुछ भी नहीं किया । जब तीन बार लॉकडाउन हो गया उसके बाद जब देश नहीं संभल रहा था तो उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यह जिम्मेदारी दे दी कि अब तुम जानो भाई, लॉकडाउन करना हो तो तुम करना, नहीं करना है तुम जानो, मेरी जवाबदारी नहीं है । यह हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया । अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि कोरेंटाइन सेंटर में सांप निकल आया, बिच्छू निकल आया । मैं कहता हूं कि मैं शैलेश पांडे विधायक बिलासपुर, मेरे घर में भी हर साल पानी गिरता है तो कभी सांप निकल आता है, कभी बिच्छू निकल आता है, कहीं केकड़ा निकल आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है । बरसात में सभी के घरों में निकलता है । कोरेंटाइन सेंटर में निकल आया तो पेपर में बड़ा-बड़ा छप गया । विधान सभा में गला फाड़ फाड़कर चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं । ये क्या तरीका हुआ, ये राष्ट्रीयता है ? ये फूहड़पन है । फूहड़पन है ये । पढ़े लिखे लोग सदन में इस तरह बातें करते हैं ? नहीं करते हैं, बात करते हैं तो राष्ट्रीयता की करिये, देश भक्ति की करिये । आप गरीबों के पास जाइए, अरे खिलाया तो, ज़िंदा रखा । इलाज तो कर रहे हैं, अब पैसा कहां से लाते हैं कैसे लाते हैं यह अलग बात हो गई, कहीं से भी लाते हों पैसा, हम ने

कम से कम इलाज तो किया । हमने झेला, जबकि तीन महीने से जीएसटी का पैसा नहीं दिया है । पहली त्रैमासिक होती है तो देना चाहिए ना । ये छत्तीसगढ़ पाकिस्तान में है क्या, यह हिंदुस्तान में है । सभापति जी, हम मानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में कमी होगी, कोरेंटाइन सेंटर में कमी होगी, अस्पतालों में कमी होगी, कमी कहां नहीं होती है । कमियां होती है तभी तो सुधार होता है । सभापित महोदय, यह बहुत दुख की बात है कि आज यहां इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव लाया गया है । मैं समझता हूं कि जिसने भी इस स्थगन पर दस्तखत किया है वह राष्ट्रभक्त नहीं है, वह [XX][7] है। मेरी नजर में मानता हूं कि [XX] है ।

श्री नारायण चंदेल :- सभापति महोदय, इसको विलोपित किया जाए । यह कोरोना का विषय नहीं है, इस तरह की भाषा का सदन में उपयोग करना उचित नहीं है । सदस्य ने बात कही, हम उसकी निंदा करते हैं ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आप लोगों ने भी तो आरोप लगाया कि सरकार हत्यारी है ।

श्री केशव चंद्रा :- यह गंभीर विषय है, 90 विधायक यहां चुनकर आए हैं, उन्हें सदन में [XX] ही कहना (व्यवधान)

सभापति महोदय :- शैलेश पांडे जी ने जो कहा मैं उसे विलोपित करने का निर्देश देता हूं । (व्यवधान)

श्री केशव चन्द्रा :- सभापति महोदय, केवल विलोपित करने से काम नहीं चलेगा, उन्होंने इतना बड़ा शब्द कहा है । वे पूरे लोगों से क्षमा मांगे ।

श्री शैलेश पांडे :- हां, मैं क्षमा मांगता हूं, पूरे सदन से क्षमा मांगता हूं, आपसे भी मांगता हूं, विपक्ष के साथियों से भी मांगता हूं लेकिन मेरी भावना यह नहीं थी ।

सभापति महोदय :- शैलेश जी बात समाप्त करें।

श्री शैलेश पाण्डे :- मेरी भावना यह थी कि सरकार अपना काम कर रही है। हर व्यक्ति काम कर रहा है। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, अगर इस सदन का अपमान हुआ है और किसी के दिल पर ठेस पहुंची है तो। लेकिन यह राष्ट्र भक्ति नहीं है। राष्ट्र भक्ति वह है जो राष्ट्र के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति अच्छी भावना से रखे। सेवा भाव से रखे। हम जनप्रतिनिधि हैं और हम चुनकर आये हैं। हम बदनाम करने के लिए केवल सरकार के लिए नहीं बैठे हैं।

सभापति महोदय :- माननीय धर्मजीत जी।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम सबको मिलकर इस कोरोना के संक्रमण का सामना करना है। यह सबकी जवाबदारी है। हमने भी पैसा दिया है। हर जनप्रतिनिधि ने पैसा दिया है। कांग्रेस के सभी लोगों ने पैसा दिया है। जहां-जहां से पैसा

---

[XX][7] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

आ सकता है, वहां-वहां से पैसा निकाला गया और लोगों में लगाया गया व काम में लगाया गया। सुरक्षा की गई। यह हम सबकी जवाबदारी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी टी.एस.सिंहदेव जी, पूरा स्वास्थ्य विभाग, हमारे पूरे मंत्रिमंडल के सभी मंत्री और सभी विभागों ने अच्छा काम किया, मैं उसकी सराहना करता हूं और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- सभापति महोदय, आज स्थगन पर चर्चा के समय आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। यह स्थगन किसी मंत्री की आलोचना करने के लिए नहीं है। यह स्थगन हम सरकार की आलोचना करने के लिए नहीं लायें हैं। यह पूरी दुनिया में बहुत बड़ी महामारी कोरोना फैली हुई है, जिसमें अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भी उसके आगे में नतमस्तक हुए हैं। यह कहां से आया? यह क्यों आया? यह सब जांच और चर्चा का बिंदु हो सकता है, लेकिन हमसे जो बहुत ही शक्तिशाली देश हैं, वे भी इस कोरोना का मुकाबला ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश की आबादी 135 करोड़ है और अमेरिका की आबादी 35 या 40 करोड़ होगी, comparatively अगर हम तुलना करें तो हमारे देश में उनकी तुलना में जनसंख्या के आधार पर रेशियो निकालेंगे तो जनसंख्या के आधार पर हमारे यहां बीमारी के मामले में उनसे हम केसेस के मामले में ज्यादा बेहतर स्थिति में हैं। हमें चर्चा इसलिए करना पड़ रहा है कि छत्तीसगढ़ में अभी पिछले कुछ दिनों से बहुत बड़ा विस्फोट हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कोरोना का पीरियड शुरू हुआ था, उनका एक फोट मेरे पास आया। विपक्षी दल के विधायक के नाते हमसे उन्होंने बात की। मैंने उनसे कहा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम सबको मिलकर केग कोरोना को छत्तीसगढ़ में हराना है और पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम इसलिए आगे बढ़ाना है कि कोरोना यहां पर उतना दंश नहीं मार सका।

सभापति महोदय :- माननीय धर्मजीत जी एक मिनट।

समय :
5.28 बजे

## सदन को सूचना

सभापति महोदय :- छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 58(1) के तहत् स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। चूंकि अभी लगभग 26 सदस्यों के नाम शेष हैं। अत: स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाए। मैं समझता हूं कि सभा इससे सहमत है।

**(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)**

सभापति महोदय :- मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि 5-5 मिनट में अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, मैं साढ़े 4 मिनट में खत्म कर दूंगा। आपको पूरा सहयोग करूंगा। अब आप साढ़े 4 मिनट गिनना शुरू करिए। सभापति महोदय, इसी सदन में जब बजट सेशन में स्थगित हुआ था, उस दिन मैंने जीरो अवर में खड़े होकर मांग की थी कि कोरोना का प्रकोप पूरे देश में और पूरी दुनिया में अब शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री जी को कोरोना के परिप्रेक्ष्य में यहां पर बयान देना चाहिए। मेरी बात उस दिन नहीं सुनी गई थी और कोई बयान भी नहीं आया, लेकिन हमने सब प्रकार से कहा कि कोरोना की महामारी कोई राजनीतिक दल या किसी राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकता। यह एक मानव समाज के ऊपर बैक्टेरियल हमला है और उसका मुकाबला हमें करना है। तन से, मन से और धन से इस लड़ाई में हमने अपने सामर्थ्य के मुताबिक भाग लिया। अब यहां गिनाने की बात नहीं है कि हमने भी सेनेटाइजन बांटे। हमने भी मास्क बांटा। हमने भी विभिन्न फंड में पैसा दिया। हमने भी जाकर के लोगों के बीच साबुन बांटा। हमने भी अनाज बांटा। फल बांटे, सब्जी बांटे, ऐसा इस सदन के लगभग करीब-करीब 90 विधान सभा के 90 सदस्य किये होंगे, चाहे इस तरफ के हो या उस तरफ के हों। प्रश्न यह है कि तीन महीने से मैं यह देख रहा हूं कि इस सदन में जो बोलना चाह रहे हैं, अचानक स्वास्थ्य मंत्री जी आपकी पूछ-परख बंद हो गयी । आप खंडन करिएगा, सफाई दीजिएगा, मैं उसको सुनूंगा । कैबिनेट की बैठक होती है और स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी नहीं है । अचानक यह तय होता है कि 11-12 मंत्रियों में से सिर्फ दो मंत्री श्री मोहम्मद अकबर और श्री रविन्द्र चौबे जी ही सरकार की ओर से जवाब देंगे । आप मुझे यह बताईए कि अगर भारतवर्ष का युद्ध चीन से होगा और रक्षा मंत्री को यह कहा जाये कि आप जवाब नहीं दे सकते, पशु-पालन मंत्री जवाब देगा या सड़क परिवहन मंत्री जवाब देगा या हवाई अड्डा वाला मंत्री जवाब देगा, ये उचित है क्या ? माननीय मंत्री जी, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि क्या मतभेद हैं या क्या दूरियां हैं ? यह आपके घर का मामला है और दूसरे के घर में तांक-झांक करने की न आदत है, न हम करेंगे, लेकिन आप पब्लिक फिगर हो । मुख्यमंत्री जी और आपकी फोटो एक साथ नहीं आ रही है । इस गंभीर महामारी में आप दोनों की अपील संयुक्त रूप से नहीं आ रही है, मीटिंगें अलग-अलग हो रही हैं । और तो और जिस दिन श्री राहुल गांधी जी ने उद्घाटन किया, उस दिन आपकी फोटो नहीं थी, मैं तो देखने के लिए बड़े-बड़े स्क्रीन में बैठा था, बड़ा वाला टी.व्ही. कितने इंच का आता है, उसमें भी आप नहीं दिख रहे थे। मुझे तो पता चला और फोन भी आया था कि वे दिख क्यों नहीं रहे हैं ? आपको दिखना चाहिए । यह समय झगड़े-लड़ाई का नहीं है, हमारे लोगों की जिन्दगी बचाने का समय है । हमारे लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने का समय है । हमारे राजनीतिक झगड़े होते रहेंगे, आपके अपने झगड़े चलते रहेंगे, हमारे अपने झगड़े चलते रहेंगे । यह सब झगड़ों से प्रदेश की जनता को कोई लेना-देना नहीं है । माननीय मंत्री जी, मैंने आपसे कहा था, मुख्यमंत्री जी भी सदन में आ गए, मैंने उन्हीं से कहा था कि जो आपके

पीछे वाले लोगों का विभाग है, वह सब ताली वाला विभाग है और इस तरफ का विभाग सिर्फ गाली वाला विभाग है । आप कितना भी कर लोगे, कितना भी कुछ करोगे, यह स्वास्थ्य मंत्री के भाग्य में लिखा है कि वह हमेशा आलोचना का शिकार होगा । मैंने किसी स्वास्थ्य मंत्री आजतक बधाई का पात्र बनते नहीं देखा है, सिर्फ आलोचना होते देखा है, पर मुख्यमंत्री जी के पीछे वालों के लिए ताली ही बजती है, गाली कभी नहीं आती ।

माननीय सभापति महोदय, आपका अलग-अलग ट्वीट आता है । अगर मुख्यमंत्री जी कुछ बोलते हैं, दो घंटे बाद आपका ट्वीट अलग आता है । ये बंद करिए, कोई मतलब नहीं है । ट्वीट से आपके बीच की दूरियां या आपके बीच की संवादहीनता की स्थिति को लोग समझते हैं, वह नहीं होना चाहिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी तो ट्वीट और लेटर बम दोनों चल रहा है तो वे कैसे नहीं करेंगे । पूरे दिल्ली में चल रहा है ।

सभापति महोदय :- धर्मजीत जी, जल्दी समाप्त करेंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- दो मिनट । दो मिनट में हो भी जायेगा । मैं कोई आंकड़े बताकर ये दिया, वह नहीं दिया, मैं तो जनरल बात बोल रहा हूं । अब जनरल बात सुनने दीजिए न, इनसे संवाद करने का मौका बहुत दिन बात मिला है ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- आप सीधा-सीधा कोरोना में आईए न, कहां ट्वीट, फेसबुक । आप इसमें कहां घूस गए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- उसी के कारण तो कोराना बढ़ रहा है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप ट्वीट पढ़ते हैं क्या ?

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, अगर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दो दिन एक कमरे में बैठ कर प्लानिंग करेंगे तो कोरोना का जो रेट है, वह घट जायेगा । आप तो खुद दूर ही हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आप अलग बताते हो कि कोई साइंटिस्ट ने बोला था कि ऐसा होगा, दूसरे दिन कुछ हो जाता है । आपका तो पावर भी खींच लिया गया है । कोरोना से युद्ध चल रहा है, स्वास्थ्य मंत्री को बोलने का अधिकार नहीं है, दो मंत्री को बोलने का अधिकार मिल गया है । आज तो 12 दांत के बीच में जीभ के समान हो । (श्री अमरजीत भगत की ओर इशारा करते हुए) आप तो उनको निपटाना चाह रहे हो ।

खाद्यमंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- अजय चन्द्राकर जी के संगत में आप भी बिगड़ गए हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- क्या करोगे, संगत में तो आदमी जैसा रहेगा, वैसे ही होता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरे संगत में तो आप भी हो साहब । मैं वही तो बोलता हूं कि राजा साहब को देखो और मुख्यमंत्री जी को बताओ । जैसे तुलेश्वर सिंह जी सूचना देते थे, अब आप तुलेश्वर सिंह जी के रोल में हो, ध्यान रखना ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, अमरजीत जी सरकार के पक्ष में बार-बार खड़े होकर बोलते हैं, ताकि बाबा के ऊपर हमला हो । आपका उद्देश्य हम समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा । आप चिन्ता मत करिए । कोरेन्टाईन सेन्टर में स्थिति बहुत खराब थी, पर मैं उस वक्त की मजबूरी समझ सकता हूं । नेता प्रतिपक्ष जी के क्षेत्र में किसी को सांप काट लिया, कहीं कोई और तकलीफ हुई , बहुत जल्दबाजी में था। लेकिन अब केस बढ़ रहे हैं। आपने ही मुझे जवाब में दिया है कि कई कोरोनटाइन सेन्टर बंद हैं क्योंकि केसेस बहुत नहीं थे, इसलिए बंद है। परन्तु आपसे मेरा आग्रह है कि आप कलेक्टर को बोलकर उन कोरोनटाइन सेन्टर को अभी से ठीक करवा लीजिये। यदि बहुत ज्यादा केस बढ़ा तो कोरोनाटाइन सेन्टर में ही रखना पड़ेगा। तो उस स्थिति में वहां पर पीने का पानी, खाने का इंतजाम, पेयजल की व्यवस्था, क्योंकि बरसात का दिन है, इसको युद्धस्तर पर लेना चाहिए। अगर आप प्लाज्मा थैरेपी के बारे में सोच रहे हो या कुछ हो रहा हो तो उसके बारे में भी आप जनता को बताईये। आप दिल्ली की सरकार से भी बात करिये जहां पर इतना बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ, उसे उन लोगों ने कैसे कन्ट्रोल किया। उनकी आबादी और हमारे यहां की आबादी में लगभग थोड़ी-बहुत कम-ज्यादा, समानता है। तो आपको बात करना चाहिए। मैं तो फिर बोल रहा हूं कि आप और मुख्यमंत्री जी चार दिन एक साथ चाय पीकर दो घंटे बैठेंगे, कोरोना के महामारी को रोकने का हल बहुत अच्छे से निकलेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- लेकिन वह काम रविन्द्र चौबे जी नहीं होने देंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, अमरजीत भी नहीं होने देगा। परन्तु मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बुलायेंगे, जब आप जायेंगे, दो लोग जायेंगे तो तीसरा-चौथा कोई कुछ नहीं कर सकता है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय सभापति महोदय, धर्मजीत जी राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। उन्होंने कोरोना के सेन्टर से राजनीति में आ गये, फिर कमरे तक पहुंच गये और अभी चाय तक पहुंचे हैं। कुछ बातें हैं, जो स्पष्ट हो जाना चाहिए। बात यह है कि जब कैबिनेट की मीटिंग होती है, तो शुरू से ही, उनके यहां भी परम्परा रही है, उसके पहले भी परम्परा रही है और आज भी वही परम्परा है। जब कैबिनेट की मीटिंग होगी तो सरकार की ओर से दो मंत्री बोलेंगे। विभाग के बारे में जानकारी देना हर मंत्री का अधिकार है। अपने विभाग के बारे में कोई भी मंत्री जानकारी दे सकता है, इसमें कहीं रोक नहीं है। आप इसको गलत ढंग से इंटरपियेट मत करिये।

श्री कवासी लखमा :- उकसाने वाला काम मत करिये।

श्री भूपेश बघेल :- जहां तक दिल्ली की बात किये और छत्तीसगढ़ की बात किये, मैं किसी राज्य से तुलना करने की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन वहां जो सिम्टेमेटिक है, उसी का टेस्ट हो रहा है। जो असिम्टेमेटिक है, उसका तो टेस्ट ही नहीं हो रहा है। यहां सबका टेस्ट हो रहा है। दोनों में अंतर है और असिम्टेमेटिक टेस्ट करना भी जरूरी है। क्योंकि प्रारंभिक रूप से ही जानकारी हो जाये तो बीमारी बढ़ने पर आक्सीजन और वेन्टीलेटर तक जाने की नौबत नहीं आयेगी। लेकिन जहां सिम्टेमेटिक होगा, तो निश्चित

रूप से वह आक्सीजन और वेन्टीलेटर तक पहुंचने की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो ये दो कारण है। आगे आप कोरोना के बारे में बोलिये। हालांकि जब स्थगन लाये थे तो मैं समझा था कि कोरोना पर लायेंगे। लेकिन ये लोग तो कोरोनटाइन सेन्टर तक ही सीमित रह गये। उसमें व्यापक रूप से चर्चा कराते तो ज्यादा अच्छा होता। हालांकि यह बात भी सही है कि आज शून्यकाल में एक भी माननीय सदस्यों द्वारा कोरोना के स्थगन के बारे में चर्चा कराने की मांग तक नहीं की गई। आपने दे भी दिया था, सूचना दे दी थी। लेकिन यह पहला स्थगन है, जिसमें विपक्ष की ओर से कोरोना पर चर्चा की मांग तक नहीं की गई। यह मैंने पहली बार शून्यकाल में देखा। आपकी ये स्थिति है और आप कितने गंभीर हैं, यह बताता है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- सभापति महोदय, हम लोग तो चाह रहे थे कि स्थगन पर ही पहले चर्चा हो, इसलिए हम अध्यक्ष जी की तरफ देख रहे थे। जहां तक मांग की बात है, तो मांग करने के पहले अध्यक्ष जी ने पढ़ना शुरू कर दिया। यदि अध्यक्ष जी, दूसरा विषय लेते तो मांग करने की आवश्यकता पड़ती। जब यह महत्वपूर्ण विषय है, और यदि सदन में ऐसे विषय पर चर्चा नहीं होगी तो कौन से विषय पर चर्चा होगी। आप भी इसकी गंभीरता को देख रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें मांग करने की जरूरत पड़े तो मांग करने की जरूरत क्या है, हम सब लोग इस विषय पर स्थगन इसीलिए लगाये हैं कि इस पर चर्चा हो। हम लोग चाहते थे कि उस पर पहले ही चर्चा हो जाये। लेकिन आप लोग बाकी विषय रखे और विषय के बाद स्थगन को ले लिये नहीं तो हम लोग फस्ट हाफ में चाह रहे थे कि उस पर चर्चा हो।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने तो पहले ही बोला था, आपका फोन आया था, हमने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। हम आपके साथ हैं। आपके नेतृत्व में इस जंग को हमको जीतना है, छत्तीसगढ़ को जीतना है। मैंने खुद कहा था और मैंने यह बात अभी यहां पर भी कहा है। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं। मुझे जो समझ में आया, मैं जैसे मध्यप्रदेश में देखता हूं, कभी कोई मंत्री बोल देता है तो कभी कोई मंत्री बोल देता है। वहां अधिकृत नहीं थे, यहां आपने पता नहीं कोई घटना हुई थी उसके बाद कुछ अधिकृत हुआ था, ऐसा मुझको याद आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन आप दोनों कम से कम चाय जरूर पीजिए।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- हम लोग चाय भी पीते है, खाना भी खाते हैं, गपशप भी करते हैं, आप निश्चिंत रहिए।आप तो अपने दांयें-बांये को देख लीजिए कि क्या स्थिति है।

श्री धर्मजीत सिंह :- हॉ, हॉ, बस,बस। सर, मैं तो आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि चूंकि करोना बढ़ रहा है इसलिए आप एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाईये ताकि हम लोग भी अपने कुछ सुझाव दें और आपके द्वारा बताये गये रास्ते को हम गांव-गांव तक पहुंचा सकें। ये कैंपा मद के बारे में बोल रहे थे कि कैंपा मद से खर्च नहीं हुआ। मैं गांव के वन ग्राम में अभी 16 अगस्त को गया था। वहां मैं गांव वालों के साथ बैठा था।

वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- वे लोग तोड़फोड़ कर सकते हैं, आप क्यों तोड़फोड़ की सोचते हैं? उधर की बात को इधर से क्यों बोल रहे हो? इसमें आपको फायदा तो कुछ नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं कहां तोड़फोड़ कर रहा हूं भाई। हमारे पांच विधायक थे, उसमें एक अजीत जोगी जी नहीं रहे, हम चार विधायक हम क्या तोड़फोड कर सकते हैं भाई? थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। सह लिया करो, सुन लिया करो, हम आपसे सिर्फ बोलने के सिवाय और क्या कर सकते हैं? सभापति महोदय, मैं यह बोल रहा हूं कि मैं एक वन ग्राम दौरे में गया था। पूरे गांव वालों का मुंह खुला था और फारेस्ट विभाग के कुछ अधिकारियों का या कर्मचारियों का मुंह बंद था तो मैंने पूछा कि क्यों आपको वन विभाग के लोगों ने कुछ मास्क आदि दिया क्या तो बोले कि नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमने दिया तो मैंने पूछा कि किसको दिया तो बोले कि अपने स्टाफ के 10 लोगों को दे दिया। इस प्रकार की स्थिति यदि रहेगी तो करोना को नहीं रोक सकते। वनांचल में न वह सेनेटाईजर जानते हैं, न वह साबुन जानते हैं, न वह मास्क जानते हैं, न उनके पास कोई पौष्टिक खाना है, तो उसके लिए आप ऐसे मदों का प्रयोग कीजिए। दूसरी बात पूरे करोना काल में कोई भी मंत्री जिले के दौरे में नहीं गया। कोई मंत्री दौरा नहीं किया। सब यहीं रहे, मंत्रालय में बैठे, घर में रहे।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजेपुर) :- नहीं, माननीय लखमा जी गये थे, पेपर में छपा था।

श्री धर्मजीत सिंह :- लखमा जी, मंत्री से ऊपर हैं। जहां-जहां प्रभारी मंत्री हैं आप उनको निर्देशित करिये कि वहां जाकर कलेक्टर के साथ बैठकर वहां के करोना के नियंत्रण के बारे में, वहां की व्यवस्था के बारे में, वहां के फंड के बारे में, वहां के सलाह और सुझाव के बारे में बात करें। चीफ सेक्रेटरी गोबर की मीटिंग ले सकते हैं लेकिन चीफ सेक्रेटरी करोना की बैठक नहीं लिए। अध्यक्ष महोदय, इस लड़ाई को कोटवार से लेकर मंत्रालय तक, मुख्यमंत्री तक सब मिलकर लड़ेंगे, तभी हम जीत पायेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जी, आप ये मत समझिए कि हम आपकी आलोचना या आपको नीचा दिखाने या आप पर उँगली उठाने या इस सरकार की ओर ऊंगली नहीं दिखा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर हमारा कोई भी आदमी करोना से मत मरे। हमारी सरकार यदि इस चुनौती का सामना करके जीतेगी तो वह छत्तीसगढ़ जीतेगा, हम जीतेंगे। हम राजनीतिक चश्मे से देखकर आलोचना नहीं कर रहे हैं पर आपको जागृत कर रहे हैं कि आप उठिए, चलिए और वहां सलाह-मशविरा करके करोना की समस्या को रोकने का काम करें। बहुत विस्फोटक रूप हो रहा है, कहीं और ज्यादा नियंत्रण से बाहर न हो इसलिए सरकार के हर कदम में हम आपको साथ देने को तैयार हैं। आप पहल करिये, दौरा करिए और जिलेवाईज 12 मंत्री हैं दो-दो जिले का दौरा करेंगे तो पूरे प्रदेश का दौरा हो जायेगा। कितना देर लगता है? अब वह पेपर में छपा कि 13 करोना योद्धा और जब 10-20 केस था तो करोना योद्धा छप गया, आज न किसी करोना योद्धा का बयान आ रहा है, न कोई मार्गदर्शन आ रहा है न कोई दिशा-निदेर्श आ रहा है, न दौरा कर रहे हैं, न कोई बात कर रहे हैं तो ऐसे नहीं चलेगा इसलिए स्वास्थ्य मंत्री जी आप इसमें हमें आश्वस्त करिये। हम आपके इस

मुहिम में, कदम में अपने प्रदेश की जनता की रक्षा के लिए आपको तन, मन और धन से सहयोग करेंगे। आप हमें बताईये। लेकिन जरा निकलिये, यहां बैठे-बैठे नहीं होना है। रायपुर में बैठे-बैठे आप करोना से नहीं निपट पायेंगे, आपको फील्ड में देखना पड़ेगा। वहां बहुत सी समस्याएं हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गद्दा नहीं है, सांप निकल रहा है, बिच्छु निकल रहा है। अब इनको ये बोल दिये हमारे घर में सांप निकलता है। जहां व्यवस्था करेंगे वहां सांप आदि का इलाज होता है उसको कराकर रखना चाहिए। गांव के लोग थे तो क्या उनको सांप कटवा दोगे? भालू कटवा दोगे? अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शैलेश पांडे :- सभापति जी, अगर 15 साल पहले भी सांप निकलते थे तो क्या हम लोग डॉ. रमन सिंह जी को बोलते थे क्या कि आपके कारण मेरे घर में सांप आ गया है। ये क्या बात हुई ?

समय :

05:45 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक (रायगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज कोरोना पर चर्चा करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी कोरोना पर 13 योद्धा की बात आई। जब कोरोनाकाल शुरू हुआ तब प्रधानमंत्री जी लगातार टी.वी. पर आते रहे, थाली, ताली, मोबाईल, फ्लैश, दीया, बाती, जलवाते रहे। जब कोरोना पीक पर आया तो थाली, ताली, मोबोईल, घंटी सब बंद हो गया। उसके बाद राज्य सरकार को बोल दिया गया कि अब आप कोरोना से निपटो। मैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस कोरोनाकाल में भी उन्होंने सारी व्यवस्थाएं की। चाहे वह स्वास्थ्य की हो, चाहे वह क्वारांटाईन सेंटर की हो, यहां तक कि जब कोरोनाकाल में पूरा देश मंदी से जूझ रहा था ऐसे समय में जब गरीब लोग, किसान लोग, मंदी से जूझ रहे थे, पैसा नहीं था तब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कोरोनाकाल में राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन न्याय योजना के तहत लोगों को पैसा दिया और आज छत्तीसगढ़ में स्थिति भयावह नहीं है, नियंत्रण में है । इसके लिये मैं हमारे छत्तीसगढ़ के कोरोना वारियर्स चाहे वह स्वास्थ्यकर्मी हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे हमारे निगम के कर्मी हो, उनको मैं सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं। जब चीन से कोरोना की शुरूआत हुई तो लगभग जनवरी फरवरी में इसका आभास हो गया था। उसके बाद भारत सरकार द्वारा 5 मार्च को नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया गया। अगर यह आयोजन नहीं होता तो शायद हमारे देश में कोरोना की जो इतनी भयावह स्थिति बनी है, ये ना होती। अगर समय रहते अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को रोक दिया होता या उस समय जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको क्वारांटाईन या सही जगह रख दिये होते तो हमारे भारत देश में इतना कोरोना फैला नहीं होता। अचानक लाकडाउन कर दिया गया, हमारे मजदूर जहां थे, वहीं फंसे रहे। जो लोग बाहर से आये थे, वे धीरे-धीरे हमारे मजदूरों को संक्रमित करना शुरू किये। जब इससे नहीं संभली तो मजदूरों को अपने राज्य में जाने के लिये छोड़

दिया गया। इससे लगातार कोरोना का जो भयावह रूप है, वह बढ़ा और जब समय रहते हम लोग इन सब चीजों को देखते तो शायद कोरोना का ये भयावह रूप नहीं आता। जब लाकडाउन था तो मजदूर पहले सोचे थे कि 15 दिन में यह लाकडाउन खुल जायेगा। तब तक स्थिति सामान्य थी। उसके बाद मजदूर वापस लौटने लगे और उस समय की स्थिति बहुत भयावह थी। कितने लोग रास्ते में फंसे थे, कितने लोगों की मृत्यु हुई ? स्थिति बहुत खराब थी, ऐसे समय में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे राज्य की सीमा में जो भी मजदूर आयें उनको अपने राज्य की सीमा तक पहुंचाने की व्यवस्था की। इसके लिये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। केशव प्रसाद चंद्रा जी।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजेपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जिस चीज का संकट छाया हुआ है। आज आप स्थगन के माध्यम से यहां चर्चा करने के लिये अनुमति प्रदान किये, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह चर्चा कोई आलोचनात्मक नहीं होना चाहिए, बल्कि हम इस संकट से कैसे बचे ? और उसके लिए कैसे बेहतर उपाए कर सकें इस दिशा में होना चाहिए। ये कोई लाया हुआ या पूर्व नियोजित नहीं था। यह एकाएक आया। केन्द्र की सरकार ने भी बेहतर काम किया, प्रदेश की सरकार ने भी बेहतर काम किया और केवल सरकार ही नहीं बल्कि तमाम् सामाजिक रूप से जुड़ी हुई संस्थाओं ने भी बेहतर काम किया, यही कारण है कि आज हम इस स्थिति में है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पांच महीने का जो कोरोनाकाल रहा। मैं एक बात निश्चित रूप से कहूंगा कि पहली बार प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इतनी संवेदनशीलता के साथ काम किया गया। उन तमाम् चाहे मजदूरों को लाने की बात हो, उनको क्वारनटाईन में रखने की बात हो या फिर कोई कोरोना पॉजिटिव मिल गया है उनके ईलाज की बात हो, निश्चित रूप से बहुत संवेदनशीलता के साथ प्रदेश के चाहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हों, चाहे पुलिस विभाग के हों, संवेदनशीलता के साथ काम किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप और हम जिस जिले से हैं इस प्रदेश में उस जिले से सबसे ज्यादा मजदूर पलायन किये हैं। माननीय प्रभारी मंत्री जी एक दिन मिटिंग में हम लोगों को बुलाये थे। हमारे जिले के कलेक्टर साहब अपना आंकड़ा 35 हजार दे रहे थे उस दिन भी मैंने कहा था कि जांजगीर-चांपा जिला का जो पलायन करने का रेश्यो है वह कम से कम डेढ़ लाख होगा। माननीय प्रभारी मंत्री जी उस दिन पूछे थे कि हर साल पलायन करते हैं कि इसी साल पलायन किये हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि आपके आंकड़े में पहली बार गये हैं, लेकिन हर साल ये मजदूर मजबूरी, लाचारी में जाते हैं। सरकार ने 35 हजार की व्यवस्था बनायी इसी कारण वहां व्यवस्था बिगड़ी। कल जो प्रश्न लगा है उसका जवाब आया उसमें भी आज सरकार इस बात को छिपा रही है कि जांजगीर-चांपा जिले में केवल 60 हजार प्रवासी मजदूर गये थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको भी मालूम है जांजगीर-चांपा जिले में एक लाख, बीस हजार प्रवासी मजदूर वापस आये, जो क्वारनटाईन सेंटर में रूके हुए थे, यह सरकार के रिकॉर्ड में है, लेकिन यही बात

समझ में नहीं आ रही है कि आखिर सरकार इसको छिपाना क्यों चाहती है ? जो रिकॉर्ड में है जो वास्तव में है उससे क्यों बचना चाहती है ? पहले की बात जो भी रही इस सरकार ने भी कभी स्वीकार नहीं किया कि छत्तीसगढ़ के मजदूर काम की तलाश में पलायन करते हैं, न वर्तमान की सरकार ने कभी स्वीकार नहीं किया। जबकि हम सदन में हमेशा बोलते थे कि यहां के मजदूर लाचारी और बेबसी के कारण बाहर पलायन किये हैं। उन्हें क्वारनटाईन पर रखा गया। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई, कोई फण्ड नहीं दिया गया । जांजगीर चांपा जिले में जनपद पंचायत के सी.ई.ओ., जिला पंचायत कलेक्टर और वह सरपंच लोगों को डण्डा मार-मार कर, एक ग्राम पंचायत में 4-5 क्वारनटाईन सेंटर खोला गया। वह भी जनप्रतिनिधि थे उन्होंने बढ़िया बेहतर व्यवस्था की, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो उन्होंने खर्चा किये आज उन ग्राम पंचायत को एक पैसा नहीं मिला है। कुछ जवाब में आया कि उनको 14 वें वित्त से जो राशि खर्च करने का अधिकार दिया गया, लेकिन माननीय मंत्री महोदय आप पता कर लीजिए जांजगीर-चांपा जिले में कम से कम जिला पंचायत के सी.ई.ओ. के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है कि प्रवासी मजदूर, जो क्वारनटाईन सेंटर में है उनके लिए 14 वें वित्त आयोग से राशि नहीं निकालयेंगे और जो सरपंच निकालेगा, वहां 30 प्रतिशत कमीशन देगा। उसी की राशि स्वीकृति होगी। आज जो सक्षम सरपंच है वह व्यवस्था कर लिया, क्योंकि विषम परिस्थिति थी, यह करना उसकी जवाबदारी थी वह भी जनप्रतिनिधि है, लेकिन जो सरपंच आर्थिक रूप से कमजोर है उसके गले में फांसी लटक रहा है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ आप बेहतर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे है। ऐसा हो सकता है कि आपको इसकी जानकारी न हो, क्योंकि सरकार ने कभी इस संबंध में विपक्ष के विधायकों के साथ बैठकर चर्चा नहीं करना चाहा। सरकार की बात ही नहीं, प्रशासन में बैठे हुए किसी अधिकारियों ने भी कभी ये आवश्यकता महसूस नहीं की कि उस क्षेत्र, जिले के विधायक, जनपद के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष के साथ बैठकर और कैसे बेहतर व्यवस्था बना सकते हैं या जो संकट आया उससे कैसे बच सकते हैं, इस पर कभी किसी भी प्रकार की कोई चर्चा किये होंगे। प्रशासन ने जहां बेहतर काम किया, वहीं मनमानी भी शुरू हो गई। क्योंकि कोरोना के कारण जो धारा-144 लगी है, उसके कारण हम लोग कहीं बोल नहीं सकते थे, सभा नहीं कर सकते थे, कहीं चिल्ला नहीं सकते थे, उसका लाभ भी प्रशासन के अधिकारियों ने लिया। खाद की जो कमी आई है, यही कारण है, हालांकि कोरोना से उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन यही कारण है कि आज तमाम जगहों में खाद की कमी हुई है। 1 महीना 15 दिन हो गये हैं, हसौद कंटेनमेन्ट जोन घोषित है। वह राज्य मार्ग है, प्रमुख सड़क है और 1 महीना 15 दिन से पूरी सड़क को सील कर दिया गया है।

श्री संतराम नेताम :- माननीय सदस्य जी, राजीव न्याय योजना और गोधन योजना के बारे में भी बताईये कि किसानों और गरीबों को कितनी मदद मिली है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- वह कल बतायेंगे, आज कोरोना के बारे में ही बात कर लें। हम भी चाहते हैं कि कोरोना के संकट से सब बचें। हम भी सरकार के साथ हैं। इसीलिए हम धन्यवाद दिये कि सरकार ने

बेहतर काम किया है। लेकिन हमको जो कमी महसूस हो रही है, उसको भी बताना जरूरी है, चाहे सरकार माने या मत माने। अध्यक्ष महोदय, 1 महीना 15 दिन हो गये हैं, वह पूरी सड़क को बंद कर दिये हैं। जिस वार्ड में है, वहां कंटेनमेंट जोन घोषित कर लें, उस वार्ड में न जायें। वहां पर 1 महीना 15 दिन के बाद भी शत-प्रतिशत टेस्ट नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि यहां सभी का टेस्ट किया जा रहा है। 90 विधायकों में से कितने विधायक और उनके परिवार का टेस्ट स्वास्थ्य विभाग ने किया है? आप जिम्मेदार पद पर हैं, आप ही लोग बता दीजिए कि किसके-किसके घर स्वास्थ्य विभाग गया है? हमारे पास तो कभी स्वास्थ्य विभाग नहीं आया। मैं अगल-बगल के साथियों से पूछ रहा था, किसी के पास नहीं गये। जब विधायक के घर पर नहीं गये जो हमेशा जनसंपर्क में रहते हैं या टेस्ट करवाने के लिए उनसे कोई संपर्क नहीं किये तो बाकी लोगों के पास क्या संपर्क करके टेस्ट किये होंगे ? कोई मरीज चला गया, केवल उन्हीं का कोरोना टेस्ट हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय टेस्ट की दर को बढ़ाईये। अगर प्रारंभिक स्टेज में कोरोना का पता चल जाता है तो मेडिकल साइंस कह रहा है कि उनका इलाज जल्दी हो सकता है और देर होने में उसके इलाज में विलंब होगा या वह गंभीर समस्या में आ सकता है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन भी करना चाहता हूं कि हसौद के बारे में भी एक बार समस्या को देख लीजिए, डेढ़ महीना हो गया है, वह कंटेनमेंट घोषित हो गया है। वह बड़ा गांव है, वहां का पूरा जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस महामारी से न केवल छत्तीसगढ़, हिन्दुस्तान प्रभावित है, बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित है। यह ऐसी महामारी है जिसका 160 देशों तक विस्तार हुआ है। दुनिया के लोग इंतजार कर रहे हैं कि इसके लिए वैक्सीन कब आये। जब तक वैक्सीन नहीं आती, तब तक हम क्या उपाय कर सकते हैं, preventive measures क्या ले सकते हैं, यह बड़ी लड़ाई है। इसमें सभी राज्यों ने अपने-अपने संसाधन के मुताबिक इस लड़ाई को लड़ा है। मगर धीरे-धीरे छत्तीसगढ़ की स्थिति ये आ गई कि आज की रिपोर्ट है 1260 से ऊपर मरीज मिले हैं। यदि पिछले 40 दिनों का आंकड़ा देखें तो यह आंकड़ा रोज बढ़ता जा रहा है और यह कहां जाकर रूकेगा, किस भयावह स्थिति में जायेगा, इसका अंदाज लगाना अभी मुश्किल है। राजधानी रायपुर में अभी तक 8000 से मरीज ज्यादा निकल चुके हैं और रायपुर में क्यों ज्यादा निकल रहे हैं ? क्योंकि रायपुर में टेस्ट की सुविधा है। बाकी आज पूरे 28 के 28 जिलों में कोरोना का विस्तार हो चुका है, स्वास्थ्य मंत्री जी की ये चिंता होगी। पहले 14 जिले में थे, वह बढ़ते-बढते 28 जिलों तक पहुंच चुका है। यह चुनौती तो है, मगर इसको अवसर में बदला जा सकता था। हम कहीं न कहीं चूक गये।

समय :

6:00 बजे

यह अवसर था जब प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्रियों से एक बार नहीं, दो बार नहीं, छः बार बात कर सकते हैं तो यहां बैठकर मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी विधायकों के साथ कम से कम एक बार, दो बार बैठकर सुझाव लेकर उन क्षेत्रों में होने वाले कामों के बारे में जानकारी पक्ष के हों या विपक्ष के हों उनकी भागीदारी इस कोरोना के लिये क्या हो सकती है ? एक-बार भी अवसर नहीं आया कि बैठकर चर्चा हो यह अवसर चूक गये, इससे बेहतर प्रबंधन हो सकता था । इसमें पहल नहीं की गयी, यह कमी रह गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ के डॉक्टर्स, छत्तीसगढ़ के पैरामेडिकल स्टॉफ, नर्सेस स्टॉफ, पुलिस के जवानों को धन्यवाद देना चाहूंगा और उन सारे लोगों को और एनजीओ और सामाजिक संगठनों ने कमाल किया है, चमत्कारिक काम किया है, बिना डर और बिना भय के चूंकि मैं जानता हूं कि मैं जिस क्षेत्र का विधायक हूं राजनांदगांव का उसका बॉर्डर और चिचोला । चिचोला बॉर्डर से मैं जानता हूं कि वहां से हजारों की संख्या में रोज महाराष्ट्र और अन्य प्रांत से पैदल की संख्या में लोग आ रहे थे ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- डॉक्टर साहब, धन्यवाद देतेओ ता माननीय मुख्यमंत्री जी ला अऊ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ला भी दे देतेओ ।

डॉ. रमन सिंह :- मैं सबको धन्यवाद दे रहा हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां हजारों की संख्या में लोग पैदल चले आ रहे थे लेकिन उस समय शहर के लोगों ने उनके भोजन की व्यवस्था, बाकी व्यवस्था सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने इस विषय को लेकर आगे बढ़कर काम किया और जब धन्यवाद देने की बात आती है तो इसकी पहल माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले देश को पूरे लॉकडाऊन की स्थिति में लाया । 1600 ट्रेन उपलब्ध होते हैं । छत्तीसगढ़ को 116 ट्रेन की बात अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बता रहे थे, माननीय मंत्री जी के जवाब में आया है लेकिन यह ट्रेन की व्यवस्था बनाने में हम असफल क्यों हो गये ? मजदूरों को पैदल इतनी बड़ी संख्या में आज आंकड़े आये हैं 5 लाख 60,000 और ट्रेन में आने वालों की संख्या कितनी है तो 32,000 इसका मतलब यह है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय डॉ. साहब ।

डॉ. रमन सिंह :- इनको बोलने का अवसर दे दिया जाये ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया : जो 116 ट्रेनों की अनुमति मिली है । केंद्र सरकार ने पूरा पैसा वसूल किया है । इस कोविड के समय में केवल अनुमति दिये हैं और पैसा हम लोगों ने दिया है। ट्रेन केंद्र सरकार की है, जो श्रमिक आ रहे हैं वह हमारे प्रदेश के हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है और केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है तो पैसा आधा-आधा कर लेते, पूरा पैसा ले लिये ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये बैठिए, मैं आपको समय दूंगा ।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं प्रश्न के जवाब देख रहा था । उन जवाबों में देख रहा था कि क्वारेंटाईन सेंटरों की व्यवस्था में किस-किस मद का उपयोग किया गया है और जांजगीर का ही जवाब आया है जिसमें क्वारेंटाईन सेंटर में श्रमिकों के लिये भोजन की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, पी.एम. केयर फंड 03 करोड रूपये, एस.जी.आर.एफ. से 37 लाख, तीसरा मद दिखाई दिया चौदहवें वित्त आयोग से 17 करोड़ इसका मतलब

यह हुआ कि 80 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार के अनुदान से छत्तीसगढ़ के 21,000 क्वारेंटाईन सेंटर्स में खर्च किया गया । यह स्पष्ट जवाब में आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने और अलग-अलग आज 03 जवाब आये उसमें यह स्थिति स्पष्ट हो चुकी है । अभी माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में ही अपनी बात कह रहे थे हमने सबसे ज्यादा टेस्ट करा लिये । कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है और एक आखिरी उपाय है, सबका टेस्ट कैसे कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कैसे हो सकते हैं इसकी प्रक्रिया शुरू की जाये लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में जो बता रहे थे कि हमने सबसे ज्यादा टेस्ट कराये । छत्तीसगढ़ में अभी तक मुख्यमंत्री जी ने बोला इसलिये मैं इस विषय को उठा रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में अभी तक 04 लाख 80,000 टेस्ट हुए और छत्तीसगढ़ में प्रति 10 लाख ये आंकड़े सरकारी हैं । 10 लाख छत्तीसगढ़ के जो व्यक्ति के एवरेज 16,850 सैंपल टेस्ट हुए, प्रति 10 लाख में 16,850 और छत्तीसगढ़ के समकक्ष जब दिल्लीमें सुधार क्यों आ रहा है, खराब स्थिति से बेहतर स्थिति क्यों बदल गई ? उसका एकमात्र कारण है कि दिल्ली में प्रति दस लाख में 72,000 टेस्ट, कहां 16,000 टेस्ट, कहां 72,000 टेस्ट दिल्ली में एवरेज हो रहा है और असम में 10 लाख में 57,000 टेस्ट, असम कितना विचित्र राज्य है ? असम में 57,000 टेस्ट । उड़ीसा जैसे राज्य में 30,000 टेस्ट हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है ? अरे, आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो पूरी ताकत से लड़िये, पूरी हिम्मत से लड़िये । आपके टेस्ट की संख्या 16000 से बढ़ नहीं रही है । इतने सारे सेंटर बनने के बाद अभी 16000 की संख्या है । अध्यक्ष महोदय, देश में 3.7 करोड़ टेस्ट हो चुके, देश में औसत रिकवरी रेट 75 प्रतिशत है । छत्तीसगढ़ में 4.9 लाख टेस्ट हुए, दिल्ली में रिकवरी रेट 90 परसेंट पहुंच गया । यदि हम दिल्ली से, हरियाणा से तुलना करते हैं तो हरियाणा में 80-82 परसेंट रिकवरी रेट हो गया । हमारा रिकवरी रेट 61 परसेंट में आकर रूका है । ये दोनों आंकड़े महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि आने वाले कल के लिए अलार्मिंग है, जब सुकमा में, बीजापुर में, बलरामपुर में ।

श्री अमरजीत भगत :- डॉ. साहब.....डॉ. साहब ।

अध्यक्ष महोदय :- उनको बोलने दीजिए ना ।

डॉ. रमन सिंह :- 28 के 28 जिलों में जब कोरोना का विस्तार हो जाता है, जब आप टेस्ट कराएंगे, अभी टेस्ट हो नहीं रहे हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- डॉ. साहब...डॉ. साहब ।

डॉ. रमन सिंह :- जब टेस्ट का प्रतिशत बढ़ेगा । जैसे-जैसे जिन क्षेत्रों में टेस्ट की सुविधा बढ़ती जा रही है । जैसे रायुपर में 8 हजार केसेस मिल गए हैं । इसका मतलब यह है कि रायपुर में सुविधा उपलब्ध है ।

श्री अमरजीत भगत :- डॉ. साहब...डॉ. साहब ।

डॉ. रमन सिंह :- यही सुविधा जब सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर में, बलरामपुर में उपलब्ध नहीं होगी ।

श्री अमरजीत भगत :- दिल्ली में इनकी सरकार नहीं है, जहां का बार-बार उदाहरण दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक तो कर रहे हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, मध्यप्रदेश में है, गुजरात में है, वहां का उदाहरण दें । दिल्ली में तो इनकी सरकार है नहीं । आप पार्टी की सरकार है ।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात । स्वास्थ्य मंत्री जी कुछ बातें नोट कर रहे थे तो उन्होंने यह भी नोट किया होगा कि हम 2 केस से बढ़ते-बढ़ते 1200 केस में पहुंच गए, हाई कोर्ट सके जज से लेकर आई.ए.एस.,

आई.पी.एस., पुलिस के जवान, डॉक्टर्स तक पहुंच गया । डॉक्टर्स की मौत हो रही है, एम.डी. डॉक्टर मर गया। कोरोना का जो विस्तार हो रहा है उसका कारण यही है कि इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से 28 जिलों में कार्ययोजना बनाकर हम उनके लिए टेस्टिंग फैसिलिटी उपलब्ध नहीं कराएंगे, जो बात आती है कि छत्तीसगढ़ और देश के लिए क्या-क्या हुआ, क्या-क्या मदद मिली ? अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं के आंकड़े बता रहा हूं । इन्होंने ही बताया है कि 4 लाख 32 हजार एन-95 मास्क दिया गया है । 1 लाख 67 हजार पीपीई किट, 10 लाख हाइड्रोक्लोरोक्वीन टेबलेट, आरटीपीसीआर किट 1 लाख 20 हजार, वीडीएम किट 1 लाख 37 हजार ये सब तो दिया गया है । सवाल इस बात का है कि हम मैसेज क्या देना चाहते हैं, मैसेज राजधानी से जाता है । मुख्यमंत्री, मंत्रियों से जाता है, विधायकों से जाता है । यदि हम अपने घर में सार्वजनिक कार्यक्रम में हजारों लोगों के साथ उत्सव मनाते हैं तो इसका इम्प्रेशन पूरे छत्तीसगढ़ में जाता है, और समस्या को रोकने की ताकत खत्म हो जाती है । पुलिस के जवान से एक आम आदमी सवाल करता है कि जब यहां पर इतने बड़े बड़े आयोजन हो सकते हैं तो गांव में छोटे आयोजन को कौन रोक सकता है और पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती । जब शराब दुकानों में 5-5 हजार लोगों की लाईन लग जाती है उसी दिन यह तय हो जाता है कि कोरोना को फैलने से हिंदुस्तान की कोई ताक़त नहीं रोक सकती । यदि पैसा ही हमारी प्राथमिकता है, पैसे के लिए छत्तीसगढ़ के सारे लोगों के स्वास्थ्य को गिरवी नहीं रख सकते । हम उनको दूर रखने के लिए हम तीन महीने का निर्णय नहीं ले सकते क्या ? आप शराबबंदी नहीं कर रहे हैं उसके लिए आपत्ति नहीं है । मगर जब आपको यह मालूम है, आज सांसद और विधायक धरना दे रहे हैं, शराब की दुकानों में 5 हजार, 6 हजार की लाईन लगी है । सारे नियम कायदे तोड़ दिये जा रहे हैं तो यह संदेश कहां से जाता है । सरकार के कार्यक्रम से जाता है । हिंदुस्तान के बड़े बड़े अखबारों में छपा कोरोना योद्धा, बाद में कोरोना योद्धा अदृश्य हो गए । अरे भाई, हमको तो सामने आकर फेस करना है, पेपर में देने की जरूरत नहीं, कारेंटाइन सेंटर में जाना है, जहां सांप काटने से, यानी हिंदुस्तान का अकेला कारेंटाइन सेंटर है जहां पर फांसी लगाने से मौत होती है । योगेश वर्मा की किरना मुंगेली में सांप काटने से मौत होती है। सूरज यादव प्रसवनी बालोद की फांसी से मौत होती है। धनसिंह, कोरबा की सांप काटने से मौत होती है। सीतापुर-अंबिकापुर के युवक की मौत फांसी से होती है। जगवहन डबरा की फांसी से संदिग्ध हालत में मौत होती है। 27 लोगों की क्वारंटाईन सेंटर में मौत होती है। यह विषय आ रहा था कि छत्तीसगढ़ के लिए इस पूरे दौर में केन्द्र सरकार ने क्या किया? प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया, उसकी बात आत्मनिर्भर भारत में चर्चा हो रही थी। एक लाख 70 हजार करोड़ के गरीब कल्याण योजना में राहत पैकेज दिया गया। 80 करोड़ हिन्दुस्तान के लोगों को 5 महीने तक हर माह 5 किलो गेहूं और एक किलो चावल देने की व्यवस्था पूरे देश में आने वाले नवंबर माह तक छततीसगढ़ हिन्दुस्तान के 80 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था, 20 करोड़ महिला जनधन खातेदारों को 3 महीने के लिए 500 रूपये डी.बी.टी. में देने का काम, 31 हजार करोड़ का राहत दिया गया है। 3 करोड़ गरीब व वरिष्ठ नागरिकों तथा विधवा पेंशन गरीब को एक हजार रूपया प्रतिमाह देने का 3 माह की योजना 8.7 करोड़ किसानों को अप्रैल माह का 2 हजार की पहली किश्त दी गई। 8.3 करोड़ परिवारों को 3 माह के लिए एल.पी.जी. कनेक्शन नि:शुल्क उज्जवला योजना में दिया गया। इसके साथ ही साथ अप्रैल और मई माह में 12 हजार 390 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दिया गया और अप्रैल के प्रथम हफ्ते में 11 हजार करोड़ का एस.डी.आर.एफ. फंड रिलीज किया गया। इसके साथ ही साथ राज्यों को अनुमति दी गई कि उनके उधार की सीमा को 3 से 5 प्रतिशत बढ़ा दिया जाये। मैं कुछ सुझाव अंत में देना चाहता हूं। चूंकि अनुपूरक आया है। बजट में

इस समय कोरोना का प्रभाव नहीं था और हम न डी.एम.एफ. का उपयोग कर पाये और न ही हम कैम्पा फंड का उपयोग कर पाये, न मरीजों को दिये जाने वाले फंड का उपयोग कर पाये। केन्द्र सरकार के स्पष्ट निर्देश के बाद भी 600 से 800 करोड़ राशि हम स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च कर सकते थे। यह चुनौती भी था और अवसर भी। इसलिए मैं बोलता हूं कि आज हम पूरे प्रदेश की टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं। यदि अनुपूरक लाया गया है तो आप हेल्थ के लिए लाओ न। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी प्राथमिकता हेल्थ है। 140 करोड़ से पूरे हेल्थ का सिस्टम सुधर जायेगा। इसके लिए कम से कम 3 से 4 हजार करोड़ या 5 हजार करोड़ की भी जरूरत है। इसको दिया जाना चाहिए। मैं इसके लिए समर्थन करता हूं और मेरे विपक्ष के लोग करेंगे। 5 लाख प्रवासी मजदूर आये हैं। सबके खाते में 1-1 हजार रूपये तत्काल डालना चाहिए। आप कितना अनुपूरक में रख सकते हैं, वह रखने की जरूरत है। इसे डालना चाहिए। आइसोलेशन के लिए जितने सेंटर बनाये हैं, उसे मजबूत करने के लिए जो फंड से खर्च किया जा सकता है, इसके लिए प्रावधान रखें। आप 130 करोड़ खर्च करके कोरोना की बड़ी लड़ाई से लड़ सकेंगे क्या? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का मेडिकल कॉलेज नहीं होता, एम्स नहीं होता तो आप कोरोना की लड़ाई कैसे लड़ते? आज भी आश्चर्यजनक है। कमजोर वर्ग के लिए, ठेले चलाने वालों के लिए, रेवड़ी के लिए, डी.जे. बजाने वालों के लिए, ड्राइवर, मजदूर इनके लिए अनुपूरक में प्रावधान रखा जाना चाहिए। अनुपूरक का मतलब ही यही होता है कि इमरजेंसी में इनकी मदद के लिए हम क्या कर सकते हैं? स्वास्थ्य मंत्री जी को फ्री हैण्ड देकर इस सारे विषयों में फण्ड जब तक नहीं आयेगा, तब तक आप बिना पैसे के 140 करोड़ रूपये में क्या लड़ेंगे स्वास्थ्य मंत्री जी? आप कागज में लिखते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और जो स्पीड बढ़ रही है, उसे रोका नहीं जा सकता। इसके लिए पूरा फ्री हैण्ड होकर अनुपूरक में जो राशि चाहिए, वह ज्यादा से ज्यादा राशि देनी चाहिए, मैं इसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत, धन्यवाद।

डॉ. रमन सिंह :- आप बार-बार मुझे मुस्कुराकर देख रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. जायसवाल जी, 5 मिनट में अपनी बात खत्म करिए।

डॉ. विनय जायसवाल (मनेन्द्रगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- जो-जो समझाइश आप चन्द्राकर जी को दे रहे थे, वह सब अपने भाषण पर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- जो बातें हो गई हैं, वे बाते आप न करें। नई बात रखिए, जो आप मुझे कह रहे थे।

डॉ. विनय जायसवाल :- स्थगन में चर्चा के दौरान बहुत सारे आंकड़े और बहुत सारी बातें हो गई है और मुझे आपने बहुत कम समय भी दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- डॉ. भाषण की कॉपी निकलवाउंगा न और सभी मेडिकल संस्थानों में भेजूंगा कि यह डॉ. का भाषण है करके। आप इस बात का ध्यान रखना।

अध्यक्ष महोदय :- उनका भाषण चलने दीजिए, बहुत कम समय है । उनको बोलने दीजिए ।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बृजमोहन अग्रवाल जी और माननीय सदस्य अजय चनद्राकर जी ने जो उद्‌बोधन में कहा है, उसी में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- उन पर मत जाईए, आप सीधा अपनी बात करिए।

डॉ. विनय जायसवाल :- जी । माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कहा है कि छत्तीसगढ़ में अभी कोरोना की जो स्थिति है, वह एकदम अनियंत्रित हो गई है और कोरोना का जो स्प्रेड है, वह बहुत ज्यादा हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह बताना चाहूंगा कि कोविड 19 का जो इंसफेक्शन है और कोरोना का जो इंसफेक्शन है, यह वैश्विक महामारी है, ये पूरे विश्व में पेंडनिक है और जब पेंडनिक फैलता है, जो वायरस का कनेक्टर होता है, पूरे विश्व में फैलने का जो कनेक्टर होता है, वह टिपिकल होता है और जिस तरह से अमेरिकी की बात किये, दिल्ली में अभी कम हो रहा है, उसकी बात किये, अन्य प्रदेशों में कम हुआ है, उसकी बात किये । आप यह बात करिए कि मार्च से लेकर अगस्त तक जो अवधि रही है, इसमें छत्तीसगढ़ में कितना ज्यादा कंट्रोल रहा है, कोरोना के जो केसेश हैं, वह कितने कम हैं और चूंकि वायरस का कैरेक्टर है, पेंडनिक का जो नेचर है, वह आपको भी पता है, सभी को पता है । जितने भी रिसर्चर होंगे, जितने भी शोधकर्ता होंगे, उन सबको पता है । इसका जो पीक आता है, जो कोविड 19 का इंसफेक्शन था, वह कैसे फैला, क्यों फैला, वह बताने की जरूरत नहीं है । सबसे पहले दिसम्बर में कोरोना का पहला केस वुहान में आया । हमारे देश में कोविड का पहला केस 30 जनवरी को आया, इसके बाद 20 मार्च को मध्यप्रदेश की सरकार को गिराया । ये सारे के सारे संबंध कोरोना से है, आप यह मत बोलिए कि मध्यप्रदेश की सरकार का संबंध कोरोना से कैसे हो गया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी मार्च में अमेरिका गए थे, उनका संबंध कोरोना से है या नहीं है, यह बताओ ।

डॉ. विनय जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कोरोनालॉजी समझा रहा हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जब कोरोना से सरकार का संबंध है तो माननीय मुख्यमंत्री जी अमेरिका गए थे, उनका संबंध है या नहीं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपके वित्त मंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का चार दिन सीरियल चलाया । छत्तीसगढ़ को कितना मिला, वह बताओ । नगर निगम को 1 करोड़ 10 लाख का कर्ज, यह क्या है ।

श्री सौरभ सिंह :- अभी तो डॉ रमन सिंह जी ने पढ़कर बताया कि कितना मिला, कैसे मिला ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, अपनी बात करिए ।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में देश के प्रधानमंत्री 22 मार्च को सीधे ये एलान कर देते हैं कि आज रात 12 बजे से लॉक डाऊन की स्थिति रहेगी ।

अध्यक्ष महोदय :- ये तो सब जानते हैं, उसको क्यों दोहरा रहे हो ?

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिना किसी तैयारी के आप देखिए कि लॉक डाऊन करने के बाद में मजदूरों की जो स्थिति रही है, अभी कई सदस्यों ने उसके बारे में चिन्ता व्यक्त की, उनके कष्ट के बारे में बताया, लेकिन जब पूरे देश में कोविड के 503 केस थे, उस समय आपने बिना किसी तैयारी के लॉक डाऊन किया । जब संक्रमण की संख्या 10 लाख से ज्यादा हो गई तो कोरोना का जो खौफ है, जो पूरा लहलहा गया, पूरा तेजी से फैल गया, उसके बाद आपने लॉक डाऊन को खोल दिया और आपने राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया कि राज्य सरकार अब इस कोरोना के संक्रमण को सम्हाले । यह तो यशस्वी भूपेश बघेल जी की सरकार है, जिसने राज्य में नियंत्रित किया । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- तैयारी करने के लिए लॉक डाउन किया क्योंकि तैयारी हो सके, इसलिए लॉक डाऊन किया ।

श्री रामकुमार यादव :- नोटबंदी जैसे जल्दबाजी कर दिये ।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य था, जिसने कोरोना के संक्रमण को रोका । कोरोना के संक्रमण को रोकने का काम किया । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि पूरे देश में कोरोना का जो स्प्रेड है, वह कम्यूनिटी स्प्रेड जैसा हो गया है । जब तक इसकी हार्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि कोरोना की रोकथाम अभी नहीं होने वाली है । यह जरूर है कि इस दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने काम किया है, अभी जो बोल रहे थे कि पूरा विश्व छत्तीसगढ़ की तरफ देख रहा है, तो निश्चित रूप से देख रहा है। कोरोना काल में जो काम हुए हैं, मजदूरों के लिए काम हुए हैं, किसान न्याय योजना के तहत किसानों को मजबूत करने का काम किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बहुत सारे डेडीकेटेड कोविड बेड देने का काम किया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सब काम हमारे सरकार के द्वारा किया गया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- आप एक आकड़ें का जवाब देंगे ? 26 मार्च से 26 अगस्त तक 6 महीने होते हैं। अगर ये सामान्य दिवस में छ महीने में छत्तीसगढ़ या देश में कितनी मृत्यु हुई और कोरोनाकाल में कितनी मृत्यु हुई ? आप बता सकते हैं ? अगर माननीय मंत्री जी जानते हों तो तैयारी कर लें, मैं आपसे पूछना चाहूंगा।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी बात को बोलना चाह रहा था। छत्तीसगढ़ का जो मृत्यु दर है, अभी रिकव्हरी दर के बारे में माननीय सदस्य बृजमोहन अग्रवाल जी ने बताया, लेकिन उन्होंने मृत्यु दर के बारे में नहीं बताया। आज आप इन आकड़ों को देख लीजिये।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष जी, दो यंग डाक्टर इसी में मर गये हैं। एक रमेश कुमार और दूसरा डॉ. गोयल आज ही मरा है। डाक्टर, केवल इम्युनिटी के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये खत्म करिये। मोहले जी।

डॉ. विनय जायसवाल :- बांधी जी, आज की तारीख तक पूरे छत्तीसगढ़ में 231 कोविड मरीजों की मौत हुई। पूरे राज्यों में जो सबसे कम मृत्यु हुई है, उसमें दूसरे या तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रश्न किया है..।

अध्यक्ष महोदय :- उसका आप उत्तर खोजकर रखिये।

डॉ. विनय जायसवाल :- मैं आपको बता रहा हूं। आप स्वास्थ्य विभाग के पूरे आकड़े निकाल लीजिये, तो मार्च से लेकर अगस्त तक का जो मृत्यु दर है, छत्तीसगढ़ का जो मृत्यु दर था और अभी का मृत्यु दर है, तो वह कम होगा।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी:- डाक्टर ये बोलो कि मृत्यु दर कैसे रूकेगा ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये मोहले जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- 13 कोरोना योद्धा बोलिये।

श्री रामकुमार यादव :- इनको कोरोना टेस्ट में लगा दीजिये, अच्छा रहेगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये मोहले जी, बुजुर्ग आदमी, आप कोई अच्छा सुझाव दीजिये।

डॉ. विनय जायसवाल :- आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पुन्नलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोरोना छत्तीसगढ़ में ही नहीं, भारत और विश्व में छाया हुआ है।

कोराना बीमारी से हमको नहीं है रोना,

हमको चैन के साथ है सोना,

बीमारी है कोरोना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। मैं क्षेत्रीय बात करूं मतलब मैं मुंगेली जिले की बात करूं, मुंगेली में लगभग 8 हजार लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है। चाहे पी.सी.आर. में टेस्ट हुआ है, चाहे एंटीजन में टेस्ट हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है कि 8 हजार लोगों का टेस्ट हुआ है। वहां की जनसंख्या मान लो 6 लाख है, तो उसमें से 8 हजार लोगों का टेस्ट नगण्य है। मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूं। इस छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, सबने, जिन्होने कोरोना के लिए कार्य किए हैं, उन सब अधिकारियों-कर्मचारियों सबको धन्यवाद देता हूं। मैं सलाह भे देता हूं कि कोरोना टेस्ट के माध्यम से हम कोरोना बीमारी से कैसे निजात पा सकते हैं। हम कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसमें सरकार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आलोचना- समालोचना, दोनों जरूरी है। मुंगेली जिले के गांवों में 40 हजार प्रवासी मजदूर आये। उन प्रवासी मजदूरों को कोरोनटाइन सेन्टर में रखा गया। 14 दिन बाद छुट्टी दिए। प्रत्येक लोगों को 100 रूपये की दर से खाने का देना था। आप गांव कहां पौष्टिक आहार पायेंगे। वहां किसी ने चावल दिया, किसी ने दाल दिया, सब्जी मिला या नहीं मिला, बहुत से सरपंच गरीब हैं, सामान्य है, उनके पास पैसे नहीं हैं, वे उधारी में भी काम चलाये। 14वें वित्त के पैसे का भी उपयोग किए। जबकि शासन के नियमानुसार उसे नहीं करना था फिर भी किया गया। उसके बाद 5 करोड़ 94 लाख रूपये अभी भी देना बाकी है। ऐसी परिस्थिति में क्या हम कोरोना बीमारी से निजात पा सकते हैं ? अगर ग्रामीण व्यवस्था ही नहीं सुधरेगी, यदि हम उनको पौष्टिक आहार ही नहीं दे पायेंगे, तो कैसे सुधार होगा। इसलिए मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जिस तरह आज कोरोना टेस्ट हो रहा है, यहां आक्सीजन का टेस्ट हो रहा है। उसके बाद टेम्परेचर का टेस्ट कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था पंचायत में हो जिससे टेस्ट मशीन से लोगों का टेस्ट भी हो जायेगा और सरकार को भी इंट्रेस्ट हो, हमको भी इंट्रेस्ट हो और सब जगह टेस्ट हो। अध्यक्ष महोदय, करोना के बारे में थोड़ा मेरा चौपाई भी सुन लीजिए। यदि आपने हर जगह क्वारेन्टाईन सेंटर किया या प्रत्येक जिले में आपने अस्पताल में बीमारी का उपचार किया। कई जगह सांप काट रहे हैं। मेरे क्षेत्र में करोना से एक गर्भवती महिला प्रभावित हुई उसे 05 दिन का बच्चा था। उसे करोना में भर्ती किया गया और बच्चे को उनके घर में रखा गया। हमने कहा कि बच्चे को घर में क्यों रखते हो, बच्चे को मां के पास रखो। तो फिर बार में एम्बुलेंस में लाया गया । मैं ज्यादा आलोचना की भाषा में नहीं कहता, हम किसी भी हालत में सबकी करोना से बचाव चाहते हैं। अंत में मुख्यमंत्री जी और सभी पक्ष एवं विपक्ष से कहना चाहूंगा कि -विश्व में छाया हुआ है करोना,

डरो ना, मत डरो ना।

चैन के साथ सोना, तब भगेगा करोना।

प्रेम करो ना, दया करो ना, मया करो ना, मानवता के साथ चलो ना,

गरीबों की सेवा करो ना, स्वास्थ्य की रक्षा करो ना,

दवाई दो ना, मास्क लगाओ ना, डिस्टेंस में रहो ना।

रहो डिस्टेंस, तब निकलेगा सेंस, बढ़ेगा हमारा पेसेंस

पहनो मास्क, इसी में हैं आस और करोना हो जाएगा बाईपास।

तब हमारा अच्छा रहेगा स्वास्थ्य ।

अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- पुन्नूलाल जी, 9 के बाद करो ना। रोक दो 9 के बाद।

श्री पुन्नू लाल मोहले :- दिन को करो ना, रात को करो ना। सहयोग करो ना।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. प्रीतम राम। दो मिनट में आप बहुत अच्छी सलाह दीजिए जैसा मोहले जी ने दिया।

डॉ. प्रीतम राम (लुण्ड्रा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के द्वारा स्थगन प्रस्ताव लाया गया है, निश्चित रूप से उनके द्वारा कोई अच्छा सुझाव आता। अन्य प्रदेशों की तुलना में छत्तीसगढ़ कितना अच्छा काम किया है।

अध्यक्ष महोदय :- एज ए डॉक्टर आप सलाह दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह तो 10 साल से डॉक्टरी छोड़ दिए हैं, वह भूल गये हैं।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- डॉक्टरी छोड़े हैं, सलाह देना थोड़ी छोड़े हैं। (हंसी)

डॉ. प्रीतम राम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में करोना के बारे में जो काम किए हैं निश्चित रूप से सभी लोगों को समवेत स्वर में यहां धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना चाहिए। आज जितने भी सदस्यों ने यहां बात रखी सभी लोगों ने राजनीतिक बात ही रखी। जिस तरह से गांव में इस करोना काल को झेले हैं, जिस तरह से समस्या आई है पंचायत स्तर पर क्वारंटाईन सेंटर बनाया गया, जिला सतर पर बनाया गया। उन सभी जगहों पर समुचित रूप से व्यवस्था दी गई। कहीं से भी कोई कमी नहीं थी लेकिन हमारे सम्माननीय विपक्षियों के द्वारा जो बात रखी गई है वह निश्चित रूप से इस करोना जैसी वैश्विक महामारी के संबंध में उचित नहीं है। हम सब लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोगों को एकजुट होकर करोना के संबंध में जो गाईडलाईन है, जो काम करना होता है उसको हम लोगों को अमल करना चाहिए। जैसा कि अभी हमारे डॉक्टर साथी विनय जायसवाल जी अभी बताए कि यहां पर जो डेथ रेट है वह 0.94 प्रतिशत है। आपके द्वारा पूछा गया था कि सामान्य मौतें कितनी रहती हैं तो मैं आपको, सदन को बताना चाहता हूं कि सामान्य रूप से जो मौतें होती हैं वह 1 प्रति हजार होती है लेकिन करोना से बहुत ज्यादा मृत्यु नहीं हो रही है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि सभी लोग इससे ज्यादा दहशत में हैं, घबराए हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि करोना माईल्ड, माडरेट, सीवियर इन तीन कैटेगिरी में रहता है। सीवियर कंडीशन जो बहुत ही ज्यादा आक्रामक स्थिति रहती है, जहां पर वेंटीलेटर या रेस्पिरेटरी सपोर्ट की आवश्यकता होती है उन्हीं सब मरीजों को आई.सी.यू. में रखकर इलाज करने की आवश्यकता रहती है। अदरवाईज जो माईल्ड और माडरेट के केसेज जो हैं, आईसोलेट करके रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहती है। दिल्ली में जब बहुत ही ज्यादा पीक स्थिति में था। वहां पर सरकार ने स्पष्ट रूप से गाईडलाईन जारी किया था कि सभी मरीजों को हास्पिटलाईज करने की आवश्यकता

नहीं है, सिर्फ जिनको वेंटिलेटर सपोर्ट की आवश्यकता है, उन्हीं को हास्पिटलाईज किया जायेगा, बाकी घर में रहेंगे। उसमें गाईडलाईन था कि घर के लोग भी आईसोलेट रहें, कामन लेट बाथ का उपयोग न करें। इस तरह से बहुत अच्छे से सब कंट्रोल होता गया। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, इस सदन में शायद ही कोई वेंटिलेटर आपरेट किया होगा। मैंने वेंटिलेटर से कई लोगों का जान बचाया है। मेडिकल कॉलेज रायपुर में ही मैंनें पी.जी. किया है। यहां पर मैं स्वयं वेंटिलेटर आपरेट करता था। जो बातें वेंटिलेटर के बारे में रखी गयी है, वह 410 वेंटिलेटर की व्यवस्था की गयी है। जहां-जहां पर ये बड़े हास्पिटल हैं, वहीं पर ये संभव हो सकता है और ये वहां पर है। अब कहेंगे कि गांव के पंचायत स्तर के क्वारांटाईन सेंटर में वेंटिलेटर हो या फिर अन्य सुविधाएं हो, ऐसा संभव नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के कुशल दिशा निर्देश में जितनी भी व्यवस्थाएं की गयी है, वह बहुत ही संतोषजनक है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी सम्मानीय सदस्यों का आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग अपने-अपने क्षेत्र में जा करके जो हम लोगों के पास गाईडलाईन पहुंचा है, उसका कम्प्लाईंस करायें और कोरोना से लोगों को उनके डर और दहशत को दूर करें। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- नारायण चंदेल जी। दो मिनट में समाप्त करें। मैं सिर्फ वैद्य और डॉक्टर को दे रहा हूं। आपको वैद्य समझकर दे रहा हूं, सुझाव दीजिए।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर चांपा) :- वैद्य या बैगा जो भी समझें।

अध्यक्ष महोदय :- हां ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो चीजों पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, जांजगीर वालों को थोड़ा प्रीविलेज रहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- इसीलिए तो बैगा समझकर दिया।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बलरामपुर जिले में वाड्रफनगर तहसील है, वहां पर हम लोग विधायक दल की तरफ से जांच में गये थे। वहां पर बिहानी देवी जिसकी उम्र 50 साल थी, वाड्रफनगर के अस्पताल में उनका प्रारंभिक ईलाज हुआ। वाड्रफनगर के चिकित्सालय से उनको अमरीकापुर जिला चिकित्सालय रिफर किया गया। लेकिन वहीं पर 10 किलोमीटर आगे पुलिस का जो नाका था, वहां पर उनको रोक दिया गया और अमरीकापुर जाने नहीं दिया गया। उसके आधे एक घंटे बाद में उस बिहानी देवी की मृत्यु हो गयी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी सरगुजा से है, माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए शासन को सारे एस.पी., कलेक्टर को निर्देशित करना चाहिए। वह बहुत गरीब है, किराये की गाड़ी ले करके जा रही थी, 108 भी नहीं आया, 102 भी नहीं आया। इसलिए ईलाज के अभाव में उनकी मृत्यु हुई। यह आपके संभाग का मामला है। इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जांजगीर चांपा जिले का जो कोविड का अस्पताल है, आप भी उसी जिले से हैं, 4 अगस्त को जगमहन दांव मालखरौदा ब्लाक के हैं, लक्ष्मण सिदार पिता पुनीराम, वे शाम को भर्ती होते हैं और 6 अगस्त को उन्होंने कोविड अस्पताल के बाथरूम में आत्महत्या की। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। क्योंकि कोरोना तेजी से फैल रहा है। इसलिए सारे जिला चिकित्सालयों में ईलाज की व्यवस्था हो। हमारा निवेदन है, आग्रह है, वीडियों कान्फ्रेंसिंग में आपसे बातचीत हुई थी, तो हमने आपसे निवेदन किया था कि सिर्फ जिला चिकित्सालय नहीं, ब्लाक लेवल के भी चिकित्सालय को आप दुरूस्त करके रखिये। ये मेरा आप सबसे निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी। इसी तरह सुझाव दीजिए।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी(मस्तूरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसके समर्थन में बात रखता हूँ। माननीय मंत्री जी बहुत सारी बातें राजनीतिक तौर पर, हमारे बृजमोहन जी, अजय चन्द्राकर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात रखी है। मैं एक सुझावात्मक बात रख रहा हूँ जब तक के माननीय मंत्री जी एंटीजेंट टेस्ट की संख्या नहीं बढ़ायेंगे तब तक पार नहीं पायेंगे। आपको इस एंटीजेंट टेस्ट को पी.एच.सी. लेवल पर स्थापित करना पड़ेगा और इस एंटीजेंट टेस्ट को जो भी वेट लगे ताकि उसका 15-20 मिनट डायगनोसिस हो जाए। यह पहली बात है और दूसरा बात जो मोबाईल है हमारा जो मूवमेंट है उसको कम करना पड़ेगा और उसके लिए आपके राजस्व अधिकारी जो जिम्मेदार हैं जैसे धर्मजीत सिंह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोटवार से लेकर मुख्यमंत्री तक की इसकी भूमिका बहुत अच्छी रहेगी। वास्तव में इनके सब के निर्णय पर अच्छा निर्णय होगा क्योंकि गांव लेवल, शहर लेवल पर, हमें उसको ई मोबाईल करना है और जब तक हम इस पर कड़े निर्णय नहीं लेंगे तो हम स्प्रेट को रोक नहीं सकते। स्प्रेट नहीं हो सकता। तीसरा ट्रीटमेंट पार्ट है कुछ आपके ट्रीटमेंट पार्ट है तो आपके मन में ट्रीटमेंट पार्ट का लोड कम करने का विचार आना चाहिए। जिला चिकित्सालय में, मेडिकल कॉलेज में पूरा लोड है। आप उस लोड डायवर्ट करके पी.एच.सी. और सी.एच.सी. लेवल पर भी ले जा रहे हैं। अब वह लोड कम कैसे होगा ? तो आपके निर्णय पर दो तरीके से कम होंगे। पहला सिमटोमेटिक और एसिमटोमेटिक। हमको किस सिमटोमेटिक के लिए सी.एच.सी. लेवल पर कैसे उसको हॉस्पिटलाईज करें, उसका प्रबंधन कैसे करें ?इस पर आपको विचार करना पड़ेगा और सी.एच.सी. में एक जानकारी लेनी पड़ेगी। यदि उनके पास कहीं पर जगह है जैसे मेरे ही क्षेत्र में 300 लोगों का बेड रखने के लिए बहुत बढ़िया हॉस्टल है जो खण्डहर और गौशाला टाईप बन गया है। मैं उस खण्डहर गौशाला की अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए एस.डी.एम., तहसीलदार और सी.ई.ओ. को लेकर गया। बहुत अच्छा निर्णय होता, लेकिन उस पर कोई इम्पलीमेंटेशन नहीं है।

दूसरी बात है अगर हम उनके खाने-पीने में हमारे पास एक सप्लीमेंट्री लोड आता है तो मैंने सेंट्रल कीचन बनाने के लिए बात कही। अगर सेन्ट्रल कीचन बना जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब को कोरोना में खर्च करने की अनुमति भी दी है, हम लोगों ने अपने-अपने क्षेत्र में खर्च भी किया है अगर सेन्ट्रल कीचन स्थापित हो जाता तो टाईम से भोजन पहुंच जाता, लेकिन सेन्ट्रल कीचन को सुझाव के बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। हमने कहा कि हम उसमें पैसे दे देते हैं एक लाख रूपये लगेगा। 30 लाख रूपये हम से ही ले लिये। हमने भी कोराना में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो व्यवस्था बनायी उसके अंतर्गत दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज यह है कि थर्मल स्केनर के लिए जो कीप टैस्ट हो जाए, इसके लिए भी हमने अपने बजट से दिया, लेकिन उस थर्मल स्केनर को डेढ़ महीना हो गया, ऐसा प्रक्रियाधीन बनाकर रखे हैं जो मैदानी इलाकों में नहीं पहुंचा है। उनको प्रशिक्षित करें, थर्मल स्केनर का कैसे उपयोग करें ? यह भी विभाग नहीं बना रहा है क्योंकि मेरे क्षेत्र में थोड़ी सी संख्या ज्यादा है। मैंने अपना इंनिसियल लेकर किया, मुझे सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे प्रशासनिक असहयोग की अवस्था में कैसे इसके फैलाव को रोक पायेंगे ? डॉ. साहब इसी तरीके से एक लाईनअप ट्रीटमेंट, वेंटीलेटर की बात कह रहे हैं। वेंटीलेटर किसी-किसी को रिक्वायर होता है जो सिमटोमेटिक है, जो सिवियर है उसको जरूरत पड़ेगी। हम ऐसे केस को डायगनोसिस करने की क्षमता नहीं रख रहे हैं। हमारे पास ऐसी बात नहीं बन पा रही है। लोड रहा है, वहां पर लाईन लगे हुए हैं हॉस्पिटल के अंदर वार्ड के अंदर डॉक्टर घुसकर कभी

नहीं कहते कि क्या हाल-चाल है। ये हालत है जो बाथरूम की बात आयी कि बाथरूम की बहुत दुर्गति है, कोरोना का जो वार्ड है, माननीय मंत्री जी जरा उसको चेक करके देखिएगा, वहां बहुत स्थिति ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद्। उमेश पटेल जी, आप कुछ आंकड़े बताने वाले थे। मैंने आपसे मृत्युदर के बारे में पूछा था तो आपने कहा था कि मैं बताऊंगा तो आप बताईये।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसमें एक लाईन एड करना चाहता था। जो पूरे हिन्दुस्तान के एक्सीडेंट का जो रेश्यो है वह सामान्य दिनों में एक्सीडेंट से मृत्युदर लगभग 5 लाख है और अभी जो कोरोना में मृत्युदर है वह उससे कहीं कम है। यही मैं आपको यही बताना चाहता था।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां इस सदन के अंदर एक बात चल रही है कि डेथरेट कम है। यह डेथरेट क्यों कम है? उसका साईंटिफिक एनालिसिस क्या है? डेथरेट कम है। आप सब जानते हैं, डॉक्टर लोग जानते हैं कि कोरोना का नेचर बहुत चेन्ज हो रहा है। हमारे पास कुछ दिन पहले संख्या कम थी, 50-60 की मृत्यु दर थी। आज इसलिए असर नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग malaria prone areas में रहने वाले लोग हैं, किसी न किसी टाइम में हमने क्लोरोक्वीन की दवाई खाई है, क्लोरोक्वीन की एक दवाई है जो इस बीमारी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में हम लोगों के बड़ी काम आती है। इसके कारण हम लोगों का क्लोरोक्वीन वाला एरिया है, लेकिन जिस दिन मनुष्य के शरीर से क्लोरीक्वीन का प्रभाव खत्म होगा, उस दिन हम बचा नहीं पायेंगे। इसलिए आप इस पर ज्यादा तुलना न करें।

श्री उमेश पटेल :- मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय ने एक आंकड़ा मांगा था जो मुझे पता था तो मैंने सदन को बता दिया।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। कौशिक जी।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय :- तैं डॉक्टर न होयस बाबू, न बैगा हस।

श्री रामकुमार यादव :- मोरो घर परिवार के कोविड सेंटर में रहिन, महू ला दो मिनट दे रहिथौ।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट में बोल।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं एकर खातिर आज समय मांगे हौं, चूंकि मैं अंतिम छोर के व्यक्ति हौं तो मोर घर परिवार के जम्बू लोग जम्मू, कश्मीर, दिल्ली, गुजरात में रहिस हे। ओमन के संग में मैं क्वारंटाइन सेंटर में जाकर मिले हौं, तब जानत हौं कि ये सरकार के प्रति ओ गरीब आदमी, जे 7 लाख आदमी मन इहां आये हें, ओ मन के भावना का हे, तेला मैं सदन में बताना चाहत हौं। आज विपक्ष के मन तनक-तनक कर के भाषण देत रहिस हवै और सरकार ला कोसत रहिन हे। मैं देखत रहें ओमन गोठ ला ज्यादा करत रहिन हे, ऐसा लागत रहित हे कि जो सीसा लगाये हे, ओमा कूद देही।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- यही लकर-लकर रहिस हे कि सबला बुलाना और श्रेय लेना। सरकार के निर्णय रहिस हे कि हम क्वारंटाइन सेंटर कर देब, वहू नई देईस (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं ओकरो बतात हौं, दो मिनट देहे, सुन लो थोड़ा। हमन तुम्हारो सुनेन हैं। अध्यक्ष जी जब कोरोना के बात होथे। हम तो कम पढ़े-लिखे आदमी हन, समाचार मौका-मौका में देखथन तो सुरता करथन। कोरोना ला कोई भारत से नई आये हे। ये तो चीन से आये हे और चीन को रोकै के

काकरो कोई पावर है या कोई ला अधिकार है, ओला भारत देश के सरकार ला हवै। ओला तो रोकना नई है। ओ मन ला छेकना नई है। अब लो ये ठीक है यहां पर आ गईस। आ गईस, ओमन ला जाकर पूछकर देखौ, वह गरीब आदमी जेकर पांव में चप्पल नई हे, घाम में रेगत हे, जब ओमन अन्य प्रदेश से डहर कर छत्तीसगढ़ आतीस, तो छत्तीसगढ़ मा जैसे ओ मन पांव रखैं तो कहै कि अपन घर आ गये हन। ऐसे बिहार, उत्तरप्रदेश के मन महसूस करै। ओ मया देवईया कोई हवै तो छत्तीसगढ़ की सरकार और छत्तीसगढ़ की जनता मन हे। आज ओ मन के बारे में मैं कहना चाहत हौं।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- यादव जी ये सरकार थोड़ी देत हे। छत्तीसगढ़ मा तो चरणपादुका का इतिहास हवै।

श्री रामकुमार यादव :- चन्द्रा जी, जो सच्चाई है, ओला स्वीकार करौ। जब पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मचत रहिस हे, जब टी.व्ही. में चलत रहै, छत्तीसगढ़ में मात्र 3 ठे केस आ गये रहिस, ऐसे लगै, मैं कई जन ला, संत मन ला देखे हौं, कई बड़े-बड़े आदमी मन ला देखे हौं, ओमन छत्तीसगढ़ में आकर के यहां रहैं के कोशिश करैं। ओमन कहैं कि हमन ला छत्तीसगढ़ मा अपने ला सुरक्षित महसूस करत हन। काबर कि ये छत्तीसगढ़ की सरकार एक मंत्री बन कर नई, एक बेटा बनकर सेवा करथै। येहे छत्तीसगढ़ की सरकार हे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहत हौं, ये सदन मोर लिये मंदिर हे। मैं मंदिर ला साक्षी देकर कहत हौं, खुद के मोर भांजी, भांजा जम्मू में रहिस हे। चूंकि मैं गरीब परिवार से चुनकर आये हौं, मैं जा करके ओमन ला पूछौं तो ओमन कहै, ममा हमन गुजरात में रहेन, तो ओमन गुजरात से भगात रहिन, जल्दी ट्रेन मा बैठो, हम ला भगाइन हे। मैं कहैं भांजी सही ला बताहौ इहां तुमन ला कैसे लागत हे। इहां के सरकार कैसे सेवा करत हे। हमन इहां जैसे छत्तीसगढ़ मा आये हन, अपनापन लागत हे, इहां के सरकार हा बहुत अच्छा सेवा करत हे। खाना-पीना सबकी व्यवस्था करत हे। चूंकि जमगहन के बात आये हे, जो बीते हे, फसियाद मा जो कहत हैं, वो मेरे घर के बगल के रहैया हे। लक्ष्मण दास सिदार ओकर नाम हे। लेकिन मैं मूल बात ला कहना चाहत हौं, ओकर माईन्ड खराब हो गये रहिस हे। वो कुछ दिन पहले भी यहां ला छोड़ के भाग गये रहिस हे। धीरे से ओकर दिमाग अईस, आप पता कर सकत हा, ठाकुर साहब, मैं असत्य नई बोलौं, ओकर माईन्ड डिस्टर्ब रहिस हे। ओकर बड़े भईया की मृत्यु हो गये रहिस हे। घर-परिवार ला देखिस तो वो हा मन से भयभीत रहिस हे कि मैं कैसे जीहौं, कैसे करिहौं। ओकरा नाम से वोहर के कोरोना के कारण मृत्यु नई होईस हे, ओकर माईन्ड डिस्टर्ब रहिस हे। मैं पुन: एक बार विपक्ष से कहना चाहत हौं जब कोई बेटा अच्छा काम करय, ओला पीठा ला थपथपाना चाहिए, तब जाकर के ये संसार हा चलथे अऊ आप मन जैसे बढ़िया काम करत हओ तुहू मैं नर्वस करे के काम करत हओ । मैं आपसे कहना चाहत हंओं, आपला सब ला, ये छत्तीसगढ़ सरकार ला आपला शाबाशी देना चाहिए ऐसे मौका पर जब दुख के बेरा में ये सरकार हा दमदारी से खड़े है । मैं समस्त मोर मंत्रिमण्डल मन ला सबो ला मैं कोटि-कोटि प्रणाम करत हंओं इही प्रकार से काम करत रहा । ए मन के बात से डरना नहीं है, 2 करोड़ 80 लाख जनता तुंहर साथ हावए । आप सभी ला कोटि-कोटि धन्यवाद । जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोरोना वैश्विक महामारी आज न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि हिंदुस्तान पूरे विश्व स्तर पर जो कोरोना की चर्चा और कोरोना की मौत इसको लेकर सभी चिंतित हैं । स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से अभी कोरोना में वृद्धि हो रही है ।

अध्यक्ष महोदय :- एक बात और कह देता हूं कि छत्तीसगढ ही ऐसा राज्य है जहां कोरोना पर इतनी देर

चर्चा हो रही है और कोरोना के चलते यहां की विधानसभा चल रही है, यह पहला राज्य है इतना तो आप कहेंगे । (मेजों की थपथपाहट)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिये तो आपको बधाई दिये हैं । इतने महत्वपूर्ण विषय में आज चर्चा और ऐसे समय में आप चर्चा करा रहे हैं उसके लिये आप धन्यवाद के पात्र हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप सब लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- बाकी राज्यों में भी चल रहा है लेकिन सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिये विधानसभा चल रही है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- श्री अमरजीत जी, अब आप उसको संभाल नहीं पा रहे हैं तो हम लोग क्या करें ?

अध्यक्ष महोदय :- आप सबने बड़ा सहयोग दिया है और बहुत अच्छी चर्चा चल रही है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कोरोना को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सदस्यों के द्वारा चर्चा हो रही है । महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कोरोना पैर पसार रहा है और इसका विस्तार हो रहा है । इस चर्चा में यह निष्कर्ष निकले कि आगे वह कैसे नियंत्रित हो ? हम लगातार देख रहे हैं कि मृत्यु दर बढ़ रही है, हमारे सदस्य इस बात का गुणगान गा रहे हैं कि हमने कंट्रोल किया है, नियंत्रित किया है । आप अगस्त को लेकर जुलाई तक का निकाल लीजिये । जुलाई के बाद से जो बढ़ना शुरू हुआ है, यदि मैं यह कहूं कि कोरोना की राजधानी रायपुर है तो यह अतिश्योक्ति नहीं होगी । एक-बार जब रायपुर को रेड जोन में लिया गया तो हाहाकार मच गया । उस समय भी मैंने बोला था कि इसमें हाहाकार मचाने की जरूरत नहीं है, प्रतीक्षा करने की जरूरत है और आज पूरे प्रदेश में देख रहे हैं कि कोरोना की राजधानी रायपुर बन गया है । 300-400 की संख्या लगातार रायपुर में और अभी यदि एक सप्ताह का हम देखें तो 1000 से ऊपर हम लगातार पार कर रहे हैं । किसी दिन 700-800 है तो कहीं 11,00 है तो कहीं 12,00 है । यह ठीक है कि हम यहां पर टेस्टिंग की संख्या बढायें और उसके कारण हमारी पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है यह चिंता का विषय नहीं है लेकिन जो मृत्यु हो रही है वह चिंता का विषय है कि मृत्यु को हम कैसे रोक सकें । मैंने इसके पहले स्वास्थ्य मंत्री जी से लगातार मांग की है ।

अध्यक्ष महोदय :- अगर आप बुरा न मानें तो मैं एक बात कहूं । अगर आप बुरा न मानें तो ?

श्री धरमलाल कौशिक :- जी ।

अध्यक्ष महोदय :- आप स्वयं कोरोना से पीड़ित थे । यहां जो छत्तीसगढ़ में ईलाज चला उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं यह हम लोगों को बता दीजिये क्योंकि अभी तक कोई और अस्पताल मैं गया नहीं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एम्स में भर्ती था, मैंने स्वयं टेस्ट करवाया और उसके बाद मैं वहां पर अपनी गाड़ी से स्वयं गया । डॉक्टर को मैंने फोन किया । मुझे राजा साहब का फोन आया था और सी.एम. साहब का भी फोन आया था । डॉक्टर साहब का भी फोन आया था और बाकी सदस्यों का भी फोन आया था । मुझसे पूछे भी कि कहां जाना चाहते हैं । मैंने बोला कि मैं एम्स जाना चाह रहा हूं और मैं गाड़ी में बैठा इंतजार कर रहा था कि जैसे ही टेस्ट आयेगा यदि निगेटिव आया तो ठीक है और यदि पॉजिटिव आया तो जाना है । मैं वहां गया और मैं वहां 10 दिन रहा और स्वस्थ होकर के आया और स्वस्थ हो करके आया इसलिये आज आप लोगों के बीच में मेरी बातचीत हो रही है तो इसके लिये मैं हमारे जितने चिकित्सकीय स्टॉफ हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्सिंग स्टॉफ

हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, मैं इस सदन के माध्यम से उनको बधाई देना चाहता हूं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और न केवल मेरा इलाज बल्कि बाकी जो लोग भर्ती हुए हैं, उनका भी इलाज कर रहे हैं, जितना संभव हो रहा है, उनके प्राण बचाने का प्रयास कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- कुछ लोग जिस तरह से बातें करते हैं कि वहां खाना नहीं मिलता, दवाई नहीं मिलती, देखरेख नहीं होती, वह चिंता सबको है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि स्थिति ठीक है ना ? दवाई ठीक मिलती है, खाना-पीना ठीक मिल रहा है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- मैंने कोई शिकायत नहीं की ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं वही जानना चाह रहा हूं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैंने कोई शिकायत नहीं की है और अभी भी उसकी कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं ।

श्री अमरजीत भगत :- नेताजी ठीक आदमी हैं, ये बाकी लोग उनको बिगाड़ देते हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं । मैं तो यह चिंता कर रहा हूं कि आज की परिस्थिति में जब कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है । इस चर्चा के बाद उसको नियंत्रित कैसे करें उस निष्कर्ष में हमको पहुंचना चाहिए । इसलिए जो टेस्टिंग की बात आई तो मैंने राजा साहब से कई बार आग्रह किया है कि आपके जो आंकड़े हैं कि लौटकर आए प्रवासी, उसमें मैं केवल मजदूरों की बात नहीं कर रहा हूं । जो दूसरे देश में रहे हैं, जो छात्र लौटकर आए हैं, ऐसे लोगों की संख्या लगभग 7 लाख है । आज भी हमारे टेस्ट की संख्या 5 लाख नहीं पहुंची है, 5 लाख से नीचे ही है । कोरेंटाइन सेंटर में एक पॉजिटिव हुआ और उसके बाद वहां 30-40 केस निकले । उस समय टेस्टिंग की संख्या बढ़नी चाहिए थी । कारण चाहे जो भी हो, हम टेस्ट कराने में असफल रहे हैं उसी का परिणाम है कि जब आज हम कम्यूनिटी स्प्रेड की बात कर रहे हैं, उस समय यह बात नहीं थी । केवल यह बात थी कि जो प्रवासी मजदूरों के कारण कोराना का विस्तार हुआ । यदि केवल उन्हीं की टेस्टिंग हो जाती तो टेस्टिंग होने के बाद उसे रोकने में हम सफल हो जाते, इसमें कहीं न कहीं हमसे चूक हुई है । चाहे किट की व्यवस्था कम रही हो, लैब की संख्या कम रही हो, हमारे पास संसाधन कम रहे हों । विस्तार का कारण यही है कि समय पर टेस्टिंग नहीं हो पाई । इसके कारण आज कम्यूनिटी स्प्रेड दिखाई दे रहा है । रायपुर में ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है, ऐसा कोई वार्ड नहीं है, जहां कोरोना पॉजिटिव की संख्या नहीं है । यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है । लगातार बढ़ने कारण भी है कि हम उस समय टेस्ट करने में असफल रहे हैं । आज जब 7 लाख प्रवासी लौटकर आए और लौटकर आने के बाद केवल उन्हीं का टेस्ट नहीं हुआ है, प्रदेश के बाकी लोगों का टेस्ट छोड़ दीजिए । स्वास्थ्य मंत्री जी बताएंगे, उनके पास रिकॉर्ड है, मेरे पास भी रिकॉर्ड है । हम कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है । लेकिन मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है । मैं इस विषय में 3-4 बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आपकी टेस्टिंग जो 10 लाख में है उसमें देश में हमारा कौन सा स्थान है ? जवाब में यह बात आएगी । रिकवरी के मामले में हम देश में कौन से स्थान पर पहुंचे हैं ? हमारी रिकवरी का परसेंटेज कितना है ? हमारे यहां एक्टिव केस कितने हैं और देश में हमारी क्या स्थिति है ? मृत्यु के मामले में हम कहां हैं ? निश्चित रूप से अन्य प्रदेशों में जो मृत्यु हुई हैं, उसमें यदि हम बात करेंगे तो हमारे प्रदेश में मृत्यु की संख्या कम है । लेकिन जब हम रिकवरी की बात करेंगे, हम टेस्टिंग की बात करें तो मुझे लगता है कि हम 25 के बाद में हमारा नम्बर है । यह स्थिति छत्तीसगढ़

के लिए ख़तरनाक है । एक तरफ दिल्ली जैसा प्रदेश, गोवा जैसा प्रदेश और अन्य प्रदेश हमसे अच्छी स्थिति में हैं । हम लगातार नीचे जा रहे हैं । समय पर टेस्टिंग का न होना ही इसकी वृद्धि का कारण है । अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां कोरेंटाइन सेंटर से लेकर कोविड अस्पताल तक में आत्महत्या हुई है । जब बृजमोहन अग्रवाल जी इस बात को कह रहे थे कि यह हत्या है तो कुछ लोग आपत्ति दर्ज कर रहे थे । आज मेरे प्रश्न में स्वास्थ्य मंत्री जी का जवाब आया है कि कितने लोगों ने आत्महत्या की है । मैंने पूछा की इन आत्महत्याओं का कारण क्या है, आपने कोई जांच समिति बनाई? जांच समिति बनाकर उसकी जांच की गई? जांच करने के बाद में वह बेचारा जो दूसरे प्रदेश से कैसे भी करके अपने प्रदेश में आ गये तो उन्हें इतनी सुकून मिलनी चाहिए कि उसे आत्महत्या न करना पड़े। आत्महत्या कैसी स्थिति में हुई होगी? चाहे उसकी मानसिक स्थिति विकार होंगी या उसकी जो परिस्थितियां होंगी, आखिर उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। जांच कमेटी क्यों नहीं बननी चाहिए और यदि वे अपने प्रदेश से यहां पर वापस आये तो आने के बाद उसकी मृत्यु हुई है तो सरकार की तरफ से उसके परिवार को कोई न कोई क्षतिपूर्ति की राशि देनी चाहिए, यह मेरा सुझाव है और आग्रह है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैं मानता हूं कि कई क्वारंटाईन सेंटरों में लोग सोसाइड किये हैं। जैसे रामकुमार जी ने बताया कि मानसिक अवसाद के कारण लोग किये हैं। सीतापुर के बारे में जो आप लोगों ने प्रस्ताव में लिखा है। तो उसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग था, उससे विच्छेद होने के कारण उन्होंने सोसाइड किया। तो ऐसे मामलों को भी यदि आप क्वारंटाईन सेंटरों से जोड़कर देखेंगे तो यह उचित नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- अमरजीत जी, मैं केवल वही बता रहा हूं जो मंत्री जी ने जवाब दिया है। हमने क्या लिखा है, उसे मैंने छोड़ दिया है। मंत्री जी ने जवाब दिया है कि क्वारंटाईन सेंटरों में कोविड हास्पिटल में आत्महत्या किये हैं। आखिर में जो परिस्थितियां बनी हैं, उसके लिए जवाबदार कौन हैं? जब किसी के परिवार में कोई फांसी लगा ले और उसके बाद उसके खिलाफ धारा 306 लग जाता है। इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं उसकी जांच के लिए मांग कर रहा हूं। उसकी जांच कमेटी बननी चाहिए और जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद आप किसी को सजा देंगेग या नहीं देंगे, मैं यह बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी सरकार को कोई न कोई क्षतिपूर्ति की राशि के लिए सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए और उस परिवार को क्षतिपूर्ति की राशि मिलनी चाहिए। साथ ही आपके क्वारंटाईन सेंटर में जिसे सांप ने काटा, क्या आपने उसे पैसा दिया? क्योंकि आपके प्रावधान में है कि उन्हें पैसा दिया जाना चाहिए। बिजली के करेंट के विषय में आपने बताया कि वे पेड़ में चढ़े, इमली तोड़े, आम तोड़े और बिजली के करेंट के कारण उनकी मृत्यु हुई। आखिर उस परिवार को भी कोई न कोई एक्सीडेंट मानकर के क्षतिपूर्ति की राशि उस परिवार को दिया जाना चाहिए। यह मेरा सुझाव है। आप देंगे या नहीं देंगे, मैं यह नहीं जानता, लेकिन यह मेरा सुझाव है, क्योंकि आपके क्वारंटाईन सेंटर्स में उनकी मृत्यु हुई है और जो क्वारंटाईन सेंटर्स में मृत्यु हुई है, उसमें किसी न किसी कारण से मृत्यु हुई है। इसलिए उसमें जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्वारंटाईन सेंटर में स्वास्थ्य मंत्री जी बतायेंगे कि आपके 22 हजार क्वारंटाईन सेंटर्स हैं। आपने प्रदेश के चाहे आपदा राशि कोष से हो, कोविड से हो। क्या आपने किसी क्वारंटाईन सेंटर में आपने पैसा दिया? आपने सरपंच के भरोसे छोड़ दिया। पंचायत के प्रतिनिधियों के भरोसे छोड़ दिया। सरकार केवल वाहवाही लूटने में लगी रही। एक भी क्वारंटाईन सेंटर को एक नये पैसे की राशि की सरकार के द्वारा मदद नहीं की गई है। मेरे पास लगातार सरपंचों का कई जिले से फोन आ रहा है कि साहब हम लोग क्वारंटाईन सेंटर चलाने के

लिए इतना उधारी कर लिये हैं कि आज हम लोग कर्जे से लदे हुए हैं। जो पैसा उनके विकास के लिए 14वें वित्त आयोग से राशि दी गई, उस 14वें वित्त आयोग की राशि भी वे उस पर लगा लिया। वे कर्जा लेकर लगा लिये। क्या यह सरकार की जवाबदारी नहीं है कि उन्हें सहयोग करे। आप 14वें वित्त आयोग में जो खर्चा हो गया, उसके बाद भी जो उनका पैसा बचा हुआ है, मुझे लगता है कि वह जवाबदारी सरकार की भी है कि आपने उन्हें जवाबदारी दी है कि वे क्वारंटाईन सेंटर चलायें। तो कम से कम उन्हें इतना तो सहयोग करें या उनसे इतना तो पूछे कि वास्तव में उनका कितना खर्च हुआ है ? आपने मापदण्ड बनाया। आपने मेन्यू तय किया। मेन्यू के हिसाब से आपने कहा कि इतनी-इतनी राशि खर्च करनी है और इतना खर्च करना है तो सारे हिसाब उस पंचायत के पास में है और जब पंचायत के पास सारे हिसाब हैं तो उस राशि की देनदारी भी सरकार की बनती है। जब सरकार की देनदारी बन रही है तो सरकार को उन्हें यह राशि देनी चाहिए। आज जिस प्रकार से कोरोना को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आपको बिलासपुर की घटना याद है कि अभी दो दिन पहले ऑक्सीजन के 7 सिलेण्डर एक साथ खत्म हो गये, आश्चर्य की बात है । जो वहां पर कोविड अस्पताल में भर्ती हैं, वे रात भर तड़पते रहे । ऑक्सीजन के 7 सिलेण्डर एक साथ समाप्त हो गए ।

समय :
7:00 बजे

श्री शैलेश पांडे :- अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है । 7 सिलेण्डर खतम हो रहे थे, यह बात सही है, लेकिन वे तड़पते रहे, यह सही नहीं है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- तड़पते रहे, वह सही है । चलो, आपने कम से कम आधा तो सत्य कहा कि वे तड़पते रहे । उसके बाद में सभी वेंटीलेटर खराब हो गए । जब दैनिक भास्कर समाचार-पत्र ने समाचार छापा कि कोविड हॉस्पिटल के वेंटीलेटर खराब हो गए हैं, तब स्वास्थ्य मंत्री जी ने वहां बात की और बात करने के बाद में उसको ठीक करवाये हैं । यह प्रदेश के लिए एक उदाहरण है कि कोविड सेन्टर की क्या स्थिति है ? कोविड सेन्टर की जो स्थिति है, उसमें मैंने केवल बिलासपुर का उदाहरण दिया है, लेकिन नारायण चंदेल जी ने जांजगीर जिले के बारे में बताया, बाकी भी जिलों के बारे में इसकी मानीटरिंग होनी चाहिए कि हमारे कोविड अस्पताल में जाने के बाद में वहां की जो स्थिति निर्मित हो रही है, उसकी जो व्यवस्था हो रही है और कल जो अनुपूरक बजट आ रहा है, उसमें वेंटीलेटर के लिए पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। वहां पर ऑक्सीजन सिलेण्डर के लिए पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी स्वास्थ्य में कोरोना को लेकर जितनी भी राशि लगनी चाहिए, मैं समझता हूं कि उसके लिए हमें कंजूसी करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसमें जितना पैसा लग सकता है, मुझे लगता है कि उसमें आवश्यकता भी है क्योंकि कोरोना एक दिन की और चार दिन की लड़ाई नहीं है । जो परिस्थितियां अभी वर्तमान में दिखाई दे रही है, उससे लगता है कि कोरोना की लड़ाई लंबे समय तक चलने वाली है और इसकी कोई न कोई स्थायी व्यवस्था बननी चाहिए और इस स्थायी व्यवस्था के साथ में आगे वह सुचारू रूप से कैसे संचालन हो सके और लोगों की जान हम कैसे बचा सके, उसके लिए कम से कम धन की कमी न हो, आर्थिक कमी न हो, इस बात की चिन्ता जरूर होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- आप कितना समय लेंगे ?

श्री धरम लाल कौशिक :- मैं 10-15 मिनट लूंगा या पहले बोलेंगे तो मैं पहले अपनी बात समाप्त कर देता हूं । जो विषय आ गए हैं, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- 15 मिनट को साढ़े सात मिनट कर लीजिए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- शिव डहरिया जी यहां पर अभी उपस्थित नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- वे चले गए, मैं भी उनको बुलवाना चाहता था, वे नहीं थे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, श्रमिकों का जो पैसा है और श्रमिकों के पैसे को संकट के समय में श्रमिकों के खाते में जाना चाहिए। बिलासपुर से 11 हजार पंजीकृत प्रवासी मजदूर गए थे । हमने यह बात की कि उनके खाते में एक-एक हजार रूपए डालनी चाहिए । केवल 8 मजदूरों के खाते में 500-500 रूपये डाले गए हैं । 11 हजार मजदूरों में 500-500 रूपये 8 मजदूरों के खाते में डाले गए हैं मतलब केवल 4 हजार रूपये की राशि दी गई है, यह सरकार की ओर से मदद है । माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि मजदूर पैदल क्यों आये ? यह सरकार उनको गारंटी नहीं दे पाई, उनको सुरक्षा नहीं दे पायी कि आप वहां पर रहें, हम आपके खाते में पैसा डाल रहे हैं और आपके खाते में पैसा डालेंगे और हमारी गाड़ी की व्यवस्था हो जायेगी तो आप आएंगे, आप वहां पर इंतजार करे, यह सरकार उतनी भी सिक्योरिटी देने में अक्षम रही है ।

समय :
7:04 बजे

**(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम लोग जिस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो केन्द्र की बात आई कि 216 करोड़ रूपये मुख्यमंत्री आपदा कोष में प्रधानमंत्री जी के द्वारा राशि भेजी गई । केन्द्रीय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अलग राशि दी गई है । उसके अलावा जो अलग-अलग उपकरण अलग दी गई है, उसके अलावा जो 5-5 किलो चांवल की व्यवस्था की गई । यदि आज सोसायटी में जाकर बात करेंगे कि अप्रैल, मई, जून और उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर पांच महीने और तीन कुल 8 महीने का चांवल आपके द्वारा यहां के लोगों को दिया जाना चाहिए, उसकी व्यवस्था आपने की है । कोई दुकानदार बताने को तैयार नहीं है चावल की व्यवस्था के बाद उसका वितरण हुआ । आज भी यह असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहां से चावल आने के बाद, चना आने के बाद जिन उपभोक्ताओं तक पहुंचना चाहिए, जिन गरीबों तक पहुंचना चाहिए, उन गरीबों तक नहीं पहुंच पाया। अभी हमारे माननीय सदस्य लोग बोल रहे थे कि हमने इतने लाख लोगों को काम दिया।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बिलकुल बात करें, ठीक है।

श्री धरमलाल कौशिक :-माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय अमरजीत भगत जी के विभाग का बता देता हूं।

श्री अमरजीत भगत :- लेकिन खाद्यान्न के मामले में छत्तीसगढ़ में मैं यह बात बोल सकता हूं कि समय से पहले खाद्यान्न पहुंचाने वाला और लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाला पूरे हिन्दुस्तान में कोई राज्य है तो छत्तीसगढ़ है। भारत के खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की है।

श्री सौरभ सिंह :- केन्द्र सरकार जो दे रही है, उसको भी बता दीजिये न।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, ये हमारे खाद्यमंत्री हैं। जब संकट की स्थिति आई तब लोगों ने सहयोग किया, अपने-अपने घर से चावल निकालकर दिए। ये खाद्यमंत्री, एक ऐसे खाद्यमंत्री हमारे सामने हैं, जिसने पंचायतों को कहा कि हम आपको 33 रूपये किलो के हिसाब से चावल देंगे। बाजार में 22 रूपये किलो की दर से चावल बिक रहा है। जबकि ये खाद्य मंत्री 33 रूपये किलो के हिसाब से चावल का पैसा पंचायतों से वसूले हैं। ये हमारे खाद्य मंत्री हैं। पंचायतों को जो दो क्विंटल चावल देनी थी, ..।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी की बात कितने आधार पर है ? छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खाद्यान्न व्यवस्था दुरूस्त किया गया। आप विपक्ष में हैं, आप कुछ भी आरोप लगाईये, आप स्वतन्त्र हैं। लेकन इस विषम परिस्थिति में, इस कोरोना काल में छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न की व्यवस्था की गई। किसी भी गांव से कोई भी शिकायत नहीं आई कि यहां खाद्यान्न की कमी है। आप बोलने के लिए कुछ भी आरोप लगाईये, आप तो विपक्ष में है, आप आरोप लगा सकते हैं, आप बोल सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो व्यवस्था की गई है, उत्तम व्यवस्था थी। लोगों का गांव-गांव से फोन आता था कि इतनी एडवांस व्यवस्था आज तक किसी भी सरकार ने नहीं की थी।

सभापति महोदय :- चलिये, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, यह सत्यता है। खाद्य मंत्री ने निर्देश जारी किया कि 33 रूपये किलो के हिसाब से पैसा पटाईये और इस संकट के काल में पंचायतों से पैसा वसूला है। सरपंचों से पैसा वसूल किया गया और पैसा वसूल करने के बाद इनको चावल दिया गया है। यह हमारे खाद्य मंत्री की स्थिति रही है। ये प्रमाणित करने की बात बोल रहे हैं, मैं सब प्रमाणित करके बता दूंगा कि आपने जो दो क्विंटल चावल दिया..।

श्री अमरजीत भगत :- सभी पंचायतों में 2-2 क्विंटल चावल लोगों को फ्री में उपलब्ध कराया गया था। गवर्नमेंट आफ इण्डिया के कामर्सियल रेट में बांटने के लिए सब लोगों के लिए चावल उपलब्ध था।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अमूमन माननीय नेता प्रतिपक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जब बोलते हैं तो कृपया बीच में नहीं बोलते हैं। आप सीनियर विधायक हैं, या तो आप उनको स्थगन में बोलने की अनुमति दे दीजिये।

सभापति महोदय :- जब माननीय नेता प्रतिप्रक्ष जी बोले तो कृपया टोका-टाकी न करे।

श्री अजय चन्द्राकर :- हमें आपत्ति नहीं है। जब सत्ता पक्ष ने स्थगन को स्वीकार किया है तो मंत्री जी उसमें भाग ले लें। हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे होते हैं तो हम ...।

श्री अमरजीत भगत :- आप तथ्यात्मक बात बोलेंगे तो ठीक है। लेकिन कुछ भी आरोप लगायेंगे तो थोड़ी न उचित है। उसके बाद जवाब देने के लिए हम लोग उपस्थित हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप अनुमति ले लीजिये।

सभापति महोदय :- जब माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बोले, तो कृपया टोका-टाकी न करे। यदि वे बैठ जाये तो अपनी बात कह सकते हैं।

समय :

7:17 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री अमरजीत भगत जी, आपको चिढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको प्रमाणित करके दूंगा कि आपने पंचायत से पैसा वसूल किया है और पैसा वसूल करने के बाद चावल दिया, यह मैं आपको लिखित में दूंगा। मैं आपको बकायदा पंचायत का रसीद दूंगा। आप क्या बात करोगे, इस प्रदेश में अन्न का भण्डार है, इस कोविड के संकट के समय में एक किलो चावल गरीब को नहीं दे पाये, यह सरकार की असफलता है। यह आपको स्वीकार करना चाहिए।

श्री अमरजीत भगत :- आपका यह आरोप निराधार है। छत्तीसगढ़ में जो व्यवस्था की गई, उसकी यहां की जनता तारीफ कर रही है, आपके कहने से कुछ नहीं होगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज रेल विभाग द्वारा पैसे वसूली की बात आई। यह पहले से तय किया गया था कि 85 राशि रेल विभाग वहन करेगा केवल 15 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करेगी। उसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आ गया कि नहीं, घर तक पहुंचाने का सारा खर्च हम करेंगे। आज मैं पूछना चाहता हूं कि घर तक पहुंचाने में कितना खर्च किया है ? यह जो कहा जाता है कि नाखून कटाकर शहीद हो गए, यह इनकी स्थिति रही है। केन्द्र सरकार की व्यवस्था के बाद मजदूर यहां पर पहुंच पाये हैं। मैंने पहले ही कहा है कि सरकार स्योरिटी नहीं दे पाई कि हम व्यवस्था बनायेंगे तब आप इसलिए मजदूर यहां पर पैदल आये और जो बीजापुर की घटना हुई जिसमें एक बच्ची ने 80 किलोमीटर पैदल चलने के बाद दम तोड़ दिया, ये सरकार की स्थिति के कारण है क्योंकि यह सरकार भरोसा दिलाने में असफल रही है। आज आरोप-प्रत्यारोप के बजाय मैं ये कहना चाहूंगा कि वास्तव में करोना के खिलाफ लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- छत्तीसगढ़ में केवल आरोप मढ़ने वाली बात मत कीजिए। यू.पी. में श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने एक हजार बस लोगों को ले जाने के लिए खड़ा किया।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- अफरातफरी शुरू कहां से हुई उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। केंद्र के लिए हुए निर्णय के कारण ऐसा हुआ।

श्री अमरजीत भगत :- आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री जी इतने बुद्धिजीवी, इतने सेन्सिटिव हैं कि उनके खिलाफ एफ.आई.आर. करवा दिया। आप क्या बात करेंगे? छत्तीसगढ़ में जो व्यवस्था की गई थी चाहे वह आने-जाने वाले लोगों के लिए, चाहे परिवहन की, खाने की या रूकने की उत्तम व्यवस्था थी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अमरजीत भगत जी की जानकारी की बहुत प्रशंसा करता हूं। वैसे भी स्वास्थ्य मंत्री जी को मैंने कहा है कि वह तो सरकार के अपेन्डिक्स हैं। उन्हीं को उत्तर देने के लिए बोल दीजिए ना। यदि वह मध्यप्रदेश में रहते, माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय नेता प्रतिपक्ष का भाषण सुना है, आप भी सुने हैं, तो ऐसा सिस्टम तो देखा नहीं। क्या नेता प्रतिपक्ष आपके लायक बोलेंगे, जो आपको पसंद है वह बोलेंगे? आप उत्तर दीजिए, आप अपना नाम लिखा लीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- क्या केवल आप बोलेंगे हम नहीं बोलेंगे? आप केवल आरोप लगायेंगे? केवल आरोप मढ़ने से नहीं होता। दिल्ली में क्या हुआ, आपकी सरकार ने क्या किया, उसे भी आप सुनिए।

श्री सौरभ सिंह :- आप ही बता दीजिए दिल्ली ने क्या दिया, आपके विभाग को क्या दिया।

श्री अमरजीत भगत :- उदाहरण तो दिल्ली वाली सरकार का देते हो, यहां तो आपकी सरकार नहीं है। बाकी मामले में ऐसे प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां क्या कर रहे हैं उसको भी बताओ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप उनको अनुमति दे दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस स्थगन को स्वीकार किया है। जब स्थगन स्वीकार किया जाता है तो सभी पक्ष उसमें बोल सकते हैं। अगर सत्तापक्ष के अलग-अलग मंत्रियों को जवाब देना है तो आप उनका भाषण करवा दीजिए। आप उनको अनुमति दे दीजिए, उनको अधिकार है। स्वीकार करने के बाद जब हम लोग भी मंत्री थे तो हम लोग भी जवाब देते थे। इसमें चार-पांच मंत्रियों का इन्वाल्वमेंट है, जिन विषयों को हमने उठाया है अगर वह मंत्री जवाब देना चाहें तो उनको आप अनुमति दे दें। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- अगर वह देना चाहें तो मैं उनको बुला लूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :-अध्यक्ष महोदय, आप उनको अनुमति दे दीजिए, ज्ञानी आदमी हैं। हमको उनके ज्ञान में कोई संदेह नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप डहरिया जी का भाषण करवाईये, आप अमरजीत भगत जी का भाषण करवाईये, आप रविन्द्र चौबे जी का भाषण करवाईये, जितने लोग हैं आप सबका भाषण करवायें। हमको कोई आपत्ति नहीं है। ग्राह्य हुआ है तो भाषण देने का उनको अधिकार है, वह भाषण दे सकते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये नेता प्रतिपक्ष जी सदन के नेता हैं, मैं मुख्यमंत्री जी को भी उसमें इन्क्लूड करता हूं तो इस तरह का प्रदर्शन अच्छा नहीं है और जब आप चेयर में हैं तो और बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं इस बात का आग्रह करता हूं।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर लाकडाऊन हुआ, रायपुर लॉकडाऊन है, बिलासपुर लॉकडाऊन है, यहां के लोग परेशान रहे लेकिन एक किलोमीटर आऊटर में आपकी शराब दुकान की फोटो पूरी छपी है उसका विभत्स रूप कि किस प्रकार से लोग धक्कम धक्का कर रहे हैं। ये सरकार निर्णय लेने में भी असफल रही है कि प्रदेश में लॉकडाऊन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और ये उसी का विस्तार है कि जो आज सरकार निर्णय नहीं ले पाई, उन्होंने कलेक्टर के ऊपर छोड़ दिया कि आपको जो अच्छा लगे आप वह करें। एक आदमी अंबिकापुर से रायपुर के लिए निकला है। अंबिकापुर के आदमी को यह मालूम नहीं है कि बिलासपुर में लॉकडाऊन है या नहीं है। यदि सरकार एक निर्णय ले लेती तो प्रदेश की जनता को यह मालूम होता। प्रदेश की जनता परेशान हुई है। मुझे लगता है कि सरकार को ऐसे समय में किसी पर थोपने के बजाय कुछ निर्णय स्वयं लेना चाहिए उस निर्णय से प्रदेश को लाभ मिलेगा। आपने लॉकडाऊन किया लेकिन उसका लाभ नहीं मिला। आप केवल रविवार को किए और रविवार को करने के बाद सोमवार को कितना केस आया आपके सामने है। इसमें सरकार निर्णय लेने में भी असफल रही है। मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि तीन-चार बिन्दुओं पर मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है कि पूरे देश में हमारे तीन चार राज्यों में क्या स्थिति है। उससे पता लग जायेगा कि करोना को लेकर हमारी सरकार कितनी गंभीर है और किस गंभीरता के साथ काम कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चर्चा के बाद आने वाले समय में करोना से मृत्यु की दर कम होनी चाहिए, मौतें रूकनी चाहिए, व्यवस्था बढ़नी चाहिए साथ ही आपके टेस्टिंग की व्यवस्था में वृद्धि होनी चाहिए। कोविड अस्पताल में जो कमियां हैं और भी अस्पताल बनाना चाहते हैं।

दिया हुआ है कि आने वाले दिसंबर तक लगभग 1 लाख कोरोना हो जायेंगे। उसकी तैयारी अभी से होनी चाहिए। हमने 6 महीना गवां दिया है, 6 महीने में जो तैयारी होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। लेकिन आने वाले समय में यदि आप बोल रहे हैं कि 1 लाख कोरोना बढ़ने की संभावना है तो उसकी तैयारी के लिये अभी पर्याप्त समय है। कल मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे की ज्यादा से ज्यादा पैसा दें। इस प्रदेश में कोरोना को ले करके गंभीरता से कार्यवाही हो और संसाधन बढ़ाई जाये जिससे कोरोना रोकने में सफल हो। आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी।

अजय चंद्राकर :- राजा साहब, अपना रिकार्ड आप तोड़ियेगा। पूरा बिंदुवार उत्तर दीजिएगा। आपको पूरा धैर्य के साथ 4 घंटा सुनेंगे। नेता प्रतिपक्ष में आपने यहां बैठकर 3 घंटे भाषण दिया था, वैसे ही एक-एक बिंदु पर दीजिए। भले 12 बजे या 2 बजे देखेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक छोटा सा सुझाव है, हमारे फायनल ईयर के एम.बी.बी.एस. के बच्चे हैं, उनका एग्जाम लेने के लिये आई.सी.आर. ने कहा है। उनका एग्जाम एक महीने में नहीं होने का है, उन फायनल ईयर के बच्चों को भी हम कोविड के काम में लगा सकते हैं। उनका एग्जाम का समय तय नहीं होने के कारण लगा सकते हैं, वे बच्चे परेशान हैं। उनको एक महीने में कहा है कि एग्जाम ले लिया जाये तो उन अंतिम वर्ष के बच्चों को भी हम कोविड के काम में लगा सकते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- लेकिन आप बिल्कुल मुक्त होकर बोलिये, चार पांच घंटा जितना बोलेंगे।

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो सोच रहा था कि अभी और होगा। एक हिसाब से जल्दी नंबर आ गया। मेरा प्रयास रहेगा कि कम से कम समय में बातों को रखने की कोशिश करूं। कीर्तिमान की ओर से इशारा किया है।

अध्यक्ष महोदय :- मेरे ख्याल से साढ़े तीन घंटे हो चुके हैं, चर्चा चलते।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- मेरे लिये उतना समय और दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो स्थगन आया, मैं उम्मीद कर रहा था कि कोरोना के संदर्भ में यह आयेगा। इसका लक्ष्य पंचायत में जो क्वारांटीन सेंटर की व्यवस्था है, उसकी ओर हो गया और लगभग वह स्थिति समाप्ति की ओर है। फिर भी उसके साथ जो चर्चाएं हुई उसमें कोविड के संदर्भ में भी बात आ गयी। उन बातों को भी रख लेंगे, क्योंकि वह समय अब निकल गया। जो जानकारियों हैं मैंने आपके सामने रख भी दी थी उसको फिर से आज की जो रिपोर्ट मेरे पास आई है, उसके आधार पर बता देता हूं कि 21,579 क्वारांटीन सेंटर्स थे, जिसमें 7 लाख 7 हजार 286..।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें प्वाईंट ऑफ आर्डर है। आज के प्रश्न के उत्तर में मैंने उल्लेख किया था कि क्वारांटाईन सेंटर की संख्या 22 हजार से ऊपर बताई है। अभी कह रहे हैं कि 21 हजार है। दोनों में से कौन से आंकड़े सही हैं ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- आप पूरा बोलने देंगे तो मैं क्लीयर करूंगा।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, आपने कहा कि जो नये आंकड़े आये हैं, वह 21 हजार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके आंकड़े कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बोलने दीजिए।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- जो आंकड़ा मैंने 21,579 का कहा, आप अगर अपने उत्तर में देखेंगे तो ये ग्रामीण क्षेत्र के हैं, शहरी क्षेत्र के 700 कुछ और हैं। दोनों मिलाकर 22 हजार होते हैं, थोड़ा सा अगर उसको देख लिया जाता तो ये हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ती। ये ग्रामीण क्षेत्र के पंचायती राज व्यवस्था के जो आंकड़े हैं, वे ये आंकड़े हैं। इनमें 7 लाख 7,286 मजदूर आ चुके हैं, जिनमें 6 लाख 70 हजार 824 जो उत्तर गया होगा, एकात दिन पहले के आधार पर गया होगा, ये घर वापिस जा चुके हैं। क्वारांटीन सेंटर्स में वर्तमान में जो लोग हैं वह मात्र 2422 हैं। यह समय निकल गया फिर भी यह बात आयी है, कोरोना की बात होती तो आज की और आने वाले कल की बात करते। फिर भी ये जो जानकारियां हैं, ये मैंने मोटा मोटी आपके सामने रखी है। मैं आगे बात ले जाऊं, प्रयास करूंगा कि अलग-अलग जानकारियां आई है, जो प्रश्न आये थे। पहले मैं उन जानकारियों को पढ़ दूंगा, जरूरी नहीं है कि वे क्रम में है। मैं बातों को रख दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कुल मृत्यु के बारे में पूछा था। अप्रैल से जुलाई 2019 में कुल मृत्यु 22,170 हुई थी अप्रैल से जुलाई 2020 में कुल मृत्यु 23,389 हुई। इनमें से 1775 मृत्यु जो हुई हैं, वह इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हुई है। यानी संभवत: एक्सीडेंट के आधार पर हुई होंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने ये मृत्यु के आंकड़े के बारे में जानकारी चाही थी। जो अजय जी पूछ रहे थे, 22375 का आंकड़ा शायद जो जवाब में आया है उसमें 778 शहरी क्षेत्र के हैं 21 हजार ग्रामीण क्षेत्र के हैं। ये क्रम से बाहर के हैं, लेकिन एक-एक करके जितने कागज आये हैं आपने डिटेल चाहा था मैं क्रम तोड़कर बोल दे रहा हूँ। एक्टिव कंटेनमेंट जोन ये हसौद जांजगीर के बारे में जानकारी चाही गई थी वह 50 है टोटल कंटेनमेंट जोन 150, वहां पर पहला केस दर्ज 10 जुलाई को आया था। वहां 17 अगस्त को आखिरी केस आया है वहां कुल 135 केसस इस बीच में दर्ज किये गये हैं और आखरी केस 17 अगस्त के आने के बाद जो जोन डिनोटिफाईड होगा, वह जो 14 दिन की प्रक्रिया है, 31 अगस्त को वह डिनोटिफाईड हो जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, टेस्टिंग का बताना चाहूंगा। ये क्रम तोड़कर हो रहा है तो आप लोगों को थोड़ा अटपटा लगेगा। मैं क्रम से नहीं बना पाया हूँ। टेस्टिंग के बारे में जो बात आयी है देश में एक लेबोरोटरी थी, जब कोरोना आया तो पूरे हिन्दुस्तान में मात्र एक लेबोरोटरी थी वह पूना के वायरलॉजी इंस्टीट्यूट में थी और पूरे देश के सैम्पल वहां जाया करते थे। वहां से चलकर हम लोग आज की स्थिति में यहां पर आये हैं नि:संदेह टेस्टिंग की आवश्यकता है जितनी बढ़ायी जा सके। आज हर मेडिकल कॉलेज में टेस्टिंग के लैबोरोटरी स्थापित कर दिये गये हैं। इनमें चर्चा के दौरान यह बात आयी थी कि (एम.सी.आई) मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया के कहने पर यह किया गया, वरना मान्यता रद्द की जायेगी। यह भी बात सही नहीं है। (एम.सी.आई) मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया ने बाद में यह निर्णय निकाला कि जब हम लोग पहले ही वॉयरोलॉजी लैब स्थापित करने के लिए क्रिया कर चुके थे कि समस्त मेडिकल कॉलेजस में वायरोलॉजी के लैब स्थापित होंगे। चाहे वह सरकारी हो, चाहे निजी हो, उसके पहले ही छत्तीसगढ़ में लैब स्थापित करने की प्रकिया चालू कर दी गई थी और ये जो टेस्टिंग की बात आ रही है यह दिक्कत क्यों हैं? दिल्ली में 12 गवर्नमेंट के और 13 प्राईवेट आर.टी.पी.सी.आर. की टेस्टिंग ज्यादा क्यों दिख रही है ? तो वहां पर 25 और ये आसान नहीं है एक लैब स्थापित करना। यह आसान क्रिया नहीं है पूरी अनुमति से लेकर समय इत्यादि और असम में टेस्टिंग ज्यादा क्यों हो रही है?19 आर.टी.पी.सी.आर. में लैब असम में है। हम लोग राजस्थान में भी गये थे वहां बहुत बड़ी संख्या में, ये थोड़ी राजनीतिक सी बात हो जाएगी कि आज हमारे पास लैब क्यों नहीं है? पहले से क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था? क्या नहीं था? खैर लेकिन हमारे पास आज के दिन में ये स्थिति बनी हुई है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर के इंडोर स्टेडियम के बारे में जानकारी आयी थी कि यहां 3, 4 या 5 टॉयलेट हैं। मेरी जानकारी जो गलत नहीं होगी। यहां पर 38 शौचालय हैं और इसके अतिरिक्त 12 बाथरूम है और 12 बाथरूम में नहाने की जगह अलग से बनी हुई है। कहीं फर्क होगा तो आप कभी भी बता सकते हैं मैं उसकी दुबारा जांच करवा लूंगा और आगे की भी बात आएगी रिकवरी रेट की तो मैं अभी उसको रोक लेता हूँ। क्योंकि शायद वही चर्चा का एक प्रमुख विषय होगा। आज के केस के बारे में भी इस बात को रोक लेता हूँ क्योंकि ये क्रम में बात आ जाएगी। शासन के द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम क्वारनटाईन सेंटर में भोजन की व्यवस्था जो की गई है, 14 वां वित्त आयोग एस.डी.आर.एफ., पी.एम.रिलिफ फण्ड और शासन द्वारा प्रदाय की गई राशि 113 करोड़ की इसमें है। मैं माननीय डॉ. रमन सिंह जी ने यह कहा कि केन्द्र सरकार ने वित्त आयोग की राशि दी। यह केन्द्र सरकार की राशि नहीं है। ये संवैधानिक अधिकार राज्य सरकार का होता है कि उनको वित्त आयोग से इतनी राशि देनी ही होती है। केन्द्र सरकार ने अलग से कोई राशि दी हो, ऐसा नहीं है और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। कोई देने की बात नहीं है। और रशियां जो आयी हैं प्राकृतिक आपदा मद से 5 करोड़ 7 लाख की राशि आयी है और पी.एम. रिलिफ फण्ड से जो जानकारी आप लोगों को भी होगी कि 13 करोड़, 31 लाख, 40 हजार, 940 रूपये। ये कुल राशियां जो अलग से आयी हैं उसका हिस्सा है ...(जारी)

श्री चौधरी

चौधरी\26-08-2020\j17\07.25-07.30

(पूर्व से जारी) श्री टी.एस.सिंहदेव :- कुल राशियॉ जो अलग से आई हैं, उसका हिस्सा है। क्वारंटाइन सेंटर में कितने डिस्चार्ज हो गये, मैंने बताया। पैसे के बारे में जो जानकारी आई थी, वह मैंने अभी 13 करोड़ 31 लाख बता दिया। केन्द्र सरकार आपदा प्रबंधन एस.डी.आर.एफ. के माध्यम से 13 करोड़ 31 लाख, 5 करोड़ 7 लाख और स्थानीय निकाय नगरीय और नागरिक प्रशासन विभाग में 100 करोड़ 70 लाख रुपये का खर्च, इसमें 119 करोड़ 61 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। इसके अतिरिक्त व्हीलचेयर के संदर्भ में एक कोविड केयर केस का उल्लेख आया था। यह जो पेसेन्ट थे, यह धमतरी जिला अस्पताल में 31 अगस्त को भर्ती थे और उनको कोविड सेंटर में ले जाना था, अस्पताल से टेस्ट सेंटर में ले जाना था। उसकी दूरी 50 मीटर की थी। क्योंकि paralitic patient थे, इसलिए व्हीलचेयर की बात थी। उनकी स्थिति भी क्रिटिकल थी। और उसी समय जैसा कई बार होता है, मीडिया जगत अपने हिसाब से फोटो खीचते हैं, उन्होंने फोटो खींचा और इसको किया। वह 24 तारीख को मेकाहारा में रिफर किये गये थे और उनको यहां नहीं बचाया जा सका। यह जो माननीय बृजमोहन जी ने कहा कि फाईनल ईयर के बच्चों का है। ये फाईनल ईयर की परीक्षा के लिए रूके हुए हैं। एक बार राज्य सरकार इस पर निर्णय लेती है कि यूनिवर्सिटी में 1 हफ्ते या 3 तीन हफ्ते की आवश्यकता परीक्षा चालू करने की है, वह निर्णय सरकार लेगी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपका निर्देश आया कि 1 महीने में शासन एक्जाम करवा दे, परंतु शासन के निर्देश आये बहुत दिन हो गये हैं, अभी तक उनके एक्जाम करवाने के बारे में शासन ने निर्णय नहीं लिया है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- नीट वाली जो परीक्षा है, जैसा हम सब लोग फालो कर रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं आपकी जानकारी में ला रहा हूं, शायद आपकी जानकारी में नहीं हो तो वह हो सके।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- नीट की परीक्षा के लिये चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- फाईनल ईयर के एक्जाम के लिए बोल रहे हैं।

श्री टी.एस.सिंहदेव :-अच्छा, नई भर्ती के लिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो राशि खर्च हुई है, राज्य शासन ने 37 करोड़ रुपये अपने बजट से रीएप्रोप्रियेट करके उपलब्ध कराये हैं, डी.एम.एफ. मद से 44 करोड़, इसमें कुल 196 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। ये बेनीफिशरीज को भी जो क्लेम करने की बात आई थी कि उनके क्लेम इत्यादि नहीं दिये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (DKBSSY) में 34 प्रतिशत इंसेंटिव एमाउण्ट क्लेम करने के बाद दिया जायेगा। जैसे एमाउण्ट बुक करेंगे, अभी तक 711 केस बुक हुए हैं जिसमें 15 लाख 91 हजार के इंसेंटिव उपलब्ध कराये जा चुके हैं। जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके लिए पहले जो राशि उपलब्ध कराई जाती थी, उसके अतिरिक्त राशि बढ़ाकर हम लोगों ने व्यवस्था की है। जैसे-जैसे क्लेम आयेंगे, 34 प्रतिशत हर सरकारी अस्पताल में हेल्थ वर्कर्स को जो इंसेंटिव की बात होती है, इस माध्यम से राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इस माध्यम से भी हम हेल्थ वर्कर्स को डॉक्टर से लेकर नीचे के स्टॉफ तक जो उस आपरेशन में काम करेंगे, 34 प्रतिशत राशि उनके खाते में सीधे डी.बी.टी. के माध्यम ट्रांसफर से करना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ और आंकड़े बता देता हूं, फिर जनरल बात कर लेंगे। अभी तक 24 तारीख तक की जानकारी में जो फ्रंटलाईन वर्कर प्रभावित हुए हैं, हमारे 80 डॉक्टर्स कोविड पाजीटिव पाये गये हैं, 112 नर्सिंग स्टाफ, 73 पैरामेडिकल स्टाफ, हाउसकीपिंग क्लीनिंग के 34, अन्य 245, कुल 544 हैं। यह जो बात आती है, कोई भी बात चालू करने के पहले इस महामारी के महायुद्ध में हमारे स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, शहरी प्रशासन, अन्य विभाग, जिन लोगों ने काम किया है, उनके हौसले और योगदान के लिए जितना कहा जाये, वह कम है। आज मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जो उन्होंने किया इन परिस्थितियों में जहां कोई जाकर काम नहीं करना चाहता है वह अद्‌वितीय है इसके अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्स वाले जो पॉजिटिव आये हैं, मुझे भी यह बताते हुए आश्चर्य हो रहा है । पैरामिलिट्री के जो 2224 केसेस पॉजिटिव आये हैं, जो बाहर से लोग आये हैं और कैदियों में 141, अन्य जो जनरल प्रकार की जानकारियां हैं इसमें समय बहुत लगेगा । मैं यदि जानकारियां दूंगा तो उसमें समय बहुत ज्यादा लग जायेगा तो मैं इसको रोक रहा हूं यदि कोई बीच में या बाद में प्रश्न आयेगा या जानकारी चाहेंगे तो मैं जरूर उपलब्ध करा दूंगा । बहुत विस्तृत जानकारियां हैं । कोरोना प्रबंधन के बारे में जो जानकारी चाही गयी थी । क्वारेंटीन सेंटर्स में जिन लोगों को रखा गया था, मृत्यु के संदर्भ में भी बात आयी तो मैंने पहले भी आपत्ति दर्ज की थी क्योंकि ऐसा नहीं कहना चाहिए कि सरकार ने हत्या करा दी । हत्या आईपीसी में एक निश्चित संज्ञान में ली जाने वाली घटना है, कोई छोटी बात नहीं होती है और आत्महत्या के संदर्भ में जैसा आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि धारा इत्यादि लगती है, आपने उसकी जानकारी, जांच के बारे में भी कहा । मैं जरूर उसकी पड़ताल कर लूंगा कि कहीं भी ऐसे केसेस हुए होंगे चाहे उसके कंपनसेशन की बात हो या उसमें केस रजिस्टर्ड हुआ कि नहीं, आत्महत्या का केस रजिस्टर्ड तो मैं उसमें आपको जानकारी भी उपलब्ध करा दूंगा लेकिन हत्या कहना इन परिस्थितियों में जहां इतने लोग, इतनी मेहनत करके लोगों के लिये सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये कर रहे हैं । सरकार अपनी ओर से इतना दिन-रात हम लोग उठते हैं तो कोरोना, दिन भर कोरोना, रात को सोने के पहले कोरोना इसके अलावा इस सरकार ने शायद पिछले महीनों में फोकस यदि किसी चीज पर किया है तो इसमें किया है और इसमें इस प्रकार से ऐसी बात कहना मैं समझता हूं कि बहुत ही आपत्तिजनक है और यह जानकारियां आपके पास हैं, इनको दोहराना मैं उचित नहीं समझ रहा । जो मृत्यु की

जानकारी आयी, जो इसका एक संदर्भ था उसकी भी डिटेल्स आपके पास हैं, बालोद से 01, बलौदा बजार से 04, बेमेतरा से 01, गरियाबंद से 02, जशपुर से 01, कबीरधाम से 01, कोण्डागांव से 01, कोरबा से 01, महासमुंद जिले से 01, मुंगेली से 02, रायगढ से 01, राजनांदगांव से 03, सरगुजा से 01, जांजगीर-चांपा से 02, राजनांदगांव से 03 और नगर पंचायत रतनपुर से 01, नगरीय निकाय में 04 और ग्रामीण क्षेत्र में 22 यह मृत्यु हुई हैं, कारण भी उसमें दर्शा दिया गया था । जहां भी कोई भी जानकारी चाहेंगे, नागरिक चाहेंगे, हमारे विपक्ष के साथी चाहेंगे वह सारी जानकारियां उपलब्ध करा देंगे । इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है । हम लोगों को दुख भी है, बेहद दुख है कि इन लोगों की भी मृत्यु हुई और हर संभव प्रयास करने के बाद भी ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ है । आंकड़ों की भी बात आयी कि अब कोरोना की जनरल बातें मैं सोचता हूं कि मैं रख रहा हूं । पाईंटवाईज आप कह रहे थे तो बहुत समय लग जायेगा क्योंकि श्री बृजमोहन जी ने चालू किया था कि प्रोग्राम नहीं है इत्यादि और हज हाऊस, कांग्रेस कार्यालय उत्सव वगैरह, गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां, 108 करोड़ कंजरवेशन सेंटर्स में, क्वारेंटाईन सेंटर्स में 11 लाख लोग आये, 7 लाख 7,000 लोग आकर घर भी जा चुके हैं । कलेक्टर से उस तरह से मांगने वाली बात, क्वारेंटीन से खाना इत्यादि इसमें मजदूरों के आने के बहुत पहले से छत्तीसगढ़ सरकार ने इस संदर्भ में यह निर्णय लिया था । कोई आंकड़ा हमारे पास उस समय नहीं था कि वास्तविक आंकड़ा कितना होगा । इसके अनुमान जब लग रहे थे तो डेढ़ लाख से लेकर, ढ़ाई लाख से लेकर इस प्रकार के आंकड़े लग रहे थे । विभाग की ओर से और सरकार के निर्देशन में लगातार डेली मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी मॉनिटरिंग की है । संवाद की भी बात आती है, हम लोगों ने फोन पर काफी चर्चा भी की । चाय वगैरह में भी कमी नहीं होती है, कभी लाल चाय पीते हैं, कभी काली कॉफी भी पीते हैं, हमारी बातचीत से काम को बाधा पहुंचा रही हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं है । ऐसी बात नहीं है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- चाय मीठी भी रहती है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- मैं थोड़ा ज्यादा ही चीनी डालता हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वो चाय पीना भी चाहेंगे तो आप नहीं पीने दोगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- राजा साहब, इसके लिए आपको बधाई । हम चाहेंगे एक बार हम सब लोगों के साथ बैठकर दोनों चाय पी लीजिए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- लेकिन अजय चन्द्राकर और आप, दोनों ही मीठा वाला टेस्ट नहीं कर सकते ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी कुछ उम्मीद जागी कि कोरोना में कुछ कंट्रोल होगा।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- उसमें मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि किसी भी परिस्थिति में काम में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा है । अगर कोई कमी हुई हो तो मैं स्वीकार करने में सबसे पहले रहता हूं । कमियां न हो, हम मानव ही हैं, इतना बड़ा अमला पूरे प्रदेश में काम कर रहा है, गलती न हो यह असंभव है । लेकिन किसी भी कारण से कमी आई हो यह संभव नहीं है । जो भी परिस्थिति रही हो, उसके चलते प्रबंधन में कमी नहीं आई है । मानव के रूप में हमसे कोई कमी हो सकती है, इतना बड़ा अमला है, कमी हुई हो तो उसको हम लोग स्वीकार करते हैं । लेबर को कितना पैसा गया, यह सब जानकारी भी मैंने बताई । ऐसा कहा गया कि मुख्यमंत्री जी ने वी.सी. ली प्रधानमंत्री जी के साथ उसमें स्वास्थ्य मंत्री जी नहीं थी । हर वी.सी. में मैं रहा । इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं । इसका प्रोटोकॉल होता है । केन्द्र सरकार से बाकायदा प्रोटोकॉल आता है कि प्रधानमंत्री बैठ रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी के साथ में कौन बैठेंगे । वहां से लिखा हुआ आता है कि गृहमंत्री जी रहेंगे, स्वास्थ्य मंत्री जी रहेंगे । इस विभाग के

प्रमुख सचिव रहेंगे, इस विभाग के प्रमुख सचिव रहेंगे। यह लिखित प्रोटोकॉल आता है । प्रधानमंत्री जी की एक भी मीटिंग ऐसी नहीं है जहां मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जुड़ा न रहा हूं । अगर शारीरिक रूप से उस दिन किसी कारण न रहा हूं तो मुख्यमंत्री जी ने अनुमति लेकर मुझे लिंक दिया और मैं लिंक से सी.एम.हाउस से जुड़ा । प्रधानमंत्री जी की एक भी बैठक ऐसी नहीं हुई है जिसमें मैं उपस्थिति न रहा हूं । साथ में यह भी जोड़ देता हूं अभी हाल ही में राहुल जी वाला फोटो आया । हम लोग जहां बैठते हैं वहां दो कैमरे हैं, एक इधर और दूसरा उधर । आपने इधर वाला कैमरा देखा होगा जिसमें अध्यक्ष जी के साथ रविन्द्र चौबे जी और इधर के साथ है, आपने उधर वाला कैमरा नहीं देखा होगा जिसमें इधर के लोग बैठे थे । कैमरे के ऐंगल के चलते वह फोटो आई थी । मुझे बहुत लोगों ने बताया कि हमने आपको देखा । इसलिए कोई कट-पेस्ट वाली बात नहीं है । लम्बा हॉल है, आप सोच लीजिए माननीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, एक कैमरा वहां लगा है तो इधर के लोग आएंगे और दूसरा कैमरा दूसरी दिशा में लगा है तो उधर के लोग आएंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपका कहना यह है कि आपकी तरफ कैमरा कम रहता है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपकी तरफ कम बैटरी वाला तो नहीं लगा था ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- एम.सी.आई. लैब्स के बारे में मैंने बताया । हाईकोर्ट ने विभाग को यह आदेश दिया था कि 3 दिन के अंदर आप लैब तैयार करके दीजिए । हम लोगों ने हाईकोर्ट को जवाब दिया कि आदरणीय 3 दिन में वायरोलॉजी लैब स्थापित नहीं हो पाएगी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, कोरोना में आपको पूरा सुनेंगे । कोई बहिर्गमन नहीं होगा । मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि ये कोरोना वारियर्स मैंने भी बहुत लोगों को सैल्यूट किया । सबने उनके योगदान को सराहा । कोरोना वारियर कौन-कौन हैं ? आपने उत्तर में लिखा है कि स्वास्थ्य विभाग को दो स्कीम में इंसेंटिव देंगे, व्यवस्था की गई है । छत्तीसगढ़ में आप किसको-किसको कोरोना वारियर मानते हैं और उनको आज तक कितना पैसा इंसेटिव दिया गया है ? थैंक यू तो सबने दिया । 500 से ज्यादा लोग पीड़ित हैं । आपने कहा इलाज अपनी जगह है, लेकिन इंसेटिव की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने भी की थी । आपने कितना दिया है या कब तक देने वाले हैं । किनको-किनको कोरोना वारियर मानेंगे, उसकी क्या परिभाषा है । पुलिस वाले को मानेंगे, फॉरेस्ट वाले को मानेंगे, जो कंटोनमेंट जोन बना रहे हैं, उनको मानेंगे, यह थोड़ा बता दीजिए ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- कोरोना वारियर, हम, आप सब हैं । यह लड़ाई सीमा पर फौज की लड़ाई नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति कोरोना वारियर है । हमारी दृष्टि केवल विभागों तक सीमित नहीं है । हम सब वारियर हैं । सबको जो भी प्रोत्साहन राशि या सहयोग दे सकते हैं वो दे रहे हैं और जरूर देंगे और यह जो हाईकोर्ट की बात थी कि ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने आपसे पूछा था..।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- 11 लाख मैंने बताया था..।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- भैय्या, तहू ला इन्सेंटिव चाहिए का, तो डॉ. के पास आवेदन लगा दे या हमर मंत्री जी के पास। तहू ला मिल जाही (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- बात ला हल्का में मत कर। मैं यह कह रहा हूं कि आप 11 लाख रूपये दिये हैं। आपने कितने लोगों को दिया है? मैंने भाषण में कहा था कि आप बता दीजिए ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- मैं पूरा डिटेल आपको बता दूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप देखिएगा कि पूरे भाषण में सभी पक्ष का इसमें किसी व्यक्तिगत आरोप जैसी बात नहीं हुई है। । इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप बतायेंगे कि इतना दे रहे हैं या इतना देंगे।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- इसमें 34 प्रतिशत देंगे। जितने केसेस सरकारी अस्पताल में आयेंगे, 34 प्रतिशत जिनको डिस्ट्रीब्यूशन होना है हेल्थ डिपार्टमेंट का, वह उन्हें पूरा मिलेगा। हाईकोर्ट में जो बात गयी थी। हाईकोर्ट ने 3 दिन के अंदर आदेश किया था। हम लोगों ने विनम्रतापूर्वक यह कहा कि यह कहा कि 3 दिन में यह हो ही नहीं सकता। क्योंकि इसकी अनुमति और पूरी स्थापना और जिस स्तर का यह लैब होता है, वह 3 दिन में किया ही नहीं जा सकता। एम.सी.आई. से अनुमति लेना, आई.सी.एम.आर. से अनुमति लेना, फिर मेडिकल कॉलेज को उन्होंने अधिकृत किया था, उनके माध्यम से जांच कराना, सामान खरीदना, उसे स्थापित करना, इत्यादि-इत्यादि 3 दिन में नहीं हो सकता तो उन्होंने उस बात को स्वीकारा और मेरे हिसाब से लैब स्थापित करने में एक महीना अधिक लगा, लेकिन हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा था, उसके हिसाब से फिर चालू हो गया है। युवाओं की बात है, बुलेटिन्स की बात है, फोटो छपने की बात है तो यह सुप्रीम कोर्ट का ही निर्देश था कि एक ही फोटो छपना है तो कम फोटो दिख रहे हैं। एक बार हम लोगों के 13 साथी आ गये थे तो पता नहीं हम लोगों ने क्या गलती कर दी कि 13 एक साथ आ गये। पर यह अच्छा है कि आप लोग चाहते हैं कि हम लोगों की सभी की फोटो एक साथ छपे। तो हम लोग यह प्रयास करेंगे कि 13 के 13 की और बाकी 68 के जो 55-56 सदस्य हैं, उन सभी की फोटो हम लोग प्रेस में देंगे। बाकी जगह तो बंदिश है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यह सुनना चाहते हैं कि भविष्य के लिए कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार की कार्ययोजना क्या है? वह कार्ययोजना पूरे प्रदेश की जनता के सामने और हम सब लोगों के सामने आ जाये कि आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं, यह आ जाये और आपसे एक आग्रह है कि कोरोना वारियर्स को हम समवेत स्वर में इस सदन की तरफ से जितने भी वारियर्स की डेथ हुई है या जिन लोगों ने काम किया है चाहे वे पुलिस वाले हों या स्वास्थ्य कर्मचारी हों, सबको हम समवेत स्वर में यहां से धन्यवाद दें और उनके प्रति आभार व्यक्त करें और कार्ययोजना के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी दोनों उपस्थित हैं तो एक कार्ययोजना जो कि चिंता का विषय है कि पूरी कार्ययोजना यहां पर आ जाये कि भविष्य में हम इससे निपटने के लिए क्या करने वाले हैं? यह आपसे आग्रह है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- जैसे यह बात है तो मैं इसे छोड़ देता हूं, क्योंकि सबका एक-एक करके जवाब देना लंबा भी हो जायेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- महत्वपूर्ण बिंदुओं का जवाब तो आप देंगे ही बाकी यह..।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- बिंदु महत्वपूर्ण न हो, यह मैं नहीं मान रहा, क्योंकि आप लोग सभी वरिष्ठ और अनुभवी साथी हैं और आप लोगों ने बिंदु उठाये हैं तो मैं जल्दी-जल्दी से पढ़ देता हूं। मेकाहारा में आई.सी.यू. के 80 बिस्तर हैं। काम चल रहा है और वह जल्दी पूरा हो जायेगा। उसको करने में देरी यह हो रही है कि जो मेन है 36-40 बिस्तरों की जो पहले से व्यवस्था की गई है, उसमें ऑक्सीजन बंद करना पड़ेगा और ऑक्सीजन बंद करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ रही है कि इसे बंद करेंगे तो इसके लिए सिलेंडर ले आयें तो उसे जोड़ देंगे तो 20-20-20 करके वह हो जायेगा और बाकी काम हो गया है। अब थोड़ा इधर-उधर वाली बात को छोड़ दे रहा हूं। राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन की भी बात आयी तो नि:संदेह देखिए, बहुत सारी ऐसी बातों को उन्होंने उठाया है जो आज भी सही साबित

हो रही हैं। ट्रेन वाला भी है, वह भी थोड़ा वैसा ही हो जाता है। ट्रेन वाली जब सोनिया जी ने बात उठायी थी, उसके बाद एक दिशा पकड़ी। क्वारंटाईन सेंटरों में पानी नहीं है तो यह संभव नहीं है। स्कूलों में आमतौर पर ऐसी जगहों में रखा गया था। कहीं-कहीं दिक्कत हो, मैं स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन पानी ही नहीं था, यह संभव नहीं है। खाने इत्यादि की बात थी, वह अलग-अलग व्यवस्थाएं थीं। कई लोगों ने कहा कि हम लोग अपना खाना बनायेंगे। गैस-चूल्हा और लकड़ी की भी बात आयी। सारी बातें हुई थीं कि इसे कौन बनाएगा? हम एक ग्रुप बनायेंगे और वे खाना बनायेंगे। कई लोगों का सामाजिक परिवेश भी होता है कि हम लोग अलग-अलग खाना बनायेंगे। तो इस प्रकार की कई चीजें बीच में आयीं और इस कारण से भी ऐसा हुआ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय बृजमोहन जी जिस योजना के बारे में कह रहे हैं, आपको पता है कि National Disaster Act लगा हुआ है और जो भी गाइडलाइन है, वह भारत सरकार तय करती है। देश भर में एक भी अधिकारी उससे रत्तीभर इधर से उधर हुआ तो उसे so cause notice इश्यू हुआ है। चाहे वह दिल्ली हो या चाहे वह छत्तीसगढ़ हो या और कहीं भी हो। बहुत लोगों पर कार्यवाही भी हुई है तो यह जो गाइडलाइन है वह भारत सरकार के द्वारा निश्चित की गई गाइडलाइन है और उसी के अनुरूप हम लोगों को चलना होता है और उसके इतर हम लोग कोई योजना नहीं बना सकते । जो भारत सरकार की योजना है, उसी को हमको फालो करना है । यदि फालो नहीं करेंगे तो कार्यवाही हो जायेगी । उससे अलग योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम छत्तीसगढ़ में क्या कार्य योजना बना रहे हैं

श्री भूपेश बघेल :- जो गाईड लाईन है, उसी के अनुरूप चलना है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- छत्तीसगढ़ में भविष्य में क्या करने वाले हैं

श्री भूपेश बघेल :- उन्होंने कहा कि आपको यहीं टेस्ट कराना है, आपको पुन: भेजना है तो यहां से प्लेन से टेस्ट कराने के लिए पुन: भेज रहे हैं । फिर दिल्ली में स्थापित हुआ तो फिर आधा मध्यप्रदेश और राजस्थान के लोग दिल्ली भेज रहे हैं, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि राजिम में स्थापित कर लो, फिर राजिम में स्थापित कर रहे हैं । आप इतना टेस्ट करोगे तो हम उतना टेस्ट कर रहे हैं । सारी गाईड लाईन केन्द्र की ही है । हम लोग तो मेकाहारा में शुरू करना चाहते थे, मेडिकल कॉलेज में शुरू करना चाहते थे तो फिर भारत सरकार ने कहा कि नहीं कर सकते । आप केवल एम्स में करेंगे तो एम्स में हुआ । तो जैसे-जैसे रिलेक्शेसन देते गए, उसके अनुरूप हुआ । आप कह रहे हैं कि आपने लाने की व्यवस्था क्यों नहीं की । हम तो 10 बार बोलो । प्रधानमंत्री जी से वीडियो क्रांफ्रेंसिंग भी हुई, तब बोले । अमित शाह जी से वीडियो क्रांफ्रेंसिंग भी हुई, तब बोले । फोन में बात हुई कि हमको मजदूरों को लाने की अनुमति दे दीजिए, लेकिन अनुमति नहीं दी गई । तब तो यह स्थिति बनी । यदि आप यहां पर बाजार खोल दिए तो भीड़ कहीं है, यदि उसकी फोटो खींचकर भारत सरकार को भेज देते थे तो यहां के कलेक्टर को नोटिस आ जाता था । तो आज भी नेशनल डिजास्टर एक्ट अप्रभावित नहीं हुआ है, वह प्रभावी है और उसी के अनुरूप हम लोगों को काम करना है। चाहे वह मजदूरों का मामला हो, चाहे कोरेण्टाईन सेन्टर का मामला हो, चाहे आईसोलेशन का मामला हो, चाहे वह हॉस्पिटल का मामला हो, भारत सरकार की जितनी भी गाईड लाइन है, वह ए टू जेड फालो करना पड़ रहा है और उसी को हम फालो कर रहे हैं, पूरे देश में हो रहा है ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तवित में स्वास्थ्य मंत्री जी बता रहे हैं । माननीय बृजमोहन जी भी और हम लोग भी जानना चाह रहे हैं कि कोरोना को लेकर हमारी आगामी जो कार्य योजना है कि हमने आईटीपीसीआर बढ़ायी, उसके बाद में बाकी टेस्ट हमने बढ़ायी ।

श्री भूपेश बघेल :- जितने भी टेस्ट हैं चाहे रैपिट टेस्ट की बात हो, चाहे वह आईटीपीसीआर की बात हो...

श्री धरम लाल कौशिक :- जैसे पहले पूरे हिन्दुस्तान में एक लैब था और एक लैब के बाद में बढ़ाए तो अभी जो कोरोना फैल रहा है..

श्री भूपेश बघेल :- हां तो जैसे-जैसे कहा गया, वैसा ही करना पड़ा न।

श्री धरम लाल कौशिक :- तो अभी जो कोराना फैल रहा हे, इसको रोकने के लिए जो कार्य योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उसमें क्या आगामी योजना बनाये हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को कोटा, राजस्थान से बच्चों को लाना था । हमने यहां से बार-बार चिट्ठी लिखी कि हमको बच्चों को लाने की अनुमति दीजिए, हमको अनुमति दीजिए, लेकिन अनुमति ही नहीं मिल रही है । उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री बस भेजकर बच्चों को ले आए तो फिर हमने कहा कि जब आपने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री को अनुमति दी है तो हमको भी अनुमति दीजिए तो उन्होंने कहा कि हमने उनको भी अनुमति नहीं दी है, तुमको भी अनुमति नहीं दे रहे हैं, तुमको भी लाना है तो ले आओ । तो फिर बच्चों को लाने के लिए बस भेजे । ट्रेन की बात हुई, उन्होंने कहा कि सबको बस से लाना है । मैंने गृहमंत्री जी से कहा कि मेरे राज्य के 40 हजार से ऊपर मजदूर जम्मू कश्मीर में रहते हैं, बस से कैसे लाऊंगा । यहां से बस भेजूंगा तो तीन दिन तो जाने में लगेगा, तीन से चार दिन आने में लगेगा तो उस ड्राईवर की क्या हालत होगी तो हमने कहा कि ऐसे में आप शुरू से अंत तक ट्रेन चला दीजिए और कहीं पर रूकिए, लेकिन नहीं माने । बाद में उसी प्रकार की अनुमति दी गई, जो हमने कहा था । जहां तक अभी नेता जी बोल रहे थे कि 85 प्रतिशत पैसा केन्द्र ने दिया, 15 परसेंट राज्य सरकार ने दिया। ये कृपा करके यह बता दीजिए कि पहले ट्रेन का कितना किराया था और हमने जो ट्रेन का किराया पटाया है, वह कितना पटाया है । पहले जितना किराया पटाये थे, उतना ही किराया हमने भी पटाया है । उसमें कोई अंतर नहीं है । जो श्रमिक ट्रेन चलाये हैं, उसमें भारत सरकार ने पैसा कमाया है । भारत सरकार की जो गाईड लाईन है, हम लोग उसका पूरी तरह से पालन कर रहे हैं और अभी भी पालन करेंगे । यहां तो यह स्थिति थी कि एक-एक मंत्री को जिम्मेदारी दी गई थी कि कौन कलेक्टर से बात करेगा, कौन एस.पी. से बात करेगा, कौन किस राज्य से बात करेगा । सारे मंत्री बैठकर दिल्ली से, यहां के कलेक्टरों से , एस.पी. से बात करते थे और रिपोर्ट लेते थे, यह स्थिति थी। ऐसा कन्ट्रोल करके रखे थे। फिर मैंने मंत्रियों से पूछा कि आपको कोई फीडबेक मिला हो तो बता दीजिये, हम उसमें सुधार करेंगे। तब फोन आना बंद हुआ। तो आपकी यह स्थिति थी। जो एक्ट है, वह अभी भी प्रभावशील है और हम लोगों को उसके अनुसार ही चलना होगा। आप कह रहे हैं कि श्रमिकों के कारण बढ़ा है, बिलकुल भी श्रमिकों के कारण नहीं बढ़ा है। आपने एयरपोर्ट खोल दिया, आपने सड़क मार्ग खोल दिया, इस कारण से संक्रमण बढ़ा है। अभी भी जो लोग फ्लाइट से आ रहे हैं, उसकी कौन जांच कर रहा है ? सड़क मार्ग से आ रहे हैं, उसकी कौन जांच कर रहा है ? गांव में कितने मरीज मिल रहे हैं ? जितने भी मरीज मिल रहे हैं, अधिकतम मरीज शहर ही में मिल रहे हैं। तो रायपुर शहर में कितने श्रमिक आये ? जितने श्रमिक हैं, वे गांव में हैं। जो 31,500 क्वारन्टाइन सेन्टर बता रहे हैं, वहीं अधिकतम 6 लाख श्रमिक गये हैं। अभी जो दो हजार बचे हैं, वे बाहर के श्रमिक नहीं हैं। गांव वाले व्यवस्था कर

दिए। एक जिले से दूसरे जिले में जाता है, मान लो रायपुर से कोई बिलासपुर चला गया, जांजगीर चला गया तो गांव वाले बोलते हैं कि आप तो कोरोनटाइन सेन्टर में रहो। इस तरह से आकड़ें बढ़ें भी हैं। ऐसा नहीं है कि जो 7 लाख आकड़ें बता रहे हैं, वे पूरे के पूरे श्रमिक हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो एक जिले से दूसरे जिले गये हैं। रिश्तेदारी में गये हैं तो उनको भी गांव वाले बोले कि गांव के अंदर मत घुसना। यही कारण है कि हमार गांव बचा रहा और अभी भी बचा हुआ है। तीजा-पोरा तक में गांव नहीं आने दिए। बहू को भेजे नहीं और बेटी को नहीं आने दिए। यह सरकार की व्यवस्था नहीं थी, यह तो गांव वालों ने अपनी व्यवस्था कर ली और उसी कारण वे बचे हुए हैं। अभी जैसे महाराज साहब बता रहे थे हमारे बस्तर में एक भी केस नहीं था, वहां सुकमा में कभी 50 केस मिलते हैं, बीजापुर में 60 केस मिल रहे हैं, ये कौन हैं ? ये हमारे पैरामिलेट्री फोर्स के लोग जो छुट्टी में गये थे, जब वापस आये और वही जांच कर रहे हैं, वह आकड़ें आ रहे हैं। अभी जैसा बताया कि दो हजार, तो वह वही आकड़ें हैं। तो हमारे यहां जो आ रहे हैं, उसके कारण से बढ़ रहा है। हमने भारत सरकार से कहा था क आप हवाई अड्डे को बंद रखिये। हमारी कौन सी सलाह माने ? यदि हमारी सलाह मान लेते, हवाई अड्डा बंद रखते। आज भी जो प्लेन में आ रहे हैं, कितनों की जांच हो पा रही है ? इस कारण से आकड़ें बढ़ रहे हैं। हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं, जो आ रहे हैं, उनका ईलाज कर रहे हैं। लेकिन ये जो आकड़ें बढ़ रहे हैं, भारत सरकार के गलत फैसले के कारण बढ़ रहे हैं। जो फैसला बाद में लिए, उसे पहले ले लिए होते तो आज यह विकट स्थिति नहीं होती।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपकी बात से सहमत हैं राष्ट्रीय डिजास्टर मैनेजमेंट के कानून को मानना है। परन्तु हम भविष्य में छत्तीसगढ़ को इस संक्रमण से बचाने के लिए राज्य सरकार कोई कार्ययोजना, राज्य सरकार कोई पैसा, राज्य सरकार वेंटीलेटर, राज्य सरकार सैंपल की व्यवस्था के बारे में सदन में चर्चा हुई है, तो सरकार की ओर से हम डिजास्टर मैंनेजमेंट कानून के तहत ये-ये व्यवस्थाएं करेंगे और इससे संक्रमण को रोक पायेंगे, उससे छत्तीसगढ़ की जनता में एक संतुष्टि होगी कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने इसके ऊपर चर्चा की है। इस प्रकार अब छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ के लोग बहुत तेजी से संक्रमण को रोकने के लिए काम करने वाले हैं, यह हम चाहते हैं। सरकार की तरफ से आश्वासन मिले तो छत्तीसगढ़ में जो भय पैदा हुआ है, रायपुर में सबसे ज्यादा भय पैदा हुआ है, वह भय दूर हो सके। हम आपके सब बातों से सहमत हैं, हम उसका खण्डन नहीं कर रहे हैं। उनके तहत चलना है। परन्तु हमारी कार्ययोजना मजबूत होगी, हमारी सैंपलिंग ज्यादा होगी, हमारे जो आयसोलेशन सेन्टर बनाये गये हैं, वे मजबूत होंगे, लोग वहां से नहीं भागेंगे, सैंपलिंग अच्छी होगी, ईलाज अच्छा होगा, तो हम लोगों की जान बचा पायेंगे, हम उसके लिए कार्ययोजना चाहते हैं। आपकी बाकी बातों से हमारा कोई विरोध नहीं है। हम उससे सहमत हैं। यह आज नहीं, आप कार्ययोजना बनाकर परसों सदन का अंतिम दिन है, परसों आप इसकी घोषणा कर दें कि हमारी यह -यह कार्ययोजना है। अगर आज नहीं तो परसो घोषणा कर दे।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अग्रवाल जी, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हम भारत सरकार को केवल सुझाव दे सकते हैं। हम योजना नहीं बना सकते हैं। हम भारत सरकार को सुझाव भेज दे, वे माने या ना माने। जैसे कहा गया कि जगदलपुर एयरपोर्ट शुरू करना है, वहां से साथियों को मत भेजिये। हैदराबाद सबसे ज्यादा संक्रमित है, अभी वहां शुरू मत होने दीजिये। हमने रिक्वेस्ट किया तो वे मान गये। लेकिन बिलासपुर-भोपाल हवाई सेवा शुरू हो गया है। तो कहीं मानते हैं, कहीं नहीं मानते हैं, उसको बिना पूछे शुरू कर दिए। कोई बात नहीं, शुरू हो गया तो हम

उसका स्वागत कर लिए। लेकिन जब जगदलपुर से हैदराबाद हवाई सेवा शुरू करने वाले थे, तो हमने रिक्वेस्ट भेजा था कि इसको मत शुरू करिये क्योंकि हैदराबाद में बहुत ज्यादा केस है। वहां तो लाखों की तादाद में है, हम तो अभी हजार में चिन्तित हो रहे हैं। उसके 10 प्रतिशत भी हमारे यहां नहीं हैं तब हम परेशान हो रहे हैं। यदि हैदराबाद से सीधे लोग यहां आयेंगे तो आज हमारा बस्तर सुरक्षित है वह पूरी तरह से प्रभावित हो जायेगा। तो आप यदि कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो स्वागत है। कल का भी समय है, परसों का समय है, आप दे दीजिए निश्चित रूप से चर्चा कर लेंगे और यहां से बनाकर भेज देंगे, शासन स्तर से भेज देंगे, विधानसभा से भेज देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये जो बीमारी की लड़ाई है वह हम सबकी लड़ाई है। सब इससे प्रभावित हैं, सब इससे चिन्तित हैं। जितनी घटनाएं घटी हैं, निश्चित रूप से अधिकांश में अवसाद बड़ा कारण है। जिसको करोना होता है, दो दिन तक तो उसकी हालत खराब रहती है, तीसरे दिन ठीक होता है। क्यों नेता जी, ठीक तो बोल रहा हूं ना? मैं तो फोन किया कि क्या स्थिति है, रोज फोन पर पता कर लेता था। शिवरतन जी से भी मैं बात कर लिया। अभी हमारे एक और विधायक जगदलपुर के विधायक जी से भी बात की। तो जो लोग प्रभावित होते हैं वह पहले दो दिन बहुत तनाव रहता है फिर तीसरे दिन लगता है कि केवल वह तो गैस की गोली दे रहे हैं और किसी किसी को गोली दे रहे हैं और उसके बाद बढ़िया खाना मिल रहा है। लेकिन समय काटना बड़ा कठिन हो जाता है। ये जो मानसिक रूप से दबाव आता है, फ्रस्टेसन आता है वह बहुत तकलीफदायक है। और जो क्वारंटाईन सेंटर में घटनाएं हुई हैं अधिकांश में देख लीजिए कि वह अवसाद के कारण ही रहा है। या फिर जो लोग दूसरे जगह रहे हैं, काम करते रहे, एक साथ रहे, प्रेम हो गया और उसके बाद करोना के चक्कर में बिछड़ गये, पूना से चलते हुए यहां तक आ गये, बालोद की घटना ऐसे ही हुई है, सीतापुर की घटना भी वैसी ही है, अब वह वहां कुछ बोल नहीं पाये, मजबूरी में उनको आना पड़ा। जिससे प्रेम कर रहे हैं वह और कहीं चली गई और दूसरा बंदा यहां आ गया, कोई संपर्क नहीं है। तो ये अवसाद का कारण है। अब ये जो घटना घटी है, किसको दोष दें। सुझाव दे दीजिए, हम भेज देंगे ना। क्यों नहीं भेजेंगे? आपके अच्छे सुझाव आ रहे हैं बिल्कुल भेजेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- हो गया, जवाब आ गया।

श्री भूपेश बघेल :- स्वास्थ्य मंत्री जी बोल रहे थे तो मैं उनको बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा था लेकिन बृजमोहन जी ने जो बात कही और दो बार बात हुई इस कारण से मैंने वह बात कही।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने बढ़िया सा उत्तर दे दिया और स्पष्टीकरण से कोई मतलब था नहीं।

श्री भूपेश बघेल :- जवाब तो बचा है भाई, जवाब आने दीजिए। आपका भाषण हो गया इसका मतलब ये थोड़ी होता है। आपको सब लोग झेले हैं। आपका पूरा रौद्र रूप देखे हैं। (सदस्यों की सीट पर ग्लास का पार्टीशन लगा हुआ है) ये तो अच्छा हो गया कि अध्यक्ष जी ने ये वाली व्यवस्था कर दी कि आप टेका लगाकर मस्त भाषण दे रहे थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा है कि जो काम आप कर सकते हैं उस हर बात को केन्द्र पर डाल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट काम नहीं करेगा। आपके बंगले में आयोजन हो रहा है उसमें वह काम नहीं करेगा। तो इस तरह की जो कार्ययोजना है, वह वेंटीलेटर खरीदने के लिए नहीं बोलेंगे। वह आपको 80 बेड का अस्पताल बनाने के लिए नहीं बोलेंगे। वह आपको इन्सेन्टिव को देने के लिए नहीं बोलेंगे। तो जो चीजें आप कर सकते हैं उसको केन्द्र सरकार, केन्द्र सरकार, केन्द्र सरकार जो बोल रहे हैं,

हम माननीय मुख्यमंत्री जी से जो काम आप कर सकते हैं उसको सुनना चाहते हैं। आपको जो हमने कहा वह आपने केंद्र सरकार कहा। वेंटीलेटर खरीदने के लिए बताइये वह मैनेजमेंट जो कानून बोल रहे हैं वह लागू है?

श्री भूपेश बघेल :- हमारे पास पर्याप्त वेंटीलेटर है और स्वास्थ्य मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- यही बोल दीजिए बढ़िया बात है।

श्री भूपेश बघेल :- जवाब तो दे रहे हैं ना। आपने कार्ययोजना के बारे में बात कही इस कारण मैंने बात कही। और जहां तक बात है प्रधानमंत्री जी के V.C. में बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा, उन्होंने एक्ट के बारे में पढ़कर बताया कि ये-ये पैरा में ये-ये लिखा हुआ है इसलिए हम अपनी बस कोटा नहीं भेज पा रहे हैं। अब यहां के लोग हमको गरिया रहे हैं, हम क्या करें, प्रधानमंत्री जी हमको बताईये। ये उन्होंने V.C. में कहा। ये सब एक्ट के तहत ही हम सब संचालित हो रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर:- चलिए साहब, बढ़िया है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, देखिए काम कैसे हो रहा है। स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार के गाईड लाईन्स आते हैं, आई.सी.एम.आर., गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाईड लाईस आते हैं, उसके बाहर आप नहीं जा सकते। हम लोग उस बात को समझ रहे हैं। टेस्टिंग भी उसी के दायरे में है। प्रबंधन भी उसके दायरे में है। टेस्टिंग के लिए भी गाईडलाईस आती हैं कि किसका टेस्ट करना है। कितना टेस्ट करना है, राज्य सरकार उसको बढ़ा रही है और आगे बढ़ायेगी।

समय :
08:00 बजे

आपने योजना के बारे में कहा, हमने 20 हजार का अगला टारगेट रखा है। डेली हमको 20 हजार तक टेस्ट कराना है। इसमें पांच, छै, सात हजार, आर.टी.पी.सी.आर. पद्धति से है, 5-6 हजार कम से कम, 10-12 हजार antigen test करेंगे, कम से कम 4 हजार हम true knight पद्धति से टेस्ट करेंगे तो फिलहाल अगला जो टारगेट है, 10 से 12 हजार के आस पास पहुंचे हैं उसको 20 हजार तक ले जायेंगे। ये टेस्टिंग की व्यवस्था है। आप चिंता जो बता रहे हैं, सर्वविदित है कि सबसे ज्यादा चिंता रायपुर की है। रेलवे लाईन और मुख्य मार्ग जो यहां की चिंता है, सर्वाधिक डेथ कहां हुए हैं ? आप देख लीजिएगा। दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर, चांपा, जांजगीर, रायगढ़। 80-85 प्रतिशत जो मृत्यु हुई है, ये इन 6 जगहों पर हुई है। 6 जगह की जो मृत्यु है, ये एक लाईन से है। योजना क्या है कि इन जगहों पर ज्यादा से ज्यादा प्रबंधन करना है। इसमें कमी न हो। रायपुर के लिये 6 हजार बिस्तर, अन्य जगह पर और बढ़ाकर रायपुर का 10 हजार तक सोचा हुआ है। ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। आपने पाजीटिविटी रेश्यू का भी कहा। रायपुर अभी चिंताजनक है। पाजीटिविटी रेश्यू पाजीटिव जितना टेस्ट करा रहे हैं, उसमें कितना पाजीटिव आ रहे हैं। आप टोटल देखेंगे तो अलग-अलग जगह के अलग-अलग प्रतिशत हैं। रायपुर सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। हम लोग ध्यान में रखकर उसके लिये प्रयास कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा नियंत्रित करें, उसके लिये ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करें। आपने बाकी आंकड़ों के बारे में कहा, डिस्चार्ज रेट कितना है, पाजीटिव रेट कितना है ? बातें भी आई और वक्ताओं ने भी कहा, जो इसके जानकार हैं। आप भी उसको जानते हैं कि हिन्दुस्तान में पाजीटिविटी रेट जीरो था। जब चायना से चालू हुआ, एक भी नहीं था। कोई भी कोरोना का नहीं था। आया तो बढ़ा,

कहां बढ़ा दिल्ली में बढ़ा, कलकत्ता, आपके बंबई में बढ़ा, और जगह से बढ़ा जहां से लोग आये, वहां से फिर लोग इधर आने लगे। हवाई जहाज ट्रेन चालू हुआ तो इधर बढ़ा। आज आप बढ़ने के दौर पर हैं, निश्चित मानिये मृत्यु दर कितना जायेगा ? आज वैश्विक मृत्यु दर क्या है ? वैश्विक मृत्यु दर 3.45 है। देश का मृत्यु दर 1.84 है। छत्तीसगढ़ का मृत्यु दर दशमलव 94, 95 है। विश्व का मृत्यु दर, छत्तीसगढ़ का मृत्यु दर अभी इतना है। अब कुल आबादी का लीजिएगा तो हजार मृत्यु अगर छत्तीसगढ़ में होती है तो 3 लाख 3 करोड़ आबादी के हिसाब से, तो मृत्यु दर .00333 हुआ। एक हजार पर जब हम जायेंगे तो मृत्यु दर कुल आबादी का इतना होगा। पाजीटिव का इतना होगा।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- मंत्री जी, इतना विस्तृत मत बताईये, उनको समझ में नहीं आयेगा। फिर दोबारा पूछेंगे।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- तुलनात्मक में भी अगर छत्तीसगढ़ की बात है जहां निश्चित रूप से चिंतन करना है। सबके सुझाव आते हैं, सकारात्मक सुझाव आते हैं। डिबेट्स में सुझाव आते हैं। आप लोग भी देते हैं। कई बार उसमें एक्शन भी होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे मैंने बताया, कोरोना की डेली मानिटरिंग कर रहे हैं। जहां व्यवस्था की कमी होती है, वहां पर इनके यहां से डेली कार्यालय से आदेश जा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं, बड़े राज्यों में आप देखियेगा। आंकड़ा फिर वैसा दिखेगा। छत्तीसगढ़ में आपको मृत्यु दर अभी डिस्चार्ज डाउन दिखेगा। 50 प्रतिशत से कम आपको दिखेगा कि डिस्चार्ज हुए हैं। क्योंकि पाजीटिव अभी ज्यादा हो गये हैं, डिस्चार्ज अभी कम हो रहे हैं। आप निकल जायेंगे, बिल्कुल इसकी चिंता मत करिये। मैं सदन में खुलकर कह रहा हूं, अक्सर मैं खुलकर कहने की हिम्मत बहुत कम करता हूं। 5 प्रतिशत से ज्यादा मृत्यु हो ही नहीं सकती तो 95 प्रतिशत आपका डिस्चार्ज रेट आना ही आना है। अगर 1,2 प्रतिशत मृत्यु तक हम पहुंचे भी तो 98 प्रतिशत डिस्चार्ज रेट आना ही आना है। आज के डिस्चार्ज रेट को मत देखिये, आप इस क्रिया से इस दौर से निकलेंगे ही। 100 प्रतिशत निकलेंगे इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। आज का यह आंकड़ा है। महाराष्ट्र में मृत्यु दर 3.42 है, तमिलनाडु 1.72 है, कर्नाटक 1.69 है, यू.पी. 1.55 है, नई दिल्ली कितना है, जो अभी बहुत कम पाजीटिव दिख रहा है। 10 हजार करीब बचे हैं, बाकी डिस्चार्ज हो गये हैं लेकिन वहां का मृत्यु दर 2.64 है। पश्चिम बंगाल 2.01 है, बिहार तेलंगाना कम है, असम कम है। गुजरात में 3.29 है। संयोग से सबसे ज्यादा है। मृत्यु दर जो पाजीटिव जाये गये हैं, उनमें अगर सर्वाधिक मृत्यु हुई है तो गुजरात में हुई है। हरियाणा में 1 प्रतिशत है, मध्यप्रदेश में 2.0 है। ये अलग-अलग आंकड़े हैं। तुलनात्मक 21 बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ की स्थिति पहले 5-6 में चिंता करना चाहिए। सरकार योजना बनाकर चल रही है। आपने टेस्टिंग के लिये कहा, उसका बड़ा हिस्सा होगा। बाहर कम से कम जाना, ये हम सबको अपनाना चाहिए।

डॉ. रमन सिंह :- बृजमोहन जी ने बार-बार जिस विषय को केन्द्रित किया। उसका जवाब, स्पष्ट और एक लाईन में आ जाना चाहिये। जैसे छत्तीसगढ़ 10 लाख में 16 हजार टेस्ट कर रहा है। बाकी राज्यों का तुलनात्मक बताये कि कहीं 50 हजार, कहीं 60 हजार, कहीं 70 हजार टेस्ट हो रहे हैं। हम दो महीने, तीन महीने, चार महीने में अपनी क्षमता को 16 हजार से बढ़ाकर 32 हजार या 40 हजार करना चाहते हैं इसके लिए हम यह व्यवस्था कर रहे हैं। इसी आधार पर बेड की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके आधार पर जिला स्तर में हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं। ये प्वाईंट वाईस बता दें इतना लम्बा चौड़ा बताने की जरूरत नहीं है। क्या प्रवासी मजदूरों के लिए कोई 100-200 रूपये, हजार रूपये देंगे या बाकी राज्यों ने दिया है आपकी यह देने की कोई कार्ययोजना है यह बता दें और यदि नहीं है तो

नहीं बोलते जाएं। जिसको नहीं है उसको नहीं बोलते जाएं, जो आप करने वाले हैं उसको हां बोलते जाएं। इतने अलग-अलग जिलों में हम अलग-अलग बेड की व्यवस्था करने वाले हैं हमारी 3 महीने की उसकी कार्ययोजना है इतने छोटे-छोटे जवाब दे दीजिए।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरी व्यवस्था है क्योंकि लंबा होगा इसलिए मैंने पढ़ा नहीं है। हर जिले में कितने बिस्तर हैं आपको बता देता हूँ।

डॉ. रमन सिंह :- आप बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या-क्या कर रहे हैं यह बताईये?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरा बता दूंगा। केवल मैंने रायपुर की बात की क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता फिरहाल रायपुर की है। बाकी जगहों की उतनी चिंता नहीं है बिस्तरों की भी व्यवस्था है, सब साधनों की व्यवस्था है। रायपुर में हम लोगों को ध्यान प्रबंधन के लिए देना पड़ेगा। टेस्टिंग मैंने अभी 20 हजार का बताया। हमने छत्तीसगढ़ में 200 से चालू किया। एक दिन में 200 टेस्ट होते थे। यदि संभव होगा, एकाध दिन आगे पीछे गुंजाईश दे दीजिएगा। हमने एक सितम्बर से 20 हजार का टारगेट रखा है। आर.टी.पी.सी.आर. के नये लैब हैं ये अभी तीन शिफ्ट काम नहीं कर पा रहे हैं। उनको डायरेक्शन दिया गया है, मैन पॉवर दिया गया है जैसे ही उनके तीन शिफ्ट चालू हो जाएंगे, टेस्टिंग की कैपेसिटी हो जाएगी। टेस्टिंग कम होने का एक और कारण क्योंकि माननीय रमन सिंह जी इस बात को समझेंगे। हम लोगों ने पुलिंग की व्यवस्था मांगी थी और केन्द्र सरकार ने दी। छत्तीसगढ़ मांगने वालों में से एक था। आज क्योंकि पॉजिविटी ज्यादा आ रही है तो उसको हम अब पुल नहीं कर रहे हैं जहां पर संक्रमण ज्यादा है। तीन भाग में योजना क्या है, तीन भाग में बांटा हुआ है कम संक्रमित, मध्यम संक्रमित, ज्यादा संक्रमित एरिया से जो सैम्पल आ रहे हैं ज्यादा संक्रमित में सिंगल कर रहे हैं। 5 करेंगे तो आपका टेस्ट 5 गुना हो जाएगा। 1 हजार टेस्ट करना है, 5-5 कर दीजिए, 5 हजार एक लेबरोटरी से आ जाएगा, लेकिन वह संक्रमित होते हैं तो उसको फिर से बार-बार टेस्ट करना पड़ता है। इन 5 में कौन सा पॉजिटिव है ? हमने 5 एक साथ डाला, सैम्पल पॉजिटिव आ गया और उन 5 में से कौन सा था फिर उसको बांटिए। 3/2 में बांटिए फिर 1 में बांटिए। फिर 5 पता चला, 6 टेस्ट फिर से हो गये। ये जो समस्या आ रही है इसके चलते हम संक्रमित क्षेत्र में पुलिंग कम कर रहे हैं। कम संक्रमित क्षेत्र में ज्यादा कर रहे हैं। रायगढ़ जैसा लैब हजार-हजार कर रहा है 800 कर रहा है, जगदलपुर जैसा लैब हजार-हजार कर रहा है। नये लैबों को भी वहां तक पहुचाने का है, यह योजना है तो पहला 20 हजार, अभी हम 11, 10, 12 हजार के आसपास हैं तो 40 हजार बोलना अनुचित होगा। सितम्बर के पहले सप्ताह के अंदर 20 हजार नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग डाऊन, फेल और 20 हजार टेस्टिंग हो गया तो बोलिएगा कि चलिए आप लोगों ने 20 हजार किया। अब उसके आगे चलिये। हम लोगों का घोषित 20 हजार का लक्ष्य 1 सितम्बर, एकाध दिन 20,000 दे दीजिएगा। हम फिर बढ़ायेंगे। हम 20 हजार तो संभाले। फिर बढ़ायेंगे। उनको रिपोर्ट देना, सब कुछ पहुंचाना। इन व्यवस्थाओं से हम लोग आगे बढ़ रहे है। मैंने जो-जो बोला, वह आपके सामने हैं, जो-जो नहीं बोला, आपने उसके लिए पहले अनुमति दे दी है कि जो नहीं बोलना है वह मत बोलिएगा। तो बाकी आप लोग भी समझेंगे। ये जानकारी दे रहा हूँ और समय-समय पर आप लोगों का भी सुझाव आये, सत्तापक्ष के भी साथियों का लगातार सुझाव आता है। मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रतिदिन, मैं कह रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ इनके कार्यालय से इनके माध्यम से डेली इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। इसमें बेहतर परिणाम और आएंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना वारियर्स को ये सदन समवेत स्वर में सबके प्रति धन्यवाद् दे, आपसे आग्रह है ।

अध्यक्ष महोदय :- मुझे खुशी है कि लगभग 4 घण्टे 40 मिनट कोरोना के संबंध में आप सब लोगों ने चर्चा की।

कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति पर विपक्ष द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव को चर्चा हेतु ग्राह्य किया गया और पक्ष-विपक्ष के सदस्यों ने उस पर अपने विचार व्यक्त किए और सुझाव दिए। निश्चित रूप से इस चर्चा में आए सुझावों से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में सरकार को मदद मिलेगी।

आज इस चर्चा के अवसर पर माननीय सदस्यों ने भी कोरोना वारियर्स द्वारा की जा रही सेवाओं की सराहना एवं सम्मान की बात कही है। मैं इस सदन के माध्यम से उन सभी कोरोना वारियर्स का अपनी ओर से एवं सदन की ओर से सम्मान करता हूँ और उनकी कर्त्तव्यनिष्ठा की सराहना करता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही गुरूवार दिनांक 27 अगस्त, 2020 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

**(8 बजकर 10 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार दिनांक 27 अगस्त, 2020 (भाद्रपद 5, शक सम्वत् 1942) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)**

**चन्द्र शेखर गंगराड़े**
**प्रमुख सचिव**
**छत्तीसगढ़ विधान सभा**

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक : 26 अगस्त, 2020

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं